8 अगस्त 1994

श्रावण 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 34 ग्यारहवां सत्र, 1994 / 1916 (शक)

अंक 11 सोमवार, 8 अगस्त, 1994 / 17 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	202, 203, 204, 207, 210, 215 तथा 218	1-39
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या :	201, 205, 206, 208, 209, 211-214 216, 217, 219 और 220	39-51
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2025-2045 और 2047-2255	52-281
सभा पटल पर रखे गए पत्र		294-296
राज्य सभा से सन्देश		296
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति		296
तीसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत		
नियम 377 के अधीन मामले		297-298
(एक) मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता		297
श्री खेलसाय सिंह		
(दो) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में एक उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर की शीघ्र स्थापना करने और महाराष्ट्र के जनजातीय जिले में कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता		297
श्री शांताराम पोतदुखे		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) राजस्थान के गंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में कंटीले तार लगाने की योजना के अंतर्गत आने वाली भूमि के मालिक किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता 298

श्री बीरबल

(चार) हावड़ा रेलवे स्टेशन पर न्यु बिल्डिंग काम्पलेक्स को स्थाई रूप से दक्षिण पूर्व रेलवे को सौंपने की आवश्यकता। 298

डा. कार्तिकेश्वर पात्र

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) 299-301, 304-314

संशोधन विधेयक विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 299

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 300-301, 304-307

श्री पी.जी. नारायणन 307-309

श्री शरददिघे 309-311

श्री लक्ष्मण सिंह 311-313

खंड 2,3 और । विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 313-314

आपूर्ति के अभाव में 2.30 म.प. तक के लिए सभा के स्थगन के बारे में घोषणा

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में बच्चों का अपहरण 302-304

श्री पी.एम. सईद

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य), 1994-95 315-353

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1990-91

और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1991-92

श्री अनादि चरण दास 318-324

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही 324-331

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी 331-335

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री 335-343

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 343-347

प्रो. के.वी. थामस 352-353

लोक सभा

सोमवार, 8 अगस्त, 1994/ 17 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजकर पाँच मिनट म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पत्तनों का आधुनिकीकरण

***202. श्री एन डेनिस :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के छोटे, मंझौले और बड़े पत्तनों का विकास/आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ, राज्य-वार, कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) केन्द्र सरकार का सरोकार केवल महापत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण से है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के दौरान देश में सभी 11 महापत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण किए

जाने का प्रस्ताव है। तथापि लघु और मध्यम पत्तनों के विकास, रख-रखाव आदि के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।

(ख) तथा (ग) महापत्तनों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 8वीं योजना, 1992-97 में 2984 में 2984 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु.)

राज्य का नाम	पत्तन का नाम	8वीं योजना 1992-97 में परिव्यय
पश्चिम बंगाल	1. कलकत्ता/हल्दिया	421
महाराष्ट्र	2. बम्बई	413
	3. जवाहर लाल नेहरू	215
तमिलनाडु	4. मद्रास	570
	5. टूटीकोरिन	65
केरल	6. कोचीन	117
आन्ध्र प्रदेश	7. विशाखापत्तनम	250
गुजरात	8. कांडला	226
गोवा	9. मुरगांव	123
उड़ीसा	10. पारादीप	486
कर्नाटक	11. न्यू मंगलौर	98
	जोड़ :	2984

जहां तक लघु और मध्यम पत्तनों का संबंध है, कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। क्योंकि वे भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।

श्री एन. डेनिस : विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रचालन और अनुरक्षण सुविधाओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समान विकास किया जाना चाहिए। यदि बन्दरगाह सुविधाओं में निजी भागीदारी की अनुमति दी जाती है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि किन बन्दरगाह सुविधाओं हेतु निजी भागीदारी की अनुमति दी गई है? क्या भारतीय लघु पत्तन अधिनियम और भारतीय मुख्य पत्तन

अधिनियम में भी कोई संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे बन्दरगाह सेवाओं का स्तर बढ़ाने में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी हो सके।

श्री जगदीश टाईटलर : जहां तक पत्तनों से संबंधित मौजूदा अधिनियम का संबंध है इस अधिनियम में कोई परिवर्तन किए जाने की जरूरत नहीं है। अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत पिछले कुछ समय अर्थात डेढ दो वर्ष से निजीकरण का स्वागत किया जा रहा है। हमने सभी मुख्य बन्दरगाहों पर बर्थ उपलब्ध कराना, कंटेनर उपलब्ध कराना, हैंडलिंग इक्विपमेंट, भाण्डागार सुविधाओं का विकास, खतरनाक और तरल पदार्थों की हैंडलिंग, बर्थस का मशीनीकरण- ये सभी बन्दरगाहों पर इन सभी सुविधाओं की अनुमति दी गई है।

मुझे सदस्यों को भी यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक निजीकरण के लिए दस योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनसे लगभग 2000 बन्दरगाहों के लाभान्वित होने की संभावना है।

श्री एन. डेनिस : ग्यारह मुख्य बन्दरगाहों के अलावा लगभग 226 छोटे और मध्यम बन्दरगाह हैं। निःसंदेश जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वे राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। छोट पत्तनों के विकास के लिए जो सहायता दी गई थी उसे 1978 में रोक दिया गया था। अतः छोटे और मध्यम पत्तनों के विकास की लम्बे समय तक उपेक्षा की गई है। उदाहरण के लिए कन्याकुमारी जिले में ऐतिहासिक बन्दरगाह कोलाचेल उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। यह लगभग निष्क्रिय हो गया है क्योंकि इसकी बहुत लम्बे समय तक उपेक्षा की गई है। छोटे बन्दरगाहों के विकास से बड़े मुख्य बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़ कम होगी। क्या छोटे पत्तनों के विकास के लिए जो केन्द्रीय सहायता दी गई थी वह फिर से दी जाएगी?

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या छोटे, मध्यस्थ और बड़े पत्तनों के विकास के लिए एक केन्द्रीय कोश बनाया जा सकता है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों को यह निर्देश देगी कि निजी क्षेत्र की सहभागिता से पत्तन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

श्री जगदीश टाईटलर: देश में 139 छोटे पत्तन ऐसे हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं आते हैं। पूर्व और पश्चित में एक पत्तन को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने की हमारी एक योजना थी। इस योजना को फिर से लागू करने की हमारी कोई योजना नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में अधिकांश बड़े पत्तनों पर काम का बोझ अधिक होगा हम मंत्रालय में पूर्व और पश्चिम में एक-एक बन्दरगाह का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन यह इस योजना पर अभी विचार किया जा रहा है और अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने इस संबंध में पूछा नहीं है क्योंकि यह

छोटे बन्दरगाहों में से एक है इसलिए हम एशियाई विकास बैंक की सहायता से काकीनाड़ा परियोजना का स्तर ऊंचा करने के बारे में सोच रहे हैं। यह परियोजना 124.08 करोड़ रूपए की लागत से 1990 में मंजूर की गई थी। एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए 77.90 मिलियन डालर का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सहमत हो गया है। इस परियोजना के अगस्त, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्यारह महापत्तनों के विकास के लिए 2,984 करोड़ रूपए के परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा दिया है।

पारादीप पत्तन इन ग्यारह पत्तनों में से एक है और उस बन्दरगाह के लिए 486 करोड़ रूपए निर्धारित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस 486 करोड़ रूपए का मद-वार ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में पारादीप बन्दरगाह के विकास के लिए अब तक कितना धन जारी किया गया है।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, मेरे पास प्रत्येक पत्तन के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन में सभा को बताना चाहता हूं कि मैं इस बारे में माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय स पारादीप बन्दरगाह के निजीकरण के बारे में जानना चाहता हूं। सुभाष प्रोजेक्ट एक्सचेंज ने पारादीप में जलपोत मरम्मत केन्द्र की स्थापना के लिए इस परियोजना के निजीकरण के लिए आवेदन किया है। क्या मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

श्री जगदीश टाईटलर : जहां तक पारादीप बन्दरगाह के निजीकरण का संबंध है फिलहाल भण्डारण सुविधाओं के लिए टेंक हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

मुझे मालूम है कि यह बात चली थी कि जलपोत मरम्मत सुविधाओं की मांग की गई है। हमें इसकी अनुमति देने में बहुत प्रसन्नता है और मैं माननीय सदस्य को गारन्टी दे सकता हूं यदि ऐसी योजना है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय इसको मंजूरी देने में अधिक समय नहीं लेगा।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि छोटे और मध्यम पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तकनीकी रूप से यह छोटे, मध्यम और महापत्तन, तीनों एक के लिए है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह जैसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां कोई राज्य सरकार नहीं है और परियोजनाओं के पूरे विकास की देखभाल केन्द्र सरकार को करनी पड़ेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि एक मंत्रीमण्डलीय संकल्प था जिसके अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए बन्दरगाह प्रबंध बोर्ड का गठन किया गया था और मुख्य बन्दगाहों के सभी अधिकार इस बोर्ड

को दिए गए हैं।

चूंकि इसे एक महापत्तन ट्रस्ट घोषित नहीं किया गया है इसलिए सभी विकास कार्यों और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास में बाधा आ रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन मध्यम और छोटे बन्दरगाहों को अति विशेष मामले के रूप में मुख्य पोर्ट ट्रस्ट के अन्तर्गत लाने पर विचार करेंगे क्योंकि ये क्षेत्र पूर्णत: जहाजरानी सेवाओं पर निर्भर हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे तथा इसका सुधार आवश्यक है।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, हमें इस प्रस्ताव का अध्ययन करना पड़ेगा।

श्री डी. के. नाईकर : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 1992 से 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धन के आबंटन के बारे में आंकड़े दिए हैं। जहां तक इस आबंटन का संबंध है, मंगलौर को एक मुख्य बन्दरगाह माना गया है लेकिन इसके लिए केवल 98 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं जबकि मोरमुगांव को 123 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां तक मंगलौर का संबंध है, आबंटन में यह भेदभाव क्यों किया गया है।

महोदय, केन्द्र सरकार ने कारवाड़ बन्दरगाह को नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित किया है फिर भी इसको मुख्य बन्दरगाह नहीं माना गया है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, माननीय सदस्य पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि इसे नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित किया गया है।

कश्मीर संबंधी संकल्प

***203. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खन्डूरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कश्मीर के संबंध में पेश किए गये एक संकल्प की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान के इस प्रकार के शरारतपूर्ण दुष्प्रचार से निपटने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनंदन लाल भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) पाकिस्तान की संसद द्वारा 28 जून, 1994 को जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें अन्य बातों के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर की स्थिति पर भी चिन्ता व्यक्त की गई है; यह तर्क दिया गया कि जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद को पाकिस्तान का समर्थन नैतिक, राजनैतिक और राजनयिक स्तर तक सीमित है; और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि कश्मीर मसले का हल संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के अनुसार किया जाए।

सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को इस बयान पर अपनी चिन्ता और खेद से अवगत करा दिया है और कहा है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य जन-भावनाओं को भड़काना है और इससे हमारे आंतरिक मामलों में खुल्लम-खुल्ला हस्तक्षेप हुआ है।

सरकार ने सही परिप्रेक्ष्य में जम्मू-कश्मीर की घटनाओं से संबंधित तथ्यों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए ठोस आवश्यक उपाय किए हैं और करती रहेगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ने नये सिरे से भारत विरोधी प्रचार अभियान आरम्भ किया है तथा श्रीमती भुट्टो के वर्तमान शासन काल के दौरान 28 तारीख को पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र के दौरान पहली बार इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विरोध प्रकट किया गया है। यदि हां, तो किसके समक्ष तथा भारत सरकार द्वारा प्रकट किए गये इस विरोध के प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया रहीं। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि भारत पाक सम्बन्ध बद से बदतर हो रहे हैं। कूटनीतिज्ञ स्तर पर भी हमारे राजनयिकों को पाकिस्तान में बहुत परेशान किया गया है। वास्तव में कल ही समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है।

महोदय, मेरा प्रश्न काफी लम्बा हो गया है। परन्तु यह काफी महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आपको समाचार पत्रों से उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं पढ़ कर नहीं बोल रहा।

महोदय, 23-24 जुलाई की रात भारतीय राजनयिकों के लिए बड़ी भयानक रात थी। इस संकल्प के पश्चात् मैंने सुना है कि विरोध प्रकट किया गया था। उस विरोध के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही। राजनयिक स्तर पर स्थिति और बिगड़ रही है। बीजा देने पर जो और प्रतिबंध लगाये गये हैं उससे इन दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी सम्पर्क पर कुप्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे के अन्तर-राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है। हमारे विरोध के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया रहीं। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री आर. एल. भाटिया : माननीय सदस्य ने एक साथ अनेक प्रश्न उठाये हैं। पहला यह कि इस संकल्प के प्रति हमने अपनी प्रतिक्रिया तथा चिंता कब प्रकट की। इस संकल्प के पारित होने के तुरंत पश्चात्, हमारे विदेश सचिव ने पाकिस्तान के दिल्ली में उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी चिंता से अवगत कराया।

दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा है, वह संकल्प पारित होने के पश्चात् हमारे द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में है। हमने अन्तर-राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे के पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीयकरण किए जाने के परिणामों की जानकारी देने का प्रयास किया, जो कि कश्मीर मुद्दे के अन्तर-राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केन्द्रित किए हुए हैं। इस संबंध में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि हमने अनेक बार दोहराया है कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मसलों को बातचीत द्वारा कश्मीर समझौते के अन्तर्गत सुलझाना चाहते हैं। यहां तक के पाकिस्तान के विदेश मंत्री जब कुछ दिन पहले मुझे ढाका में मिले तो मैंने इस बात का साफ शब्दों में कहा था कि हम इस मामले को केवल बातचीत द्वारा ही सुलझा सकते हैं तथा उन्होंने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि आप इस संबंध में पहल कीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। तथा मैंने यह बात जोर देकर कहीं थी कि इससे पहले कि हम बातचीत करें, यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है कि दोनों देशों में बातचीत के लिए उचित वातावरण तैयार किया जाये।

राजनयिकों के संबंध में जो मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया है उसके संबंध में यह सच है कि हमारे राजनयिकों को पाकिस्तान में काफी परेशान किया गया है तथा पाकिस्तान सरकार के समक्ष इस संबंध में विरोध भी प्रकट किया गया है। हमने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भी अपने पास बुलाया था तथा उसे यह स्पष्ट रूप से बताया था कि स्थिति बिगड़ रही है तथा इसमें सुधार किया जाना चाहिए। मैंने ढाका में पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री आसफ अली को भी यह कहा था कि इसे बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि इस ओर ध्यान दिया जायेगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : स्थिति बड़ी विचित्र है। क्योंकि जब भी कोई सम्मेलन होता है, उनके मंत्री तथा हमारे मंत्री के बीच कोई बातचीत होती है, सचिव स्तर पर बातचीत होती है, उस दौरान वे जो कहते हैं, उसी का उसके तुरंत बाद उल्लंघन करते हैं।

जो संकल्प पारित किया गया तथा उनका कश्मीर के लोगों को तथाकथित आत्मनिर्णय के लिए संघर्ष में नैतिक, राजनयिक तथा राजनीतिक समर्थन देना क्या भारत के आंतरिक मामलों में हस्ताक्षेप नहीं है? ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप संक्षेप में बात करेंगे?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इससे उनकी शिमला समझौते के प्रति वचनबद्धता का उल्लंघन होता है। क्या यह मामला हमारे द्वारा उठाया गया? क्योंकि हम हमेशा शिमला समझौते पर जोर देते हैं।

अगस्त में संयुक्त राष्ट्र संघ का सत्र होने वाला है।

श्री आर. एल. भाटिया : जो अन्य प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है कि पाकिस्तान ने अनेक लोगों को विदेशों में भेजा है, उसके सम्बन्ध में यह सच है कि पाकिस्तान ने संसदविदों के रूप में पांच विभिन्न ग्रुप तथा विश्व की विभिन्न राजधानियों में कई लोगों को भेजा है जो कि इस प्रश्न के अन्तर्राष्ट्रीयकरण के समर्थन में मत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रहा है तथा हम भी इस प्रश्न के अन्तर्राष्ट्रीयकरण की अर्थहीनता से विश्व समुदाय को अवगत कर रहे हैं क्योंकि यह एक द्विपक्षीय मामला है तथा दोनों देश एक साथ बैठ कर इस मामले को सुलझा सकते हैं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या इस प्रस्ताव पर आम सहमति थी?

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे।

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर के अंतिम भाग को उद्धृत करना चाहता हूं कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर की बदलती हुई स्थिति को ठीक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने वाले तथ्यों से अंतर-राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए आवश्यक तथा ठोस कदम उठाये हैं। तथा भविष्य में भी उठाती रहेगी। भारत सरकार तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार के लिए यह प्रशंसनीय तथा स्वागत योग्य बात है .....

अध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्रालय संबंधी मामलों में हमें संक्षेप से बात करनी चाहिए।

श्री ई. अहमद : कि हजरत बल को वक्फ प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है तथा मस्जिद के चारों ओर से सुरक्षा बंकर हटा लिए गये हैं। यह मांग लम्बे समय से चली आ रही थी तथा यह सकारात्मक तथा उचित कार्यवाही से कश्मीर तथा विश्व के लोगों को सही संकेत मिला है। पाकिस्तान इस्लामिक देशों के संगठन को अपने वशीभूत करना चाहता है तथा मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की जानकारी है कि इसलामिक देशों के संगठन में अनेक देश पाकिस्तान के कश्मीर सम्बन्धी दृष्टिकोण के पक्ष में नहीं हैं। हमने कौन-कौन से कदम उठाये हैं, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विश्व के देशों, विशेषकर उन मुस्लिम देशों को जो कि इस्लामिक संगठन के सदस्य हैं, को वर्तमान अनुकूल वातावरण तथा पकिस्तान की कुत्सित गतिविधियों से अवगत कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं, विशेषतया सऊदी अरब जैसे देश को जहां कि पिछले कई महीने से भारत का कोई राजदूत नहीं है।

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हजरतबल के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाने से देश के भीतर तथा बाहर सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा होगा। भारत सरकार का ऐसा प्रयास है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति पैदा हो तथा हम बाकी विश्व को भी यह बताने का प्रयत्न

कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कोई बात छुपी हुई नहीं तथा भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है। परन्तु पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को भेज कर समस्या पैदा कर रहा है और माहौल को बिगाड़ रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार उन भारतीय पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करने जा रही है जिन पर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में भारतीय पत्रकारों की संख्या में इसी कारण कमी आ रही है जबकि भारत में पाकिस्तानी पत्रकारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसलिए पकिस्तान में भारतीय पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हम क्या करने जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि भारत ने हजरत बल दरगाह से सेना को हटा लिया है तथा इससे तनाव में कमी आई है। परन्तु आंतकवादी संगठनों ने अमरनाथ यात्रा पर लगाई गई रोक को वापस नहीं लिया। भारत सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है।

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, भारतीय पत्रकारों के संबंध में यह सत्य है कि पाकिस्तान पत्रकारों को प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। वे उनको छह महीनों के लिए वीजा देते हैं और वे हमारे पत्रकारों को केवल तीन शहरों तक ही सीमित रखते हैं जबकि भारत में हमने पत्रकारों को एक वर्ष के लिए वीज़ा दिया है और उन्हें देश में कहीं भी जाने की अनुमति है। इस संबंध में, हमने उनसे बातचीत की है कि दोनों पक्षों को एक ही प्रकार की प्रणाली अपनानी चाहिए।

जहां तक हजरतबल संबंधी मामलों का प्रश्न है, भारत ने इस संबंध में पहल की है। परन्तु आतंकवादियों ने ये नहीं कहा है कि वे अमरनाथ यात्रा होने देंगे। अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी।

गृह मंत्रालय ने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि वे सारी स्थिति पर नजर रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव: पाकिस्तान हिन्दुस्तान में उग्रवादियों को प्रशिक्षण देकर भेज रहा है, इस बात के प्रमाण भी मिले हैं। आपने इस मामले को विदेशों में भी उठाया है और कहा है कि वे पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करें। इस पर अमरीका और दूसरे देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री आर.एल. भाटिया : सारी दुनिया को इससे अवगत करा दिया गया है। अमरीका भी इस बात को जानता है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। उन्होंने एक्शन के बारे में भी सोचा था। अपने हित में कोई बात नहीं की। उन्होंनें कहा है कि पाकिस्तान अभी भी उनके विजिलेंस के अंडर है।

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, अगर दिल्ली देश का दिल है तो जम्मू-कश्मीर देश का मस्तक है। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उनकी हाल ही की ढाका यात्रा के दौरान उनकी पाकिस्तान के विदेशी मंत्री के साथ बातचीत हुई थी तथा उन्होंने पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र के दौरान पारित संकल्प पर उनसे अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बातचीत के बाद क्या पाकिस्तान सरकार के साथ आगे चर्चा हुई है? और यदि हां, तो क्या श्रीमती बेनजीर भुट्टो की सरकार की कोई विशिष्ट प्रक्रिया रही?

श्री आर.एल. भाटिया : सर्वप्रथम मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान सरकार इस संबंध में संसद में सर्वसम्मति लाने के प्रयास में असफल रही जैसे कि हम कर सकें। संसद के संयुक्त सत्र में उन्होंने एक संकल्प स्वीकृत किया जिस पर अनेक विपक्ष के सदस्या जोर-जोर से "नहीं-नहीं" कहते हुए सुने गए। समाचार माध्यमों ने भी यह खबर दी कि इसके विरुद्ध भी संसद में मतदान हुआ। दूसरे, इस संकल्प में श्री नसरूल्लाह खां के नेतृत्व में एक संयुक्त समिति की गठन की बात कही गई थी परन्तु अभी तक यह समिति गठित नहीं हुई है। इस प्रकार उस संकल्प के संबंध में पूर्ण सहमति नहीं थी।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित सभी मुद्दों पर बातचीत की प्रक्रिया को पुनः आरम्भ करने की संभावनाओं की जानकारी चाहता हूं जो प्रक्रिया उस समय आरंभ हुई थी जब हमारे विदेश सचिव 2 जनवरी, 1994 को मिले थे तथा विशेष रूप से मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनयिक स्तर पर कोई संपर्क स्थापित किया गया है ताकि ऐसे विशिष्ट दूतों की नियुक्ति की जा सके जो कि इस मुद्दे को सही रूप में निपटा सके, संस्थागत रूप में बातचीत कर सके ताकि हमें इस बात की अग्रिम रूप से जानकारी मिल सके कि यह बातचीत कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी और किन-किन के बीच होगी ताकि यह प्रक्रिया संबंधी प्रश्न इन मुद्दों पर उत्तरोत्तर विचार के बीच में बाधा न बन सके?

श्री आर.एल. भाटिया : महोदय, जनवरी के आरंभ में विदेश सचिवों की बैठक के दौरान भारत ने छह प्रस्ताव दिये थे जोकि पाकिस्तान सरकार के विचाराधीन हैं। अभी तक हमें उनसे कोई उत्तर नहीं मिला है इसलिए हमारी ओर से इस समय किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

आरक्षण समाप्त करना

***204. श्री गुरूदास कामत :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** 'च194 ग्मंत्री यह बताने 'च्ग्कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 1994 के "दि पायनियर" में "ब्रेड कंफेक्शनरी, आइसक्रीम लाइकली टू बी डिरिजण्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने की अनुमति देने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) उन अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिसके उत्पादन का आरक्षण समाप्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश की अनुमति देने का क्या औचित्य है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) आरक्षण नीति के अनुसार किसी बड़ी कंपनी को, इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी शामिल है, औद्योगिक लाइसेंस लिए बिना तथा न्यूतनतम 75 प्रतिशत निर्यात प्रभार स्वीकार किए बिना केवल लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निमार्ण करने की अनुमति नहीं है।

(घ) अगस्त, 1991 से अब तक सरकार ने किसी मद को अनारक्षित करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) (ख) से (घ) में उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कुमारी सुशीला तिरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि 1991 से डबलरोटी, मिष्ठान्न और आईसक्रिम को अनारक्षित करने का सरकार या उनके मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि लघु उद्योगों के संवर्धन या विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें।

श्री तरूण गगोई : महोदय, लघु उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए सरकार के पास अनेक योजनाएं हैं। उन्हें लघु उद्योगों के लिए ब्याज की रियायती दरें प्राप्त होती हैं और उत्पादन शुल्क में भी राहत प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई है।

कुमारी सुशीला तिरिया : महोदय, पूरे देश के जनजातीय वन क्षेत्रों में महुआ के फूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या देश में महुआ फूल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ताकि जनजातीय व्यक्तियों का जीवन बर्बादी से बच

सके और उन्हें रोजगार भी मिल सके।

श्री तरूण गगोई : महोदय, आमतौर पर सरकार प्रत्यक्षत: ऐसी योजना नहीं बनाती है। यदि राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर विचार किया जाता है और उसे आवश्यक सहायता दी जाती है।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि देश में उत्पादित 40 प्रतिशत फल, प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण बेकार हो जाते हैं और इनकी अनुमानित लागत 5,000 करोड़ रुपये है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि यदि प्रसंस्करण सुविधाएं उपलबध नहीं हैं तो कितना घाटा होता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मौसमी फलों के प्रसंस्करण के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है और इस कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है? उदाहरण के लिए आम और टमाटर मौसमी फल हैं तथा कतिपय प्रकार की मछलियाँ भी कुछ क्षेत्रों में मौसमी मद मानी जाती हैं। वे सब बेकार जाते हैं क्योंकि कोई प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस मंत्रालय का गठन हुए 10 वर्ष हो गए हैं लेकिन इन मौसमी फलों और मछली के प्रसंस्करण के लिए कुछ नहीं किया गया है और यह इस देश की वास्तविक अमूल्य वस्तुएं हैं।

श्री तरूण गगोई : महोदय, यह सच है कि फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण के मामले में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से काफी नीचे हैं। हम 1.1 प्रतिशत से कुछ अधिक फलों और सब्जियों का ही प्रसंस्करण कर पाते हैं। यह सच है कि सरकार ने भी एक भिन्न नीति प्रारंभ की है और हमने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों तथा सहकारिताओं को सहायता दी है। तत्पश्चात् सरकार ने श्री जयन्त पाटिल की अध्यक्षता में योजना आयोग में एक समिति गठित की थी। उन्होंने यह सुझाव दिया कि मूलभूत क्षेत्रों में कतिपय उपाय किए जाएं ताकि प्रसंस्करण उद्योगों के उत्पादों का निर्यात बढ़ सके।

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि जो क्षेत्र लघु उद्योगों के लिए आरक्षित हैं उन्हें अनारक्षित नहीं किया जाएगा। लेकिन देश में भिन्न प्रकार से कार्य हो रहा है। यह सत्य भी है और सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ भारतीय कंपनियों के उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौता है जो मिष्ठान तथा आईसक्रिम बनाती हैं। समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह पता लगा है कि भारतीय कंपनियों द्वारा शीघ्र ही विश्व में प्रचलित प्रमुख ब्राण्डों की आईसक्रीम तथा मिष्ठान बनाए जाने लगेंगे। इस क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं है। अतः क्या सरकार स्पष्ट रूप से यह आश्वासन देगी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मिष्ठान तथा आईसक्रीम उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल भारतीय कंपनियों को ही इन क्षेत्रों में अनुमति होगी?

श्री तरूण गगोई : महोदय, हमने किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी को आईसक्रीम बनाने की अनुमति

नहीं दी है और उन्हे आईसक्रीम बनाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है जब तक कि वे 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करते हैं।

डा. बी.जी. जावाली : महोदय, एक ओर बागवानी करने तथा फलों का उत्पादन करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है और दूसरी ओर विपणन, शीतगृहों तथा प्रसंस्करण सुविधाओं का संबंध है उनका कोई उचित प्रबंध नहीं है। कृषि मंत्रालय द्वारा ऐसा प्रचार, प्रसार किए जाने का प्रोत्साहन दिए जाने से अनेक ग्रामीण व्यक्ति इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और विपणन के क्षेत्र में वे मध्यस्थों की दया पर निर्भर हैं।

अब वे इस बात पर खेद प्रकट करते हैं कि ''हमने इसकी अनुमति क्यों दी है?''

क्या विपणन के लिए कृषि मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के बीच समन्वय करने हेतु सरकार की कोई व्यापक योजना है?

श्री तरुण गगोई : मैं मानता हूं कि विपणन की समस्या है। विपणन के लिए छोटे उत्पादकों के उत्पाद प्राप्त करने के लिए बड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। हम किसानों के उत्पादों का विपणन करने के लिए बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री अनादि चरण दास : हम सभी जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों विशेष रूप से जनजातीय उप योजना या आई टी पी क्षेत्र के अंतर्गत अनेक वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं।

कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सरकारी उपक्रम ''ट्राइफेड'' है।

क्या उन्हें बिक्री कर या आय कर जैसी छूट देकर उत्पादन और विपणन के लिए ट्राइफेड हेतु जनजातीय उप योजना क्षेत्र या आई टी पी क्षेत्र में उपलब्ध उन मदों को आरक्षित करने की सरकार की कोई योजना है। क्या जनजातीय व्यक्तियों को बेहतर कीमतें दिलाने तथा उनके उत्पादों का विपणन करने के लिए ट्राइफेड के इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए सरकार अन्य सुविधाएं देगी?

श्री तरुण गगोई : ट्राइफेड कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और मेरे विचार से कल्याण मंत्रालय ही इसका उपयुक्त उत्तर दे सकता है।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : आप हमारी बात नहीं समझे। मैं पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में कोई दूसरा आदमी नहीं जाए और सिर्फ ट्राइफेड वहां काम करेगा। जो आइटम वहां होती है जैसे आंवला है , मक्का है और बहुत सी चीजें जो हमारे पहाड़ी इलाकों में होती हैं, ये सब ट्राइबल सब प्लान में आती हैं। अगर इनको डीरिजर्व नहीं करें तो दूसरे लोग वहां नहीं जाएंगे और उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने पूछा कि ट्राइबल एरिया में ट्राइफेड को अलाऊ करें और वही लोग जाकर काम करें और

उनके लिए उनको कनसेशन भी होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : ट्राइफेड भी है लेकिन मेरे पास ट्राइफेड के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। हम इस पर उस मंत्रालय के साथ चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है। आप इसकी जांच कर सकते हैं।

निर्यातोन्मुख एकक

***207. श्री सुधीर सावन्त :**

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यातकों को कोई एकमुश्त राहत देने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार को 1993-94 में प्राप्त स्वीकृत प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) उनमें प्रस्तावित कुल पूंजी निवेश की राशि कितनी है, और

(ङ) निर्यातकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का विचार प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यातकों को कोई एकमुश्त राहत देने का नहीं हैं 1993-94 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्यों, एकीकृत एक्वाकल्चर और गहन समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित 148 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 1,116 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और पांच वर्ष की अवधि में 12,409 करोड़ रुपये का अनमानित निर्यात किया जाएगा। इन प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अंतर्गत स्वयं भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन प्राधिकरण है।

अनुबंध

1993-94 के लिए शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट परियोजना के लिए दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे।

	यूनिटों की संख्या	प्रस्तावित निवेश	(करोड़ रुपये में) 5 साल में अनुमानित निर्यात
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	40	324	3691
गुजरात	8	41	379
हरियाणा	10	25	807
हिमाचल प्रदेश	4	46	132
कर्नाटक	6	12	124
केरल	10	46	1935
पंजाब	2	34	105
राजस्थान	6	20	218
तमिलनाडु	15	97	847
उत्तर प्रदेश	6	64	879
पश्चिम बंगाल	1	1	39
अंडमान निकोबार	1	18	27
दादरा तथा नगर हवेली	1	1	162
गोआ	2	47	339
पांडिचेरी	2	13	131
मेघालय	1	4	13
महाराष्ट्र	27	145	1064
भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र	6	195	1517
कुल	148	1116	12409

श्री सुधीर सावन्त : मैंने जो प्रश्न पूछा है और उसका जो उत्तर दिया गया है उसमें काफी अंतर है।

मैंने पैकेजिंग ऋण देने के बारे में पूछा है न कि एकमुश्त राहत देने के बारे में पूछा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों द्वारा जो मुख्य समस्या उठाई गई है वह मौसमी फलों के क्षेत्र में लघु उद्योगों के बारे में है। इस प्रकार प्रश्न पैकेजिंग ऋण के बारे में है।

इसमें दो मुद्दे शामिल हैं। एक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों को लागू करने के बारे में है। क्या मंत्रालय ने पैकेजिंग ऋण का विस्तृत अध्ययन किया है क्योंकि यह मौसमी खाद्यों के प्रत्येक उत्पादन के मौसम पर निर्भर करता है? दूसरे क्या बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का पालन करते हैं, यह प्रश्न समझना अत्यंत कठिन है? क्या मंत्रालय इस मुद्दे की निगरानी करता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या पैकेजिंग ऋण के लिए जारी मार्गनिर्देश व्यवहार्य हैं और क्या बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों का पालन करते हैं।

श्री तरुण गगोई : महोदय, वास्तव में हम इनकी निगरानी नहीं करते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक इन मार्ग निर्देशों को लागू करता है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप वित्त मंत्रालय को कोई राहत देने के लिए कहते हैं और वह राहत दी जाती है लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो आप क्या करेंगे?

श्री तरुण गगोई : हम यह मुद्दा उनके साथ उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी जांच कीजिए।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों की व्यवहार्यता से संबंधित प्रश्न का उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया है। मैं महसूस करता हूं कि मंत्रालय को भारतीय रिजर्व बैंक को मौसमी फलों के बारे में बताना चाहिए तभी वह कोई मार्गनिर्देश जारी कर सकता है।

श्री तरुण गगोई : हम भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं। हम हमेशा वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करते हैं और मंत्रालय बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मुद्दा उठाता है।

श्री सुधीर सावन्त : मेरा भी यही अनुरोध है कि वे प्रत्येक उत्पाद के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत करें और यह पता लगाएं कि क्या पैकेजिंग ऋण देना संभव है।

श्री तरुण गगोई : जहां तक पैकेजिंग का संबंध है इसमें समस्या है। पैकेजिंग लागत बहुत अधिक है और पैकेजिंग सामग्री के लिए राहत देने हेतु हमने वित्त मंत्रालय से बातचीत की थी और कुछ हद तक मंत्रालय ने उसे स्वीकार भी कर लिया है।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपका चौथा अनुपूरक प्रश्न है न कि दूसरा है।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, वह पैकेजिंग ऋण के बारे में था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपको अनुमति देता हूं।

श्री सुधीर सावन्त : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न एफ.पी.ओ. लाइसेंस के बारे में है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को एफ.पी.ओ. लाइसेंस लेने के लिए 500 से 1000 कि.मी. तक का रास्ता तय करना पड़ता है। हमारे लोगों की यही प्रमुख समस्या है। उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सन्फांसो आमों के लिए एफ.पी.ओ. लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सिंधु दुर्ग से बंबई जाना पड़ता है जो छोटे उद्यमियों के लिए मंहगा पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय जिला स्तर पर लाइसेंस देने पर कोई विचार कर रहा है।

श्री तरुण गगोई : मैं मानता हूं कि उद्यमियों को एफ.पी.ओ. लाइसेंस प्राप्त करने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हम कुछ उपबंधों को उदार बनाना चाहते हैं ताकि वे बिना किसी कठिनाई के इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

[अनुवाद]

टेलीफोन उपकरण

***210. श्री शरद दिघे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन उपकरण और अन्दर के तार न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे;

(ग) क्या उक्त निर्णय केवल नए उपभोक्ताओं पर ही लागू होगा अथवा धीरे धीरे वर्तमान उपभोक्ताओं पर भी लागू किया जाएगा;

(घ) क्या सभी उपभोक्ताओं को सेवा और मरम्मत का खर्च वहन करना होगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ङ) सरकार समस्त मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है, वह खुलासा करने के बजाय छिपाने वाला अधिक है। उत्तर यह है कि इन सभी पर तेजी से विचार-विमर्श चल रहा है। क्या मैं स्पष्ट

तौर पर जान सकता हूं कि दूर संचार विभाग द्वारा रखे गये प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए क्या संचार मंत्री इस संबंध में औपचारिक निर्णय पहले ही ले चुके हैं और अब केवल औपचारिक घोषणा की जानी है?

श्री सुख राम : महोदय, उपकरणों और अंदर की तारों को लगाने और उनके रखरखाव संबंधी कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव स्पष्ट है। लेकिन मैं इसमें आने वाली कुछ मुश्किलों के बारे में जानना चाहता था। पहली यह है कि लाइन जैक एक इंटरफेजिंग पाइन्ट है, जहां तक डॉट की लाइन आयेगी, उसके बाद अंदर के तार डालने का काम निजी कंपनी करेगी। मैंने आयोग से कहा है कि वे मुझे इस बात की जानकारी दें कि उपभोक्ताओं के आवास अथवा दूर संचार विभाग कहीं पर भी कोई भी समस्या या शिकायत होने पर उस फाल्ट का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकी है या नहीं । यह एक भाग है।

दूसरा प्रश्न बेरोजगार हुए कर्मचारियों की संख्या के बारे में है। वर्तमान में, ये लाइनमैन, टेलीफोन निरीक्षण तथा कुछ अन्य लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इससे कितने लोग बेरोजगार हो जायेंगे। मैं पहले ही सारे विभाग को आश्वासन दे चुका हूं कि किसी प्रकार छंटनी नहीं की जाएगी और जितना स्टाफ फालतू हो जाएगा उसे प्रशिक्षण देकर अन्यत्र नियोजित किया जायेगा । ये कुछ बातें हैं जिन पर मैंने कुछ स्पष्टीकरण चाहे हैं। जब भी मुझे इस बारे में पूरी जानकारी मिल जायेगी उसी समय इस संबंध में औपचारिक निर्णय ले लिया जायेगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हम यह निर्णय करेंगे तो इसे पूरे देश में लागू करना संभव न हो पायेगा। इसकी शुरूआत बड़े शहरों में की जा सकती है क्योंकि इन निर्माताओं को अपने बिक्री केन्द्र तथा बिक्री के बाद दी जाने वाली सेवाओं संबंधी केन्द्र खोलने पड़ेंगे।

इन सब बातों पर विचार-विमर्श किया जाना है और मैं माननीय सभा को आश्वासन देता हूं कि इन स्पष्टीकरणों को दिये जाने के बाद औपचारिक घोषणा की जायेगी।

+श्री शरद दिघे : जब यह योजना लागू की जायेगी तो भविष्य में यह फाल्ट अनेक बार हो सकता है और उपभोक्ताओं पर यह एक अतिरिक्त भार होगा। लेकिन अगर यह फाल्ट निगम की सेवाओं के कारण भी होगा तो भी इसका दोष महानगर टेलीफोन निगम उपभोक्ताओं के उपस्कर पर ही मढ़ देगा।

इन मुश्किलों के मद्देनजर मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री अंतिम निर्णय लेने से पहले परामर्शदायत्री समिति अथवा स्थायी समिति अथवा उपभोक्ता संगठनों के किसी मंच पर ही इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे।

श्री सुख राम : ये कुछ बातें हैं जिन का मैंने स्पष्टीकरण चाहा है। मुझे इस पर किसी परामर्शदात्री समिति या किसी अन्य मंच पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे अनेक उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी क्योंकि अब वे लाइनें इत्यादि लगाने के लिए पूर्ण रूप से डॉट अथवा महानगर टेलीफोन निगम

लिमिटेड पर निर्भर करते हैं। मेरे विचार में अगर किसी प्रकार का कोई वित्तीय अतिरिक्त भार हो तो जो लोग टेलीफोन लगवाते हैं, उन्हें वह भार भी सहन करना पड़ेगा।

श्री ठमराव सिंह : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया है कि यह योजना नये उपभोक्ताओं पर ही लागू होगी या फिर पुराने उपभोक्ताओं पर भी जिनके पास टेलीफोन पहले से ही हैं।

श्री सुख राम : यह पुराने उपभोक्ताओं पर कैसे लागू हो सकती है क्योंकि उनकी तारें लगाने का काम तो दूर संचार विभाग पहले ही कर चुका है। यह केवल नये उपभोक्ताओं के लिए है।

पोस्टल स्टाफ कालेज

*215. **श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक पोस्टल स्टाफ कालेजों और डाक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इनके उद्देश्य तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 से 1992-93 के दौरान पोस्टल स्टाफ कालेजों में कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं;

(घ) इस पर व्यय की गई राशि क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(च) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितने कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) डाक विभाग ने देश में केवल एक पोस्टल स्टाफ कॉलेज तथा 5 क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं।

(ख) पोस्टल स्टाफ कालेज तथा क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य डाक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रवेश तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना है। इन संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) पोस्टल स्टाफ कालेज भारत, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(2) डाक प्रशिक्षण केन्द्र निम्नलिखित स्थानों में हैं :

(क) सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

(ख) बडोदरा, गुजरात

(ग) दरभंगा, बिहार

(घ) मैसूर, कर्नाटक

(ङ) मदुरै, तमिलनाडु

(च) पोस्टल स्टाफ कालेज भारत गाजियाबाद ने 1989-90 से 1992-93 तक 51 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित की थीं।

(घ) 2,39,10,000/- रु.

(ङ) 627

(च) 1993-94 — 22

1994-95 — 29

[अनुवाद]

श्री शांताराम पोतदुखे : डाक संबंधी काम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत में केवल एक पोस्टल स्टाफ कालेज है और पांच डाक प्रशिक्षण केन्द्र हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विभिन्न स्थानों पर पोस्टल कालेजों और डाक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाना चाहती है?

श्री सुख राम : मेरे विचार में अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा पोस्टल स्टाफ कालेजों की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जरूरतों को पूरा करने के लिए इनकी वर्तमान संख्या पर्याप्त है। लेकिन अगर कोई आवश्यकता हो, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री शांताराम पोतदुखे : वर्ष 1989-90 से 1992-93 के बीच आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की संख्या के संबंध में मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया है कि इन तीन वर्षों के भीतर केवल 627 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या विभाग द्वारा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे?

श्री सुख राम : प्रशिक्षण एक बहुत अहम भाग है। इससे अधिकारियों, और कर्मचारियों की योग्यता बढ़ती है। मेरे विचार में अगर इन सेवाओं में और अधिक प्रशिक्षण देने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय किये जायें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है।

कुमारी क्रिडा तोपनो : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या उड़ीसा में डाक प्रशिक्षण केन्द्र अथवा पोस्टल स्टाफ कालेज जैसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं?

श्री सुख राम : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां तक कि ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में अभी सोचा भी नहीं गया है।

श्री डा.के. नायकर : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन संस्थानों को प्रशिक्षण देते समय क्या ऐसे प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को भी चुना गया है।

श्री सुख राम : निःसंदेह प्रशिक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को निश्चित रूप से चुना जाता है। सरकार की चाहे जो भी नीति हो, हम सभी नीतियों को लागू कर रहे हैं।

श्री शरत चन्द्र पटनायक : महोदय, माननीय मंत्री ने बताया है कि उड़ीसा में पोस्टल स्टाफ कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वर्ष 1994-95 के दौरान ऐसे कालेज खोलने पर विचार कर रही है?

श्री सुख राम : जैसा कि मैंने कहा, कोई कालेज अथवा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था ही हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

विद्युत उपकरण

*218. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 और 1993-94 के दौरान कुछ विद्युत उपकरणों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन किन देशों से ये आयात किए गए और कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) क्या देश में ही इन उपकरणों का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल

पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) विद्युत उपस्कर की श्रेणी में अनेक प्रकार की मशीनरी आती है जिसका ताप विद्युत, जल विद्युत, गैस और न्यूक्लीय विद्युत संयंत्रों में सदुपयोग किया जाता है। विद्युत उपस्कर में पारेषण एवं वितरण उपस्कर तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित अन्य सम्बद्ध उपस्कर भी शामिल होते हैं। राज्य बिजली बोर्डों, कैप्टिपय विद्युत उत्पादन संयंत्रों का उपयोग करने वाले उद्योग और विद्युत क्षेत्र की सार्वजनिक तथा निजी यूटिलिटीज द्वारा विद्युत उपस्कर आयात किए जाते हैं। इस समय विद्युत उपस्कर मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयात किए गए विद्युत उपस्कर, जिन देशों से ये उपस्कर आयात किए गए हैं, इनके नाम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमोदन का ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है। एन.एच.पी.सी. एन.टी.पी.सी. पावरग्रिड और नीपको द्वारा आयात किए गए उपस्करों का ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है। तथापि इसमें यूटिलिटीज/राज्य बिजली बोर्डों, जिन्होंने सीधे ही विद्युत उपस्कर आयात किए हों, के मामले शामिल नहीं हैं। विद्युत उपस्कर के आयात के मामलों को विभिन्न एजेंसियों की द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहायता और अन्य देशों के अधीन विभिन्न वित्तपोषण व्यवस्थाओं में शामिल किया गया है।

(ग) से (ड़) विद्युत उपस्कर, विशेषकर विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से संबंधित उपस्करों का निर्माण स्वदेशी रूप से एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों, दोनों क्षेत्रों द्वारा भी निर्माण किया जाता है। यदि किसी विशेष उपस्कर अथवा परियोजना के बारे में सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो देश के अंदर स्थानीय निर्माता क्षमताओं के बारे में यह मंत्रालय ब्यौरा उपलब्ध करा सकता है। तथापि, ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता प्राप्त की जा रही हो, उनसे संबंधित कुछेक मामलों में विद्युत उपस्कर का आयात करना अपेक्षित होता है।

अनुबंध-I

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमोदन से विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयात किए गए विद्युत उपस्कर-सूची

क्र.सं.	संगठन/विद्युत केन्द्र	उपस्कर	विदेशी मुद्रा में मूल्य	जिस देश से आयात किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1992-93					
असम राज्य विद्युत बोर्ड					
1.	नामरूप टीपीएस	गैस टर्बाइन के पुर्जे	1184163.07 अमरीकी डालर	वेस्टिंग हाउस कनाडा	स्वामित्व श्रेणी की मद
2.	लाकवा टीपीएस	- वही -	3997708.42 अमरीकी डालर	- वही -	- वही -
3.	नामरूप टीपीएस	टबाईन डायफ्राम सील एवं ज्वारंट सील इन्सरट ब्लेड रिंग्ज़ आदि	1805423.05 अमरीकी डालर	- वही -	- वही -
1993-94					
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड					
4.	कोरबा (ईस्ट) सतपुरा और अमरकंटक टीपीएस	केबल में खराबी का पता लगाने के लिए परीक्षण सैट (3 सैट)	96277.50	यूएसए	विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर पी.ओ. दिया गया

1	2	3	4	5	6
5.	कोरबा(ईस्ट), सतपुरा एवं अमरकंटक टीपीएस	एक्वा टैस्ट सैट(सं.3)	28410.00 अमरीकी डालर	यूएसए	विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर पी.ओ. दिया गया
6.	- वही -	डिजिटल, माइक्रो ऑन मीटर (सं.3)	11325.75 यू.के.पोण्ड	यू.के.	- वही -
7.	- वही -	पोर्टेबल यूनिवर्सल ब्रिज (सं.3)	27044.25 अमरीकी डालर	यूएसए	- वही -
8.	- वही -	मोटर ड्राईवन मैग्गर (सं.3)	18170.25 यू.के.पोण्ड	यू.के.	- वही -
9.	- वही -	अर्थ टेस्टर (सं.3)	2775.75 यू.के.पोण्ड	यू.के.	- वही -
10.	- वही -	थर्माविजन कैमरा (सं.3)	84447.75 यू.के.पोण्ड	यू.के.	- वही -
11.	- वही -	कैपेसिटेंस एण्ड डायइलेक्ट्रिक डेसिपेशन फैक्टर टैस्ट सैट (सं.3)	280904.40 एसएफआर	स्वीटजरलैंड	- वही -

1	2	3	4	5	6
12.	- वही -	एच.टी.मीटर टेस्टिंग किट (सं.3)	81900.00 एसएफआर	- वही -	- वही -
13.	कोरबा ईस्ट सतपुरा एवं अमरकंटक टीपीएस	ट्रांसफार्मर टरम्स रेशियो टैस्ट सैट	92997.90 एसएफआर	स्वीटजरलैंड	विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर पी.ओ.दिए गए।
14.	- वही -	माइक्रो प्रोसेसर कन्ट्रोल्ड सर्किट ब्रेकर एनालाइजर (सं.3)	3613500.00 भारतीय रुपये के समतुल्य	आयरलैंड	- वही -
15.	- वही -	वियब्रेशन एनालायजर सैट (सं.3)	19878000.00 भारतीय रुपये के समतुल्य	यू.के.	- वही -
16.	कोरबा (ईस्ट) सतपुरा एवं अमरकंटक टीपीएस	हाई वोल्टेज डीसी टैस्ट सैट (सं.3)	1481760.00 भारतीय रुपये के समतुल्य	जर्मनी	विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर पी.ओ. दिए गए।

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड				
17.	नासिक टीपीएस	1. वोर्म व्हील एण्ड वोर्म शाफ्ट फोर बीएम-90 कोल मिल गीयर बोक्स 4 सेट्स	1875720 एफएफ इस्ट एयर फ्रेट 86000 एफएफ	मै.सीएमडी ट्रांसमिशंस एंग्रेनेजीज ईटी रिईक्च्यर्स फ्रांस	स्वामित्व वाली मदों पर रियायती सीमा शुल्क संबंधी प्रमाण पत्र 26.4.94 को जारी किया गया।
		2. जेनरेशन रोटर रिटेनिंग रिंग्स-2 सैट	4061000 एफएफ	मै.जी.ई.सी एल्सथेम फ्रांस	- वही - 27.5.94 को
		3. लोकिंग रिंग ऑफ एचपी टर्बाइन-2 सैट्स	151500 एफएफ ईस्ट एयर फ्रेट फोर (2) + (3) = 30486 एफएफ		
		4. बी.एफपम्प स्पेयर पार्ट्स-2 सैट्स	2554379 एफएफ पोत प्रभार सहित	मै.सुल्जर फ्रांस	स्वामित्व वाली मद
	एन.एल.सी.				
18.	नैवेली टी.पी.एस.	वायलर तथा टर्बाइन के पुर्जे	615170 अमरीकी डालर	रूस	स्वामित्व वाली मद

विदेशी मुद्रा संरचना

ऐसे उपस्करों की सूची जिनके लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेशी मुद्रा मुहैया कराई गई

क्र.सं.	वर्ष	मद का विवरण	जिस देश से आयात किया गया	मुहैया कराई गई विदेशी मुद्रा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	1992-93	केरल विद्युत परियोजना के लिए गैस इन्सुलेटिड स्विच गीयर (72.5 के.वी)	नीदरलैंड	159352066.00 रुपये	
2.		ट्राम्बे थर्मल पावर जेनरेटिंग स्टेशन यूनिट(टाटा)	जापान	53987700.00 रुपये	
3.		थ्री वैक्टर एनर्जी मीटर्स (एमएसईबी)	कनाडा/यूएसए	4852000.00 रुपये	
4.		एमपीईबी के लिए स्विच गीयर हेतु रेंफ्रेंस मीटर्स	स्वीटजरलैंड	10978667.00 रुपये	
5.		304 नं. के 3000 टाइप ट्रायवैक्टर मीटर्स (एमपीईबी)	कनाडा	4948000.00 रुपये	
6.		एन्नोर टीपीएस (टीएनईबी) के लिए 2 नं. सिलिका मीटर्स	फ्रांस	123182.00 रुपये	

1	2	3	4	5	6
7.		भीरा एचईपी विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए स्टोरेज संयंत्र के रिवर्सिबल पम्प हेतु कैपिटल गुड्स	स्वीटजरलैंड	642843366.00 रुपये	
8.		ज्यूलोजिकल उपस्कर(केपीसीएल)	यूएसए	1293.93 अमरीकी डालर	
9.		400 के.वी/डीसी कठलगुडी परियोजना (एनटीपीसी) के लिए मूज़ कण्डक्टर	बहरीन	297494274.00 रुपये	
10.		कोयला एचईपी के लिए स्टील प्लेटस	जापान	166618322.00 रुपये	
11.		2नं. टर्बाइन जेनरेटर के लिए पुर्जे	जापान	1292969.00 रुपये	
12.		शारावती जेनरेटिंग यूनिट के नवीकरण हेतु अधिष्ठापना संबंधी	जापान	206091.00 रुपये	
13.		केएसईबी में मास्टर प्लान हेतु एक्सएलपीई अण्डर ग्राउण्ड केबल्स 11 के.वी.	चीन	152391500.00 रुपये	
14.		गैस टर्बाइन बेसिन ब्रिज गैस टर्बाइन परियोजना (टीएनईबी)	जापान	70878040.00 रुपये + 6007219720 येन	

1	2	3	4	5	6
15.		एनटीपीसी के लिए अतिरिक्त संरचनात्मक स्टील	जापान और दक्षिण कोरिया	16578810.00 रुपये	
16.		केएसईबी के लिए कैपेसिटर पुर्जे	कनाडा	256987386.00 रुपये	
17.		धामवारी सूण्डा जल विद्युत परियोजना (एपीएसईबी) के व्यवहार्यता अध्ययन कार्य हेतु क्षेत्र अभिज्ञात उपस्कर	स्वीडन	9936233.00 रुपये	
18.		100के.वी कठलगुडी-मरियानी भाग की प्रेषण लाइन(एनटीपीसी) के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण हेतु अवसरंचनात्मक स्टील	दक्षिण कोरिया	154522277.00 रुपये	
19.	1993-94	सिविल कंस्ट्रक्शन मशीनरी इक्वेपमैंट (एपीएसईबी)	जापान	834.46674 मिलियन जापानी येन	
20.		स्वीचगीयर कैपेसिटर उपस्कर के लिए परीक्षण उपकरण (केएसईबी)	कनाडा	241842.39 केनेडियन डालर	

1	2	3	4	5	6
21.		नासिक ताप विद्युत केन्द्र के यूनिट 1 और 2. 2 X 140 मे.वा. के कोयला मिल्स के गीयर बॉक्स के लिए वॉर्म व्हील और वॉर्म शाफ्ट के 4 सैट (एमएसईबी)	फ्रांस	1981337.00 एफएफ	
22.		नासिक ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 1 व 2 2 x 140 मे.वा. के टी.जी. सैट के एचपी टरबाईन के लिए जेनरेटर रोटर रिटेनिंग रिंग्ज और लोकिंग रिंग्ज प्रत्येक के 2 सैट (एम एस ई बी)	फ्रांस	4285414 एफएफ	
23.		विद्युत उत्पादन संयंत्र और उपस्कर(कोयना एचईपी)	फ्रांस	57250353 अमरीकी डालर + 341918920.00 एफएफ	

अनुबंध-2

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

परियोजना	आयातित संयंत्र/उपस्कर का ब्यौरा	जिस देश से आयात किया गया	वित्त पोषण का स्रोत	1992-93 के दौरान आयात की कुल कीमत
1	2	3	4	5
1992-93				
दादरी जीपीपी (4 X131 मे.वा जीटी + 2 X 146.5 मे.वा एसटी)	गैस टर्बाइन जेनरेटर और इसके आनुषंगिक के लिए उपस्कर/ सामग्री अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी वायलर (डब्ल्यूएचआरबी) के लिए सामग्री, बाईपास स्टेक और डेम्पर्स आदि स्टीम टर्बाइन एवं इसके आनुषांगिक	जर्मनी,यूएसए जापान आस्ट्रिया, यू.के., बेल्जियम और डेनमार्क	केएफडब्ल्यू	1381.45 करोड़ रुपये
कावास जीपीपी (4x106 मे.वा जी.टी + 2x110.5 मे.वा.एसटी)	डब्ल्यूएचआरबी और स्टीम टर्बाइन के पुर्जे	फ्रांस और बेल्जियम	विश्व बैंक/फ्रांस और बेल्जियम ऋण	

1	2	3	4	5
गांधार जीपीपी	गैस टर्बाइन, जेनरेटर, अवसंरचनात्मक	जापान,यू.के.,	ओईसीएफ	
(3X131 मे.वा.जी टी+	स्टील, एक्जास्ट बाईपास स्टेक	जर्मन और सिंगापुर		
1X255 मे.वा एसटी)	हेतु सामग्री आदि			
कहलगांव एसटीपीपी	स्टीम टर्बाइन और स्टीम जेनरेटर के	रूस		रूस ऋण
(4X210 मे.वा.)	के लिए उपस्कर/सामग्री			
फरक्का एसटीपीपी-2	स्टीम जेनरेटर्स, इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर		इटली,यूएसए,जर्मनी	विश्व बैंक/केएफडब्ल्यू/
(2X500 मे.वा.)	(ईएसपी), जल शोधन संयंत्र और जेनरेटर		और यूगोस्लाविया	इटली ऋण/बी टी सी ओ
	ट्रांसफार्मर के लिए उपस्कर/सामग्री			
तलचेर एसटीपीपी	स्टीम टर्बाइन और कण्डन्सर के लिए उपस्कर		जर्मनी, फ्रांस और	विश्व बैंक/फ्रेंच ऋण
(2X500 मे.वा.)	सामग्री। स्टीम जेनरेटर्स के लिए प्रेसर पार्टस		इटली	
	पाइपिंग और सुपोर्ट स्ट्रक्चर्स बायलर फीड पम्प			
1993-94				
दादरी जीपीपी	गैस टर्बाइन जेनरेटर और इसके आनुषांगिक हेतु		जर्मनी, यूएसए,	
			केएफडब्ल्यू,	738.36 करोड़
(4X131 मे.वा. जीटी +	उपस्कर एवं सामग्री, डब्ल्यूएचआरबी हेतु		जापान, आस्ट्रिया,	(अंनतिम)
2X146.5 मे.वा.एसटी)	सामग्री, बाईपास चिमनी तथा डैम्पर्स आदि,		यू.के., बेल्जियम,	
	स्टीम टर्बाइन तथा इसके आनुषांगिक		फ्रांस,इटली, एवं डेनमार्क	

1	2	3	4	5
गांधार जीपीपी		गैस टर्बाइन, गैस टर्बाइन जेनरेटर्स, स्टीम	जापान यू.के.जर्मनी	आईसीएफ
(3X131 मे.वा जीटी+		टबाईन, डब्ल्यूएचआरबी मोडयूल्स आदि	और सिंगापुर	
1X255 मे.वा.एस.टी.)				
कहलगांव एसटीपीपी		स्टीम टर्बाइन और स्टीम जेनरेटर के लिए	रूस	रूसी ऋणी
(4X210 मे.वा.)		उपस्कर/सामग्री		
फरक्का एसटीपीपी-2		स्टीम जेनरेटर्स इएसपी के लिए	इटली और	के.एफ.डब्ल्यू./इटालियन
(2X500 मे.वा.)		उपस्कर/सामग्री	यूएसए	ऋण/बीटीसीओ
तलचेर एसटीपीपी		स्टीम टर्बाइन तथा कण्डंसर के लिए उपस्कर/	जर्मनी, फ्रांस	विश्व बैंक/फ्रेंच ऋण
(2X500 मे.वा.)		सामग्री, स्टीम जेनरेटर्स के लिए प्रेसर पार्टस,	और इटली	
		पाइपिंग और स्पोट स्ट्रक्चर्स। बायलर		
		फीड पम्प जेनरेट सर्किट ब्रेकर्स		
सिंगरौली एसटीपीपी-2		अग्निरोधक केबल सीलिंग प्रणाली	यूएसए	विश्व बैंक
(2X500 मे.वा.)		के लिए सामग्री		

क्र.सं.	परियोजना	1992-93 एवं 1993-94 के दौरान आयात किए गए उपस्करों का ब्यौरा	व्यय की गई विदेशी मुद्रा	उस देश का नाम जिससे उपस्कर आयात किया गया
1	2	3	4	5
1.	उरी एचईपी जम्मू एवं कश्मीर राज्य	**क) वैद्युत उपस्करः**		
		1) अर्थिंग प्रणाली		
		2) विद्युत घर और जीआईएस के लिए ईओटी क्रेन्स	3517882 सी·एच एफ	स्वीडन
		ख) जल यांत्रिकी उपस्कर :		
		1) पैनस्टो लाइनर्स		
		2) हैड रेगू		

1	2	3	4	5
		7) ड्राफ्ट ट्यूब गेट्स		
		8) टर्बाइन्स		
		9) मेन इनलेट वाल्वस		
2.	दूलहस्ती एचईपी जम्मू एवं कश्मीर	प्रैसर टनल लाईनर 400 के.वी. गैस इन्सूलेटिड सब स्टेशन, इनटेक गेट्स, डिस्लिटिंग चैम्बर गेट, ई ओटी केन्स पावर एण्ड कंट्रोल केबलिंग सिस्टम्स टर्बाइन स्पेरिकल वाल्वस सभी आनुषांगिकों सहित जैनरेटर्स	3052614606 जेपीवाई (जापानी येन)	फ्रांस
3.	चमेरा एचईपी	अधिष्ठापना औजार, परीक्षण, उपस्कर, जेनरेटर्स के पुर्जे, तेल युक्त केबल्स तथा आनुषांगिक, ट्रांसफार्मर्स ट्रांसफार्मर्स के पुर्जे, जीआईपी उपस्कर के पुर्जे, बैटरी बैंक आदि	7882939 केनेडियन डालर	कनाडा और जर्मनी

1	2	3	4	5
तीन पावर ग्रिड कारपोरेशन				
क्र.सं.	संगठन/विद्युत केन्द्र	उपस्कर	विदेशी मुद्रा में मूल्य	जिस देश से आयात किया गया
1992-93 के दौरान				
1.	पावरग्रिड निगम	एसीएसआर मूज़ कण्डक्टर	124489534	बहरीन
2.	-वही-	हाई टैंसिल स्टील एंगल सैक्शास/ प्लेट्स एवं एमएस प्लेट्स	407480234 (येन)	जापान
3.	-वही-	हाई टैंसिल स्टील एंगल सैक्शास	792042600	दक्षिण कोरिया
4.	-वही-	400 के.वी. सर्किट ब्रेकरस के लिए पुर्जे	37680.85 एफएफ	फ्रांस
5.	-वही-	टीओडी मीटर्स	1200000 (पोण्ड)	यू.के.
1993-94 के दौरान				
1.	पावर ग्रिड कारपोरेशन	एसीएसआर मूज़ कण्डक्टर	626214074	बहरीन
2.	-वही-	हाई टैंसिल स्टील एंगल सैक्शंस	626772550	दक्षिण कोरिया

चार उत्तर पूर्वी विद्युत शक्ति निगम

क्र.सं.	संगठन/विद्युत केन्द्र	उपस्कर	विदेशी मुद्रा में मूल्य	जिस देश से आयात किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1992-93	नीपको	1. गैस टबाईन के 4 सैट्स, जेनरेटिंग उपस्कर, ईधन गैस प्रणाली एवं सम्बद्ध वैद्युत एवं सी एण्ड आई अनुषंगिक पुर्जे 2. सन्निहित सामग्री और गैस टर्बाइन क 4 सेटों के लिए टैम्पलेट्स 3. 4 जेनरेटर सेटों के लिए सन्निहित सामग्री	1578630052 येन	जापान	
1993-94	-वही-	1. आनुषंगिकों सहित 4 जनरेटिंग सेट्स 2. ईधन गैस प्रणाली समेत गैस कम्प्रेसर गैस मीटरिंग प्रणाली के 4 सैट मापक उपकरण, नाक आउट ड्रम 3. 4 जेनरेटर ट्रांसफ़ार्मर्स 4. 4 बाईपास चिमनी 5. अन्य विविध आनुषंगिक उपस्कर तथा डी.जी. सैट, ओवर हैड क्रेन, एमसीसी, बस डक्ट्स, अग्नि सुरक्षा प्रणाली आदि	8128529165 येन	जापान	

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ग) से (ड़) के संबंध में जो उत्तर दिया गया है, वह इस प्रकार है :

''विशेष रूप से विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में विद्युत उपकरण देश में बनाये जाते हैं...''

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि हालांकि ये विद्युत उपकरण देश में ही बनाये जाते हैं, फिर भी कुछ राज्य विद्युत बोर्ड इन चीजों को अन्य देशों से आयात करने के लिए अभी भी सरकार से स्वीकृति ले रहे हैं।

श्री पी.वी रंगय्या नायडू : संयंत्र, मशीनरी तथा विद्युत संयंत्रों के अन्य सहायक उपकरणों के आयात को सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत लाया गया है। अतः, बहुत सी निजी कंपनियाँ और राज्य विद्युत बोर्ड भारत सरकार के किसी हस्तक्षेप के बिना सीधे आयात कर सकते हैं। अतः, इस संबंध में कोई विशेष जानकारी देना संभव नहीं है।

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : जब सरकार की नीति यह है कि देश में जो कुछ भी बनाया जाये उसे उच्च प्राथमिकता दी जाए और प्रयोक्ताओं को स्वदेशी निर्माताओं से ही ये मशीनरियाँ लेनी चाहिए, तो क्या मैं यह जान सकता हूं क्या देश के राज्य विद्युत बोर्ड इन सब बातों का अनुपालन कर रहे हैं? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : हमारे यहां बोली लगाने की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्रणाली है। जब हम द्विपक्षीय आधार पर सहायता प्राप्त करते हैं तब भी अन्य देशों द्वारा इन उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। अतः, हम यह नहीं कह सकते कि हम इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि इस देश के उपकरण निर्माता अन्य लोगों के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं और क्रय आदेश (आर्डर) प्राप्त कर सकते हैं। स्वदेशी विनिर्माताओं को प्राथमिकता देने जैसी कोई बात नहीं है। उन्हें अन्य विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। इस क्षेत्र में बहुत अधिक उद्योग हैं। अतः, कोई विशेष इकाई या उद्योग नहीं है जिसे प्राथमिकता दी जाती हो। उन्हें गुणवत्ता और कीमत के आधार पर अन्य लोगों के साथ मुकाबला करना है।

श्री लक्ष्मण सिंह : महोदय, बायो-मास ऊर्जा का सक्षम स्रोत होने के साथ-साथ विद्युत यंत्रों के आयात की लागत कम करने का भी साधन है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जिला-स्तर पर बायो-मास ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने संबंधी कोई कार्यक्रम है, अगर नहीं, तो क्या आप इस तरह की कोई परियोजना बनायेंगे?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का संबंध अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत्र मंत्रालय से है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 219 । श्रीमती दिल कुमारी भंडारी-उपस्थित नहीं।

श्री ई.अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि सोमवार तक विपक्ष के सदस्यों के आ जाने की संभावना है। लेकिन वे अभी यहां नहीं दिख रहे हैं। क्या सभा को इसके बारे में कुछ जानकारी दी जायेगी क्योंकि हमें इसके बारे में जानने का अधिकार है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी इस बात की घोषणा नहीं की कि प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

श्री ई.अहमद : महोदय, क्षमा करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 220 । डा. कृपा सिन्धु भोई - उपस्थित नहीं। हमारी आज की उपलब्धि यह रही कि हम सभी प्रश्नों पर विचार कर पाए हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति

*201. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति का अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रारूप नीति को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों के साथ बातचीत की गई थी; और

(घ) यदि यहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास सरकार की औद्योगिक नीति के व्यापक मानदण्डों के अंतर्गत किया जा रहा है। राज्य सरकारों आदि से परामर्श का पहला दौर पूरा होने के बाद इस नीति को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। नीति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ाने, फसलोत्तर नुकसान को कम करने, उद्योग तथा किसानों के बीच उत्पादकता लिंकेज स्थापित करने, प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात को बढ़ावा देने तथा संबंधित कार्यकलापों के उत्पादकता प्रयासों को सामान्य तौर

पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के त्वरित विकास से संबंधित मामलों पर विचार किया जाएगा। इसे राज्य सरकारों और संबंधित मंत्रालयों के साथ आगे विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एक्सप्रेस मार्ग

***205. श्री काशीराम राणा :**

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एक्सप्रेस" मार्गों का चयन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एक्सप्रेस मार्गों के निर्माण हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक एक्सप्रेस मार्ग की कुल अनुमानित लम्बाई कितनी होगी और उस पर कितनी लागत आएगी; और

(ङ) इन एक्सप्रेस मार्गों पर कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) जी हां, यातायात की सघनता और तकनीकी आर्थिक विचार के आधार पर वर्ष 2015 तक के समय के लिए देश में एक्सप्रेस मार्गों के रूप में विकसित करने के लिए ए डी बी (एशियाई विकास बैंक) द्वारा वित्तपोषित एक अध्ययन के तहत लगभग 10020 कि.मी. लम्बे उच्च सघनता वाले मार्गों का पता लगाया गया है। इनमें से निम्नलिखित एक्सप्रैस मार्गों का, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2000 तक प्राथमिकता वाले मार्गों के रूप में पता लगाया है:

क्र.सं.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	संभावित लागत (करोड़ रुपये)
1.	दिल्ली-करनाल-अम्बाला	199	1000
2.	अहमदाबाद-वदोदरा-सूरत	269	2150
3.	दिल्ली गाजियाबाद-कानपुर	414	2500
4.	कानपुर-वाराणसी	313	2000
5.	बम्बई -ठाने-नासिक	145	870

एक्सप्रैस मार्ग प्रणाली के विकास में खर्च होने वाली भारी लागत और निधियों की सामान्य कमी को ध्यान में रखते हुए इन एक्सप्रैस मार्गों का कार्य शुरू किए जाने की समय-सीमा अभी से बता पाना संभव नहीं है। तथापि अहमदाबाद-बदोदरा एक्सप्रैसमार्ग को जून,1996 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

विद्युत की कमी

*206. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में और अन्त में विद्युत की कितनी कमी होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे, और

(ग) पारेषण में होने वाली हानि को रोकने और वर्तमान विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी.साल्वे)

विवरण

(क) 8वीं योजना के आरम्भ अर्थात् 1992-93 में अनुमानित विद्युत कमी 10.4 प्रतिशत थी, जबकि वास्तविक कमी 8.3 प्रतिशत हुई। 8वीं योजना के दौरान 30538 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य क आधार पर 8वीं योजना के अंत में 9 प्रतिशत विद्युत कमी होने का अनुमान है। तथापि, 8वीं योजना में प्रत्याशित क्षमता अभिवृद्धि 20,000 मे.वा. से अधिक होने की संभावना नहीं है तथा इसके समनुरूप कमी 14 प्रतिशत होगी।

(ख) देश में विद्युत की उपलब्धता सुधारने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :

(1) नई उत्पादन क्षमता के प्रचालन में तेजी लाना

(2) विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन को सुधारना

(3) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना

(4) बेहतर मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन

(5) अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अन्तरण की व्यवस्था करना, और

(6) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देना।

(ग) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत यूटीलिटीज को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इनमें ये सम्मिलित हैं:- अधिक हानियों के जिम्मेवार प्रणाली घटकों को अभिज्ञात करने के लिए ऊर्जा लेखा-परीक्षा करना, वोल्टता परिदृश्य को संवारने के लिए केपेसिटरों का प्रतिष्ठापन, प्रणालियों को सुधारने हेतु प्रबनार्थ प्रणाली सुधार स्कीम बनाना, टेम्पर-प्रूफ मीटर बक्से लगाना, जल्दी जल्दी अचानक छापे मारना तथा ऊजा की चोरी में लगे पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाना। अगस्त, 1986 से बिजली की चोरी को भारतीय बिजली अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के तहत एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा संगठित राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों के बीच एक प्रोत्साहन योजना भी लागू की है। देश में उत्पादन को सुधारने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, संयंत्र सुधार कार्यक्रम को हाथ में लेने में विद्युत बोर्डों को सहयोग देना, कोयले की अपेक्षित मात्रा में तथा गुणवत्ता की दृष्टि से आपूर्ति और प्रचालन एवं भण्डारण कार्मिकों का प्रशिक्षण समाविष्ट हैं।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूंजीनिवेश

*208 **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बाजार शक्तियों को ही विदेशी विद्युत कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले पूंजी निवेश के परिमाण का निर्धारण करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विदेशी कम्पनियों को प्रदान की गई गारंटी के जारी रहने की कोई समय सीमा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी.साल्वे) : (क) और (ख) सरकार ने अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करके विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र को एक विद्युत उत्पादन कम्पनी के रूप में प्रवेश की अनुज्ञा दी है। किसी निजी विद्युत परियोजना के लिए धन एकत्र करने की जिम्मेवारी परियोजना प्रवर्तकों पर है, इसलिए, विदेशी विद्युत कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश की मात्रा भारतीय विद्युत क्षेत्र में निवेश को आकर्षित

करने संबंधी निवेशकर्ताओं के प्रत्यक्ष ज्ञान और विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इक्विटी एवं ऋण दोनों तरह से धन एकत्र करने के उनके सामर्थ्य पर निर्भर करेगी।

(ग) अभी तक भारत सरकार द्वारा किसी भी विदेशी निजी कम्पनी को कोई गारंटी नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण एकक

*209. **श्री लाल बाबू राय :**

श्री प्रकाश वी. पाटील :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1994-95 के दौरान देश के आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए खाद्य प्रसंस्करण एककों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों और अल्कोहल पेयों के विण्वन और आसवन को छोड़कर अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अप्रैल, 1994 से जून 1994 के दौरान 106 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें लगभग 1624 करोड़ रु. का पूंजीनिवेश किया जाएगा और लगभग 20,695 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इनमें से 44 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन केवल पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने के बारे में हैं। इनमें लगभग 543 करोड़ रु. का पूंजीनिवेश किया जाएगा और 6,511 व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में 63 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित की गईं जिनमें 1276 करोड़ रु. का पूंजीनिवेश और 7345 व्यक्तियों को रोजगार देना निहित है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*211. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों के साथ किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (च) सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में, इनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्थित उद्योग शामिल हैं में अनिवासी भारतीयों और विदेशी निगमित निकायों द्वारा शतप्रतिशत विदेशी इक्विटी निवेश के लिए स्वतः मंजूरी देती है।

उदारीकरण के बाद से लेकर अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों और गहन समुद्री मात्स्यिकों के लिए अनिवासी भारतीयों, विदेशी कम्पनियों और विदेशी निगमित निकायों से प्राप्त विदेशी इक्विटी निवेश वाले 166 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 5481 करोड़ रुपये से अधिक का कुल निवेश किया जाएगा तथा विदेशी इक्विटी निवेश 2206 करोड़ रुपये होगा। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए उद्यमियों ने उपाय किए हैं और परियोजना को लागू करने में आमतौर पर 2-3 वर्ष लगते हैं। 26 प्रस्ताव लागू किए जा चुके हैं और 1994-95 में 30-35 और यूनिटें उत्पादन करना शुरू कर देंगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव के संबंध में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है लेकिन अनुमान है कि विदेशी कम्पनियों के प्रवेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने के अलावा आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रबंध की आधुनिक प्रणालियां आएंगी, बाजार का विस्तार होगा तथा निर्यात बढ़ेगा।

[अनुवाद]

निजी निवेशकर्ताओं को प्रति गारंटी

***212. श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :**

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट में सरकार को विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकर्ताओं को प्रति-गारंटी न देने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विश्व बैंक के दल ने विद्युत क्षेत्र को सहायता देने संबंधी अध्ययन करने के लिए भारत का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी.साल्वे) : (क) और (ख) सरकारी गारंटी के बारे में विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट, 1994 में बाक्स 5.8 पृष्ठ 101 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी की गई है :

"गारंटी का तात्पर्य देश के जोखिम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय निवेशक के अवबोधन की धारणा आर्थिक परिस्थितियों की आवश्यकता की अपेक्षा क्षीण होती है ताकि गारंटी निवेशक के व्यापक और अन्ततः आत्मनिर्भरता के हित को आकर्षित करने के लिए पूर्णतः परिवर्ती उपाय होती हैं।"

सरकार द्वारा विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृत की गई सात प्रारंभिक परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटी की सुविधा दिए जाने हेतु सरकार सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। निजी विद्युत क्षेत्र के विकास हेतु प्रारम्भ में जो परियोजनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, इनके बारे में निवेशकों के आत्मविश्वास हेतु अन्य ऐसी परियोजनाओं की, प्रत्येक परियोजना के मामले के आधार पर जांच की जाएंगी। निजी कम्पनियों से राज्य बिजली बोर्डों द्वारा खरीदी गई विद्युत के भुगतान से संबन्धित दायित्व के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी किसी सीमा तक प्रस्तावित प्रति-गारंटी का समर्थन करेगी और निवेश पर लाभांश का इससे कोई संबंध नहीं है।

(ग) और (घ) यद्यपि विद्युत क्षेत्र की सहायता के लिए विशेष रूप से अध्ययन कार्य किए जाने हेतु विश्व बैंक के किसी दल ने भारत का दौरा नहीं किया है, तथापि विश्व बैंक की सहायता से निर्मित की जा रही विद्युत परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की मानिटरिंग करने और क्षेत्र के लिए भावी सहायता के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु बैंक नियमित रूप से पर्यवेक्षक मिशन भेजता है।

[हिन्दी]

डाक सेवाएं

*213. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक सेवाओं में एकाधिकार समाप्त करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ङ) सरकार ने उनमें से प्रत्येक सिफारिश पर क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने पत्र पहुंचाने के केन्द्रीय सरकार के अनन्य विशेषाधिकार सहित डाकघर अधिनियम में निहित सभी उपबंधों की पुनरीक्षा की है।

(ग) जी हां।

(घ) अधिनियम पुनरीक्षा समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(i) पत्र पहुंचाने के केन्द्रीय सरकार के अनन्य विशेषाधिकार का आंशिक त्याग तथा प्राइवेट कुरिअरों को निर्धारित की गई कतिपय शर्तों के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने पर पत्र पहुंचाने की अनुमति देना।

(ii) डाक विभाग द्वारा प्रचालनपरक असफलताओं के लिए अधिक जिम्मेदारी स्वीकार करना।

(iii) नई सेवाएं आरंभ करने के लिए उपयुक्त समर्थकारी उपबंध शामिल करना।

(iv) अपरिदत्त डाक वस्तुओं के साथ की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित विनियमों का संशोधन।

(ङ) इन सिफारिशों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

दूरसंचार परियोजनाएं

*214. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी नई दूरसंचार परियोजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) संबंधित क्षेत्रों और राज्यों के लिए ऐसी नई परियोजनाओं के आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दूरसंचार परियोजना के आबंटन के लिए जनसंख्या अथवा उपभोक्ताओं की संख्या एक मानदंड माना जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में समग्र दूरसंचार नेटवर्क का विस्तार करके 75 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। सभी संघटक परियोजनाएं उक्त नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में सहयोग करेंगी।

(ख) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन चालू करने संबंधी प्रस्तावित कार्यक्रम के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विभाग किसी स्थान पर पंजीकृत मांग के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करता है।

(घ) नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कम से कम 10 या इससे अधिक कनेक्शनों की पंजीकृत मांग होनी चाहिए।

विवरण

1992-97 के दौरान टेलीफोनों को चालू करने का प्रस्तावित राज्य-वार कार्यक्रम।

क्र.सं.	राज्य का नाम	टेलीफोन कनेकशन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	514300
2.	असम	59100
3.	बिहार	101000
4.	गुजरात,दादर, नागर हवेली, दमन,दियू सहित	630400
5.	हरियाणा	230600
6.	हिमाचल प्रदेश	56400
7.	जम्मू व कश्मीर	42300
8.	कर्नाटक	475700
9.	केरल	390600
10.	मध्य प्रदेश	319600
11.	महाराष्ट्र(गोवा और एमटीएनएल बंबई सहित)	1670700
12.	उत्तर पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय)	25100
13.	उड़ीसा	48900
14.	पंजाब (चंडीगढ़ सहित)	396700

1	2	3
15.	राजस्थान	331600
16.	तमिलनाडु (पाण्डीचेरी और मद्रास सहित)	634200
17.	उत्तर प्रदेश	421000
18.	पं0 बंगाल (सिक्किम अंडमान निकोबार और कलकत्ता सहित)	181800
19.	दिल्ली	970000
	जोड़ :	7500000

कार्गो स्पोर्ट स्कीम

*216. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित "कार्गो स्पोर्ट स्कीम" लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मूल उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना को लागू करने से विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और उसकी बचत होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां, सरकार ने एक संशोधित कार्गो समर्थन योजना अनुमोदित की है जिसका मूल उद्देश्य, भारतीय नौवहन लाइनों को भारत से जाने/आने वाले लाइनर कार्गो का, कीमत (भाड़े) के अनुसार, 40 प्रतिशत चरणबद्ध ढंग से उपलब्ध कराना है।

(ग) और (घ) भारतीय विदेशी लाइनर व्यापार में इस समय भारतीय लाइनों का हिस्सा लगभग 15 प्रतिशत है जिसे इस योजना के सफल कार्यान्वयन द्वारा बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा। इससे विदेशी मुद्रा, जो भाड़े के रूप में अदा की जाती है, की पर्याप्त बचत/अर्जन होगा।

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए, भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वह महापत्तनों पर लाइनर कार्गो आबंटन समिति (सी.ओ.एल.सी.ए.) नामक समिति गठित करें जिसमें भारतीय नौवहन लाइनों और शिपर्स/निर्यातक संघ के प्रतिनिधि शामिल हों।

मूल्य वर्धित दूरसंचार सेवाएं

***217. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य-वर्धित दूरसंचार सेवाओं में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं को स्वीकृति देना स्थगित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये प्रस्तावित संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है और उनके विदेशी भागीदार कौन-कौन हैं;

(ग) इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा पुनर्विचार करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के उपर्युक्त निर्णय से पूर्व निर्धारित आकाशवाणी के कार्यक्रम को आरंभ करने में विलंब हो जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं के लिए एफ.आई.पी.बी. द्वारा अनुमोदित उद्यमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपर्युक्त भाग 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग 'घ' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	भारतीय कंपनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्त्ता	इक्विटी (प्रतिशत)	मद
1	2	3	4	5
1.	इंडियन टेलीकाम प्रा.लि. नई दिल्ली	ओ.टी.सी. इंटरनेशनल, आस्ट्रेलिया	50	वायस मेल सेवाएं
2.	एमाडेस इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंन्स लि., बंबई	टेलेस्ट्रा होल्डिंग प्रा.लि., आस्ट्रेलिया	40	डाटा संचार सेवाएं प्रदान कर रही है।

1	2	3	4	5
3.	टेलीफोन इनफारमेशन सर्विस, नई दिल्ली	टेलीफोन इनफारमेशन पी.एल.सी.,यू.के.	50	मूल्यवर्धित टेलीफोन आडियो टेक्स सर्विस
4.	वर्ल्डफोन इंडिया प्राइवेट लि. नई दिल्ली	वर्ल्डफोन इन्स. यू.एस.ए.	40	आडियो टैक्स सर्विसज
5.	स्प्रिंट आर.पी.जी.इंडिया लि0	स्प्रिंट,यू.एस.ए.	50	ई-मेल
6.	डाटा प्रो0	एन.आर.आई.	शून्य	ई-मेल

जर्मनी के विदेश मंत्री की यात्रा

*219. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या इस यात्रा के दौरान परस्पर हितों के बारे में कोई चर्चा की गयी थी;

(ग) क्या इस चर्चा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) हमारे विदेश मंत्री के आमंत्रण पर जर्मन संघीय गणराज्य के विदेश मंत्री डा. क्लाउस किंकेल ने 27-29 जुलाई, 1994 तक भारत की सरकारी यात्रा की । डा. किंकेल ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री से बातचीत की। डा. किंकेल के साथ आये एक 24 सदस्यीय उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल को उन्होंने तथा हमारे वित्त मंत्री ने संयुक्त रूप से सम्बोधित किया। इस प्रतिनिधि मण्डल ने भारतीय समकक्षों के साथ व्यापक बातचीत की और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने भी उन्हें हमारे आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रम से अवगत कराया।

डा. किंकेल के साथ हुई बातचीत में मुख्य विषय ये थे - द्विपक्षीय व्यापार तथा पूंजी निवेश का संवर्धन, बोस्निया की स्थिति, भारत-पाक संबंध और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में सार्वभौम मसलों पर द्विपक्षीय सहयोग। हमने डा. किंकेल को जम्मू कश्मीर में सीमा पार के आतंकवाद के बारे में अपनी चिन्ता

से अवगत कराया। जर्मनी के मंत्री ने जर्मनी की एशिया संकल्पना नीति के संदर्भ में भारत को प्राप्त केन्द्रीय स्थिति को रेखांकित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि वे राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहभागिता के आधार पर भारत के साथ घनिष्ट संबंधों को विकसित करने को महत्व देते हैं। डा. किंकेल ने इस बात की पुनः पुष्टि की कि जर्मनी इस बात का समर्थन करता है कि भारत-पाक मसलों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझाया जाए और उन्होंने मानवाधिकारों पर भारत की पारदर्शिता की नीति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की जर्मन की प्रबल इच्छा है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय में भारत के लिए स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया।

डा. किंकेल की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय वित्तीय सहायता करार सम्पन्न हुआ जिसमें 1994-95 के दौरान भारत के लिए कुल 460 मिलियन डी.एम. की सहायता की व्यवस्था है। जर्मन सहायता का उपयोग परस्पर तय विकास परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

डा. किंकेल के साथ आये जर्मन व्यापार प्रतिनिधिमण्डल से अनुरोध किया गया कि वह विद्युत ऊर्जा, कोयला, दूर-संचार, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों, सड़कों एवं पत्तनों के आधुनिकीकरण तथा कृषि संसाधन के क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने के लिए अधिक सक्रियता से सम्भावनाओं का पता लगाये। जर्मन व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ने विशेष रूप से विद्युत, रसायनों और समग्र आधार-भूत परिवहन संरचना के क्षेत्रों में पूंजी निवेश के जरिए भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखायी।

विदेश संचार निगम लिमिटेड

*220. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेश संचार निगम लिमिटेड के नवीकरण का है; और

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेश संचार निगम लि. का गठन 1.4.86 को संचार मंत्रालय के अधीन तत्कालीन विदेश संचार सेवा को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में बदलकर किया गया था। इस कंपनी का नवीकरण करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह एक सु-संगठित, लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और जो निरंतर प्रभावशाली परिणाम दे रहा है।

तार विभाग की सेवाएं

2025. **श्री राम कापसे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में ठाणे जिले के निवासियों से तार विभाग की सेवाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तार सेवाओं को ठीक करने तथा जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) थाणे जिले में मौजूद पांच तार घरों से प्रदान की जाने वाली सेवाएं संतोषप्रद हैं और इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक संयुक्त डाकतारघरों के मार्फत सेवा प्रदान करने का संबंध है, निम्नलिखित तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं:-

(1) भयन्दर और मीरा रोड में तार घर खोलने के बारे में श्री एस.के. गायकवाड़ से दिनांक 20.3.93 को प्रेषित सुझाव।

(2) कसारा संयुक्त डाक-तार घर में मोर्स/टीपी मशीन प्रदान करने के बारे में श्री अशोक बन्देकर द्वारा दिनांक 16.3.93 को प्रेषित सुझाव।

(3) माननीय संचार मंत्री को श्री ओ.पी. शर्मा द्वारा दिनांक 25.9.93 को संबोधित थाणे जिले में तार घरों के सामान्य कार्यकरण के विरुद्ध शिकायत और कार्यरत मोर्स मशीनों को टेलीप्रिंटरों इत्यादि से बदलने का सुझाव।

सितम्बर, 1993 के पश्चात् कोई शिकायत/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) संयुक्त डाक-तार घरों के मार्फत प्रदान की जाने वाली तार-सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(i) थाणे जिले में कार्यरत सात संयुक्त डाक-तार घरों (भयन्दर संयुक्त डाक-तार घर सहित) में कार्यरत स्लो स्पीड मोर्स को फास्ट वर्किंग टर्मिनलों से बदल दिया गया है जो बंबई अवस्थित स्वचालित संदेश स्विचन प्रणाली से सीधे जुड़े हैं।

(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त, थाणे जिले के कल्याण तार-घर में, संयुक्त डाक-तार घरों के लिए और से संदेशों से प्राप्त होने पर उनके स्वचालित पारेषण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक की बोर्ड कंसनट्रेटर भी प्रदान किया गया है।

संयुक्त डाक-तार घरों के मार्फत प्रदान की जाने वाली तार सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई प्रस्तावित है :

(i) कम तार परियात करने के कारण अभी भयन्दर और मीरा रोड में एक स्वतंत्र तार-घर खोलना व्यवहार्य नहीं है। तथापित मीरा रोड संयुक्त डाक-तार घर को भयन्दर संयुक्त डाक-तार घर से मोर्स सर्किट पर जोड़ने की योजना है।

(ii) चूंकि कसारा स्थित संयुक्त डाक-तार घर में तार परियात कम है, वहां मोर्स/टी पी मशीन प्रदान करने का औचित्य नहीं बनता, इसके निर्विघ्न कार्यकरण के लिए कसारा संयुक्त डाक-तार घर को शाहपुर संयुक्त डाक-तार घर से जोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(iii) थाणे जिले में खोले जाने के लिए स्वीकृत आठ दूरसंचार केन्द्र उपयुक्त स्थान उपलब्ध होते ही खोल दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

कहलगांव सुपर पावर प्रोजेक्ट

2026. श्री ललित उरांव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बन्द हो जाने के कारण लालमटिया खान (ई.सी. एल. प्रोजेक्ट) से एम.जी.आर. द्वारा ढुलाई किया गया कितने मूल्य का कोयला क्षतिग्रस्त हुआ है;

(ख) इस क्षति के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेवार हैं और सरकार द्वारा उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस कोयले में कैलोरी की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी) की कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-1), में 210-210 मे.वा. वाली चार यूनिटें शामिल हैं। पहली यूनिट मार्च,1992 और दूसरी यूनिट मार्च, 94 में चालू की गई थी। यूनिट-3 और 4 को 1995-96 में समकालित किए जाने की संभावना है। यूनिट-1 और 2 को वाणिज्यिक प्रचालन में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मै. ई.सी.एल. की लालमटिया क्षेत्र की खानों से मैरी गो राउंड (एम.जी.आर.) द्वारा लगभग 1.3 लाख टन कोयले की ढुलाई की गई। इस कोयले को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। इसलिए, नुकसान के निर्धारण का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना पर उपलब्ध कोयले की जांच कर ली गई है और कैलोरिफिक वैल्यू 3000-3200 किलो कैलोरी/कि.ग्रा. है, जो लालमटिया खान से प्राप्त कोयले की औसत कैलोरिफिक वैल्यू के बराबर है।

[अनुवाद]

रसोई गैस का उत्पादन

2027. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस के उत्पादन के लिए कि प्रति वर्ष कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रसोई गैस के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस की वर्षवार कितनी-कितनी खपत हुई; और

(घ) क्या इसके उत्पादन से रसोई गैस की मांग पूरी हो जाती है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान रिफाइनरियों और फ्रैक्शनेटरों से एल.पी.जी के वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य क्रमशः 2095, 2278 और 2481 टी.एम.टी.पी.ए. थे।

(ख) चालू वित्त वर्ष 1994-95 के लिए नियत एल.पी.जी उत्पादन लक्ष्य 2516 टी एम.टी. है।

(ग) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के पिछले तीन वर्षों के दौरान एल.पी.जी. की खपत क्रमशः 2650, 2873 और 3103 टी एम टी थी।

(घ) नई रिफाइनरियां और फ्रेक्शनेटर चालू करके और कुछ वर्तमान उत्पादन स्त्रोतों में एल पी जी उत्पादन बढ़ाकर एल पी जी के उत्पादन वृद्धि करने के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों से एल पी जी का कुछ उत्पादन होगा।

मुम्बई में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज

2028. श्री राम नाईक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में महाराष्ट्र में घाटकोपर (मुम्बई) और मुम्ब्रा (ठाणे) में अवैध मिनी टेलीफोन एक्सचेंजों का कोई मामला आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है; और

(घ) भविष्य में कहीं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) ये एक्सचेंज, मिनी टेलीफोन एक्सचेंज नहीं थे। घाटकोपर में, एक टीएएक्स जंक्शन गलत तरीके से उपयोग में लाया गया था और इसे कानफ्रेंस सुविधा वाले उपकरण की लाइन पर मल्टी-फ्रिक्वेंसी डायलर लगाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस जंक्शन के अवैध रूप से उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग/अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग (एसटीडी/आईएसडी) कालें की जा रही थीं।

मुम्बरा में, एक उपभोक्ता उसी भवन में किसी अन्य उपभोक्ता की टेलीफोन लाइन का गलत तरीके से इस्तेमाल करके एसटीडी करता था।

ये मामले टैक्स सर्किट तथा उपभोक्ता लाइनों का गलत इस्तेमाल करने के बारे में थे।

(ग) घाटकोपर टैक्स जंक्शन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के मामलों में लिप्त तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। पुलिस ने उस उपभोक्ता को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मुम्बरा (थाणे) में लाइन का गलत तरीके से इस्तेमाल किया था।

(घ) एम डी एफ पर टैक्स सर्किटों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने के मामले से बचने के लिए एम डी एफ हटाकर टैक्स जंक्शनों को पीसीएम मध्यम पर लगाया जा रहा है।

इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में प्रारम्भिक स्तर पर पर्यवेक्षणों की व्यवस्था की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी लाइन का गलत उपयोग करने के लिए उसका विपथन किया जा रहा है।

ई-10वी एक्सचेंज के उपभोक्ताओं को डायनामिक एसटीडी नियंत्रण सुविधा का लाभ उठाने के लिए कहा गया है।

सतर्कता दल द्वारा निरन्तर आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर पेड़ लगाना

2029. डा. वसंत पवार : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर पेड़ लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी प्राइवेट एजेंसी अथवा स्वंयसेवी संगठन को यह कार्य सौंपा गया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे-किनारे वृक्ष लगाना, गत कई वर्षों से सरकार की एक स्वीकृत नीति रही है और वृक्षारोपण किए जाने के लिये मार्ग के साथ अधिकृत भूमि की उपलब्धता और निधियों की पर्याप्तता आदि पर निर्भर करते हुए यह कार्य निरंतर चलता रहता है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई

2030. श्री एन.जे.राठवा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है;

(ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की तुलना में गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) गुजरात में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर इस समय हो रहे निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गुजरात में छह राष्ट्रीय राजमार्ग और एक एक्सप्रैस (निर्माणाधीन) गुजरते हैं जिनकी कुल लंबाई 1631 कि.मी. है।

(ख) 4.79 प्रतिशत

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है। 41 सड़क निर्माण कार्य और 19 पुल निर्माण कार्य जिनमें प्रत्येक की लागत 50 लाख रु. से अधिक है, का विभिन्न स्तरों पर कार्य चल रहा है।

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

2031. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं, और

(ख) राज्य में रसोई गैस की मांग और आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)

1.4.1994 की यथास्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 479 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कार्यरत हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्तमान ग्राहकों की एल पी जी की औसत मांग 28,000 मी.टन प्रतिमाह है और उद्योग द्वारा पूर्ण रूप से पूरी की जा रही है।

[अनुवाद]

शैल लूब्रीकेंट

2032. श्री रामचन्द्र घंगारे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शैल लूब्रीकेंटों को सम्मिश्रित करने और इसका विपणन करने के लिए भारत पेट्रोलियम और शैल इंटरनेशनल ने जिस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या शैल ब्राण्ड के लुब्रीकेंट का प्रारम्भिक सम्मिश्रण कार्य भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) में किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो संयुक्त उद्यम कम्पनी अपना निजी सम्मिश्रण संयंत्र कब स्थापित कर लेगी; और

(घ) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड की अपनी जनशक्ति और इसके मौजूदा सम्मिश्रण संयंत्रों का भविष्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) भारत में शैल ब्रांड के स्नेहकों के मिश्रण और विपणन के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बी पी सी) और शैल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बी बी (शैल) के बीच करार की मुख्य विशेषताएं ये हैं :-

(i) बी.पी.सी और शैल भारत में एक संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करेंगे जिसमें बी पी सी की इक्विटी सहभागिता 49 प्रतिशत होगी और शैल (अथवा इसकी किसी सहबद्ध) की इक्विटी सहभागिता 51 प्रतिशत होगी।

(ii) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 130 करोड़ रुपये तथा 32.50 करोड़ रुपये होगी। शैल अपने इक्विटी के अंश का विदेशी मुद्रा में अंशदान करेगा।

(iii) शैल, अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, शैल इंटरनेशनल पेट्रोलियम कम्पनी के माध्यम से संयुक्त उद्यम कम्पनी को सम्मिश्रण, सूत्रीकरण, लूब्रीकेंट के प्रबन्ध व वितरण संबंधी नवीनतम प्रौद्योगिकी; लूब्रीकेंट सम्मिश्रण संयंत्रों के डिजाईन, निर्माण व प्रचालन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, लूब्रीकेंट व्यापार/व्यवस्था के सहायतार्थ संबद्ध तकनीकी सेवाएं, लूब्रीकेंट और उसके सूत्रीकरणों आदि के अनुसंधान एवं विकास संबंधी नवीनतम प्रगति से अवगत कराएगा।

(iv) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड संयुक्त उद्यम कम्पनी के उत्पादों के भण्डारण, वितरण और विक्रय हेतु अपने डिपो और खुदरा दुकानों के तंत्र की व्यवस्था करेगा, जिसके लिए संयुक्त उद्यम कम्पनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को उचित मुआवजा देगी।

(ख) जी, हां।

(ग) यह अनुमान है कि संयुक्त उद्यम कम्पनी के पास वर्ष 1996 तक अपना पहला सम्मिश्रण संयंत्र होगा।

(घ) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का मौजूदा सम्मिश्रण यंत्र, उसके रेंज के मोटर (आटोमोटिव) और औद्योगिक लूब्रीकेंट का सम्मिश्रण करता रहेगा।

युवाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान

2033. श्री जितेन्द्र नाथ दासं : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण तथा परिरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्थान खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों के नाम क्या हैं और ये कहां-कहां हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 में इस प्रकार के कोई संस्थान खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए स्वयं किसी संस्थान की स्थापना नहीं करता लेकिन एक योजना स्कीम के तहत मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में सहायता करता है। स्कीम के तहत आठवीं योजना के शुरु के दो वर्षों में विभिन्न राज्यों में उक्त 121 केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता दी गई है। इनमें से 22 केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। जिन खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी गई है और जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1994-95 में ऐसे 50 और केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या और स्थान जहां वे स्थित हैं।
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	
2.	असम	11	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	-
4.	बिहार	9	3 रांची, अंगारा और गुमला
5.	गुजरात	1	
6.	गोवा	1	-
7.	हरियाणा	8	2 गुडगांव
8.	हिमाचल प्रदेश	4	1 शोगी
9.	जम्मू व कश्मीर	1	-
10.	कर्नाटक	4	2 हब्बल, हलकोटी
11.	केरल	1	-
12.	महाराष्ट्र	3	-
13.	मिजोरम	7	4 सेरंग, वेरंगटा,खजवाल एवं चिंगचिप
14.	मध्य प्रदेश	2	-
15.	उड़ीसा	30	-
16.	राजस्थान	2	-
17.	तमिलनाडु	4	-
18.	त्रिपुरा	1	-
19.	उत्तर प्रदेश	20	2 देवरिया एवं इलाहाबाद/इला
20.	पश्चिम बंगाल	9	8 बरुईपुर, साउथ 24 परगना, हावड़ा, बंर्दवान, उत्तरी 24 परगना, झारगाम, बेलपथारी, दक्षिण 24 परगना
	कुल	121	22

हज संबंधी प्रकोष्ट

2034. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हज संबंधी प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पदाधिकारी, व्यक्तियों और इसके कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है तथा भारत और विदेशों में हज तीर्थयात्रियों को क्या-क्या सहायता/सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(ग) क्या इस वर्ष एअर इंडिया द्वारा हजयात्रियों के लिए उड़ानों की व्यवस्था न करके उनके साथ भेदभाव किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या हज तीर्थ यात्रा के लिए विमान सेवाओं और किराए में अंतर होता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां। विदेश मंत्रालय में एक हज सैल है।

(ख) हज सैल में एक विशेषाधिकारी, एक अनुभाग अधिकारी, दो सहायक और एक लिपिक हैं। हज सत्र के दौरान इसके कर्मचारियों की संख्या और सुविधाएं बढ़ा दी जाती हैं। हज सैल का प्रभारी एक संयुक्त सचिव है जिनके कार्य-कलापों की देखरेख सचिव द्वारा और मंत्री स्तर पर की जाती है।

हज के लिए सभी प्रबंधों को समान्वित करने के लिए हज सैल भारत सरकार में नोडल बिन्दु है। यह हज यात्रियों के लिए प्रबंध करने के वास्ते केन्द्रीय और राज्य हज समितियों, नागर विमानन, भूतल परिवहन, गृह और वित्त जैसे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और सऊदी अरब स्थित हमारे मिशनों के साथ सम्पर्क करता है।

हज यात्रियों को जो सहायता और सुविधाएं दी जाती हैं उनमें हज कोटे का निर्धारण, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था, हजयात्रियों को विमान/जहाज से लाना ले जाना, सऊदी अरब के दो पवित्र शहरों में आवास की व्यवस्था, प्रस्थान से पूर्व आप्रवासन/स्वास्थ्य संबंधी औपचारिकताएं, हज सद्भावना शिष्टमंडल से संबंधित कार्य, भवन किराये पर लेने से सम्बद्ध प्रतिनिधिमंडल और भवन चयन दल सऊदी अरब भेजने जाने वाले चिकित्सा/प्रशासनिक दस्ते, हज यात्रियों के हित-कल्याण के लिए दवाइयों की आपूर्ति, विभिन्न राज्यों से खुद्दाम-उल-हुज्जाज भेजना और प्रबंधों की समीक्षा शामिल है ताकि सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हज यात्रियों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। एयर इंडिया चार्टर विमानों की व्यवस्था करता है जो विगत दो वर्षों के दौरान अपनी उड़ानों में व्यवधान डाले बिना क्षमता

संबंधी बाध्यताओं के कारण अपने यहां से इन विमानों की व्यवस्था नहीं कर सका है। इस बात का सुनिश्चय करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं कि चार्टर सेवाएं स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हों।

(ङ) और (च) चार्टर विमान का किराया पूर्णतः हजयात्रियों को नहीं देना पड़ता। हज 1994 के लिए 17000 रुपये प्रति हज यात्री के चार्टर किराए के स्थान पर एक हज यात्री द्वारा दिया जाने वाला हज किराया 12000 रुपये निर्धारित किया गया था।

बिहार में पंचायतों को टेलीफोन कलेक्शन

2035. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय जिलेवार कुल कितने आई एस डी/एस टी डी/पी सी ओ हैं और उनमें से कितने टेलीफोन कार्य कर रहे हैं; और

(ख) जिलेवार विभिन्न पंचायतों को कुल कितने टेलीफोन उपलब्ध कराये गये हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय बिहार में स्थापित किये गये आई एस डी /एस टी डी/पी सी ओ की कुल संख्या 2086 है। चालू एस टी डी युक्त सार्वजनिक टेलीफोनों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण-। में दी गई है।

(ख) विभिन्न ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों की कुल संख्या 5288 हैं। इनके जिलेवार आंकड़े संलग्न विवरण-।। में दिये गये हैं।

विवरण-।

जिले वार एसटीडी/आईएसडी/ (मई, 1994 तक)

क्रम सं.	दूर संचार जिला	आईएसडी/एसटीडी
1	2	3
1.	पटना	307
2.	रांची	301
3.	दरभंगा	274
4.	मुजफ्फरपुर	230
5.	छपरा	110
6.	कटिहार	098

1	2	3
7.	भागलपुर	080
8.	आरा	056
9.	सासाराम	064
10.	गया	113
11.	धनबाद	119
12.	जमशेदपुर	216
13.	हजारीबाग	118
	जोड़ :	2086

विवरण-।।

जिलेवार ग्राम पंचायतों की संख्या (मई, 1994 तक)

क्रम सं.	दूरसंचार जिले	संख्या
1	2	3
1.	पटना	258
2.	रांची	511
3.	दरभंगा	269
4.	मुज्जफ्फरपुर	185
5.	छपरा	752
6.	कटिहार	576
7.	भागलपुर	1019
8.	आरा	152
9.	सासाराम	452
10.	गया	537

1	2	3
11.	धनबाद	074
12.	जमशेदपुर	158
13.	हजारीबाग	345
	जोड़ :	5288

[अनुवाद]

टेलीफोन सेवा से राजस्व

2036. श्री अमल दत्त : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम की टेलीफोन सेवाओं और सरकार द्वारा नियंत्रित सेवाओं से कितने राजस्व की प्राप्ति हुई और तत्संबंधी राज्य, बड़े बड़े शहर, शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) लोकल, एस.टी.डी. और आई.एस.डी. कॉलों से तुलनात्मक कितने राजस्व की प्राप्ति हुई और प्रत्येक सेवा पर कितनी लागत आयी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सूचना सेकेंडरी स्विचन क्षेत्रवार रखी जाती है, जिसमें बड़े शहर, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र शामिल है। सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव

2037. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1993-94 के दौरान राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु कितनी धनराशि निर्धारित करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993-94	
		विकास	रख-रखाव और मरम्मत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4580.00	1716.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	53.51
3.	असम	1400.00	1355.22
4.	बिहार	1920.00	1276.45
5.	चण्डीगढ़	25.00	14.00
6.	दिल्ली	550.00	208.21
7.	गोवा	570.00	225.05
8.	गुजरात	6350.00	1033.95
9.	हरियाणा	3200.00	513.86
10.	हिमाचल प्रदेश	1200.00	881.70
11.	जम्मू और कश्मीर	40	94.54
12.	कर्नाटक	2900.00	1234.19
13.	केरल	3089.00	726.15
14.	मध्य प्रदेश	1850.00	1316.28
15.	महाराष्ट्र	3080.00	1815.54
16.	मणिपुर	300.00	130.47
17.	मेघालय	470.00	231.13
18.	नागालैंड	45.00	7.29
19.	उड़ीसा	1350.00	1016.11
20.	पाण्डीचेरी	50.00	16.02

1	2	3	4
21.	पंजाब	2200.00	661.30
22.	राजस्थान	4200.00	1339.97
23.	तमिलनाडु	3150.00	1643.67
24.	उत्तर प्रदेश	4750.00	1710.52
25.	पश्चिम बंगाल	3500.00	1760.45

डाक घर खोलने हेतु निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन

2038. **श्री धर्मभिक्षम : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नए डाकघर खोलने हेतु निर्धारित वर्तमान मानदण्डों में संशोधन करने संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सामान्य क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदण्डों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, जनजातीय, पहाड़ी, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदंडों को और अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से उनकी पुनरीक्षा की जा रही है।

हल्दिया चैनल से गाद निकालना

2039. **श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया चैनल के अप-स्ट्रीम छोर पर स्थित गिगरखाली फ्लैट पर गाद निकलाने का कार्य 1991 से बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गाद निकालने का कार्य अविलम्ब आरंभ करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। ठेकेदार इस परियोजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा।

(ग) मानसून का मौसम समाप्त होने के बाद डी सी आई कार्य शुरू करने पर सहमत हो गया है।

केरल में केबलों की सप्लाई

2040. श्री वी.एस. वियजराघवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल मंडल के अंतर्गत विस्तार किए गए अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंजों के पास टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए पर्याप्त केबल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केरल टेलीकॉम सर्किल को केबल तथा अन्य सामान की सप्लाई में सुधार करने के लिए क्या कार्य की गयी है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

2041. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में कितने आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. हैं;

(ख) पी.सी.ओ. आपरेटरों पर 1993-94 और 1994-95 में अब तक कितनी धन राशि बकाया है; और

(ग) बकाया धन राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में क्रमशः 28,27 और 14 एस.टी.डी./आई.एस.डी. युक्त सार्वजनिक टेलीफोन काम कर रहे हैं।

(ख)

जिले का नाम	बकाया धनराशि (रुपये में)	
	1993-94	1994-95
विदिशा	-	6483
रायसेन	852	8477
सिहोर	99,812	1,20,117

(ग) बकाया संदेय धनराशि की वसूली के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, परिणामस्वरूप पिछले दो महीनों के दौरान लगभग 2 लाख रुपये की वसूली की गई है।

खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन/सहायता

2042. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग द्वारा विशिष्ट खिलाड़ियों/अम्पायरों /रेफरियों को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्किल वार कितने खिलाड़ियों को इस प्रकार की सहायता/प्रोत्साहन दिया गया; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान सर्किल वार कितनी धनराशि ऐसी सहायता के रूप में दी गई?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां। अखिल भारतीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भारत सरकार के स्थायी अनुदेशों के अनुसार अतिरिक्त वेतन वृद्धियां भी मंजूर की जाती हैं। तथापि, अंपायरों/रेफ्रीयों को कोई वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन मंजूर नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आगरा में रसोई गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

2043. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 31,1994 की स्थिति के अनुसार आगरा में रसोई गैस कनेक्शन हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने आवेदनों को रसोई गैस कनेक्शन देने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को ताज को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार आगरा (उ. प्र.) में कुल करीब 99,885 व्यक्तियों को एल पी जी कनेक्शनों के लिए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास अपने नाम दर्ज कराए हैं।

(ख) प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक, उनकी व्यवहार्यता, वार्षिक नामांकन योजना और उत्पादन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष एल पी जी के नए कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) प्रदूषण को नियंत्रित करने की दृष्टि से मथुरा आगरा क्षेत्र के निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर एल पी जी देने के लिए सुझाव दिए गए थे। यथा शीघ्र अधिकतम आवेदकों को एल पी जी कनेक्शन जारी करने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यमान उत्पादन स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करके, नये संयंत्र स्थापित करके और अपेक्षाकृत अधिक आयात कर आपूर्ति में वृद्धि करके एल पी जी की उपलब्धता बढ़ाने की योजनाएं तैयार की गई हैं।

उपग्रह संचार नेटवर्क

2044. डा. के.वी. जेस्वाणी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अप्रिवासी भारतीय समूह ने देश में उपग्रह संचार नेटवर्क की स्थापना करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स मैट्रीक्स पेजींग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड बंबई, ने देश में उपग्रह आधारित 64 केबीपीएस बी-एसएटी प्राइवेट डाटा डोमेस्टीक नेटवर्क के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह कंपनी, मैसर्स मैट्रोक्स आस्ट्रेलिया (बिदेशी कंपनी) तथा मैसर्स टेलीकाम सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (भारतीय कंपनी) के बीच 50:50 की इक्विटी भागेदारी वाला एक संयुक्त उद्यम है। भारतीय कंपनी एक अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनी है। उनके प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

2045. श्री येल्लैया नंदी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी उद्यमियों द्वारा अथवा विदेशी सहयोग से तेल औरप्राकृतिक गैस की खोज की कोई नयी परियोजनाएं इस समय सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दी जाएगी और उन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) तेल की खोज में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की उदार नीति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 1991 से भारत में निर्दिष्ट ब्लाकों में तेल और गैस की खोज हेतु भारतीय और विदेशी कंपनियों को समय-समय पर आमंत्रित करती है। पांचवें दौर के अंतर्गत प्राप्त बोलियां सरकार के विचाराधीन हैं। छठे दौर के संबंध में बोलीदाताओं के साथ चर्चा की जा रही है जबकि सातवें दौर के अंतर्गत प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में आलू प्रसंस्करण संयंत्र

2047. श्री राम पूजन पटेल : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में आलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि पर आधारित उद्योग

2048. श्री मती शीला गौतम :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री राजेश कुमार :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु राज्यवार कुल कितनी राशि के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) इस अवधि के दौरान स्वीकृत विदेशी निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) उदारीकरण से लेकर जून, 1994 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए लगभग 34469 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश वाले 2680 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अलावा शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों की स्थापना, संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग

आदि के लिए भी 7060 करोड़ रुपये के कुल पूंजी निवेश वाले प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

(ख) इन प्रस्तावों में लगभग 2206 करोड़ रु. का पूंजी निवेश किया जाएगा।

(ग) ऐसी यूनिटों को काम शुरू करने में लगभग 2-3 वर्ष का समय लग जाता है।

विवरण

जनवरी, 1994 तक दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों का राज्यवार सारांश

क्र.सं.	राज्य का नाम	दायर/औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या	प्रस्तावित रोजगार	प्रस्तावित पूंजी निवेश
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	161	37733	11964229
2.	असम	2	104	1780300
3.	बिहार	15	1380	1597422
4.	गुजरात	191	31136	29464890
5.	हरियाणा	320	58003	29701737
6.	हिमाचल प्रदेश	31	5243	2567779
7.	जम्मू व कश्मीर	7	810	207903
8.	कर्नाटक	58	5937	3089868
9.	केरल	16	3131	2482044
10.	मध्य प्रदेश	232	35992	21593039
11.	महाराष्ट्र	371	61618	81184883
12.	मणिपुर	0	0	0
13.	मेघालय	1	50	50000
14.	नागालैंड	1	140	8400
15.	उड़ीसा	12	2378	558760
16.	पंजाब	230	64926	29876074

1	2	3	4	5
17.	राजस्थान	268	43618	30013449
18.	तमिलनाडु	84	8834	5377301
19.	त्रिपुरा	0	0	0
20.	उत्तर प्रदेश	547	103711	81564980
21.	पश्चिम बंगाल	58	9549	9400287
22.	सिक्किम	1	85	16000
23.	अंडमान निकोबार	1	260	45000
24.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0
25.	चण्डीगढ़	2	320	61905
26.	दादर एवं नागर हवेली	8	427	236977
27.	दिल्ली	41	3735	915488
28.	दमन एवं दीव	6	502	95000
29.	लक्ष्य द्वीप, मिनीकाय और आमिनी द्वीप समूह	0	0	0
30.	मिजोरम	0	0	0
31.	पाण्डिचेरी	9	1411	251230
32.	गोआ	7	904	587000
	कुल योग :	2680	481937	344691945

खाड़ी युद्ध के दौरान क्षति के लिए मुआवजा

2049. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को 1990-91 के खाड़ी संकट के कारण हुई विभिन्न प्रकार की क्षति के मुआवजे के रुप में आठ हजार करोड़ रुपये की धनराशि मिलने की संभावना है;

(ख) क्या इस संबंध में भुगतान संबंधी औपचारिकाताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग अभी भी दावों पर कार्रवाई कर रहा है इसलिए इस समय यह बताना संभव नहीं कि भुगतान में कितना समय लगेगा और इसकी मात्रा कितनी है जिसे अन्ततः जेनेवा स्थित सयुंक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग अनुमोदित करेगा। तथापि जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से भुगतान प्राप्त करने से पहले और दावेदारों की सुविधा के लिए यह फैसला किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से प्राप्त की जाने वाली मुआवजा-राशि चार राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए सफल दावेदारों को वितरित कर दी जाए। बैंकों में राज्यों का आंबटन नीचे लिखे अनुसार किया गया है :

क्र.सं.	बैंक का नाम	आबंटित राज्यों/संघ प्रदेशों के नाम
1	2	3
1.	सिंडिकेट बैंक	कर्नाटक, गोआ, लक्षद्वीप और दावे द्रायर करते समय विदेशों में रह रहे दावेदार।
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सभी उत्तर-पूर्वी राज्य
3.	इंडियन ओवरसीज बैंक	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पांडिचेरी (संघ प्रदेश) और अंडमान एवं निकोबार (संघ प्रदेश)
4.	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नागर हवेली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब

सड़क दुर्घटना के मामलों में मृत व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को रोजगार प्रदान करना

2050. श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटना के मामले में मृत व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के किसी सदस्य को रोजगार प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों/उनके उत्तराधिकारियों का मामले के गुणावगुण के आधार पर सांविधिक रुप से गठित दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा आर्थिक मुआवजा प्रदान किया जाता है।

दुपहिया वाहनों के लिए धुआं छोड़ने संबंधी मानदंड

2051. श्री गुरूदास कामत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुपहिया वाहनों के लिए धुंआ छोड़ने संबंधी कड़े मानदंड जारी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। संशोधित मानदंड जो पहली अप्रैल, 1996 से लागू होने हैं, निम्नलिखित हैं :

दुपहिया (सभी श्रेणियों के लिए)

CO ग्राम/1 कि.मी.	6.75
HC+NOX ग्राम/1 कि.मी.	5.40

COP मात्रा के लिए कार्बन मोनेक्साइड के मानकों में 10 प्रतिशत और मिश्रित HC+NOX में 20 प्रतिशत की छूट होगी।

हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियरिंग लिमिटेड

2052. श्री वसुदेव आचार्य : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियरिंग के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए काफी अधिक धनराशि निवेश करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1984 में हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स का कार्यभार संभालने के बाद 31.3.1994 तक

43.23 करोड़ रु. खर्च किए थे। कम्पनी के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए भारी धनराशियों का निवेश करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पासपोर्ट के लिए आवेदन पत्र

2053. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31, जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में कितने आवेदन पत्र लंबित हैं और ये आवेदन पत्र कब से लंबित पड़े हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन लंबित आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टेलीफोन के मीटर

2054. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन प्रयोक्ताओं के आवासों पर टेलीफोन मीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपभोक्ता परिसर में मीटर संस्थापित करने के प्रस्ताव की जांच की गई परन्तु इसे तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों में छूट

2055. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें टेलीफोन 15 दिनों तक खराब रहे और प्रयोक्ता को किराया संबंधी कोई छूट नहीं दी गई हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीफोनों के लिए कंडक्टर

2056. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान टेलीफोनों के लिए कितने कंडक्टर खरीदे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन किन कंपनियों से कंडक्टर खरीदे गये;

(ग) क्या पुराने उपकरणों को खरीदे जाने का कोई मामला प्रकाश में आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के लिए उपकरण खरीदने हेतु अलग से कितनी धनराशि रखी गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

2057. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की कार्यप्रणाली में और सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्य-संचालन को बेहतर बनाने तथा उसकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उसके कार्य की बराबर समीक्षा की जाती रहती है।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के संविधान के अनुसार उसके तीन सांविधिक प्राधिकरण इस प्रकार हैं :

(1) महा सभा

(2) शासी निकाय

(3) वित्त समिति

ये तीनों सांविधिक प्राधिकरण नियमित रूप से समय-समय पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्

के कार्य संचालन की समीक्षा करते हैं। परिषद् के इन सांविधिक प्राधिकरणों को परिषद् की गतिविधियों के सभी पहलुओं की जांच और समीक्षा करने के लिए गठित सलाहकार समितियों की सलाह मिलती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के इन तीनों सांविधिक निकायों की सहायतार्थ गठित सलाहकार समितियां इस प्रकार हैं :

(1) बजट और कार्ययोजना समिति।

(2) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्।

(3) पैनल गठन सलाहकार समिति।

इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय पर गठित संसद की स्थायी समिति ने भी भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद् के कार्य संचालन और गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की है।

गोआ में संचार नेटवर्क

2058. श्री हरीश नारायण प्रभू झांट्ये : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान गोआ में संचार तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गोआ में संचार नेटवर्क के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाएंगे;

(घ) क्या राज्य में आधुनिक इलेक्ट्रानिक संचार प्रणाली की स्थापना संबंधी कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संचार नेटवर्क के प्रचालन संबंधी कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए पुराने एक्सचेंजों के स्थान पर आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का कार्य शुरू किया गया है अब गोआ दूरसंचार जिला में एक एक्सचेंज को छोड़कर शेष सभी एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक किस्म के हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस एक एक्सचेंज को भी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो।

(घ) जी हां।

(ङ) 1994-95 के दौरान गोआ में मध्यम तथा बड़े आकार के निम्नलिखित एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त निधियां एवं उपस्कर समय पर उपलब्ध हों :

नाम	किस्म	क्षमता
1	2	3
मडगांव	ई-10वी	6 हजार लाइनें
पोरबोरिम	आरएलयू विस्तार	1 हजार लाइनें
क्वेपम	आईएलटी 512 पोर्ट	384 लाइनें
पोंडा	सी-डॉट 512 पोर्ट	1.4 हजार लाइनें
एस्सोल्ना	सी-डॉट 512 पोर्ट	1200 लाइनें
बिचोलिम	सी-डॉट 512 पोर्ट	1000 लाइनें
कुंचोलिम	सी-डॉट 512 पोर्ट	1000 लाइनें
संगवेम	सी-डॉट 512 पोर्ट	424 लाइनें

गुजरात को पेट्रोल/डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

2059. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों, विशेषरूप से गुजरात से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की अतिरिक्त सप्लाई हेतु कोई नया अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इन वस्तुओं की कितनी आवश्यकता थी और इनकी कितनी-कितनी सप्लाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) पूरे देश में आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल और डीजल की पूर्ण आपूर्ति की जाती है। मिट्टी का तेल एक आबंटित उत्पाद है। केन्द्रीय सरकार राज्यों को पूर्व आधार पर थोक में आंबटित करती है, जो इसके खुदरा वितरण की व्यवस्था करते हैं।

मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आबंटन के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि चूंकि इसमें निहित उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और बहुत अधिक राजसहायता संबंधी कठिनाईयों के कारण राज्यों की संपूर्ण मांग को पूरा करना संभव नहीं है। गुजरात को पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान थोड़ी सी वृद्धि दी गई है।

गुजरात में 1994-95 की पहली तिमाही के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की खपत नीचे दर्शायी गई है :

	आंकड़े टी एम टी में *
पेट्रोल	75.62
डीजल	439.69
मिट्टी का तेल	190.86 * अनंतिम

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 का विकास

2060. श्री पी.सी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 पर किए जा रहे निर्माण कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन निर्माण कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर क्रमशः कोचीन से मुवत्तुपूजा तक, मुवत्तुपूजा से नेरियामंगलम तक नेरियामंगलम से मुन्नार तक और मुन्नार से मदुराई तक के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 पर प्रगति के विभिन्न स्तरों पर चल रहे 23 निर्माण कार्यों में से 11 कार्य 1994-95 में पूरे हो जाने तथा शेष 12 कार्य 1995-96 में पूरे हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

(ग) राज्यों को निधियां सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटित की जाती हैं न कि कार्य-वार। केरल और तमिलनाडु से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों तथा रा.रा. 49 के विकास के लिए वर्ष 1994-95 में 48 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डाक सलाहकार समिति

2061. श्री दत्ता मेघे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में डाक सलाहकार समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों और निदेश पदों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

2062. श्री बी.एल.शर्मा प्रेम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एस.टी.डी/आई. एस.डी. सुविधाओं सहित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आबंटित करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को ये सुविधाएं प्रदान की गई हैं; कितने आवेदन पत्र रद्द किये गये और कितने विचाराधीन हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष आवेदन पत्रों का निपटारा कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1993-95 और 1994-95 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लि. के आई.एस.डी. और एस.टी.डी. सुविधाओं के साथ पी.सी.ओ. आबंटन के लिए क्रमशः 961 और 700 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) कुल 1661 आवेदकों में से 393 आवेदकों को एस.टी.डी./आई.एस.डी. युक्त पी.सी.ओ. प्रदान किए गए हैं। 474 आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है और 794 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

विचाराधीन उपर्युक्त मामलों में से, अधिकांश मामले आवेदकों द्वारा कागजात न दे पाने और एक्सचेंज क्षमता का अभाव तथा तकनीकी व्यवहार्यता आदि जैसे तकनीकी कारणों से लंबित हैं।

(ग) शेष आवेदन पत्रों को 31 मार्च, 1995 तक निपटाए जाने की संभावना है बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से ऐसा करना हो व्यवहार्य हो और आवेदक विभागीय औपचारिकताएं पूरी करते हों।

धनश्री घाटी परियोजना

2063. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में बोरहल्ला चंछांग तेल क्षेत्र में बी.आर.डी.डी. बोरहल्ला नामक कुएं में मार्च, 1994 में विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस कुंए में विस्फोट के कारण कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विस्फोटों के कारणों की जांच का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बोरहोला चांमपांग तेल क्षेत्र में बी आर डी डी कूप में एक विस्फोट हुआ था।

(ख) जान माल की कोई हानि नहीं हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वारापुजा पुल

2064. प्रो. के.वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों को पथकर की वसूली के लिए निजी फर्मों को सौंपा गया है;

(ख) क्या कोचीन स्थित वरापुजा पुल को इस श्रेणी के अंतर्गत लाया जाएगा;

(ग) पुल के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) सरकार, निर्माण प्रचालन और हस्तांतरण (बी.ओ टी) के आधार पर राजमार्ग क्षेत्र में शुल्क-आधारित सुविधाओं के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने पर विचार करती रही है और इस प्रयोजन के लिए केरल में कुछेक परियोजनाओं के साथ-साथ वारापूजा पुल का पता लगाया गया है। वारापूजा पुल के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी गई है। तथापि, सरकार ने निजी क्षेत्र के लिए प्रस्ताव की विस्तृत रूपरेखा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। इसलिए अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

डी.टी.सी. द्वारा अदा किए गए दुर्घटना संबंधी दावे

2065. डा. लाल बहादुर रावल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान तथा 1994-95 में जून तक डी.टी.सी. द्वारा दुर्घटना संबंधी दावों के रूप में कुल कितनी धनराशि अदा की गई;

(ख) क्या बस दुर्घटनाओं और दावों की अदायगी से डी.टी.सी. को हो रही हानि से बचाने के लिए बीमा योजना आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा भुगतान किए गए दुर्घटना दावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	राशि (लाख रु.)
1993-94	447.99
1994-95 (जून, 94 तक)	83.16
कुल :	**531.15**

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से गैस पाइप लाइन

2066 डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

डा. रमेश चन्द्र डोगर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार भारत तक गैस पाइप लाइन बढ़ाने पर सहमत हो गई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई बातचीत हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) पाकिस्तान सरकार के साथ गैस पाइप लाइन परियोजना पर कोई विचार विमर्श नहीं चल रहा है।

पाइपलाइनों से तेल की चोरी

2067. श्री महेश कनोडिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों की साठगांठ से एक संगठित गिरोह द्वारा पाइपलाइन से तेल की चोरी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चोरी के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कितने कर्मचारी इस चोरी में लिप्त पाए गए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) ओ एन जी सी लि. ने विभिन्न गिरोहों द्वारा गुजरात में पाइपलाइनों से तेल की चोरी करने की घटनाओं का पता लगाया है। ओ एन जी सी द्वारा 1992 और 1993 के दौरान ऐसे नौ गिरोहों की पहचान की गई है और गिरोहों के सदस्यों पर मुकद्दमा चलाया जा रहा है।

सुरक्षा और उत्पादन कार्मिकों द्वारा संयुक्त निरीक्षण, तेल कूपों की कंटीली तारों से घेराबंदी करना, प्रवाह लाइनों को बाहर की बजाय भूमि के भीतर बिछाना और अत्यधिक चोरी वाले क्षेत्रों में सशस्त्र गार्डों को तैनात करने जैसे उपायों के अतिरिक्त ओ एन जी सी ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को नियुक्ति किया है और हेलीकाप्टरों के माध्यम से तेल क्षेत्रों/पाइपलाइनों की हवाई निगरानी आरम्भ की है।

(ग) ओ एन जी सी का एक कर्मचारी तेल की चोरी में संलिप्त पाया गया। उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। चोरी में शामिल अन्य लोगों के साथ-साथ उस पर भी न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है।

[अनुवाद]

ताप्ती गैस क्षेत्र

2068. श्री शिवलाल नागजी भाई :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ताप्ती गैस क्षेत्र के विकास का कार्य किसी निजी पार्टी को सौंपने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ताप्ती क्षेत्र से पीपावाव में विद्युत संयंत्रों के लिए गैस नियत करने से पूर्व कोई समझौता किया गया था;

(घ) यदि हां, तो समझौते का पालन न करने और हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर पाइप लाइन के लिए ताप्ती गैस देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस समय ताप्ती क्षेत्र में उत्पादित गैस हजीरा की कमी को पूरा करने और पीपावाव में

प्रस्तावित विद्युत संयंत्र के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने अमरीका की एनरोन एक्सप्लोरेशन कम्पनी और भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के परिसंघ को मध्य और दक्षिण तापी क्षेत्र के विकास के लिए अंतिम रूप दिये गये ठेके को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) गांधार से गुजरात की विद्युत परियोजनाओं को गैस के आबंटन को देखते हुए मध्य और दक्षिण तापी से गैस लाने का निर्णय लिया गया।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज

2069. श्री पवन दीवान :

श्री सूरज भान सोलंकी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक एक्सचेंज की क्षमता क्या होगी?

(ग) इन्हें कब तक चालू किये जाने की संभावना है; और

(घ) उन पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) इनके मार्च, 1995 तक चालू हो जाने की संभावना है।

(घ) इस पर 350 करोड़ रुपये अनुमानतः व्यय होने की संभावना है।

विवरण

भाग (ख) मध्य प्रदेश में 1994-95 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची :

I. बड़े एक्सचेंज

क्र.सं.	स्थान	क्षमता	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	भोपाल	8000	(ई-10बी)
2.	इन्दौर	10000	(ई-10बी)
3.	रीवा	2500(सीडॉट)	
4.	सतना	3500(सीडॉट)	
5.	गुना	2000(सीडॉट)	
6.	राजनंदगांव	2000(सीडॉट)	
7.	कोरबा	2000(सीडॉट)	
8.	बुरहानपुर	3500(सीडॉट)	
9.	भोपाल	10000(नई प्रौद्योगिकी)	
10.	इन्दौर	20000(नई प्रौद्योगिकी)	

II. मध्य क्षमता के एक्सचेंज

1.	कोलारास	~~424(सी-डॉट)~~	
2.	लाहर	424(सी-डॉट)	
3.	मेघनगर	424(सी-डॉट)	
4.	सिहोरा	1200(सी-डॉट)	
5.	सिमगा	400(सी-डॉट)	
6.	घाटबिलूड	400(सी-डॉट)	
7.	बेतूल	400(सी-डॉट)	

1	2	3	4
8.	खारेगांव	400(सी-डॉट)	
9.	बिओरा	1200(सी-डॉट)	
10.	गंजबसौड़ा	1400(सी-डॉट)	
11.	नवगांव	424(सी-डॉट)	
12.	दमोह	1200(सी-डॉट)	
13.	धार	1400(सी-डॉट)	
14.	कंकेर	1200(सी-डॉट)	
15.	मुरैना	1200(सी-डॉट)	
16.	छत्तरपुर	1000(सी-डॉट)	
17.	छिंदवाड़ा	1000(सी-डॉट)	
18.	गोटेगांव	1000(सी-डॉट)	
19.	नागदा	1000(सी-डॉट)	
20.	रायसेन	1000(सी-डॉट)	
21.	सेंधवा	1000(सी-डॉट)	
22.	सिहोर	1400(सी-डॉट)	
23.	धमतारी	1200(सी-डॉट)	
24.	पिपरिया	1000(सी-डॉट)	
25.	महू	1000(सी-डॉट)	
26.	राजगढ़	1000(सी-डॉट)	

III. कम क्षमता के एक्सचेंज

मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न स्थानों पर 88 लाइनों के कम क्षमता वाले 200 एक्सचेंज लगाए जाने का भी प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में विस्तार उपकरण

2070. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश दूरसंचार मंडल ने राज्य के गुंटूर जिले के टेलीफोन क्षमता के विस्तार हेतु ई-10बी को 4 के (विस्तार) उपकरण देने का आश्वासन दिया था;

(ख) गुंटूर जिले में उक्त उपकरण उपलब्ध नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के लिए निर्धारित उपकरण को पिछले वर्ष हिमाचल दूरसंचार तथा पंजाब दूरसंचार मंडलों को दे दिए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। उपस्कर की सप्लाई शुरू हो चुकी है और इसके सितम्बर,94 तक पूरा होने की संभावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक शिष्टमंडल

2071. श्री मंजय लाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

18, अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि म्यांमार में सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजने के संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : और आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। म्यांमा के प्राधिकारियों की औपचारिक प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है। उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारत का राजदूतावास यांगोन से प्राप्त प्रस्ताव को क्रियान्वयन करेगी। इसके अतिरिक्त यांगोन स्थित भारतीय राजदूतावास ने प्रस्ताव किया है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् फरवरी, 1995 में यांगोन में भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन द्वारा आयोजित भारतीय व्यापार मेले के अवसर पर एक सांस्कृतिक दल भेजे। इसे हमारे मिशन के साथ सलाह करके अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का उत्पादन

2072. श्री राम टहल चौधरी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में से प्रसंस्कृत किए जाने वाले फलों और सब्जियों का राज्यवार प्रतिशत कितना होता है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1993 में देश में धूप में सुखाए गए और तले हुए उत्पादों के अलावा 5.59 लाख टन फल और सभी उत्पादों का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन किया गया। इन्हें तैयार करने में लगभग 11.6 लाख टन फल और सब्जियों का इस्तेमाल किया गया जो देश में पैदा होने वाले कुल फल और सब्जी का लगभग 1.1 प्रतिशत है। उपर्युक्त फल और सब्जी उत्पादों का राज्यवार प्रतिशत निम्नलिखित है :-

आन्ध्र प्रदेश	12.88
अरूणाचल प्रदेश	0.02
असम	0.85
बिहार	0.68
गोआ	0.18
गुजरात	7.66
हरियाणा	2.89
हिमाचल प्रदेश	1.33
जम्मू व कश्मीर	0.89
कर्नाटक	9.02
केरल	1.46
मध्य प्रदेश	0.54
महाराष्ट्र	31.22
मणिपुर	0.04

मेघालय	0.02
मिजोरम	0.02
नागालैंड	0.01
उड़ीसा	0.23
पंजाब	3.55
राजस्थान	0.73
सिक्किम	0.23
तमिलनाडु	6.98
त्रिपुरा	0.04
उत्तर प्रदेश	6.42
पश्चिम बंगाल	4.93
अंडमान और निकोबार	0.02
चंडीगढ़	0.60
दादर तथा नगर हवेली	0.56
दमन और दीव	0.02
दिल्ली	6.66
लक्ष्यद्वीप	0.01
पांडिचेरी	0.01

(ख) मंत्रालय ने फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/उन्नयन तथा ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों सहकारी क्षेत्रों, स्वैच्छिक एजेंसियों, निजी क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न संगठनों को सहायता देने के लिए विभिन्न विकासात्मक स्कीमें बनाई हैं।

गैस पाइपलाइन परियोजना में विदेशी पूंजी निवेश

2073. श्री वी. धनंजय कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मध्य पूर्व के देशों के बीच प्रस्तावित गैस पाइपलाइन परियोजना में सीधे विदेशी पूंजी निवेश की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में ऐसे निवेशकों की किस तरह की भागीदारी होगी;

(ग) यह परियोजना कब तक चालू हो जायेगी; और

(घ) क्या इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों की पहचान कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) ओमान आयल कम्पनी द्वारा ओमान से पाइपलाइन में निवेश किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के लिए समय की अवधि निबंधनों और शर्तों पर करार को अंतिम रूप दिए जाने पर निर्भर होगी। व्यवहार्यता अध्ययन के पूर्ण हो जाने के बाद ही ईरान से पाइपलाइन पर निवेश की व्यवस्था की जा सकती है। इन परियोजनाओं के आरम्भ की तिथि अथवा इससे लाभान्वित होने वालों की पहचान किए जाने के संबंध में बताना जल्दबाजी होगी।

राज्यों में फैक्स सुविधा

2074. **श्री जंगबीर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार किन-किन स्थानों पर फैक्स सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) चालू वर्ष में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वे राज्यवार स्थान, जहां ब्यूरो फैक्स सुविधा प्रदान किए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वे स्थान जहां ब्यूरो फैक्स सुविधा प्रदान किया जाना है, उनका निर्णय परियात संभाव्यता और मांग के आधार पर सर्किल प्रमुखों के द्वारा किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में ब्यूरो फैक्स प्रदान करने के लिए उपस्कर के अंनतिम आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न दूरसंचार सर्किलों में ब्यूरो फैक्स सुविधा प्रदान करने हेतु खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि भी उपर्युक्त संलग्न विवरण-II में निर्दिष्ट की गई है।

विवरण-I

उन स्थानों के राज्यवार नामों की सूची जहां फैक्स सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
अंडमान संघ शासित	पोर्ट ब्लेयर		हैदराबाद खैराताबाद
आन्ध्र प्रदेश	आदिलाबाद		काकिनाड़ा डी.टी.ओ.
	अदोनी		काकिनाड़ा टीसी
	अमलापुरम		काकिनाड़ा रामानय्यापेट
	अनाकापल्ली		करीम नगर
	अनन्थपुर		कवाली डीटीओ
	भीमावरम डीटीओ		खम्माम
	बाब्बीली		कूरनूल
	चिकलुरीपेट		मचलीपेटनम
	चिराला डीटीओ		महबूबनगर
	चित्तूर		नालगोंडा
	कुड्डीपेथ		नॉदियाल डीटीओ
	इलूरू		नेल्लोर
	इलूरू टी.सी.		निदुब्रोलू
	गुडीवाड़ा डीटीओ		निजामाबाद
	गुन्टाकाल		नूजवेडू डीटीओ
	गुंटूर		अंगोल टेली.केन्द्र
	गुंटूर बस स्टेंड टेली.केन्द्र		पालकोले डीटीओ
	हिंदूपुर		प्रोद्दाटूर डीटीओ
	हैदराबाद-एयरपोर्ट टेली.केन्द्र		राजामुंदरी
	हैदराबाद सीडीओ		सांगारेड्डी

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	सिकंदराबाद		सिवान
	श्रीकाकुलम		अररिया
	ताडेपल्लीगुडम		आरा
	टेनुकु डीटीओ		औरंगाबाद(बिहार)
	तनाली		बी.डीघर
	तिरूमाला जेडटीओ		बांका
	तिरूपति		बेगुसराय
	विजयवाड़ा बुकिंघापेट		भभुआ डी.टी.ओ
	विजयवाड़ा		भागलपुर
	विजयवाड़ा लाब्बोपेट		बिहार शरीफ
	विशाखापट्टनम		बोकारो
	विशाखापट्टनम बंदरगाह टीसी		हक्सर डीटीओ
	विजयनगरम		बुक्सार टीआ
	वारंगल		चौबासा
अरूणाचल प्रदेश	इटानगर		चास टीसी
	अगरतल्ला		डाल्टनगंज
असम	विश्वनाथ चरियाली		दरभंगा
	गुवाहाटी		धनबाद
	गुवाहाटी बोरझार		धनबाद बस स्टाप टीडो
	एयरपोर्ट		धुरवा
	गुवाहाटी रेलवे स्टेशन		डुमका
	टेली केन्द्र		फोरबेसगंज
	सिलचर		जी.एम. टेली. जे.एस.आर टी.सी
बिहार	दरभंगा		गया

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	गिरीडीह		पटना सिटी टीसी
	गोंडा		पोंद्रा
	गोपालगंज डीटीओ		पुर्णिया
	हजारीबाग		रांची कांके टीसी
	हाजीपुर		रांची एरोड्रम टीसी
	जहानाबाद		रांची सीटीओ
	जमशेदपुर		रांची लतीसलवे टीसी
	जमशेदपुर टीसी टेल्को		रांची आर.एम.सी.एच.टीसी
	जमुई		रानी रेलवे जं. टीसी
	झरिया		राक्सैल
	जोंतारा टी सी		सहरसा
	कटिहार		साहेबगंज डीटीओ
	खगड़िया		सासाराम
	किशनगंज डीटीओ		सासोयम
	लखी सराय टीसी		सीतामढ़ी
	लहेरिया सराय		सुपौल डीटीओ
	माधेपुरा	दिल्ली	दिल्ली आजादपुर
	मधुबनी		दिल्ली चांदनीचौक
	मुंगेर		दिल्ली दरियागंज
	मुजफ्फरपुर		दिल्ली कश्मीरी गेट
	नवादा		दिल्ली कृष्ण नगर
	पीटी बंकीपुर डीटीओ		दिल्ली ट्रांसपोर्ट केन्द्र
	पाटलीपुत्र		नई दिल्ली सीटीओ
	पटना सीटीओ		नई दिल्ली चाणक्य पुरी

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	नई दिल्ली आई.जी.आई एयरपोर्ट		भरूच डीटीओ
	नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय टी.इ		भावनगर
	नई दिल्ली लोदी रोड़		भुज
	नई दिल्ली नेहरू प्लेस		बिलीमोरा
	नई दिल्ली पालम एयरपोर्ट		गांधीधाम
	नई दिल्ली संसद भवन		गांधीनगर
	नई दिल्ली प्रसाद नगर		गोधरा डीटीओ
	नई दिल्ली राजौरी गार्डन		हलोल
	नई दिल्ली शास्त्री भवन		हिम्मत नगर
	नई दिल्ली ए.आई.आई. एम.एस टीसी		जामनगर
			जूनागढ़
	नई दिल्ली जनकपुरी		मेहसाणा
	नई दिल्ली प्रगति मैदान		नडियाद
गोआ	मारगांव		नडियाद डीटीओ
	पणजी (गोआ)		नवसारी
गुजरात	अहमदाबाद		पालनपुर
	अहमदाबाद नरोड़ा		पोरबंदर
	अहमदाबाद नवरंगपुरा		राजकोट
	अहमदाबाद रेलवेपुरा		सूरत
	अमरेली		सूरत नानपुरा
	आनंद		सुरेन्द्रनगर
	बड़ौदा		ऊन्झा
	बड़ौदा इलोरा पार्क		वलसाद(वलसर)
	बड़ौदा फतेहगंज		वापी

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	वेरावल		महाड
	अहमदाबाद मणीनगर		परवानू
	अहमदाबाद नारायणपुर		शिमला
	अहमदाबाद साहीबाग		शिमला दूरसंचार केन्द्र
	अहमदाबाद वासना		सोलन
	टी.सी. अंकलेश्वर		ऊना डीटीओ
	टी.सी. कापड़वंज	जम्मू व कश्मीर	जम्मू तवी
	टी.सी. नड़ियाद एन.एच.		जम्मू गांधीनगर
हरियाणा	अम्बाला		कठूआ
	फरीदाबाद		श्रीनगर
	गुडगांव		ऊधमपुर
	हिसार	कर्नाटक	बागालकोट
	करनाल		बंगलौर
	कुरूक्षेत्र		बंगलौर सुबास नगर
	पानीपत		बंगलौर सौडी डीटीओ
	रोहतक		बंगलौर आई.आई.लाइन्स
	सोनीपत		बंगलोर शांतिनगर
हिमाचल प्रदेश	विलासपुर टीओ		बंगलौर रजाऔनगुडी
	चम्बा		बंगलौर राजाजी नगर
	धर्मशाला		बंगलौर उलसूर
	हमीरपुर (हि.प्र.)		बेलगाम
	कुल्लू		बेल्लारी
	मनाली		भद्रावती
	मण्डी		बिदार

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	बिजापुर		शिमोगा
	चिकमंगलोर		तोपतुर
	चित्राडुग्गा		तुमकुर
	दवनगर		उदपी
	धारवाड़		उदपी दूरसंचार केन्द्र
	गडाग		अट्टोर
	गुलबर्ग पटेलचौक	केरल	अल्लेपी
	गुलबर्ग		अल्वाय
	हसन		आन्ध्रोश
	हवरी		अंगमाल्ली टीसी
	होसपेट		अतिंगाल टीसी
	हुबली		एराकुल्लम
	करवार		एचूर
	कोलार		बदगारा
	कुंडापुरा		बलरामपुरम्
	माडीकेरी		बलुसेरी
	मंडया		कानगाना चेरी टीसी
	मंगलार सीटीओ		कालीकट
	मंगलोर हेम्पनकाटा		कालीकट आई.जी. रोड़
	मणिपाल		कालीकट एम.एम.स्ट्रीट
	मैसूर		कालीकट कलाई
	पट्टूर (डी.के)		कन्नानौर
	रायचूर		चालाकुड़ी टीसी
	रानेबेन्नुर डीटीओ		चावाक्कड़

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	चंगान्नुर टीसी		कोडेनचेरी टीसी
	कोचीन(एर्नाकुलम्)		कोथाट्टकुलम
	कोचीन मतानचेरी		कोथामांगलम्
	कोचीन नॉर्थ पलारी भाट्टम्		कोट्टाक्काल
	कोचीन समुद्रम रोड		कोट्टाराकारा
	कोचिन बतोला		कोट्टायम्
	कोचीन वेलीगंटन आईलैंड (डीटीओ)		कोट्टायम (क्यू.एन.) टीसी
	कोचीन थोप्पुमपड्डी		कोबलम टीसी
	कोचीन थेवारा टीसी		कोजेनेचेरी
	गुरूवयोर टीसी		कुम्बानद टीसी
	इत्तुमानूर		कुन्दारा
	हरिपद टीसी		कुन्नामकुलम
	त्रिन्जालाकुडा		गाहे सीटीसी
	कालाडी		मालाप्पुरम
	कालामपेसरी टीसी		मल्लाप्पल्ली
	कालपेटा		मनन्तवाडी
	कन्हानगड		मंजेरी टीसी
	~~कान्जीसपल्ली~~		मन्नार (क्यू.एन.)
	कानकाचारन		मन्तानूर
	कासरगोडे		मावेलीकारा
	कावरती		मीनीकोए
	क्यामकुलम् डीटीओ		मुवथीयूपूजा
	कोंडागुल्कुर टीसी (क्रामगानूर)		नेदुमानगाड
			ओट्टापलम्

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	पलाई टीडीओ		तिरूवल्ला
	पालघाट (पालाक्काड)		त्रिपुन्नीथुरा टीसी
	पम्पाडी टीसी		त्रिवेंद्रम
	पडालम		त्रिवेंद्रम चलाई
	पाराबुर साउथ		त्रिवेंद्रम मेडीकल कालेज टीसी
	पारीपल्ली		त्रिवेंद्रम पापनाम कोडे
	पारूर (नार्थ) टीसी		त्रिवेंद्रम पेरूरकाडा
	पट्टानामथीट्टा		त्रिवेंद्रम पालमोडे
	पय्यानूर		त्रिवेंद्रम सस्थामांगलम
	पेरूमबावुर टीसी		त्रिवेंद्रम थीरूमाला
	पीराबोम		त्रिवेंद्रम कुल्लोर
	पुनालुर		त्रिवेंद्राम पट्टम टीओ
	पुथुर (क्यू.एन)		वडाकानचेरी टीसी
	क्वोलन्डी टीसी	मध्य प्रदेश	इटारसी डीटीओ
	क्वीलन		टीटी नगर भोपाल
	क्वीलन बाजार		भोपाल
	रानी		भोपाल गोविन्दपुरा
	सस्थामनगलम टीसी		भोपाल अरेरा कालोनी
	शोरटाली टीसी		भोपाल वैराधर डीटीओ
	तालीपरम्बा		भोपाल सिटी
	तेरभीचेरी		भोपाल महाराणाप्रताप नगर
	थोडुपुजाट्टा		भोपाल बल्लभ भवन
	तिरूचूर		बिलासपुर
	तिरूर		छिन्दवाडा डीटीओ

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	देवास		इंडस्ट्रीयल एरिया
	दुर्ग		बालीबेस सोलापुर टीसी
	ग्वालियर		भण्डारा
	होसंगाबाद		बम्बई- बागले इस्टेट टीसी
	इन्दौर		बम्बई- अन्धेरी
	जबलपुर सीटीओ		बम्बई- जीपीओ डीटीओ
	जबलपुर लार्डसगंज		बम्बई- गीरगऊम
	जगदलपुर		बम्बई- गोरेगांव
	खांडवा		बम्बई- जे.एन.पी.टी. नवशेवा
	मन्दसौर		बम्बई- खार
	नीमच		बम्बई- मातुंगा
	रायपुर		बम्बई- पनवेल
	रतलाम		बम्बई- सांताक्रूज
	रीवा		बुलदाना डीटीओ
	सागर (मध्य प्रदेश)		बाई हैरीसर रोड़ टीओ
	सतना		चन्द्रपुर
	सेवनी		डीटीओ पन्धारपुर
	उज्जैन		काम्पटे (नागपुर)
	विदिशा		कर्द
	भिलाई		कोल्हापुर सिटी टीओ
महाराष्ट्र	कल्याण टीओ		मिराज
	अकलुज टीओ		नागपुर सिटी
	अलीबाग		नागपुर फूले मार्केट
	औरंगाबाद छदना		नासिक रोड़

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	परभनी		जलना
	पुणे सिटी डीटीओ		कोल्हापुर
	पुणे कीरकें		लातूर
	तुलजापुर टीओ		नागपुर
	उल्लास नगर		नान्देड
	बमी (बम्बई)		नासिक
	अमरावती		ओस्मानाबाद
	नासिक रोड़		पूणे
	अहमदनगर		पूणे पिम्परी
	अकोला		पूणे चिन्चवाड
	औरंगाबाद		रत्नागिरि
	वारसी		सांगली
	भूसावल डांटीओ		सतारा
	बम्बई- मोटीओ		श्रीराम पुर
	बम्बई- चेम्बूर		सोलापुर
	बम्बई- कुम्बाला हिल		थाने
	बम्बई- दादर		वर्धागंज
	बम्बई- कल्वादेवी		यवतमाल
	बम्बई- मलाद	**मणिपुर**	इम्फाल
	बम्बई- शांताक्रूज	**मेघालय**	शिलांग
	बम्बई- चिनचन्दर	**मिजोरम**	आईजाल
	धुलें	**नागालैंड**	दिमापुर
	गोंडिया		कोहिमा
	जलगांव	**उड़ीसा**	बालंगीर

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	बालासोर		चण्डीगढ़ प्रैस क्लब सीटी
	बारीपाड़ा		होशियारपुर
	बेरहमपुर(गंजम)		जालंधर
	भवानीपटना		लुधियाना सीटीओ
	भुवनेश्वर		लुधियाना मिलारगंज
	छतरपुर		मोगा
	कटक		पठानकोट
	धेनकनाल		पटियाला
	जेईपुर (कोरापुट)	राजस्थान	अजमेर
	झारसुगाडा		अलवर
	क्योंझर		ब्यावर
	कोरापुट		भरतपुर
	कोरापुट टीसी		भीलवाड़ा सीटीओ
	फुलवनी		भीलवाड़ा टीसी
	पुरी		बीकानेर
	राऊरकेला		चुरू सीटीओ
	सम्बलपुर		डीटीओ बारमेर
	सुन्दरगढ़		डीटीओ जैसलमेर
पाण्डिचेरी यू.टी.	पाण्डिचेरी		जयपुर हाईकोट टीसी
पंजाब	अमृतसर सीटीओ		जयपुर आदर्शनगर
	अमृतसर स्वर्णमंदिर		जयपुर सीटीओ
	भटिंडा		जयपुर संगानेरी गेट टीसी
	चण्डीगढ़		जलोरे
	चण्डीगढ़ उच्च न्यायालय टीसी		झुनझुनु

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	जोधपुर		कोयम्बटूर आर.एस पुरम्
	जोधपुर पोटा		डीटीओ
	कोटा		कन्नूर
	कोटपुतली डीटीओ		कुड्डालुर
	नागोर (राजस्थान)		धर्मपुरी
	पाली मारवाड़		डिंडिगुल टीसी
	सवाई माधोपुर		डिन्डीगुल
	सीकर		इरोड
	सिरोही		म.प्र. दूरसंचार त्रिची
	श्रीगंगानगर		गोवीचेट्टीपल्लायम्
	सुमेरपुर		गोवीचेट्टीपल्लायम् टीओ
	उदयपुर		गुडियाट्टम टीओ
	उदयपुर टीसी		होसुर
	बंसवाड़ा		कांचीपुरम् डीटीओ
सिक्किम	गंगटोक		कन्याउनमाई डीटीओ
तमिलनाडु	आरोनटागी		कराईकुडी
	भवानी		करूर
	चंगलपुट 608601		कोविलपट्टी
	डीटीओ		कृष्णागिरि डीटीओ
	चिदाम्बरम टीसी		कुलिथालाइ टीओ
	कोयम्बटूर सीटीओ		कुम्बाकोनम
	कोयम्बटूर वाणिज्य मंडल		कुझीतुराई
	कोयम्बटूर गांधीपुरम्		एम.एस.- बडापलानी
	बस स्टेण्ड		मद्रास- ग्रीम्स रोड़

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	मद्रास- अडयार		मद्रास- अगाइम जेड टीओ
	मद्रास- अन्नानगर		मद्रास- अगराम जेड टीओ
	मद्रास- गिन्डी		मद्रास- पेराम्बूर डीटीओ
	मद्रास- रोयापेट्टाहा		मदुराई
	मद्रास- ताम्बरम		मदुराई- गांधी नगर
	मद्रास- वासरमेनपेट		मदुराई- महल
	मद्रास अन्नारोड़		मदुराई- पालनगनाथम
	मद्रास- अन्ना यूनिवर्सिटी टी सी		मदुराई- तिरूनगर टीसी
	मद्रास- सीटीओ		मदुराई- टाऊन
	मद्रास सेंट्रल स्टेण्ड जेड टीओ		मानापराइ टीओ
	मद्रास डीओटी, दूरसंचार केन्द्र		मन्नारगुडियम
	मद्रास- किलपॉक		मइलादुथुरई डीटीओ
	मद्रास- कोलाथुर		मेट्टापलायम
	मद्रास- माम्बलम		मुसीरी टीसी
	मद्रास- मायलापोर		नागपट्टिनम
	मद्रास- पाडी टीसी		नागरकोइल
	मद्रास- पल्लेबरम		नमक्कल
	मद्रास- पार्क टाऊन		नेवेली टीओ
	मद्रास- रोयापेट्टाह		पालानी
	मद्रास- सोवरपेट जेड टीओ		पलायनकोट्टई
	मद्रास- सेंट थोमस मांउट		परमकुड्डी
	मद्रास- वाडापलानी जेड टीओ		पोलाची
	मद्रास- अवादी डीटीओ		पुदुकाटई
	मद्रास- आई सी एफ कालोनी डीओटी		राजापलायम

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	रामनाथपुरम		तिरुचिरापल्ली श्रीरंगम
	रानीपेट टीओ		तिरुचिरापल्ली टेप्पाकुलम
	एसटीओ अन्नानगर प.		तिरूर्गोनगोड
	एसटीओ इगमोरा एफएस		तिरूनेलवेली
	एसटीओ मद्रास ई.पी.जेड		तिरूनेलवेली डीटीओ
	एसटीओ मद्रास ई.पी.जेड डीटीओ		तिरूपुर
	एसटीओ नगनालु डीटीओ		तिरूवन्नमलाई टीओ
	सलेम		तिरूवरूर टीओ
	साट्टूर डीओ		त्रिची के.आर. नगर
	सिपकोट रानीपेट टीसी		त्रिची आरडीनेंस फैक्ट्री
	सिरकाली टीसी		त्रिची सुब्रामणियनपुर जेड टीओ
	सिवगंगा		त्रिची भोपाल होबर कालेज टीओ
	सिवकाशी		त्रिची जमालमोमाद कालेज- 620020
	टी नगर साउथ टीसी		त्रिची पालापराई- 620001
	टी.डी.एम कार्यालय बेलूर टीसी		तुरियूर टीसी
	टीआर एच.ए.पी.पी.		तुतीकोरिन
	तेनकाशी		उदगमण्डालम (उटी)
	तेन्नुर टी सी		उदुमलपेट
	तंजावूर		बेलूर (नार्थ अरकोट)
	तंजावूर मेडीकल कालेज		बिल्लूपुरम
	थेनी		विरूधनगर
	तिरूचन्दूर		विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी
	तिरुचिरापल्ली ब्वालर परियोजना	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
	तिरुचिरापल्ली		इलाहाबाद

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	इलाहाबद नैनी		जौनपुर
	अल्मोड़ा		झांसी
	आयोध्या		कानुपर-इम्प.एक्स.डीटीओ.
	आजमढ़		कानपुर उद्योगनगर टेली कैंट
	बलिया		कानपुर आई आई टी
	बाराबंकी		ललितपुर
	बरूट		लखनऊ
	बस्ती		मैनपुरी
	भदोही		मऊ
	भरीच		मेरठ
	बिजनौर		मिर्जापुर
	बिजापुर		मोदीनगर
	देहरादून		मुरादाबाद
	देवरिया		मुज्जफरनगर
	इटावा		नैनीताल
	फैजाबाद		उराई
	फिरोजपुर		पिथौरागढ़
	फिरोजाबाद		प्रतापगढ़
	गाजियाबाद		रेनुकोट
	गाजीपुर		सीतापुर
	गोपेश्वर डीटीओ		सुल्तानपुर
	गोरखपुर		उन्नाव
	हमीरपुर (उ.प्र.)		उत्तरकाशी
	हाथरस		वाराणसी सीटीओ

राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र	राज्य का नाम	फैक्स केन्द्र
	वाराणसी शहर		कलकत्ता आईटीओ
	आगरा		कलकत्ता पार्क स्ट्रीट
	बांदा		कलकत्ता रासविहारी
	बरेली	एवेन्यू	
	बुलन्दशहर		कलकत्ता विडनस्ट्रीट डीटीओ
	फतेहपुर		कलकत्ता विदान नगर डीटीओ
	हरिद्वार		कलकत्ता श्यामबजार
	मथुरा		कलकत्ता अलीपुर स्ट्रीट डीटीओ
	पौढ़ी-गढ़वाल		कलकत्ता एमजी रोड़
	राय बरेली		दर्जिलिंग डीटीओ
	रामपुर		कूचविहार
	रूड़की		दुर्गापुर
	सहारनपुर		दुर्गापुर स्टील
पश्चिम बंगाल	आसनसोल		हावड़ा डीटीओ
	आसनसोल आर एसटीसी		हावड़ा रेलवे स्टेशन टीसी
	वलुरघाट टीओ		खड़कपुर
	वड़ासाट		कृष्णानगर डीटीओ
	वेरिकपुर डीटीओ		मालदा
	वरदवान		पुरूलीया
	कलकत्ता वडाबजार		सिलीगुड़ी
	कलकत्ता सीटीओ		राजीगंज

विवरण –II

सर्किल का नाम	स्थानों की सं. जहां चालू वर्ष के दौरान ब्यूरो फैक्स सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।	खर्च की जाने वाली राशि (लाख रु. में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	40	20
असम	8	4
दिल्ली	14	7
गुजरात	11	5.5
हिमाचल प्रदेश	6	3
हरियाणा	6	3
जम्मू व कश्मीर	2	1
केरल	25	12.5
मध्य प्रदेश	100	50
महाराष्ट्र	31	15.5
पंजाब	26	13
राजस्थान	37	18.5
तमिलनाडु	45	22.5
उत्तर प्रदेश	15	7.5
पश्चिम बंगाल	37	18.5

विकासशील देशों की समस्याएं

2075. श्री भोगेन्द्र झा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार गुट निरपेक्ष आन्दोलन के द्वारा विकासशील देशों की समस्याओं को हल करने और दक्षिण-दक्षिण तथा उत्तर-दक्षिण संबंधों में सुधार करने हेतु क्या प्रयास कर रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : भारत सरकार विकासशील देशों की

समस्याओं के समाधान के लिए तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग और उत्तर-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दालन में बातचीत में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती रही है। 1992 में जकार्ता में संपन्न गुट-निरपेक्ष आंदोलन के दसवें शिखर सम्मेलन में उत्तर-दक्षिण वार्ता से संबद्ध मसलों पर गहराई से विचार विमर्श हुआ था। गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने अपनी लम्बे अर्से से चली आ रही इस धारणा की पुनः पुष्टी की कि एक स्वतंत्र, खुली, नियम-आधारित तथा भेदभाव रहित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से ही न्यायोचित विकास और आर्थिक समृद्धि के संवर्धन के लिए एक कारगर तथा स्थायी आधार मिल सकता है। इस सम्मेलन में विकास-वित्त से संबद्ध मसलों के साथ-साथ ऋण और मौद्रिक मसलों पर भी विचार-विमर्श हुआ। इस शिखर सम्मेलन में यह मांग की गई कि एक व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाए ताकि विकासशील देशों की प्रगति तथा विकास को विशेषकर विकसित देशों की ओर से अधिकाधिक वचनबद्धता के जरिये विकास के लिए नए तथा अधिक वित्तीय प्रवाहों की गति को पुनः सक्रिय बनाया जा सके। गुटनिरपेक्ष देशों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र वैदेशिक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा पण्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण तथा विकास समान हित के ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर उत्तर-दक्षिण सहयोग के संदर्भ में युक्ति युक्त और लाभप्रद बातचीत की जा सकती है। इन निर्णयों में भारत का योगदान महत्वपूर्ण था। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने कहा कि उत्तर-दक्षिण-गैर टकरावबादी तो होनी ही चाहिए साथ ही निर्णायक भी।

दसवें शिखर सम्मेलन में इस बात को भी दोहराया कि दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों के विकास को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण मामध्य तो है ही अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण और न्यायोचित आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की पुनः संरचना की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। गुट निरपेक्ष देश विशेष रूप से वैदेशिक ऋण, आर्थिक विकास और जनसंख्या की समस्याओं का सामना करने के लिए दक्षिण में उपलब्ध तुलनात्मक लाभों से लाभान्वित होते हुए दक्षिण-दक्षिण सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए बचनबद्ध हैं। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय व्यापार के क्षेत्रों में चल रहे विभिन्न उपायों को और अधिक सुदृढ़ भी बनाना चाहते हैं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन तथा 77 के दल के कार्यक्रमों में एकरूपता लाने के लिए भी उपाय किए गए हैं ताकि दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाया जा सके। उत्तर-दक्षिण तथा दक्षिण-दक्षिण संबंधों के बारे में लिए गए इन निर्णयों की 10-13 मई, 1993 के दौरान बाली, इंडोनेशिया में सम्पन्न गुट निरपेक्ष स्थायी मंत्री स्तरीय समिति की बैठक में तथा 31 मई से 3 जून, 1993 तक काहिरा में सम्पन्नय गुट निरपेक्ष देशों के ग्यारहवें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भी पुनः पुष्टि की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महिलाएं

2076. श्री अन्ना जोशी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने में महिला उद्यमियों को कोई विशेष सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) मंत्रालय खाद्य उत्पादों के उत्पादन और विपणन की तकनीक के बारे में संभावित उद्यमियों, इनमें महिलाएं शामिल हैं, को प्रशिक्षण देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के वास्ते राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं, स्वायत्त निकायों, स्वैच्छिक संगठनों आदि को सहायता देने के लिए एक स्कीम चला रहा है। यह केन्द्र महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षणार्थियों के रूप में शामिल होने के लिए विशेष प्रयास करेंगे और उनमें लघु वाणिज्यिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए विश्वास पैदा करेंगे। सरकार की एक और स्कीम है जिसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा चलाई जा रही महिला उद्योग निधि के तहत महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

2077. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र वार कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) कुल पैदा की गई गैस में से कितनी प्रतिशत गैस जलाई गई तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस तरह की गैस का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नानुसार था :

	तेल (मि.मि.टन)	गैस(एमएमएम ^{3})
1991-92	30.35	18597
1992-93	26.95	18060
1993-94	27.02	18333

(ख) 1993-94 के दौरान औसत वहन उनके उत्पादन का करीब 10 प्रतिशत था। गैस दहन के कारणों में तकनीकी जरूरत/प्रचालन संबंधी सुरक्षा, पर्याप्त संपीड़न और परिवहन सुविधाओं की कमी, उपभोक्ताओं की कमी तथा विद्यमान ग्राहकों द्वारा कम उठान आदि शामिल हैं।

(ग) गैस दहन को कम करने के लिए किए गए उपायों में अतिरिक्त गैस संभाल संपीड़न और परिवहन सुविधाओं की स्थापना, गैस की अतिरिक्त मांग/बाजार का सृजन, व्यवहार्य स्तर तक उत्पादित अधिशेष गैस का जमीन के अंदर भंडारण के माध्यम से गैस का संरक्षण शामिल है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि से धनराशि का आवंटन

2078. श्री जगदीश सिंह बरार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केन्द्रीय सड़क निधि से पंजाब को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी धनराशि वास्तव में जारी की गई?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से पंजाब को आवंटित की गई वर्षवार धनराशि इस प्रकार है :

वर्ष	धनराशि (लाख रु.)
1991-92	-
1992-93	-
1993-94	60.00

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक 549.27 लाख रु. की तीन स्कीमें अनुमोदित की गई हैं। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियों का आवंटन राज्यवार किया जाता है न कि स्कीमवार।

गुजरात में रसोई गैस एजेंसियां

2079. डा0 अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितनी रसोई गैस एजेंसियां बंद कर दी गई हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं?

(ग) इनमें से कितनी एजेंसियों को पुनः चालू करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) इन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध जांच अभी तक पूरी नहीं हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) गुजरात में पिछले तीन वर्षों के दौरान विपणन अनुशासन मार्ग निर्देशों के उल्लंघन करने या जिला प्राधिकरणों द्वारा खुदरा बिक्री लाइसेंसों के रद्द कर दिए जाने के कारण एल पी जी को डिस्ट्रीब्यूटर शिप बहाल कर दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस एजेंसी

2080. **प्रो0 प्रेम धूमल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने से संबंधित प्रस्ताव/आग्रह प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान हिमाचल प्रदेश को कितनी रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1994-95 की एल पी जी विपणन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

स्विचिंग प्रणाली की दरें

2081. **श्री सुदर्शन रायचौधरी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तकनीशियनों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि सी-डाटा द्वारा विकसित स्विचिंग प्रणाली की तुलना में सीमेंस आदि जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित स्विचिंग प्रणाली की तुलना में सीमेंस आदि जैसी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित स्विचिंग प्रणाली की असफलता की दरें बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

2082. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान दिल्ली में नान-ओ.वाई.टी. श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किए हैं;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक टेलीफोन कनेकशन उपलब्ध करा दिए गए हैं; और

(ग) शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली में गैर-ओ वाई टी सामान्य श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 1993 के दौरान (जनवरी, 93 से दिसम्बर, 93 तक) टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 38100 है।

(ख) इसमें से जिन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं उनकी कुल संख्या 1960 है।

(ग) शेष व्यक्तियों को 1995 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है, बशर्ते कि समय पर उपस्कर सामग्री और वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना

2083. **डा. साक्षी जी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में एक नए तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब तक हो जायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश भेजे गए शिष्टमंडल

2084. डा0 साक्षी जी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष कितने शिष्टमंडल विदेश भेजे गए;

(ख) इन शिष्टमंडलों ने किन किन देशों की यात्रा की;

(ग) इनमें से प्रत्येक शिष्टमंडल की यात्रा पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) इन यात्राओं की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का गलत चित्रण

2085. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी प्रकाशनों द्वारा भारत की अंतराष्ट्रीय सीमाओं का गलत चित्रण करने संबंधी कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(ख) सरकार ने ऐसे कितने मामलों के संबंध में कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बिहार के रोसेरा उपमण्डल में पेट्रोल पम्प/रसोई गैस एजेंसी

2086. श्री राम विलास पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिला समस्तीपुर के रोसेरा उप-मण्डलीय मुख्यालय में न तो कोई पेट्रोल पम्प है और न ही गैस एजेंसी है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस क्षेत्र में एक पेट्रोल, डीजल पम्प और एक गैस एजेंसी स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) फिलहाल रोसेरा में केवल एक पैकेड प्वाइंट एच.एच.डी डीलर ही है तथा कोई एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर प्रचालनरत नहीं है।

(ख) वर्तमान पैकेड प्वांइट डीलर द्वारा लिए गए रोक आदेश के कारण उद्योग किसी नियमित खुदरा बिक्री डीलर की नियुक्ति करने की स्थिति में नहीं है।

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप 20,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में चरणबद्ध तरीके से खोली जाती हैं बशर्ते कि उत्पाद उपलब्ध हो और स्थान ऐसा हो जहां व्यवहार्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाये रखने के लिए पर्याप्त संभावना हो। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो रोसेरा स्थान को अगली विपणन योजना में शामिल कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

गुजरात में भूमिगत पारपथ

2087. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **जल-भूतल परिवयहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किन किन स्थानों पर भूमिगत पारपथों का निर्माण कराने का विचार है, और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं

2088. डा0 परशुराम गंगवार : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न मुख्य बंदरगाहों पर बंदरगाह-वार कितने कन्टेनर हैं;

(ख) क्या कुछ और बंदरगाहों पर कन्टेनर हैंडलिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 1993-94 में महापत्तनों पर कुल 10.52 लाख टी ई यू कन्टेनर हैंडल किए गए। पत्तन-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1993-94 में महापत्तनों पर हैंडल किए गए कन्टेनरों के ब्यौरे

क्रम सं.	पत्तन का नाम	हैंडल किए गए कन्टैनर (लाख टी ई यू)
1	2	3
1.	कलकत्ता	0.96
2.	हल्दिया	0.06
3.	पारादीप	-
4.	विशाखापत्तनम	0.09
5.	मद्रास	1.62
6.	तुतीकोरिन	0.48
7.	कोचीन	0.71
8.	न्यू मंगलौर	0.02
9.	मुरगांव	0.02
10.	जवाहर लाल नेहरू	1.77
11.	बम्बई	4.28
12.	कांडला	0.51
	जोड़ :	10.52

मध्य प्रदेश में पेट्रोल पम्प

2089. श्री मनकूराम सोडी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में कुल कितने पेट्रोल पम्प खोले गए हैं,

(ख) जिले में कितने पेट्रोल पम्प अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पंजीकृत हैं, और

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों को अपेक्षित संख्या में पेट्रोल पम्प न दिए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पेट्रोल/डीजल के 16 खुदरा बिक्री केन्द्र हैं जिन में से 3 डीलर शिपें अनुसूचित जाति श्रेणी की और 13 डीलरशिपें "खुली" श्रेणी की हैं।

"खुली श्रेणी की डीलरशिपें अनु.जाति/अनुसूचि. जनजाति के लिए उद्योग आधार पर आरक्षण शुरू होने से पूर्व चालू हो गई थी। सभी नये चयनों के संबंध में वांछित आरक्षण दिये जा रहे हैं।

हल्दिया बंदरगाह से गाद निकालना

2090. डा0 असीम बाला : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बंदरगाह से गाद निकाले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) इस मंत्रालय को हल्दिया पत्तन की गाद बाहर निकालने से संबंधित कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पेट्रोलियम उत्पादनों और प्राकृतिक गैस का आयात

2091. श्री हरिन पाठक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का आयात करने की अनुमति किन किन शर्तों के अंतर्गत दी गई है;

(ख) क्या सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का आयात करने वाली कम्पनियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सभी नियंत्रणहीन पेट्रालियम उत्पादों का लागू आयात निर्यात नीति के तहत आयात किया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में डाकघर

2092. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार गुजरात में जिलावार कितने गांवों में डाकघर नहीं हैं;

(ख) राज्य में जिलावार आज की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में राज्य में नए डाकघरों को खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो श्रेणीवार ये डाकघर कहां-कहां खोले जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में उन गावों की जिलावार संख्या, जिनमें डाकघर नहीं हैं, विवरण -I में दी गई है।

(ख) आज की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान 4 प्रतिशत अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर व 10 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

गुजरात के उन गांवों की जिलावार संख्या जहां डाकघर नहीं हैं

क्रम सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहां डाकघर नहीं हैं
1	2	3
1.	अहमदाबाद	244
2.	गांधीनगर	16
3.	मेहसाणा	855

4.	बनासकांठा	941
5.	साबरकंठा	603
6.	भड़ौच	654
7.	डांग	255
8.	खेड़ा	392
9.	पंचमहल	1389
10.	सूरत	738
11.	वडोदरा	1069
12.	वलसाड	295
13.	अमरेली	309
14.	भावनगर	468
15.	जामनगर	365
16.	जूनागढ़	573
17.	कच्छ-भुज़	415
18.	राजकोट	463
19.	सुन्दर नगर	339
	कुल :	10383

विवरण-II

आज तक की स्थिति के अनुसार गुजरात में डाकघरों की श्रेणीवार व जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	मुख्य डाकघर	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	4	159	3	399	565
2.	गांधी नगर	1	31	1	47	80
3.	मेहसाणा	5	89	9	499	602

4.	बनासकांठा	2	36	1	410	449
5.	साबरकांठा	2	52	1	509	564
6.	भड़ौच	1	65	4	428	498
7.	डांग	–	5	–	51	56
8.	खेड़ा	4	132	8	478	622
9.	पंचमहल	2	44	4	484	534
10.	सूरत	2	115	1	517	635
11.	वडोदरा	3	97	7	566	673
12.	वलसाड	3	80	1	473	557
13.	अमरेली	1	38	3	283	325
14.	भावनगर	2	65	–	403	470
15.	जामनगर	2	64	–	324	390
16.	जूनागढ़	3	87	1	442	533
17.	कच्छ-भुज	2	65	2	435	504
18.	राजकोट	2	87	1	415	505
19.	सुन्दरनगर	1	41	–	293	335
	कुल :	42	1352	47	7456	8897

[अनुवाद]

कावेरी बेसिन तेल शोधक कारखान

2093. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी बेसिन तेल शोधक कारखाने के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मद्रास तेल शोधक कारखाने ने पत्तन से कच्चे तेल को सुविधापूर्वक लाने के लिए नागपत्तनम पत्तन का विकास करने का कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कावेरी बेसिन में 0.5 मि.मि. ट. प्रति वर्ष की क्षमता वाली क्रूड आसवन इकाई में नवम्बर, 1993 में अपना प्रचालन आरंभ किया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा

2094. श्री राजवीर सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान प्रधान मंत्री ने किन किन देशों की यात्रा की: और

(ख) इनमें से प्रत्येक यात्रा के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) प्रधान मंत्री ने 1993 और 1994 के दौरान निम्नलिखित देशों की यात्रा की :

1993

(i) 7-11 अप्रैल - थाईलैंड और बंगलादेश

(ii) 23-26 मई - उजबेकिस्तान और कजाकस्तान

(iii) 14-16 जून - ओमान

(iv) 21-22 अगस्त - भूटान

(v) 6-11 सितम्बर - चीन और कोरिया गणराज्य

(vi) 20-22 सितम्बर - ईरान

1994

(i) 31 जनवरी - 6 फरवरी - स्विटजरलैंड और जर्मनी

(ii) 13-17 मार्च - यूनाइटिड किंगडम

(iii) 14-21 मई - संयुक्त राज्य अमरीका

(iv) 29 जून-2 जुलाई - रूसी परिसंघ

(ख) यात्रावार सूचना इस प्रकार है :

थाईलैंड : यह यात्रा द्विपक्षीय संदर्भ में की गई थी जिसके परिणामस्वरूप एक दूसरे के विचारों और हित-चिन्ताओं को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सका।

बंगलादेश : बंगलादेश की यात्रा सातवें सार्क शिखर-सम्मेलन में भाग लेने के लिए की गई थी। अपनी बातचीत के दौरान हमारे प्रधानमंत्री और बंगलादेश के प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें नदी जल बंटवारा, भारत और बंगलादेश के बीच भू और समुद्री सीमा का अंकन, पारगमन सुविधाएं, आर्थिक सहयोग तथा सार्क संबंधी मामले भी शामिल थे।

उजबेकिस्तान और कजाकस्तान

प्रधान मंत्री ने उजबेकिस्तान के नेताओं के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौम मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श किया। कजाक नेताओं के साथ भी प्रधान मंत्री ने आपसी हित के मामलों पर विस्तार से बातचीत की। इस यात्रा के दौरान उजबेकिस्तान के साथ पांच समझौतों पर और कजाकस्तान के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री की इन दोनों देशों की यात्रा से दोनों पक्षों की प्राथमिकताओं और हित-चिन्ताओं को ज्यादा अच्छी तरह समझा जा सका। यह बात इस संदर्भ में विशेष रूप से कही जा सकती है कि कजाकस्तान और उजबेकिस्तान दोनों में हमारे धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक ढांचे की अन्यतम विशेषताओं को तथा आन्तरिक आर्थिक सुधारों के संदर्भ में हमारी प्राथमिकताओं को विशेष रूप से सराहा गया है। इस बातचीत से कश्मीर के प्रश्न के महत्व को सरकार जिस चिन्ता की नजर से देखती है उसे सम्वेदनशीलता प्रदान करने का भी अवसर मिला जिस पर हमें इन दोनों देशों का समर्थन और सद्भाव प्राप्त हुआ। बदले में हमने इन दोनों देशों के नेताओं की धर्मनिरपेक्ष और संतुलित नीतियों के समर्थन को महत्व दिया है।

ओमान : इस यात्रा से मित्रता के हमारे परम्परागत संबंध सुदृढ़ हुए तथा इसे ओमान की सल्तन के साथ हमारे विशेष संबंध विकसित करने के प्रयासों को गति देने वाली यात्रा कहा जा सकता है। दोनों पक्षों ने आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के करारों पर भी हस्ताक्षर किए।

भूटान : इस यात्रा से दोनों देशों के बीच परम्परागत और मैत्री पूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने में सहयोग मिला है।

चीन : प्रधान मंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान का एक अंग था। तथा इससे चीन के साथ हमारे संबंधों को प्रगाढ़ एवं व्यापक बनाने में सहयोग मिला है। इस यात्रा के दौरान चार करारों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

कोरिया गणराज्य : प्रधान मंत्री की कोरिया गणराज्य की यात्रा और वहां के नेताओं के साथ उनकी बातचीत भारत-कोरिया गणराज्य के संबंधों का एक अच्छा राजनीतिक आधार बनी और इससे नियमित राजनीतिक विचार-विमर्श से होने वाले लाभ को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। इस यात्रा के

दौरान तीन करारों पर हस्ताक्षर हुए।

ईरान : प्रधान मंत्री और ईरान के नेताओं ने भारत-ईरान संबंधों की गहराई से समीक्षा की तथा द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र तय किए। इस यात्रा से भारत-ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के अलावा आपसी हित-चिन्ता के द्विपक्षीय क्षेत्रीय मसलों पर बेहतर समझ बूझ विकसित करने में भी योगदान मिला। इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए।

स्विटजरलैंड : प्रधानमंत्री ने स्विटजरलैंड की यात्रा दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भाग लेने के लिए की थी। प्रधान मंत्री ने भारत से सम्बद्ध सत्र तथा वार्षिक बैठक के पूर्ण अधिवेशन को भी संबोधित किया। इस अवसर का लाभ उठाकर प्रधानमंत्री ने दावोस में उपस्थित लोगों को भारत के आर्थिक सुधारों और कार्यक्रमों के बारे में तथा आर्थिक मोर्चे पर भारत की उपलब्धियों और अपनी भावी योजनाओं के बारे में भी बताया।

जर्मनी : जर्मन नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत से एक-दूसरे के दृष्टिकोणों और विचारों को परस्पर अच्छी तरह समझा जा सका। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

यूनाइटिड किंगडम :

यूनिाईटिड किंगडम के नेताओं के साथ प्रधान मंत्री की बातचीत में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध, बोस्निया की स्थिति, भारत-पाक संबंध तथा जम्मू कश्मीर की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ। दोनों पक्षों के द्विपक्षीय व्यापार और पूंजी निवेश पर सन्तोष व्यक्त किया। यूनाईटिड किंगडम की सरकार ने अपने इस समर्थन की पुनः पुष्टि की कि कश्मीर का मसला शिमला समझौते अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत के जरिये सुलझाया जाना चाहिए। इस यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय पूंजी-निवेश परिरक्षा करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

संयुक्त राज्य अमरीका:

समान-हित चिन्ता के विविध विषयों पर बातचीत हुई जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा द्विपक्षीय संबंध तथा पारस्परिक हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसले भी शामिल थे। दोनों पक्षों ने इस बात का सुनिश्चय करने पर सहमति व्यक्त की कि उनके मौजूदा मतभेदों का दुष्प्रभाव बेहतर सहयोग की क्षमता पर न पड़े। यह फैसला किया गया कि उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान की गति और क्षेत्र का विस्तार किया जाए जिससे संयुक्त राष्ट्र में सहयोग बढ़ाने के तरीके खोजे जा सके तथा सार्वभौम चुनौतियों के समाधान में परस्पर परामर्श किया जा सके। इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

रूसी परिसंघ : प्रधान मंत्री की मास्को यात्रा इस बात की पुनः पुष्ट थी कि दोनों देश अपने संबंधों

को कितना महत्व देते हैं। इस अवसर पर कई करारों पर हस्ताक्षर किए गए। ये करार तथा प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान लिए गए निर्णय द्विपक्षीय सम्बन्धों को और प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ करने का आधार बनेंगे।

पेट्रोल के मूल्य में कमी

2095. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के मूल्यों में निरन्तर गिरावट आने के बावजूद जनवरी/फरवरी, 1994 में पेट्रोल और रसोई गैस के मूल्य बढ़ाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टल सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) : एल पी जी (घरेलू गैस) की कीमत में 12.1.94 से और एम एस (पेट्रोल) की कीमत में 2.2.94 को वृद्धि की गई। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में परिवर्तन केवल क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत पर ही निर्भर नहीं होता है, बल्कि अन्य घटकों यथा देशी उत्पादन की प्रवृत्ति इसकी लागतें, आयात की मात्रा/विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार-चढ़ाव आदि पर भी निर्भर होता है।

[अनुवाद]

केरल के लिए धनराशि

2096. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

श्री वी. एस. विजयराघवनः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल दूर संचार विभाग से 1994-95 के दौरान विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सर्किल को 1994-95 के बजट में सर्किल की विकास संबंधी गतिविधियों

के लिए 227.84 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। उपस्कर, आपूर्ति, वास्तविक लक्ष्यों विभिन्न मदों की लागत और अन्य महत्वपूर्ण मापदण्डों की संभाव्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह राशि पर्याप्त समझी गई है।

विदेशी कम्पनियों को तेल क्षेत्र सौंपना

2097. श्री हाराधन राय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के वैज्ञानिकों तथा तकनीकी अधिकारियों की अधिक तेल वाले तेल क्षेत्र विदेशी कम्पनियों को सौंपने हेतु सरकार के निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टल सतीश कुमार शर्मा) : तेल और गैस के क्षेत्रों के विकास के प्रयोजन हेतु निजी पार्टियों की सहभागिता के बारे में कतिपय क्षेत्रों में संदेह व्यक्त किया गया है। इस प्रयोजन के लिए निजी सहभागिता आमंत्रित करने की सरकारी नीति के लिए मूलाधार संबंधित वर्गों को स्पष्ट कर दिया गया है।

उद्यमियों को वित्तीय सहायता

2098. श्री अनंतराव देशमुख : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या सरकार को इस क्षेत्र में उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं और निजी क्षेत्र द्वारा किए गए कुल निवेश के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। बहरहाल, उपलब्ध सूचना के अनुसार उदारीकरण से लेकर 31 मार्च 1994 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 2574 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें लगभग 32,845 करोड़ रु. का पूंजीनिवेश किया जाएगा। इसके अलावा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट-स्कीमों के अन्तर्गत यूनिट स्थापित करने, संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग के लिए भी मंजूरी दी गई है। इनमें लगभग 64 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश किया जाएगा।

(ख) और (ग) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें चलाया जा रहा है। इन स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना या विस्तार,

किसानों के साथ बेकवर्ड लिंकेज के विकास, विपणन सहायता, सुअर मांस, पाल्ट्री तथा अन्य मांस प्रसंस्करण सुविधाओं, ट्रूना और अन्य मछलियों के प्रसंस्करण की सुविधाओं, गहन समुद्री मत्स्यन और प्रसंस्करण, कोल्ड चेन की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान और विकास और कतिपय सेक्टरों में जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार के संगठनों, सहकारिताओं, स्वैच्छिक एजेंसियों, संयुक्त क्षेत्रों/निजी क्षेत्रों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है।

के जी बेसिन में रावा तेल क्षेत्र से कच्चे तेल की प्राप्ति

2099. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) के जी बेसिन में रावा तेल क्षेत्र तथा अन्य तेल क्षेत्रों से कितनी मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ख) के जी बेसिन से 31 मार्च, 1994 तक कच्चे तेल का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ग) इस बेसिन से अधिकतम मात्रा में कच्चा तेल नहीं निकालने के क्या कारण हैं; और

(घ) कच्चे तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा के खर्च को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए इस तेल क्षेत्र से अधिकतम मात्रा में कच्चा तेल निकालने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति में के जी बेसिन के अंतर्गत राव्वा क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में क्रूड आयल के शेष रिकवरी योग्य भण्डार 17.92 मिलियन टन के लगभग थे।

(ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. ने मार्च, 1994 तक के जी तटवर्ती क्षेत्र तथा के जी अपतट से लगभग 0.256 मिलियन टन क्रूड आयल उत्पादित किया है।

(ग) वार्षिक क्रूड आयल उत्पादन लक्ष्य विविधि क्षेत्रों की अधिकतम उत्पादन संभाव्यता पर आधारित है।

(घ) क्रूड आयल के अधिकतम दोहन के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. कूप सर्विसिंग/मरम्मत/वर्क ओवर/कूप उद्दीपन/कृत्रिम लिफ्ट की मरम्मत जैसी अपेक्षित कार्यवाहियां कर रहा है। सरकार ने तटवर्तीय तथा अपतटीय दोनों क्षेत्रों में के जी बेसिन के अंतर्गत कुछ एक लघु एवं माध्यम आकारीय तेल क्षेत्रों के विकास कार्य को संयुक्त उद्यम कम्पनियों/निजी पार्टियों के माध्यम से भी प्रस्तावित किया है।

एस. टी. डी. टेलिफोन को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज के साथ जोड़ना

2100. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात दूरसंचार विभाग का सभी एस.टी.डी. टेलीफोनों को एक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य दूरसंचार सर्किलों ने भी इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात दूरसंचार सर्किल के सभी एस टी डी युक्त टेलीफोनों को मार्च, 1997 तक, उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रिक एक्सचेजों से जोड़ने का प्रस्ताव है।

जिन स्थानों पर अभी इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं, ऐसे 26 स्थानों पर टेलीफोन प्रणलियां के विस्तार हेतु 1994-95 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाने की योजना बनाई गई है। जिससे इन इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्सचेंजों के एस टी डी उपभोक्ताओं को सेवा प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी नहीं । तथापि, अन्य दूर संचार सर्किल भी 1997 तक सभी एस टी डी युक्त टेलीफोनों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से जोड़ने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं।

सरकारी निर्णय के अनुसार सभी सर्किलों में एस टी डी सुविधायुक्त टेलीफोन लाइनों का संपर्कता अनिवार्य बना दी गई है। तथापि, इसका कार्यान्वयन निधियों की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से किया जाना है।

[हिन्दी]

हजारीबाग एक्सचेंज में अग्निकांड

2101. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग इलेक्ट्रिानिक टेलीफोन एक्सचेंज में हाल ही में कोई अग्निकांड हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। 3 फरवरी, 1994 को।

(ख) विभिन्न प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर कार्ड जल गए।

(ग) लगभग 90 लाख रु. (मात्र नब्बे लाख रु.) की क्षति का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ.) आग का कारण बिजली सर्किट का जल जाना बताया गया है।

(च) महत्वपूर्ण टेलीफोनों को 3.2.94 को तथा शेष टेलीफोनों को 128 पोर्ट सी-डॉट की 4 यूनिट तथा एक डीएटीई-36 स्विच संस्थापित करके तथा प्रतिस्थापित 1500 लाइनों के एम ए एक्स- II स्ट्रोजर एक्सचेंज को पुनः क्रियाशील करके,7.2.94 तक पुनः चालू कर दिया गया था।

उपस्कर उपलब्ध होने पर मार्च, 95 तक 2000 लाइनों का एक सी-डॉट एक्सचेंज संस्थापित करने के प्रबंध किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल

2102. श्री तेजसिंहराव भोसले : क्या जल-भूतल परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया तथा 1994-95 के दौरान कितने पुलों का निर्माण करने का विचार है और ये किन-किन स्थानों पर निर्मित किए जाएंगे; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने पुलों की मरम्मत की गई और इन पर व्यय की गई धन राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1993-94 में ग्यारह पुलों का निर्माण किया गया था। वर्ष 1994-95 के दौरान 28 (अट्ठाईस) पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्थान	पुलों की संख्या
रा. रा. - 3	2
रा. रा. - 4	4
रा. रा. 4-ख	11
रा. रा. 6	7
रा. रा. 7	2
रा. रा. 9	1
रा. रा. 50	1

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान सोलह-सोलह पुलों की मरम्मत की गई तथा उन पर क्रमशः 58.12 लाख रु. और 40.08 लाख रु.. व्यय किए गए।

[अनुवाद]

गुजरात में रसोई गैस के कनेक्शन

2103. श्री चन्द्रेश पटेल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1994-95 के दौरान गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों को प्रतीक्षा सूची में दर्ज कितने व्यक्तियों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे;

(ख) 31 जुलाई, 1994 तक गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों में कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं; और

(ग) इनको स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) नये गैस कनेक्शन राज्यवार या जिलेवार आधार पर आबंटित नहीं किए जाते हैं। एल पी जी की उपलब्धता, कुल नये ग्राहकों के पंजीयन, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यटरों के पास उपलब्ध स्लैक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर गुजरात सहित संपूर्ण देश में नेय एल पी जी कनेक्शन चरणों में जारी किए जाते हैं। तथापि यथाशीघ्र अधिकतम आवेदकों को एल पी जी कनेक्शन देने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। 31.7.94 की स्थिति के अनुसार जिले वार प्रतीक्षा सूची को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

जिला	31.7.1994 के अनुसार प्रतीक्षा सूची
1	2
अहमदाबाद	177212
अमरेली	17997
बरोडा	47022
बनासकांठा	13223
भडौच	26689
भावनगर	54614
गांधीनगर	44486
जामनगर	30932
जूनागढ़	31650
खेडा	24128
कच्छ	23260
मेहसाणा	52391
पंचमहल	13940
राजकोट	85900
सूरत	138842
बलसाड	37720
साबरकांठा	9592
सुरेन्द्र नगर	12275

पी. एम. जी. सम्मेलन

2104. श्री संदीपन भगवान थोरात : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृ. करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में दो दिनों का पी. एम. जी. सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:

(1) सेवाओं का आधुनिकीकरण जिसमें नए उत्पाद व सेवाएं तथा पंचायत डाकघर योजना शामिल हैं।

(2) मेल सर्विसेज में उत्कृष्टता।

(3) शिक्षित रोजगार युवाओं के लिए डाक सेवाओं में भागीदारी के अवसर।

(4) महिला समृद्धि योजना।

(5) विभाग की पुनर्संरचना व पुनर्गठन।

लिए गए निर्णय:

(1) उपभोक्ता संतुष्टि को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए कांउटर सेवाओं को अधिक कार्यकुशल बनाने पर बल।

(2) डाक में तेजी लाने के लिए उसका विकेन्द्रीकरण।

(3) गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा डाक-टिकटों/ डाक लेखन सामग्री की बिक्री तथा पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग के लिए नए साधन।

(4) महिला समृद्धि योजना में डाकघरों की महत्वपूर्ण भागीदारी।

(5) समाज-सेवा के प्रयोजन से विभाग को एक कार्यकुशल घटक बनाने के लिए इसका पुनर्गठन।

(ग) सरकार द्वारा निर्णय यथा समय लिए जाएंगे।

असम में रसोई गैस की एजेंसियां

2105. श्री प्रबीन डेका : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 तक असम में किन किन स्थानों पर रसोई गैस की एजेंसियां खोली गई हैं; और

(ख) इन स्थानों पर वितरकों के चयन हेतु पूरी की गई प्रचार, साक्षात्कार और अन्य औपचारिकताओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख): असम के लिए 1992-94 की चालू एल पी जी विपणन योजना में निम्नलिखित शामिल किए गए हैं :

अमगुडी	
बोंगाईगांव	(2)
डिब्रूगढ	
गुवाहाटी	(2)
जखालाबांदा	
जोरहाट	
कानपुर	
लखीमपुर	
नार्थ लखनपुर	
पथशाला	
शिवसागर	
सिलचर	
सिटाबर	(2)

एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन विज्ञापन और साक्षात्कारों आदि के लिए विनिर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तेल चयन बोर्ड (उत्तर पूर्व) के माध्यम से किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में शाखा डाकघर

2106. श्री खेलनराम जांगडे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने शाखा डाकघर खोलने की मंजूरी दी गई और वास्तव में कितने खोले गए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मध्य प्रदेश में वर्ष 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए तथा खोले गए शाखा डाकघरों की संख्या 30 है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

2107. मेजर डी.डी. खनोरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालच प्रदेश के कांगड़ा जिले में इस समय कौन-कौन से टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे

हैं और प्रत्येक एक्सचेंज की कितनी क्षमता है; और

(ख) कांगड़ा जिले में एक्सचेंज वार कितने टेलीफोन मंजूर किए गए है, कितने वस्तुतः लगाए गए और इस समय प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम (कांगड़ा जिला)	क्षमता	30.6.94 की स्थिति के अनुसार काम कर रहे कनेक्शन	संचार राज्य मंत्री/सांसदों द्वारा मंजूर किए गए टेलीफोन और 30.6.94 की स्थिति के अनुसार वास्तव में संस्थापित किए गए टेलीफोन		30.6.94 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची
				मंजूर	संस्थापित	
1	2	3	4	5	6	7
1.	बरोह	56	42	-	-	5
2.	चारी	160	119	-	-	7
3.	आलमपुर	88	76	-	-	13
4.	बैजनाथ	512	472	40	9	174
5.	भावराना	384	267	3	-	40
6.	बोहना	56	19	2	-	9
7.	बादूखर	88	18	-	-	8
8.	चदीआर	88	46	2	2	46
9.	दरोह	88	74	4	-	61
10.	दौलतपुर	88	46	-	-	12
11.	धामबटा	88	41	-	-	2
12.	धर्मशाला	1720	1567	173	50	469
13.	फतेहपुर	88	61	-	-	7
14.	गोपालपुर	88	79	2	-	28
15.	गग्गल	190	178	7	-	68

1	2	3	4	5	6	7
16.	गनगथ	88	81	-	-	21
17.	हरचाकअन	25	9	-	-	5
18.	हरसर	88	44	-	-	22
19.	इंदोरा	96	96	1	-	41
20.	जयसिंहपुर	88	86	1	-	58
21.	जलोट	45	21	-	-	2
22.	जवाली	160	149	-	-	53
23.	खेड़ा	88	68	1	-	31
24.	खनिआरा	56	42	1	-	3
25.	खंडवाल	88	56	1	1	14
26.	खजिअन	88	59	-	-	9
27.	खटोला	88	75	-	-	12
28.	कांगड़ा	1000	822	164	102	147
29.	लंज	88	37	-	-	8
30.	मसरेड़	88	53	-	-	1
31.	नगरोता बीजीडब्ल्यू	472	450	16	7	172
32.	नूरपुर	480	461	10	8	105
33.	पालमपुर	2088	1700	72	40	325
34.	पहड़ा	88	69	-	-	11
35.	परोर	160	104	3	-	61
36.	पंचरुखी	184	160	5	-	58
37.	पंजेरा	88	33	-	-	11
38.	रानीताल	45	44	-	-	11
39.	रेहन	384	100	6	5	165

1	2	3	4	5	6	7
40.	शाहपुर	384	319	1	–	45
41.	सुलैला	88	76	–	–	25
42.	सुनही	88	19	–	–	4
43.	थूरल	88	76	4	–	49
44.	योल	384	274	10	5	25
45.	डेहरा	384	364	4	3	15
46.	डाडासीबा	88	32	2	1	12
47.	धालिआरा	88	80	5	4	24
48.	ज्वालामुखी	384	185	9	7	149
49.	कोहला	88	32	–	–	2
50.	खुनदिअन	88	15	–	–	14
51.	नागरोता सुरिअन	88	71	3	2	44
52.	परागपुर	88	77	25	2	82
53.	परिसलुही	88	58	–	–	10
54.	रक्कर	88	67	4	–	6
55.	घलोर	88	85	3	2	11
56.	हरीपुर	96	88	17	15	12
57.	जोरबाग	88	35	2	–	10
58.	पैसा	88	15	–	–	32
59.	बादलथोर	88	34	–	–	31
60.	माझिन	88	12	–	–	5
61.	लागरु	88	11	–	–	21
62.	संसार पुर टीआरसी	88	54	1	–	2
63.	बंकहन्डी	88	21	1	–	13
64.	कस्बा कोटला	56	17	–	–	11

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

2108. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार पेट्रोलियम उत्पादों की मदवार खपत कितनी रही?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : गत तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार खपत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार खपत

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991-92	1992-93	1993-94(अनन्तिम)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3457.73	3747.92	3924.78
असम	987.60	931.74	881.44
बिहार	2846.40	3059.99	3335.98
गोआ	672.16	659.23	657.12
गुजरात	6062.65	6001.52	6005.09
जम्मू और कशमीर	331.84	360.83	398.88
केरल	1974.23	1998.99	2193.45
मध्य प्रदेश	2552.23	2661.50	2783.16
तमिलनाडु	5016.90	5115.62	5195.69
महाराष्ट्र	9320.64	9798.60	10169.36
कर्नाटक	2579.08	2699.68	2887.97
उड़ीसा	1216.52	1241.58	1279.06
पंजाब	2945.73	3052.75	3126.92

1	2	3	4
राजस्थान	2433.01	2594.94	2798.52
उत्तर प्रदेश	5970.22	6252.03	6374.11
पश्चिम बंगाल	3407.56	3373.32	3351.67
हरियाणा	1808.96	1856.75	1996.84
हिमाचल प्रदेश	207.73	222.79	240.16
मणिपुर	64.97	70.70	66.86
मेघालय	107.76	117.59	118.03
नागालैण्ड	49.42	53.86	51.82
सिक्किम	16.43	19.85	19.90
त्रिपुरा	61.78	70.64	68.10
अंडमान और निकोबार	45.73	48.67	53.25
अरूणाचल प्रदेश	72.33	74.66	84.85
चंडीगढ़	185.49	175.31	208.14
दिल्ली	2260.53	2292.51	2423.21
दादर और नगर हवेली	21.29	25.46	27.73
दमन और दीव	13.85	14.73	15.63
लक्ष्य द्वीप	4.17	4.05	3.22
मिजोरम	28.17	31.51	39.20
पांडिचेरी	129.89	151.01	160.79

आतंकवाद के संबंध में रोमानिया और बुल्गारिया के साथ समझौता

2109. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष आतंकवाद रोकने हेतु रोमानिया और बुल्गारिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं तो उसकी संक्षिप्त रूपरेखा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां। मई-जून, 1994 में राष्ट्रपति की बल्गारिया और रोमानिया की यात्रा के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने से संबंध करार दोनों देशों के बीच सम्पन्न हुए। इन करारों पर हमारी ओर से गृह मंत्री और क्रमशः बल्गारिया तथा रोमानिया के गृह मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए।

(ख) ये करार अपने-अपने देश में आन्तरिक कानून की अपेक्षाएं पूरी हो जाने और इस आशय की अधिसूचनाओं का आदान-प्रदान हो जाने के बाद लागू हो जाएंगे।

(ग) बल्गारिया और रोमानिया के साथ सम्पन्न इन करारों का क्रियान्वयन भारतीय पक्ष की ओर से गृह मंत्रालय और क्रमशः बल्गारिया तथा रोमानिया के गृह मंत्रालय करेंगे। इन करारों में सूचना, विनियमों, अनुसंधान के परिणामों, उपकरण और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद स्वापक तथा मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार, संगठित अपराधों, जिनमें आर्थिक अपराध, जालसाजी, हथियारों के अवैध सौदे आदि शामिल हैं, को रोका जा सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों स्थित पुलों पर पथकर

2110. श्री केशरी लाल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित पुलों के संबंध में पथकर एकत्र किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो झांसी-कानपुर-लखनऊ राजमार्ग पर गंगा और यमुना नदियों पर निर्मित पुलों पर पथकर कब तक एकत्र कर लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां। 100 लाख रु. से अधिक लागत के स्थायी पुलों पर शुल्क वसूल किया जाता है।

(ख) यह शुल्क तब तक लगाया जाता है जब तक कि निर्माण, ब्याज और रख-रखाव की पूरी लागत वसूल नहीं हो जाती। इसके लिए कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है क्योंकि यह यातायात की मात्रा पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर मोड़ निकालना

2111. श्री के. मुरलीधरन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर क्विलांडी और चौम्बा-नाडल मोड़ निकालने के बारे में प्राप्त प्रस्ताव की वर्तमान

स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : बजटगत बाधाओं के कारण रा.रा.-17 के क्विलांडी और चोब्बानाडल मोड़ के लिए प्रस्ताव को आठवीं पंच वर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है।

मिट्टी के तेल का उत्पादन

2112. श्री के. प्रधानी : क्या पेट्रौलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मिट्टी के तेल का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या इस समय उत्पादित मिट्टी का तेल देश की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं तो इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(घ) मिट्टी के तेल की जरूरत को पूरा करने हेतु क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान करीब 8.69 मि.मि.ट. मिट्टी के तेल की खपत में प्रति देशी उत्पादन करीब 5.27 मि.मि.ट. था।

(ग) और (घ) कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। सरकार ने तेल शोधन के क्षेत्र में निजी निवेश की भी अनुमति दे दी है तथा आयात किए जाने वाले मिट्टी के तेल के आयात को नियंत्रण मुक्त कर दिया है जो निजी पार्टियों द्वारा बाजार से संबद्ध कीमतों पर बेची जाएगी।

मिट्टी के तेल में मिलावट

2113. श्रीमती बसुन्धरा राजे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के कई भागों में मिट्टी के तेल में बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) देश में राज्यों से मिट्टी के तेल में मिलावट के संबंध में बहुत कम रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। तथापि एम एस और एच एस डी में मिट्टी के तेल की मिलावट के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं। मिट्टी के तेल

की मिलावट को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में फरफुरल का मिश्रण मिट्टी के तेल को नीले रंग में रंगना, तेल कंपनियों के अधिकारियों और राज्य के प्राधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण और चल प्रयोगशालाओं द्वारा नमूना जांच किया जाना तथा मिट्टी के तेल की डेलिवर्ड सप्लाई जैसे उपाय किए गए हैं। मिट्टी के तेल के विपथन और कालाबाजारी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से खुदरा वितरण प्रणाली को युक्तिपरक बनाने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

बधवानी, मध्य प्रदेश में एस के ओ एल

2114. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में खरगांव जिले में बधवाननी में एस के ओ एल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) : जिला खरगांव (मध्य प्रदेश) के बधवानी में एस के ओ-एल डी ओ की डीलरशिप स्थापित करने के संबंध में अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आशय पत्र जारी किया गया है। आशय पत्र के जारी होने के बाद लगभग 6 से 12 महीने के समय में डीलरशिप चालू हो जाती है।

नागालैंड के चापांग क्षेत्र में तेल का उत्पादन

2115. श्री रामनिहोर राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को किन किन कारणों की वजह से चापांग और अन्य क्षेत्रों में तेल के उत्पादन का कार्य रोकने के लिए कहा है;

(ख) क्या असम, नागालैंड आदि राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उत्पादन लागत आयल इंडिया लिमिटेड की उत्पादन लागत से अधिक है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कंपनियों की प्रति मीट्रिक टन उत्पादन लागत कितनी-कितनी थी; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान असम में आयल इंडिया लि. तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने

तेल का कितना-कितना उत्पादन किया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) नागालैंड राज्य सरकार ने आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन से नागालैंड में वेधन प्रचालनों को बन्द करने के लिए कहा है क्योंकि उनके (नागालैंड सररकार) अनुसार उन्होंने (ओ एन जी सी) उन्हें दिए गए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) के तहत सहमत मात्रा से अधिक निकासी कर ली है।

(ख) जी हां।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा आयल इंडिया द्वारा क्रूडकआयल उत्पादन लागत नीचे दी गई है :

	1992-93 (रु./मि.मी.टन)	1993-94
ओ एन जी सी	1116	1124
ओ आई एल	717.12	803.54

(घ) गत दो वर्षों के दौरान असम में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन तथा आयल इंडिया द्वारा किया गया क्रूड आयल का उत्पादन निम्नवत था:

वर्ष	ओ एन जी सी (मि.मी.टन में)	ओ आई एल
1992-93	2.44	2.46
1993-94	2.25	2.76

हरियाणा में डाक और तारघर

2116. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में वर्ष वार और जिले वार कितने गांवों में डाक और तार सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) राज्य में जिले-वार कितने गांव इन सेवाओं से वंचित हैं और ये सेवायें उन्हें कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी; और

(ग) फरीदाबाद जिले में स्थित टेलीफ़ोन एक्सचेंजों की वर्तमान क्षमता क्या है और सरकार द्वारा इनकी क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) हरियाणा में, पिछले तीन वर्षों के दौरान जितने गांवों को डाक तथा टेलीफोन सेवाएं प्रदान की गईं, उनकी संख्या का जिलावार ब्यौरा क्रमशः

विवरण I व II में दिया गया है।

(ख) उन ग्रामों की संख्या का जिलावार ब्यौरा भी विवरण I व II में दिया गया है जिनमें डाकघर व टेलीफोन सेवा नहीं है।

निर्धारित मानदंडों तथा संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए डाकघर वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से खोले जाते हैं।

सरकार ने उत्तरोत्तर रूप से मार्च, 1997 तक प्रत्येक गांव में, जिनमें हरियाणा राज्य के गांव भी शामिल हैं, एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की नीति बनाई है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

(ग) फरीदाबाद जिले में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की मौजूदा क्षमता 38500 लाइनों की है। सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 10000 और लाईनें जोड़ने की योजना बनाई है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान हरियाणा के जिन गांवों में डाकघर खोले गए उनकी संख्या का जिला वार ब्यौरा।

क्र. सं.	जिले का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	उन गांवों की संख्या जहां डाकघर नहीं है
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	147	149	151	587
2.	भिवानी	199	199	200	225
3.	फरीदाबाद	84	84	87	342
4.	गुडगांव	127	128	130	544
5.	हिसार	299	301	304	199
6.	जींद	145	145	140	180
7.	करनाल	128	128	130	184
8.	कुरूक्षेत्र	86	87	87	304
9.	कैथल	108	110	111	351
10.	महेन्द्रगढ़	106	108	108	328

1	2	3	4	5	6
11.	पानीपत	81	81	81	105
12.	रिवाड़ी	112	112	112	179
13.	रोहतक	221	224	226	212
14.	सिरसा	143	143	144	174
15.	सोनीपत	153	153	154	160
16.	यमुनानगर	95	96	96	398

विवरण II

31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार हरियाणा के उन गांवों की संख्या का जिलावार ब्यौरा, जहां टेलीफोन सुविधाएं हैं और जहां टेलीफोन सुविधाएं नहीं हैं।

क्र सं.	जिले का नाम	उन गांवों की संख्या जहाँ 1991-92 के दौरान टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई गईं	उन गांवों की संख्या जहाँ 1992-93 के दौरान टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई गईं	उन गांवों की संख्या जहाँ 1993-94 के दौरान टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई गईं	31.3.94 की स्थिति के अनुसार उन गांवों की संख्या जहाँ टेलीफोन सेवाएं नहीं हैं।
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	200	75	149	175
2.	यमुनानगर	130	88	103	167
3.	करनाल	42	40	70	144
4.	कुरूक्षेत्र	40	50	154	134
5.	कैथल	30	33	45	140
6.	पानीपत	23	30	31	72

1	2	3	4	5	6
7.	जींद	68	70	56	21
8.	रोहतक	39	120	83	43
9.	भिवानी	45	60	146	99
10.	सोनीपत	90	54	71	66
11.	हिसार	130	67	143	108
12.	सिरसा	75	32	90	79
13.	फरीदाबाद	72	65	40	208
14.	गुड़गांव	58	52	32	521
15.	रिवाड़ी	81	73	45	117
16.	महेन्द्रगढ़	80	72	45	135
	कुल	1203	981	1303	2229

[अनुवाद]

केरल के टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी सुविधा

2117. श्री टी. जे. अंजलोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान केरल में विशेषतः अलेप्पी जिला में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों में एस.टी.डी सुविधा प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है और उसे किस सीमा तक पूरा किया गया है; और

(ख) राज्य के शेष एक्सचेंजों में उक्त सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केरल में 1993-94 के दौरान 126 केंद्रों में एस.टी.डी सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव था।

1993-94 के दौरान 165 केन्द्रों में एस टीडी सुविधान प्रदान की गई थी।

अलेप्पी जिले में जिन पांच स्थानों में 1993-94 के दौरान एस टी डी सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, उन्हें एस टी डी नेटवर्क से जोड़ दिया गया था।

(ख) 8 वीं योजना अवधि के दौरान सभी एक्सचेंजों को एस टी डी नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव

है, बशर्ते कि संसाधन, यथा भूमि, भवन, उपस्कर, निधियां आदि उलब्ध हों।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध प्रसंस्करण एकक

2118. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुलः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम दुग्ध प्रसंस्करण एकक स्थापित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) : केन्द्र सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना स्वयं नहीं करती। दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्माण को लाईसेंसमुक्त करने के बाद कुटीर उद्योग और ग्रामीण क्षेत्रों में दूध पर आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में दूध के प्रसंस्करण और दूध उत्पादों के निर्माण के लिए यूनिटें स्थापित करने के लिए, इनमें मौजूदा यूनिटों का पर्याप्त विस्तार भी शामिल है, 774 औद्योगिक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की सूचना दी है। आम तौर पर ऐसी यूनिटों को शुरू करने में लगभग 2-3 वर्ष लग जाते हैं।

गुजरात में तेल शोधक कारखाने

2119. श्री एन जे राठवा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कालीकट और लक्षद्वीप समूह के बीच पोत सेवाएं

2120. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में बेपोर और लक्षद्वीप समूह के बीच दैनिक पोत सेवा होती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में ऐसी सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) क्या भारतीय नौवहन निगम का बेपोर को पोत सेवा से मुम्बई के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बंग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र की समस्या

2121. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंग्लादेश से चटगांव पहाड़ी क्षेत्र की समस्या को सुलझाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है

विदेश राज्य मंत्री (श्री आर.एल भाटिया): (क) जी, नहीं; चटगांव पर्वतीय क्षेत्र की समस्या सुलझाने के लिए बंगलादेश से हमें कोई अनुरोध नहीं मिला है। त्रिपुरा में इस समय रह रहे बंगलादेश के जनजातीय शरणार्थियों के शीघ्र स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे में हमारी उनसे बातचीत हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तन और अन्य हैंडलिंग प्रभार

2122. श्री अमल दत्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रमुख पत्तनों में माल के प्रेषितियों ने कन्टेनर-वार तथा खुले सामानवार कितनी धनराधि वहन की है;

(ख) क्या इन पत्तनों में माल के पत्तन और अन्य हैंडलिंग प्रभारों का कम करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पत्तनों पर परेषितियों द्वारा वहन की जाने वाली लागतों में पत्तन और अन्य अभिकरणों द्वारा वसूली योग्य दरें शामिल होती हैं। अभिकरणें पर दरों की मात्रा लागू नहीं होती। लागत प्रत्येक पत्तन में प्रत्येक मार्गों के लिए अलग-अलग होती हैं। इसलिए वास्तविक लागत का परिमाण नियत करना संभव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कल्याण निधि से सहायता

2123. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग की कल्याण निधि द्वारा मृतकों के आश्रितों को और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को लम्बी बीमारी, गंभीर बीमारी/शल्यक्रिया के मामलों में कोई वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो 1993 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए; और

(ग) वस्तु-वार और सर्किल वार कुल कितनी धनराशि वितरित की गई?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। विभाग के मृत कर्मचारियों तथा सेवानिवृत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को विभाग की कल्याण निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की लम्बी बीमारी, गंभीर बीमारी/शल्य चिकित्सा के मामलों में भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

2124. डा. के.डी जेस्वाणी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन अनिवासी भारतीयों के लिए बांड जारी करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र

2125. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) क्या इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण में सरकारी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें कितना हिस्सा दिया जाएगा?

इस्पात राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में विहित शर्तों के अनुरूप रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के रूप में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को सन्दर्भित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) जो सेल की एक सहायक कम्पनी है) के आधुनिकीकरण से संबंधित उसके निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को छोड़कर सरकार ने ''सेल'' के एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पुनरूद्धार और प्रौद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण) के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है:

(i) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण।

(ii) राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण।

(iii) बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण-चरण-1

(ग) जी, हां।

(घ) इन आधुनिकीकरण से संबंधित प्रत्येक परियोजनाओं में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंश का

ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

संयंत्र का नाम	करोड़ रूपए
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	450 (परामर्शदाता की फीस सहित)
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1086.68
बोकारो इस्पात संयंत्र	121 (पैकेज के लिए अभी आर्डर दिए जा रहे हैं)

आंध्र प्रदेश में एल.पी.जी. कनेक्शन

2126. श्री येल्लैया नंदी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितनी एल पी जी एजेंसियां कार्य कर रही हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार कितनी एल पी जी एजेंसियों की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) सरकार एल पी जी वितरकों द्वारा किये जा रहे कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1.4.94 की स्थिति के अनुसार पूरे देश में 4292 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या निम्नानुसार है:

1991-92	72
1992-93	104
1993-94	381

(ग) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को ध्यान पूर्वक निगरानी द्वारा विपणन अनुशासन दिशा निर्देश कडाई से लागू किए जाते हैं। एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा कदाचार की रोकथाम करने के लिए समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किए जाते हैं, और दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है।

डभोल स्थित "एनरोन डेवलपमेंट कारपोरेशन"

2127. श्री शरद घिघे:

प्रो. राम कापसे:

श्री राम नाईक:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के डभोल में स्थित अमेरिकी "एनरोन डेवलपमेंट कारपोरेशन" परियोजना (डभोल) प्रबन्धन ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उसके विरुद्ध सभी वादों का निर्णय विदेशी न्यायालयों द्वारा किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी0 रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि एनरोन ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उसके विरुद्ध सभी वादों का निर्णय विदेशी न्यायालयों द्वारा किया जायेगा। विद्युत क्रय करारों पर मूल रूप से भारतीय कानून लागू होगा। भारतीय मध्यस्थ निर्णय की प्रक्रिया में विलम्ब के कारण मध्यस्थ निर्णय के स्थान के नियम और यू एन सी आई आर ए एल (यूनिइटिड नेशन्स कमीशन ऑन इन्टरनेशनल ट्रेड ला) के अधीन मध्यस्थ निर्णय की प्रक्रिया जब भी अयोजित की जाएगी, भारत से बाहर आयोजित की जाएगी, क्योंकि इस प्रकार के करारों के मामलों में यही प्रथा है।

[हिन्दी]

राज्यों के विद्युत मंत्रियों की बैठक

2128. श्री नीतिश कुमार :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1993 में ऊर्जा मंत्रियों का अन्तर्राज्यीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्णयों को किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है;

(घ) जिन निर्णयों को कार्यान्वित किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने उन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) निवल अचल परिसंपत्तियों पर निर्धारित सांविधिक 3 प्रतिशत की आय की दर को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन में राज्य बिजली बोर्डों (एस.ई.बी.) के कार्य निष्पादन के निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करने वाली एक कार्य योजना अपनाई गई थी:

(1) संयंत्र भार अनुपात में सुधार:

(2) पारेषण तथा वितरण हानियों में कमी;

(3) टेरिफ का यौक्तिकरण;

(4) राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशियों का समायोजन;

(5) उपलब्ध विदेशी सहायता का त्वरित रूप से समुपयोजन; और

(6) विद्युत के उत्पादन तथा वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(ग) से (च) इन सुझावों को क्रियान्वित किए जाने की कार्यवाही संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा की जाती है तथा भारत सरकार इस पर नियमित रूप से कार्यवाही कर रही है। इन निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण - I

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन, 1993 में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की प्रगति का ब्यौरा।

1. राज्य बिजली बोर्डों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार: राज्य बिजली बोर्डों के संयंत्र भार अनुपात में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्य-योजना अपनाई गई थी;

(क) 40 प्रतिशत से कम संयंत्र भार अनुपात वाले राज्य बिजली बोर्ड-आठवीं योजना के दौरान इनमें कम से कम 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक का सुधार लाया जाना है।

(ख) 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच के संयंत्र भार अनुपात वाले राज्य बिजली बोर्डों में 2 प्रतिशत प्रति वर्ष तक का सुधार लाया जाना है।

(ग) 60 प्रतिशत से ऊपर के संयंत्र भार अनुपात वाले राज्य बिजली बोर्ड में कम से कम एक प्रतिशत तक का सुधार लाया जाना है।

वर्ष 1993-94 के लिए संयंत्र भार अनुपात को दर्शाने वाला विवरण-I (क) संलग्न है। 1993-94 में 57.8 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में अखिल भारतीय संयंत्र भार अनुपात 61 प्रतिशत था।

2. पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी: राज्य बिजली बोर्डों के सम्मिलित प्रयासों के कारण

वर्ष 1992-93 की पारेषण एवं वितरण हानियां, 1991-92 में 22.83 प्रतिशत की तुलना में घटकर 21.8 प्रतिशत रह गई है, जिससे हानियों में 1.03 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के लिए राज्यवार वितरण एवं पारेषण हानियों को दर्शाने वाला विवरण-I (ख) संलग्न है।

3. टैरिफ का यौक्तिकरण : निम्नलिखित राज्य बिजली बोर्डों ने 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अपने टैरिफों में संशोधन किया है:

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और असम।

निम्नलिखित राज्यों और संघ शासित राज्यों ने मीटर से आपूर्ति के लिए 50 पैसे प्रति कि.वा. आवर के न्यूनतम कृषि टैरिफ को क्रियान्वित कर दिया है:

गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, दिल्ली और दादर तथा नागर हवेली।

4. राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशियों का समायोजन : राज्य बिजली बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादक निगमों की बकाया राशियों का भुगतान कर दें। राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण शुल्क दोनों के ही मामले में अपने औसत मासिक बिलिंग के 105 प्रतिशत की सीमा तक साख पत्रों को खोल दें। अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों के साथ, एन टी पी सी/पावरग्रिड द्वारा विद्युत की आपूर्ति पारेषण शुल्कों के बारे में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; जिसमें इस बात का प्रावधान है कि बकाया राशियों का भुगतान न किए जाने पर राज्य को बिजली की आपूर्ति काट दी जायेगी। विवादास्पद बिलों के तीव्रता से भुगतान को आशवस्त करने के लिए, क्षेत्रीय निर्णायकों को दो क्षेत्रों में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, संबंधित राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता से वसूली को भी पुनः वापिस कर दिया गया है।

5. उपलब्ध विदेशी सहायता का तीव्रता से समुपयोजन : विदेशी सहायता प्राप्त कर रही परियोजनाओं को तीव्रता से क्रियान्वित किए जाने की विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे महत्व को मद्देनजर रखते हुए विदेशी सहायता के समुपयोजन में और वृद्धि हुई है।

6. विद्युत के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना : विद्युत के उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निजी विद्युत के विकास के लिए प्रोत्सासहनों और मार्ग दर्शी सिद्धान्तों के एक पैकेज को तैयार किया है। इस मामले में सरकार निरन्तर संभावित उद्यमियों, वाणिज्य मण्डलों, व्यापार संघों, राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों से परस्पर सम्पर्क बनाए हुए हैं। वर्तमान में लगभग 1340 मे.वा. की नवीन क्षमता का निजी क्षेत्र

में निर्माण किया जा रहा है तथा एक नई लाईसेंसधारी कम्पनी ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इसके साथ ही 104152 करोड़ रुपये की लागत तथा 32662 मे.वा. की उत्पादन क्षमता की स्थापना हेतु लगभग 75 प्रस्तावों द्वारा रूचि प्रकट की गई है, जिनमें से 35 प्रस्ताव विदेशव स्थित कम्पनियों से हैं।

विवरण - I (क)

वर्ष 1993-94 के लिए संयंत्र भार अनुपात का लक्ष्य और उपलब्धी और 1994-95 के लिए लक्ष्य

संगठन/क्षेत्र	1993-94		1994-95
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
एन.टी.पी.सी.	64.4	76.9	73.9
एन.एल.सी	60.3	55.5	69.3
डी.वी.सी.	38.3	42.3	42.6
जोड़	60.0	69.8	69.2
राज्य क्षेत्र			
डेसू	59.5	49.0	63.2
एच.एस.ई.वी	51.8	40.3	51.8
आर.एस.ई.बी.	74.9	81.1	82.9
पी.एस.ई.बी.	60.4	63.5	67.8
यू.पी.एस.ई.बी	52.8	50.1	50.3
जी.ई.वी	65.5	60.4	62.9
एम.एस.ई.वी	58.0	64.1	64.3
एम.पी.ई.बी	54.9	56.0	56.5
जी.ई.बी.	65.5	60.4	62.9
एम.एस.ई.बी	58.0	64.1	64.3

1	2	3	4
एम.पी.ई.बी.	54.9	56.0	56.5
ए.पी.एस.ई.बी.	69.5	68.7	72.5
त्रिजेश्वरम (एपीजीपीसी)	0.00	0.0	0.0
के.पी.सी	70.7	66.9	70.0
टी.एन.ई.बी	61.5	69.1	62.9
बी.एस.ई.बी	29.0	24.4	30.3
ओ.एस.ई.बी	34.7	35.6	39.0
डब्ल्यू.वी.एस.ई.बी	44.1	40.5	41.8
डब्ल्यू.वी.पी.डी.सी	55.1	68.3	64.4
डीपीएल	33.7	26.3	29.3
ए.एस.ई.बी.	32.5	19.9	33.6
राज्य क्षेत्र	56.4	56.5	58.5
निजी क्षेत्र			
ए.ई.सी.ओ	71.4	67.0	70.3
ट्राम्बे	31.5	48.8	52.4
सी.ई.एस.सी	61.0	71.3	67.8
जोड़	57.1	57.0	58.9
अखिल भारत	57.8	61.0	62.0

विवरण - I (ख)

राज्यवार पारेषण एवं वितरण हानियों को दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	1992-93
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	26.79	26.79

1	2	3	4
	2. हिमाचल प्रदेश	19.01	19.98
	3. जम्मू और कश्मीर	50.08	48.13
	4. पंजाब	21.70	19.61
	5. राजस्थान	23.07	22.71
	6. उत्तर प्रदेश	26.14	24.68
	7. चंडीगढ़	29.64	26.21
	8. दिल्ली	24.66	24.02
	9. बीबीएमबी	4.36	3.52
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	23.56	22.0
	2. मध्य प्रदेश	25.82	22.52
	3. महाराष्ट्र	18.61	18.51
	4. दादर और नगर हवेली	19.66	17.98
	5. गोवा	25.70	21.80
	6. दमन और दीव	15.90	15.67
दक्षिणी क्षेत्र	1. आंध्र प्रदेश	20.25	20.65
	2. कर्नाटक	19.93	19.62
	3. केरल	22.47	22.77
	4. तमिलनाडु	18.44	17.30
	5. लक्ष्यद्वीप	17.43	18.72
	6. पांडिचेरी	18.00	15.31
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	18.31	17.15
	2. उड़ीसा	25.50	25.87
	3. सिक्किम	25.89	22.91
	4. पश्चिम बंगाल	19.72	17.55

1	2	3	4
	5. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	21.66	23.62
	6. डीवीसी	2.30	1.99
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1. असम	22.66	21.41
	2. मणिपुर	24.43	22.35
	3. मेघालय	11.65	11.62
	4. नागालैंड	23.14	27.26
	5. त्रिपुरा	31.96	30.64
	6. अरूणाचल प्रदेश	28.20	32.32
	7. मिजोरम	34.95	29.04
	अखिल भारत (यूटिलिटीज)	22.83	21.80

टिप्पणी: मेघालय से संबंधित निम्न पारेषण एवं वितरण हानियों का कारण पड़ोसी राज्यों को ऊर्जा का वृहत मात्रा में विक्रय है।

[अनुवाद]

मुम्बई पत्तन न्यास क्षेत्र में डीजल पम्प

2129. श्री सुधर सावंत: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मछुआरा सहकारी समिति ने मुम्बई पत्तन न्यास क्षेत्र में डीजल पम्प शुरू करने के लिए आवेदन किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कब तक अनुमति दे दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) नये फेरी व्हार्फ/मलेट बन्दर क्षेत्र में डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए मछुआरों की एक सहकारी समिति द्वारा बम्बई पत्तन न्यास को आवेदन किया गया है। इस अनुरोध पर इस समय लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

बंगलादेश में अल्पसंख्यक

2130. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बंगलादेश में हिन्दुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचार के संबंध में रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बंगलादेश सरकार के साथ इस मामले को उठाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी हां। ये खबरें बंगलादेश में अल्पसंख्यक समुदाय को पेश आ रही विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों और दिक्कतों से सम्बन्धित हैं।

(ग) और (घ) अपने नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हैं, की रक्षा करना बंगलादेश की सरकार की जिम्मेदारी है। हम इस संबंध में समय-समय पर बंगलादेश की सरकार को अपनी चिंता तथा अपनी इस प्रत्याशा से अवगत कराते रहे हैं कि बंगलादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की समुचित रक्षा की जाय।

[अनुवाद]

दूर संचार क्षेत्र का विकेन्द्रीकरण

2131. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुने हुए टेलीफोन क्षेत्रों को कार्यात्मक, वित्तीय, परिचालन और प्रशासनिक स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार क्षेत्र के प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में बहुत केन्द्रीकरण है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान प्रणाली को विकेन्द्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए एक अलग दूरसंचार सर्किल का सृजन 1.8.94 को किया गया है, जिसके प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक दूर संचार हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में डाकघर

2132. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय जिलावार कितने गांवों में डाकघर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) राज्य में जिलावार कितने गांवों में डाकघर सुविधाएं प्राप्त हैं और इन डाकघरों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) बिहार में डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या का जिलावार व श्रेणीवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बिहार के डाकघर वाले और बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या का जिलावार व श्रेणीवार ब्यौरा

क्रम सं.	जिले का नाम	हैड पोस्ट आफिस	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	बिना डाकघर वाले गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	अररिया	-	8	-	146	842
2.	औरंगाबाद	-	15	3	241	1589
3.	बांका	-	11	12	162	1019
4	बेगूसराय	-	16	4	194	867
5.	भाभुआ	-	6	-	96	1613
6.	भागलपुर	-	12	11	216	1736
7.	भोजपुर	-	26	2	253	968

1	2	3	4	5	6	7
8.	बोकारो	-	4	-	105	689
9.	बक्सर	-	22	-	150	962
10.	छपरा	-	5	1	75	935
11.	दरभंगा	-	25	-	298	735
12.	देवधर	-	8	1	136	2551
13.	धनबाद	-	-	5	119	1224
14.	दुमका	-	16	1	246	3846
15.	पूर्व चम्पारन	-	33	1	371	1170
16.	पूर्व सिंहभूम	-	6	1	153	1645
17.	गरवा	-	5	-	78	655
18.	गया	-	28	-	337	2900
19.	गिरिडीह	-	14	-	166	2183
20.	गोड्डा	-	4	-	138	2281
21.	गोपालगंज	-	14	-	178	1194
22.	गुमला	-	11	-	204	963
23.	हजारीबाग	-	32	5	202	2673
24.	जहानाबाद	-	17	3	146	749
25.	जमुई	-	9	-	132	1247
26.	कटिहार	-	12	-	160	1277
27.	खगड़िया	-	8	1	121	459
28.	किशनगंज	-	4	-	81	768
29.	लोहारदगा	-	2	3	78	452
30.	मधेपुरा	-	9	-	190	354
31.	मधुबनी	-	29	1	386	641

1	2	3	4	5	6	7
32.	मुंगेर	–	13	3	236	1879
33.	मुजफ्फरपुर	–	33	13	336	1460
34.	नालंदा	–	16	4	291	732
35.	नवादा	–	18	4	175	981
36.	पलामू	–	17	1	233	986
37.	पटना	–	18	7	288	1735
38.	पूर्णियां	–	9	–	161	935
39.	रांची	–	17	5	294	1643
40.	रोहतास	–	28	–	249	1811
41.	सहारसा	–	11	–	149	197
42.	साहिब गंज	–	11	–	141	2888
43.	समस्तीपुर	–	32	5	342	889
44.	सारण	1	42	3	319	1648
45.	सीतामढ़ी	–	18	1	298	45
46.	सिवान	–	28	–	283	1252
47.	सुपोल	–	15	–	155	468
48.	वैशाली	–	24	4	212	1698
49.	पश्चिम चम्पारन	–	16	1	254	1092
50.	पश्चिम सिंहभूम	–	15	1	168	2731
	कुल :	1	792	107	10142	66657

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

2133. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1994 के ''पायोनियर'' में ''फारेन मिशन्स अनहैप्पी विद

एम.टी.एन.एल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में विदेशी मिशनों को हो रही संचार प्रणाली संबंधी कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन सेवाओं के बारे में यह एक आम शिकायत थी।

(ग) ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर, संचार राज्य मंत्री ने एम टी एन एल प्रबंध के साथ पुनरीक्षा बैठक को तथा मार्गों पर परियात की भीड़-भाड़ को कम करने और दोषयुक्त सेवाओं को शीघ्र ठीक करने को सुनिश्चित करने के निर्णय लिए। विदेशी मिशनों की संचारण प्रणालियों पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है।

बड़े पत्तन

2134. श्री काशीराम राणा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बड़े पत्तनों पर पत्तनवार कुल कितना यातायात है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन पत्तनों द्वारा पत्तनवार प्रतिवर्ष कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया, और

(ग) गुजरात के बड़े पत्तनों के सुधार के लिए कौन-कौन सी प्रस्तावित योजना योजनाएं हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) तथा (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न महापत्तनों पर हैंडल किए गए कार्गो ट्रैफिक की कुल मात्रा और उनके द्वारा इस अवधि के दौरान अर्जित प्रचालन, वित्तीय तथा विविध आय का एक विवरण संलग्न है।

(ग) गुजरात में काडला पत्तन के विकास के लिए निम्नलिखित मुख्य स्कीमें शुरू की गई हैं -

i. आठवीं कार्गो बर्थ का निर्माण।

ii. 19 टन के बी सी टग की खरीद।

iii. अतिरिक्त व्हार्फ क्रनों की खरीद।

iv. कंटेनर हैंडलिंग सुविधाओं का विकास।

v. कांडला में अतिरिक्त तेल जेट्टी का निर्माण।

vi. वाडीनार में बहुउद्देशीय बर्थ का निर्माण।

विवरण

	बम्बई	कलकत्ता	कोचीन	जे.एल नेहरू	कांडला	मद्रास	न्यू मंगलौर	मुरगांव	पारादीप	तूतीकोरिन	विजाग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
विभिन्न महापत्तनों पर हैंडल किए गए कार्गो ट्रैफिक की मात्रा का ब्यौरा											**(मिलियन टन)**
1991-92	27.21	16.0	7.48	2.80	21.00	25.05	8.27	15.10	7.30	5.87	21.52
1992-93	29.02	18.34	7.98	3.01	22.91	25.33	7.09	16.31	7.61	6.21	22.27
1993-94	30.74	18.50	7.62	3.39	24.50	26.54	8.63	18.72	8.33	6.70	25.59
विभिन्न महापत्तनों द्वारा अर्जित प्रचालन, वित्तीय तथा विधि आय का ब्यौरा											**(करोड़ रु.)**
1. प्रचालन आय											
1991-92	255.54	256.62	58.28	73.11	72.05	160.65	32.09	48.37	79.56	27.06	134.93
1992-93	364.51	307.21	66.35	85.67	86.91	189.15	34.87	64.02	88.38	34.43	163.86
1993-94*	401.38	381.72	72.32	100.00	99.43	210.43	37.98	78.91	93.10	33.40	175.00
2.वित्त तथा विविध आय											
1991-92	61.54	45.52	6.70	11.83	23.48	38.82	4.58	11.57	19.36	3.41	22.20
1992-93	72.71	28.25	14.21	17.83	32.57	67.49	7.10	15.10	14.65	5.46	25.70
1993-94*	76.89	27.87	9.52	21.00	37.57	53.20	7.22	14.33	14.40	6.00	24.50

*अनन्तिम

मृत व्यक्तियों के पासपोर्ट

2135. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर पासपोर्ट कार्यालय ने 1 जनवरी, 1994 से 30 अप्रैल, 1994 तक कितने पास जारी किये;

(ख) इस अवधि के दौरान जारी किये गये पासपोर्टों में स कितने पासपोर्ट धारकों की मृत्यु हो गइ

(ग) क्या दिवंगत पासपोर्ट धारक के विधि सम्मत उत्तराधिकारी द्वारा उसके पासपोर्ट को संबंधित कार्यालय को सौंपा जाना अनिवार्य बनाने संबंधी कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर द्वारा 1.1.94 से 30.4.94 तक 16,524 पासपोर्ट जारी किए गए हैं।

(ख) पासपोर्ट कार्यालय यह सूचना नहीं रखते।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता:

(ङ.) किसी अन्य व्यक्ति को चाहे वह जीवित हो अथवा मृत, जारी किए गए किसी पासपोर्ट का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग करना पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 (1) (घ) के अन्तर्गत अपराध है जिसके लिए 2 वर्ष की कैद अथवा 5000 रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

उपरोक्त को देखते हुए, सरकार अलग से, ऐसा कोई प्रावधान बनाना आवश्यक नहीं समझती जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के कानूनी वारिसों को यह आदेश देने की व्यवस्थ हो कि वे मृतक का पासपोर्ट वापिस कर दें।

[हिन्दी]

राज्य पथ परिवहन उपक्रम

2136. श्री लाल बाबू राय : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के राज्य पथ परिवहन उपक्रम को प्रति वर्ष दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन उपक्रमों की त्रैमासिक समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय केन्द्र सरकार, केवल सड़क परिवाहन निगम अधिनियम, 1950 के अंतर्गत स्थापित राज्य सड़क परिवहन निगमों को ही ब्याज की रियायती दर पर, वापिस न की जाने वाली पूंजीगत ऋण सहायता देती है। ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(लाख रु.)

क्रम सं.	रा.स.परि.निगम का नाम	1991-92	1992-93	1993-94
1.	गुजरात	372.5	113.0	198.0
2.	कर्नाटक	400.0	-	-
3.	मध्य प्रदेश	156.8	632.0	241.0
4.	राजस्थान	70.7	405.0	-
5.	डी.टी.सी.	1175.0*	2000.0*	12.0*

(ख) केन्द्र सरकार, राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों से ऐसे आवधिक ब्यौरे प्राप्त नहीं करती है।

*50 प्रतिशत वापिस किए जाने वाला ऋण शामिल है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

2137. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य जातियों के लिए आरक्षित कितने पद हैं;

(ख) कितने पद खाली पड़े हैं;

(ग) ये पद कब के खाली पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे/उठाए जाने वाले हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन लागत

2138. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट राज्यवार औसत लागत कितनी थी;

(ख) इसमें राज्यवार कितनी राज सहायता शामिल थी और कुल राज सहायता लागत कितनी थी;

(ग) राज्यवार प्रति यूनिट विद्युत शुल्क कितना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत शुल्क में कितनी बार संशोधन किया गया और विद्युत शुल्क में राज्यवार कितनी प्रतिशत वृद्धि की गई;

(ङ.) क्या सरकार शुल्क में संशोधन करने और निश्चित समयावधि में विद्युत पर से राज सहायता धीरे-धीरे समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) एन.एच.पी.सी. और एन. टी.पी.सी. तथा राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रतियूनिट वसूल किए जाने वाले टैरिफ और उत्पादन की औसत लागत क्रमशः विवरण I, II और III में दी गई है।

(ख) उत्पादन और आपूर्ति की औसत लागत और सम्मिलित सबसिडी घटक के साथ और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विद्युत के विक्रय के लिए उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों से संबंधित औसत वसूली की राशि का राज्यवार ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिशत अभिवृद्धि समेत टैरिफ में संशोधन से संबंधित ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

(ङ.) और (च) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत के विक्रय के लिए टैरिफ का निर्धारण राज्य बिजली बोर्डों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाता है। जनवरी, 1993 में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में एक कार्य योजना अपनाई गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ संचरना को युक्तिसंगत करना और न्यूनतम कृषि संबंधी टैरिफ को 50 पैसे/कि.वा. आ. पर निर्धारित करना आदि शामिल है।

विवरण - I

एन.एच.पी.सी. की टैरिफ (अनंतिम)

परियोजना	1991-92	1992-93	1993-94
चंगा स्कूल	36.65	38.28	47.55
लाकताक	56.90	60.74	64.83
सलाल-1	49.34	54.66	59.77
सलाल-2		-	73.43
उधमपुर		134.21	168.54

विवरण - II

एन.टी.पी.सी. की टैरिफें

पैसे/प्रति किलोवाट अवर

कोयला	1.4.92	1.4.93	1.4.94	
	2	3	4	
सिंगरौली	37.50(*)	62.31	62.31	
विंध्याचल	37.50(*)	104.46	104.46	
रिहन्द/जीयूपीपी	133.56	133.56	133.56	(फिरोजगांधी
एनसीपीपी	उपलब्ध नहीं	167.20	167.20	ऊँचाहार विद्युत
कोरबा	34.50(*)	47.64	47.64	परियोजना)
विंध्याचल	34.50(*)	83.51	83.51	राष्ट्रीय राजधानी
रामागुंडम	43.00(*)	70.79	70.79	क्षेत्रीय विद्युत
फरक्का	54.48(*)	79.30	79.30	परियोजना दादरी)
गैस				
अंता	99.68	99.68	99.68	
कवास	103.72	103.72	103.72	

1	2	3	4	
3.	दादरी (जी)	उपलब्ध नहीं	132.75	132.75	
4.	क्वास	उपलब्ध नहीं	150.27	136.37	(संयुक्त साईकिल के कारण कमी)

टिप्पणी: 1. (*)इस अविध के लिए अंनतिम टैरिफ का निर्धारण अभी राज्य बिजली बोर्डों के साथ किया जाना है, क्योंकि ये भारत सरकार अधिसूचना में शामिल नहीं हैं।

2. अन्य सभी टैरिफें द्विपक्षीय टैरिफें हैं जिनमें पृथक निर्धारित और परिवर्तनीय प्रभार भी शामिल हैं। उपरोक्त आंकड़े 6000 घंटों पर हैं।

3. माह दर माह लागू होने वाली ईंधन मूल्य समायोंजन अतिरिक्त रूप से लागू होगा।

विवरण-III

पूल्ड उत्पादन की लागत

पैसे/कि.वा.आ.

क्र.सं.	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.98	38.27	45.46
2.	बिहार	121.19	137.72	134.14
3.	गुजरात	70.63	86.59	86.59
4.	हरियाणा	48.49	58.39	69.09
5.	हिमाचल प्रदेश	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	कर्नाटक	19.39	24.05	13.31
7.	केरल	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	मध्य प्रदेश	46.74	61.31	73.00
9	महाराष्ट्र	58.02	61.94	77.58
10.	उड़ीसा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
11.	पंजाब	48.51	45.03	60.78
12.	राजस्थान	109.34	109.34	109.34
13.	तमिलनाडु	74.80	67.31	84.91
14.	उत्तर प्रदेश	56.02	65.69	80.12
15.	पश्चिम बंगाल	76.25	81.23	95.82
16.	मेघालय	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
17.	असम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
18.	जोड़ राज्य बिजली बोर्ड	57.28	61.72	74.68

विवरण-IV

वर्ष 1992-93 के दौरान आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूली

		आपूर्ति की औसत लागत	औसत वसूली सभी श्रेणियां (पै./कि.वा.आ.)	अंतराल/सब्सिडी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	105.56	97.33	8.23
2.	बिहार	188.04	122.22	65.82
3.	गुजरात	160.36	119.01	41.35
4.	हरियाणा	139.62	82.05	57.56
5.	हिमाचल प्रदेश	109.99	108.29	1.71
6.	कर्नाटक	98.77	97.96	0.81
7.	केरल	83.00	81.22	1.77
8.	मध्य प्रदेश	157.99	132.10	25.89

1	2	3	4	5
9.	महाराष्ट्र	148.06	141.84	6.22
10.	उड़ीसा	104.99	103.26	1.73
11.	पंजाब	126.91	78.83	48.09
12.	राजस्थान	141.60	113.25	28.35
13.	तमिलनाडु	133.37	108.26	25.01
14.	उत्तर प्रदेश	155.47	113.14	42.34
15.	प. बंगा	163.97	119.88	44.09
16.	असम	255.95	120.29	135.65
17.	मेघालय	119.49	89.50	29.99
	जोड़ :	139.02	112.28	26.74

टैरिफ संशोधन का प्रभाव

(पै./कि.वा.आवर)

विवरण - V

टैरिफ संशोधन का प्रभाव (पै./कि.वा. आवर)

क्र.सं.	रा. वि. वो.	संशोधन की तारीख		घरेलू	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सार्वजनिक	कृषीय	औसत वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आन्ध्र प्रदेश	1.12.92	संशोधन पूर्व टैरिफ	86.00	165.00	186.59	73.00	12.12	104.98
			संशोधित टैरिफ	107.00	200.00	213.97	80.00	10.45	120.21
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	24.42	21.21	14.67	9.59	-13.78	14.51
2	बिहार	1.7.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	106.00	133.17	184.58	91.59	9.00	119.72
			संशोधित टैरिफ	109.80	158.90	215.47	140.00	60.00	156.47
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	3.58	19.32	16.74	52.86	566.67	30.70
3	गुजरात	21.5.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	91.16	177.40	186.08	131.67	15.40	171.00
			संशोधित टैरिफ	91.16	212.41	207.66	131.67	39.61	129.51
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	0.00	19.74	11.60	0.00	157.21	6.68
4	हरियाणा	5.6.92	संशोधन पूर्व टैरिफ	69.00	133.00	150.09	98.00	25.00	69.40
			संशोधित टैरिफ	76.75	149.00	162.18	139.00	42.00	92.30
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	11.23	12.03	8.06	41.72	68.00	33.00
5	हिमाचल प्रदेश	1.8.92	संशोधन पूर्व टैरिफ	54.00	120.00	89.47	60.00	33.00	74.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			संशोधित टैरिफ	54.00	130.00	97.46	70.00	33.00	86.58
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	0.00	8.33	8.93	16.67	0.00	15.70
6.	कर्नाटक	1.8.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	106.50	283.60	171.89	59.82	0.11	99.79
			संशोधित टैरिफ	106.45	192.40	193.34	94.33	0.11	109.38
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	-0.05	-32.16	12.48	57.69	0.00	9.61
7.	केरल	1.6.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	65.80	104.29	89.64	187.19	29.42	83.11
			संशोधित टैरिफ	51.00	193.00	98 89	220.00	29.33	89.20
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	-22.49	85.06	10.32	17.53	-0.31	7.33
8	मध्य प्रदेश	1.10.92	संशोधन पूर्व टैरिफ	31.47	132.79	147.31	47.20	16.03	96.87
			संशोधित टैरिफ	47.80	182.49	184.01	55.34	29.08	117.59
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	51.89	37.43	24.91	17.25	81.41	21.39
9	महाराष्ट्र	1.2.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	70.02	152.04	148.32	77.00	15.00	107.29
			संशोधित टैरिफ	82.99	182.99	154.00	90.00	15.00	129.32
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	18.52	20.36	3.83	16.88	0.00	20.53
10	उड़ीसा	7.9.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	48.87	87.29	72.46	48.95	34.00	सूचना प्रतिक्षित
			संशोधित टैरिफ	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
11.	पंजाब	23.10.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	92.44	170.01	147.92	135.92	12.21	79.36
			संशोधित टैरिफ	115.94	185.79	155.92	143.92	24.42	91.08
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	25.42	9.28	5.41	5.89	100.00	14.77
12.	राजस्थान	1.9.92	संशोधन पूर्व टैरिफ	68.05	115.98	120.07	77.00	36.55	
			संशोधित टैरिफ	75.00	120.00	125.00	80.00	36.55	135.00
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	10.21	3.47	4.11	3.90	0.00	
13.	तमिलनाडु	1.3.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	78.98	187.29	169.18	112.91	0.00	108.71
			संशोधित टैरिफ	81.92	226.00	199.05	127.00	0.00	125.27
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	3.72	20.67	17.66	12.48	0.00	15.23
14.	उत्तर प्रदेश	18.1.92	संशोधन पूर्व टैरिफ	81.95	112.37	133.97	95.00	26.30	80.86
			संशोधित टैरिफ	97.07	155.99	179.09	135.00	35.68	108.36
			प्रतिशतला अभिवृद्धि	18.45	38.82	33.68	42.11	35.67	34.01
15.	प. बंगाल	26.9.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	75.00	126.01	162.28	64.42	19.23	120.14
			संशोधित टैरिफ	75.27	137.81	187.78	70.86	20.55	131.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	0.36	9.36	15.71	10.00	6.86	9.74
16.	असम	1.6.93	संशोधिन पूर्व टैरिफ	60.00	116.00	92.52	100.00	50.00	सूचना
			संशोधित टैरिफ	80.00	169.75	141.09	150.00	76.00	पतीक्षित
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	33.33	46.34	52.50	50.00	52.00	
17.	मेघालय	1.6.92	संशोधन पूर्व टैरिफ	52.08.	81.60	66.00	69.60	25.20	64.60
			संशोधित टैरिफ	69.00	125.00	120.16	125.00	50.00	96.19
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	32.49	53.19	82.06	79.60	98.41	48.90
18.	डेसू	1.10.93	संशोधन पूर्व टैरिफ	70.08	173.39	158.58	137.00	20.00	116.92
			संशोधित टैरिफ	103.69	268.94	237.97	190.00	50.00	167.56
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	47.96	55.11	50.06	38.69	150.00	43.31
19.	पणजी (गोवा)	1.11.91	संशोधन पूर्व टैरिफ	68.09	114.65	114.58	64.08	83.44	
			संशोधित टैरिफ	78.00	131.00	125.09	80.00	84.00	
			प्रतिशतता अभिवृद्धि	14.55	14.26	9.17	24.84	0.67	

पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्तपोषण

2139. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्त पोषण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पूरी की गई औपचारिकता का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में तेल और गैस संयंत्र

2140. श्री दिलीप भाई संघानी :

श्री हरिन पाठक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल और गैस परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष किए गए उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या गुजरात में गैस और तेल क उत्पादन में वृद्धि करने हेतु परियोजनायें शुरू करने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोई समझौता किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ड.) इन परियोजनाओं पर कार्य कब से शुरू होने की संभावना है; और

(च) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की तुलना में 1994-95 के दौरान तेल के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है?:

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)

और (ख) गुजरात में एक रिफाइनरी, 6 भरण संयंत्र और एक एल पी जी वसूली संयंत्र काम कर रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों से उत्पादन का ब्यौरा तथा 1994-95 का (बजट अनुमान) निम्नवत है:

(टी एम टी पी ए, अनंतिम)

	1992-93	1993-94	1994-95 (बजट अनुमान)
गुजरात रिफाइनरी	9778	9434	9650
एल पी जी वसूली संयंत्र	5.32	39.88	26.4

गुजरात में स्थित एल पी जी भरण संयंत्रों की भरण क्षमता 262 टी एम टी पी ए है। यह 1994-95 के दौरान इतनी ही रहेगी।

(ग) से (ङ.) भारत सरकार ने बोली के चौथे दौर के अंतर्गत गुजरात कच्छ तट में जी के ओ एन-90/2 ब्लाक के लिए मैसर्स पैन एनर्जी रिसोर्सेज, अमरीका, कांप्लेक्स रिसोर्से लि. आस्ट्रेलिया, पैन पेसिफिक पेट्रोलियम एन एल, आस्ट्रेलिया और ट्रांस एशिया कंसलटेंट्स, भारत के परिसंघ को ठेका देने का अनुमोदन किया है। भारत सरकार ने गुजरात के 12 लघु आकार के तेल/गैस क्षेत्रों के विकास के लिए ठेकों को देने का अनुमोदन किया है, जिसका ब्यौरा निम्नवत है :

	कम्पनी/परिसंघ का नाम	क्षेत्र
1.	गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कं. लि. (जी एस पी सी एल,) अहमदाबाद	हजीरा, कैम्बे, भंडौत मतार, साबरमती
2.	सेलन एक्सप्लोरेशन टैक्नोलोजी लि. नई दिल्ली	इन्द्रौरा बकरोल, लोहार
3.	लार्सन एण्ड टबरो बी बी आई जोशी टेक्नोलांजीस, यू एस ए	ढोलका बावल
4.	इंटरलिंक जियोफिजिका, बड़ौदा	बवोला
5.	एच ओ ई सी बड़ौदा पेट्रोडाइन, यू एस ए जी एस पी सी एल, अहमदाबाद	अमजोल

ठेकों को अंतिम रूप देने के तुरन्त बाद काम आरम्भ हो जाएगा।

(च) 1994-94 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 32.299 मिलियन टन है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन निम्नवत् था।

1991-92	-	30.35 मिलियन टन
1992-93	-	26.95 मिलियन टन
1993-94	-	27.02 मिलियन टन

झींगा मछली प्रसंस्करण

2141. **श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के अंतर्गत झींगा मछली प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) झींगा मछली के निर्यात द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार झींगा मछली प्रसंस्करण क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देकर इसमें नये एककों की स्थापना को सुगम बनाना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

थीवीरा सेतु, कोचीन

2142. **प्रो. के. वी. थॉमस : क्या जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन फोर्ट में थीवीरा सेतु को सार्वजनिक यातायात के लिए कब तक खोल दिया जाएगा;

(ख) थीवीरा सेतु को कोचीन बाईपास से जोड़ने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या थीवीरा सेतु को ऐर्नाकुलम नगर से जोड़ने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोचीन पत्तन में थीवीरा पुल से गुजरने वाले यातायात को जन साधारण के लिए वर्ष 1996 की समाप्ति तक रा. रा. 47-क का चरण-II पूरा होने पर खोल दिए जाने की संभावना है।

(ख) 12 प्रतिशत

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस कनेक्शनों का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने पर प्रतिबंध

2143. श्री जगतवीर सिंह द्रोण: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का रसोई गैस का वाणिज्यिक उद्देश्यों से उपयोग किये जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): प्राधिकृत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए एल पी जी के प्रयोग को रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु वाहनों के प्रयोजनों अथवा उससे संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए एल पी जी का प्रयोग प्रतिबंधित है।

[हिन्दी]

टेलीफोन सं. 198

2144. श्री महेश कनोडिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी से जून, 1994 के बीच नये टेलीफोन लगाये जाने के बाद विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में शिकायतें दर्ज कराने संबंधी टेलीफोन सं. "198" की सेवा में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि ऐसी शिकायतों पर अविलम्ब ध्यान दिया जाये और उपभोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाई न हो, क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, "198" सेवा के संबंध में प्रबंधन सूचना सेवा पैरामीटरों को नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है और इस आधार पर आवश्यक होने पर समुचित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवेकाधिकार कोटा से टेलीफोन

2145. श्री लालजान एस.एम. बाशा: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्री के विवेकाधिकार कोटे से टेलीफोन कनेक्शन आबंटन के संबंध में कोई मानदंड अपनाए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994 के दौरान मंत्री के विवेकाधिकार कोटे से चंडीगढ़ और दिल्ली में क्रमशः कितने टेलीफोन जारी किए गए?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) जी हां। संचार राज्य मंत्री द्वारा बिना जारी के आधर पर टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी उपभोक्ताओं की सही तथा तात्कालिक आवश्यकताओं के वास्तविक मूल्यांकन के अतिरिक्त चिकित्सा संबंधी आधार पर भी प्रदान की जाती है।

(ग) चंडीगढ़ और दिल्ली शहर के लिए 01.01.1994 से 31.07.94 तक क्रमशः 175 तथा 1830 टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश में तेल योजनाएं तथा परियोजनाएं

2146. श्री अर्जुन सिंह यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश की विभिन्न तेल योजनाओं तथा परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) इन्हें स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा): (क) से (ग) ऐसी कोई परियोजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में विचारार्थ लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

विदेशों में भारतीय राजनयिकों का उत्पीड़न

2147. श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेशों में तैनात भारतीय राजनयिकों के उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुईं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निवारक कदम उठाये हैं?

विदेश राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) 197

(ग) राजनयिक संबंधों से संबद्ध वियना अभिसमय 1961 तथा कौंसली संबंधों से संबद्ध वियना अभिसमय 1963 के अनुसार राजनयिकों/कौंसली अधिकारियों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संरक्षण की जिम्मेदारी मेजबान देश की है। वियना अभिसमय के उल्लघंन की किसी भी वारदात की ओर मेजबान देश का ध्यान आकृष्ट किया जाता है और उन्हें इस बात का स्मरण कराया जाता है कि विदेशों में तैनात हमारे राजनयिकों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के संरक्षण की जिम्मेदारी उनकी है। बार-बार उल्लंघनों के मामले को उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में भी उठाया जाता है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग को अर्थक्षम बनाना

2148. श्री अन्ना जोशी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग के संबंध में मुरारी समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) भारत में गहन समुद्री मात्स्यिकी उद्योग के संबंध में तकनीकी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए अंतर:मंत्रालय स्तर पर कार्यवाही शुरु कर दी गई है।

गुजरात में टेलीफोन, डाक और तार सेवाएं

2149. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य में टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं में सुधार करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इस राज्य से प्राप्त हुई राजस्व की राशि अन्य राज्यों से अब तक प्राप्त राशि की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इस राज्य में उक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं के लिए कितनी धनराशि का व्यय हुआ ;

(घ) 1994-95 के दौरान राज्य में इन सेवाओं में कितना सुधार किया जायेगा,

(ड.) क्या सभी गांवों में उपरोक्त तीनों सेवाएं उपलब्ध कराई जायेंगी, और

(च) यदि हां, तो सेवाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) गुजरात राज्य में दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन और अनुरक्षण पर 1992-93 में 130.22 करोड़ रु. और 1993-94 में 152.67 करोड़ रुपये खर्च किये गए।

(घ) प्रस्तावित उपाय नीचे दिये गए हैं:

तार सेवाएं

निम्नलिखित उपस्कर चालू करने का प्रस्ताव है :

1.	इलैक्ट्रॉनिक कुंजी-पटल कन्सन्ट्रेटर	-	10
2.	इलेक्ट्रॉनिक कुंजी पटल	-	80
3.	टेलीप्रिंटर कन्सन्ट्रेटर	-	04
4.	फारमेटेड टर्मिनल	-	64
5.	अहमदाबाद में एस. एफ. एम. एस. एस-128	-	
	(इस समय कार्यरत एसएफएमएसएस-64 का उन्नयन किया जाएगा।)		
6.	राजकोट में एस एफ एम एस - 32		

दूरसंचार सेवाएं

निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव है :

1. कुल 35200 लाइनों के सभी मैक्स-III और कुछ मियाद समाप्त मैक्स-II तथा मैक्स-I एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।
2. 75 नये एक्सचेंज खोलना,
3. निवल सज्जित क्षमता में 2,38,200 लाइनों की वृद्धि करना,
4. 1,50,000 नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना,
5. एस टी डी सेवा को 200 और अधिक केन्द्रों तक बढ़ाना, एस टी डी रहित सभी तालुक मुख्यालयों को 1994-95 के दौरान एस टी डी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

6. शेष 4346 ग्राम पंचायत गांवों को टेलीफोन सेवा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार सभी 13421 ग्राम पंचायत गांवों को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(ड.) और (च) : 1.3.94 की स्थिति के अनुसार कुल 13421 ग्राम पंचायत गांवों में से 9075 को टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी गई है। शेष 4346 ग्राम पंचायत गांवों को 1994-95 के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान किये जाने की योजना है। गुजरात के शेष सभी गांवों को 8वीं योजना के अंत तक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दिये जाने की संभावना है।

डाक सेवाएं

(क) गुजरात में, विद्यमान डाक नेटवर्क का विस्तार करने, अधिक विभागीय भवनों की व्यवस्था करने, डाकघरों और डाक (मेल) कार्यालयों में प्रयुक्त उपस्करों की प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने, स्पीड पोस्ट नेटवर्क आदि के माध्यम से डाक का तेजी से वितरण करने की व्यवस्था करके डाक सुविधाओं में सुधार करने के उपाय नियमित रूप से किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) सर्किल ने, 1992-93 और 1993-94 में, क्रमशः 66.51 करोड़ रु. और 65.057 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। इसी अवधि के दौरान सेवाओं के प्रचालन पर क्रमशः 100.32 करोड़ रुपये और 108.29 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

हालांकि, गुजरात राज्य में, 1992-93 तथा 93-94 में अर्जित डाक राजस्व कुछ अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, फिर भी कोई वास्तविक तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि यह, राज्य के क्षेत्रफल उसकी जनसंख्या, औद्योगिक और कृषि के विकास, डाकघरों की संख्या और उस क्षेत्र में डाक कारोबार की प्रकृति पर निर्भर करता है।

(घ), (ड.) और (च) सरकार ने, 1994-95 के दौरान नये डाकघर खोलने का निर्णय लिया है, बशर्ते निर्धारित मापदण्ड पूरे किये गए हों तथा संसाधन उपलब्ध हों। ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

शाखा डाकघर

जनजातीय क्षेत्र	-	1
अन्य क्षेत्र	-	3
कुल	-	4

कुल विभागीय उप डाकघर

जन जातीय क्षेत्र		3
अन्य क्षेत्र	-	7
कुल	-	10

सभी गांवों में डाक सुविधा का विस्तार करने के संबंध में किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

विवरण

गुजरात दूर संचार सर्किल तथा अन्य सर्किलों द्वारा 1992-93 तथा 1993-94 (मार्च) अनुपूरक (1994 तक) अर्जित राजस्व का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	सर्किल का नाम	(करोड़ रूपयों में)	
		1992-93	1993-94 (मार्च अनुपूरक) 94 तक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	365.43	464.19
2.	असम	45.52	66.26
3.	बिहार	110.74	125.28
4.	गुजरात	410.26	578.62
5.	हरियाणा	82.89	116.77
6.	हिमाचल प्रदेश	20.30	27.40
7.	जम्मू और कश्मीर	20.32	22.64
8.	कर्नाटक	356.40	499.91
9.	केरल	206.85	307.25
10.	मध्य प्रदेश	195.57	269.38
11.	महाराष्ट्र	386.61	532.65
12.	उत्तर पूर्व	21.96	33.92
13.	पंजाब	214.56	276.12
14.	उड़ीसा	54.94	78.59
15.	राजस्थान	160.14	244.81
16.	तमिलनाडु	264.70	368.46

1	2	3	4
17.	उत्तर प्रदेश	276.40	373.49
18.	पश्चिम बंगाल	41.91	44.97
19.	कलकत्ता जिला	257.90	379.63
20.	मद्रास जिला	267.20	416.09

सार्वजनिक वितरण प्रणली के लिए मिट्टी का तेल

2150. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिट्टी के तेल का प्रति व्यक्ति आवंटन पूरे देश में एक जैसा है;

(ख) क्या राज्य को मिट्टी का तेल आवंटित करते समय राज्य की जनजातीय जनसंख्या को भी शामिल किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति औसतन कितना मिट्टी का तेल नियत किया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) देश को वर्ष 1993-94 के दौरान मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति खपत 10.14 कि.ग्राम/प्रतिवर्ष थी।

गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण डाकघर

2151. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

डा. के. वी. आर. चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने ग्रामीण डाकघर हैं और उनमें से अलग-अलग कितने डाकघर विभागीय भवनों में नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को इन डाकघरों के असंतोषजनक ढंग से कार्य करने के संबंध में कोई शिकायत

प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय, गुजरात व आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जितने डाकघर कार्य कर रहे हैं, उनकी संख्या निम्नानुसार है :

गुजरात	-	8114
आन्ध्र प्रदेश	-	14822

गुजरात व आन्ध्र प्रदेश में क्रमशः 8061 और 14744 डाकघर विभागीय भवनों में नहीं हैं। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के लिए विभाग भवन उपलब्ध नहीं कराता है।

(ख) उनके काम-काज के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास

2152. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक तथा दूरसंचार विभागों के सभी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध नहीं करा पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिल्ली में इस समय डाक तथा दूर संचार कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) इनमें से विभागवार तथा श्रेणीवार कितने कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं; और

(ङ.) शेष कर्मचारियों को सरकारी आवास कब तक आबंटित कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) डाक व दूर संचार विभाग।

जी हां, सभी कर्मचारियों को संसाधनों की कमी के कारण, आवास सुलभ कराना संभव नहीं है। आवासीय क्वार्टर पंचवर्षीय योजना के कार्यकलापों के एक भाग के रूप में निर्मित किए जाते हैं तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए धनराशि वार्षिक आधार पर आबंटित की जाती है। अतः निर्मित स्टाफ क्वार्टरों की संख्या धनराशि तथा भूमि आदि जैसे अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(ग) **डाक विभाग :** 12801

दूरसंचार विभाग :

उत्तरी संचार क्षेत्र : 5841

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली : 27115

(घ) ब्यौरा निम्नानुसार है :

डाक विभाग

क्वार्टरों का प्रकार	I	II	III	IV	V	कुल
	345	766	174	24	6	1315

दूरसंचार विभाग

यूनिट	स्टाफ क्वार्टरों का प्रकार					
	I	II	III	IV	V	कुल
एन टी आर	280	366	154	56	48	904
एन टी एन एम	322	853	158	147	48	1528

(ड.) **डाक व दूरसंचार विभाग**

इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि प्रतिवर्ष निर्मित होने वाले स्टाफ क्वार्टरों की संख्या भूमि धनराशि आदि जैसे संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

उ.प्र. में टेलीफोन एक्सचेंजों को परिवर्तित करना

2153. डा. साक्षीजी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनको अभी तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित नहीं किया गया है; और

(ख) इनको कब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची संलग्न विवरण 'क' में दी गई है।

(ख) (1) सभी मैक्स - II मैक्स - III स्ट्रोजर एक्सचेंजों को 1995-96 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि अपेक्षित निधियां और उपस्कर उपलब्ध हों।

(2) मैक्स - I एक्सचेंजों को 1994-95 और 1995-96 के दौरान संलग्न विवरण 'ख' के अनुसार बदलने का प्रस्ताव है।

(3) मियाद समाप्ति के उपरांत बदले जाने वाले प्रस्तावित मैक्स-I और क्रमवार एक्सचेंजों की सूची संलग्न विवरण 'ग' में दी गई है।

विवरण - 'क'

उत्तर प्रदेश के उन टेलीफोन एक्सचेजों के नाम जिन्हें अब तक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला गया है।

क.	**मैक्स-I एक्सचेंज**	19.	लखनऊ (मदोवां)
1.	अलीगढ़	20.	लखनऊ (महानगर)
2.	आगरा	21.	मेरठ
3.	बेरली	22.	आगरा (संजय प्लेस)
4.	देहरादून	**ग.**	**मैक्स-II एक्सचेंज**
5.	मेरठ (बांडंड्री रोड)	1.	अनपाड़ा (सोनभद्र)
6.	मुरादाबाद	2.	औरेया (इटावा)
7.	मुजफ्फरनगर	3.	बलरामपुर (गोंडा)
8.	सहारनपुर, यूनिट-I (गुरुद्वारा रोड)	4.	चांदपुर (बिजनौर)
9.	सहारनपुर, यूनिट-II	5.	कलीमेण्ट टाउन (देहरादून)
10.	सांभल (मुरादाबाद)	6.	लखीमपुर
11.	वाराणसी (बेनिया बाग)	7.	मुगलसराय (वाराणसी)
12.	वाराणसी, कैंट	8.	ओबरो (मिर्जापुर)
13.	कानपुर (कृष्णा नगर)	9.	पलिया कलाँ (लखीमपुर)
ख.	**क्रास-बार एक्सचेंज**	10.	प्रेम नगर (देहरादून)
14.	इलाहाबाद (सिविल लाइन)	11.	रामनगर औद्योगिक क्षेत्र (वाराणसी)
15.	हाथरस (अलीगढ़)	12.	शिकोहाबाद (मैनपुरी)
16.	कानपुर (बेनाझाबर)	13.	सीतापुर
17.	कानपुर (लाजपत नगर)	**(घ)**	**मैक्स - 3 एक्सचेंज**
18.	लखनऊ (हजरतगंज बाग)	1.	अकबराबाद (रामपुरा)

2. अफजलगढ़ (बिजनौर)
3. अकरोबाद (अलीगढ़)
4. अमापुर (एटा)
5. अमेरिया (पीलीभीत)
6. अमरौली (अलीगढ़)
7. अंजान शाहिद (आजमगढ़)
8. आसफपुर (बदायूं)
9. बेलपराव (नैनीताल)
10. बिलराम (एटा)
11. बारा (नैनीताल)
12. बराहपुर (बिजनौर)
13. बसाई बाबन (अलीगढ़)
14. बस्ता (बिजनौर)
15. बेगमाबाद (रामपुर)
16. बसावन (अलीगढ़)
17. भजाना नगाटा (नैनीताल)
18. भरगौन (एटा)
19. भुरियां (बेरली)
20. बिजौली (अलीगढ़)
21. बसेना (रामपुर)
22. बन्धामी (अलीगढ़)
23. चन्दक (बिजनौर)
24. चन्दन चौकी (लखीमपुर)
25. चदौंनी (अलीगढ़)
26. चन्दापा (अलीगढ़)
27. चित्तौड़ा (बहराईच)
28. देघाट (अल्मोड़ा)
29. देहगवान (बदायूं)
30. देवीछूरा (अल्मोड़ा)
31. घमोंड़ा (रामपुर)
32. दिनेशपुर (नैनीताल)
33. डुमारी (देवरिया)
34. दूनीदाम (पीलीभीत)
35. फौजी वालोनी (नैनीताल)
36. गंगापुर (वाराणसी)
37. गननिरा (अलीगढ़)
38. गंज (बिजनौर)
39. गौरी फाट (लखीमपुर)
40. गोशमाऊ (हरदोई)
41. गोराई (अलीगढ़)
42. गुहावार (बिजनौर)
43. गुलरभोज (नैनीताल)
44. हरीपुरा हरसन (नैनीताल)
45. हरप्रताल पुर (हरदोई)
46. हीमपुर (बिजनौर)
47. जहानाबाद (पीलीभीत)
48. जैथारा (एटा)
49. जहलपुर (बिजनौर)
50. कचौड़ा (अलीगढ़)
51. कजमाबाद (अलीगढ़)
52. कनालीचीना (अल्मोड़ा)
53. कांच (शाहजहांपुर)
54. कौडियागंज (अलीगढ़)
55. केमारी (रामपुर)
56. खैरा (मथुरा)
57. खंडोली (आगरा)

58. खोड़ सिंघन (रामपुर)
59. खुर्रम पुर (अलीगढ़)
60. कुकरा (लखीमपुर)
61. कुंवरगांव (बदायूं)
62. मघावटांडा (पीलीभीत)
63. मदकोट (अल्मोड़ा)
64. मंडावली (बिजनौर)
65. मुनमोहो (अलीगढ़)
66. मानपुर (हरदोई)
67. मन्सवासी (रामपुर)
68. मिरचाही (एटा)
69. मिर्जापुर (शाहजहांपुरा)
70. मोहन (नैनीताल)
71. मुद्रापांडे (रामपुर)
72. मुरिआही अहिबन (शाहजहांपुर)
73. मछानी (अल्मोड़ा)
74. मगलसोटी (बिजनौर)
75. नंदगांव (मथुरा)
76. नारायणखेरी (बिजनौर)
77. नारायणपुर (नैनीताल)
78. नवाबनगर (रामपुर)
79. पचोन (अलीगढ़)
80. पटाली (बिजनौर)
81. पैगांव (मथुरा)
82. पाली (हरदोई)
83. पटवाल (रामपुर)
84. फीना (बिजनौर)
85. पिलबान (एटा)
86. पिपलिया (नैनीताल)
87. पिसोवा (अलीगढ़)
88. प्रागफार्म (नैनीताल)
89. पुलियो (अल्मोड़ा)
90. कादिरचौक (बदायूं)
91. रामपुर (बिजनौर)
92 रिठोड़ा (बरेली)
93. रोसा (शाहजहांपुर)
94. रुदाई (बदायूं)
95. रुद्र विलास (नैनीताल)
96. रुपइडीहा (बहराईच)
97. सकित (एटा)
98. सलेमपुर (अलीगढ़)
99. समरा चौराहा (हरदोई)
100. शाहाबाद (रामपुर)
101. शेरगढ़ (बरेली)
102. सोलंकी नगर (बदायूं)
103. स्यालडीही (अल्मोड़ा)
104. टांडा (रामपुर)
105. टांडा (नैनीताल)
106. टप्पल (अलीगढ़)
107. थुना दरियागंज (एटा)
108. तोसिफगढ़ (अलीगढ़)
109. उगैती (बदायूं)
110. उचगांव (एटा)
111. उसैट (बदायूं)
112. उसावन (बदायूं)
113. वजीदपुर (अलीगढ़)
114. मेरठ एस ए एक्स (मेरठ)
115. धरामु(उत्तरकाशी)

विवरण - 'ख'

उन मैक्स-1 एक्सचेंजों की सूची जिन्हें 1994-95 और 1995-96 के दौरान बदलने का प्रस्ताव है :

	1994-95		1995-96
1.	आगरा (स्ट्रोजर)	1.	वाराणसी (बेनियाबाग)
2.	कानपुर (बेनाझाबर) (एक्रसवार)	2.	बरेली
3.	इलाहाबाद (सिविल लाइन) (एक्रसवार)	3.	मेरठ (बाउंड्री रोड)
		4.	अलीगढ़
		5.	देहरादून
		6.	सहारनपुर (गुरूद्वारा रोड)
		7.	मुजफ्फरनगर
		8.	मुरादाबाद

विवरण 'ग'

उन मैक्स-1 एक्सचेंजों की सूची जिन्हें बाद के वर्षों में बदले जाने का प्रस्ताव है :

		वर्ष जब उपस्कर की मियाद समाप्त होगी
1.	सहारनपुर यूनिट-II	2007
2.	सांभल	2018
3.	कानपुर (कृष्णनगर)	2011
4.	वाराणसी कैंट	2011
क्रास-बार मैक्स-I एक्सचेंज		
1.	आगरा (संजय प्लेस)	2018
2.	आलमबाग (लखनऊ)	2005
3.	भदावन (लखनऊ)	2005
4.	हाथरस (अलीगढ़)	2016
5.	महानगर (लखनऊ)	2010
6.	मेरठ	2005
7.	लाजपतनगर (कानपुर)	2005

वायरलैस प्रौद्योगिकी

2154. श्री छीतूभाई गामीत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर संचार नेटवर्क में वायरलैस प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ग) क्या किन्हीं विदेशी कम्पनियों ने भारत में इस प्रौद्योगिकी को लगाने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) दूरसंचार आयोग निम्नलिखित दो प्रौद्योगिकियों के दो अलग-अलग स्थानों पर परीक्षण की अनुमति दे दी है :

(i) सी डी एम ए

(ii) सी टी 2 प्लस

(ख) लगभग 15 करोड़ रू.

(ग) जी हां।

(घ) (i) मैसर्स क्येलकम, यू एस ए.

(ii) मैसर्स मोटोरोला, यू एस एस

(iii) मैसर्स मोटोरोला, सिंगलापुर, तथा

(iv) मैसर्स डमोल्ट ऑटोमेटिकस मेज इ टी टेलीकॉम, फ्रांस।

दिल्ली में सड़कों की दशा

2155. श्री राम विलास पासवान :

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान ने दिल्ली में सड़कों की दशा के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से धन का आबंटन

2156. डा. परशुराम गंगवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश को राजमार्गों के निर्माण और रख-रखाव के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) जिन राजमार्गों पर यह धनराशि खर्च की गई है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यों को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) से (ग) : केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित राज्यीय सड़कों के निर्माण और विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियां जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई वर्ष-वार राशि नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रू.)
1991-92	-
1992-93	79.50
1993-94	100.00

जिन चालू निर्माण कार्यों के लिए उपर्युक्त राशि जारी की गई है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि, ये राज्यीय सड़कें हैं अतः इन निर्माण कार्यों के निष्पादन तथा कार्य की प्रगति और व्यय पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत अनुमोदत चालू निर्माण कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम तथा जॉब सं.	संस्वीकृत राशि (लाख रू.)
1	2	3
	सड़क निर्माण कार्य	
1.	वाराणसी जिले में बाबतपुर-जमालपुर सड़क का निर्माण। (एएल/यू.पी./5/V/पीएल)	32.21
2.	फर्रूखाबाद जिले में फर्रूखाबाद बाईपास का निर्माण (ए एल/यू.पी/5/IV/पीएल)	14.62
3.	आजमगढ़ जिला में आजमगढ़-वाराणसी सड़क में सुधार (एएल/II/यू.पी/पीएल)	38.00
4.	लखनऊ जिले में बक्शी का तालाब तक सड़क का निर्माण (ए एल / 13/यू.पी/IV पीएल)	54.66
5.	मिर्जापुर जिले में कन्हार और सतवाहिनी नदी पर पुल के लिए सम्पर्क मार्गों का निर्माण (आर/यू.पी/61/VI/पीएल)	65.81
6.	आजमगढ़ जिले में जौनपुर-अमुवारी वालिदपुर-मोहम्मदपुर सड़क का निर्माण (ए एल / यू पी/ 13/IV/पी एल)	78.30
7.	लखनऊ जिले में मोहनलाल गंज गोसाईगंज सड़क में सुधार तथा उसका सुदृढ़ीकरण (एएल/यूपी/6/88)	58.65
8.	सुल्तानपुर और राय बरेली जिलों में अमेठी परियोजना क्षेत्र की मौजूदा महत्वपूर्ण लो.नि.वि. सड़कों में चौड़ा किया जाना, उनमें मजबूत बनाना तथा उनकी परिवहन गुणवत्ता में सुधार (सी आर एफ / यू. पी./39/007)	1965.90

1	2	3
9.	मऊ जिले में अलीनगर इंदिरा मझवास मधुवन सड़क (शाहीद मार्ग का सुदृढ़ीकरण : संशोधित अनुमान। सीआरएफ/यूपी/88/027)	334.00
	पुल निर्माण कार्य	
10.	मिर्जापुर जिले में कन्हार नदी पर दुधी - सिंधामर्गज सड़क पर पुल का निर्माण (आर/यू.पी./6/VI/पीएस)	187.64

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को रसोई गैस प्रदान करना

2157. श्री अरविंद त्रिवेदी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कितने खाद्य प्रसंस्करण एककों को रसोई गैस कनेक्शनों की मंजूरी दी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान गुजरात की एक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को एलपीजी आबंटित की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाक एवं तार घर

2158. श्री राजवीर सिंह :

श्री राम पूजन पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बरेली और बदायूं जिलों में गत तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार कितने डाकघरों और तार-घरों की स्थापना की गई है;

(ख) इस पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक एवं तार की द्रुत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाकघर

उत्तर प्रदेश में 694 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए। इनमें से बरेली व बदायूं जिलों में क्रमशः 14 तथा 8 डाकघर खोले गए।

तारघर

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनमें बरेली व बदायूं जिले भी शामिल हैं, कोई तारघर नहीं खोला गया है।

(ख) डाकघर

उपर्युक्त डाकघरों को खोलने में 8.84 लाख रुपये का खर्च आया।

तारघर

उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) **डाकघर**

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए समग्र योजना लक्ष्यों तथा आबंटनों के अधीन उत्तरोत्तर रूप से डाकघर खोले जा रहे हैं।

तारघर

टेलीग्राफ नेटवर्क के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत तारों के वितरण में तेजी लाने के उद्देश्य से पुरानी मोर्स टेलीग्राफ प्रणाली के स्थान पर 550 इलेक्ट्रानिक की बोर्ड्स तथा 57 इलेक्ट्रानिक की बोर्ड कंसेंट्रेटर्स उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

विद्युत क्षेत्र हेतु निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ

2159. **श्री रामश्रय प्रसाद सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत उत्पादन तथा वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सेवा सुनिश्चित करने हेतु निवेश को बढ़ावा देने वाले प्रकोष्ठ की स्थापना करने का विचार है?

(ख) निवेशकों की सूची में शामिल होने वाले भारतीय तथा विदेशी विद्युत कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) निवेश सम्प्रवर्तन प्रकोष्ठ 1991 में स्थापित किया गया था, जब निजी विद्युत नीति आरम्भ की गई थी और यह भावी निवेशकर्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए तब से कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) : अभी तक विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी निवेशकर्ताओं के (जिनमें अनिवासी भारतीय तथा संयुक्त उद्यम प्रस्ताव भी शामिल हैं), लगभग 104181 करोड़ रुपये की लागत तथा 32661 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि के लिए निजी क्षेत्र में 75 परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उड़ीसा में एक ताप विद्युत संयंत्र के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा दो इलैक्ट्रिकल सर्किलों के वितरण के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी क्षेत्र कम्पनियों द्वारा प्रकट की गई रुचि का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
एक.	**नई विद्युत परियोजना**				
1.	जैगुरूपाडु जीबीपीपी/ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	235.00 (गैस)	827.00	जीवीके इण्डस्ट्रीज, यूएसए
2.	काकीनाडा जीबीपीपी/ (गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	208.00 (गैस)	748.43	स्पैक्ट्रम पावर जेनरेशन लि.
3.	विशाखापट्टनम टीपीएस/ आन्ध्र प्रदेश	विदेशी /भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2×500) (कोयला)	3000.00	अशोक लीलैण्ड एण्ड नेशनल पावर (यू.के.)

1	2	3	4	5	6
4.	कृष्णापट्टनम टीपीएस/ आन्ध्र प्रदेश		1000.00 (2×500) (कोयला)	3500.00	बोली के अधीन
5.	रामागुण्डम टीपीसएस/ आन्ध्र प्रदेश		500.00 (2×250)	1750.00	बोली के अधीन
	जोड़ : आन्ध्र प्रदेश		2943.00	9825.43	
6.	कामेंग एच ई पी/ अरूणाचल प्रदेश	भारतीय/विदेशी	600.00 (हाइडल)	1800.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. स्नोवी माउटेंस इंजीनियरिंग (आस्ट्रेलिया)
7.	खारसांग जीबीपीपी/ अरुणाचल प्रदेश	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	48.00 गैस	168.00	इन्टरकोर्प इण्डस्ट्रीज लि. स्नोवी माउटेंस इंजीनियरिंग आस्ट्रेलिया
	जोड़ : अरूणाचल प्रदेश		648.00	1968.00	
8.	कारबी लांपी एचईपी/ (लोअर बारापानी) असम	भारतीय	100.00 (हाइडल)	300.00	भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन/ सुभाष प्रोजेक्ट्स एण्ड मार्केटिंग लि.
9.	अम्गुरी जीबीपीपी/असम	विदेशी	360.00 (गैस)	1280.00	नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्क.यूएस.ए/ आगरा इण्डस्ट्रीज

1	2	3	4	5	6
10.	आदामटिल्ला ओपन साइकल/ असम	भारतीय	15.00 (ग)	52.50	डीएलएफ पावर कारपोरेशन लि.
11.	बाशखण्डी ओपन साइकल/ जोड़ : असम	भारतीय	22.50 (गैस)	87.75	डीएलएफ पावर कारपोरेशन लि.
			497.50	1711.25	
12.	चान्दिल टीपीएस/बिहार	भारतीय	500.00 (2×250) (कोयला)	1637.00	आरपीजी इन्टरप्राईजेज
	जोड़ : बिहार		500.00	1637.00	
13.	बवाना जीबीपीपी दिल्ली		800.00 (गैस)	2000.00	मूल्यांकनाधीन बोली
	जोड़ : दिल्ली		800.00	2000.00	
14.	पागुथान जीबीपीपी/गुजरात संयुक्त उद्यम	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	654.70 (गैस)	2178.14	गुजरात टोररेंट एनर्जी कारपोरेशन लि./सीमेंस जर्मनी
15.	लिग्नाइट आधारित टीपीएस/ गुजरात	विदेशी	250.00 (लिग्नाइट)	875.00	एज़नबर्ग ग्रुप ऑफ क. इज़रायल
	जोड़ : गुजरात		904.70	3053.14	

1	2	3	4	5	6
16.	हिसार टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1000.00	कार्जेट्रिक्स इन्क. यूएसए.
17.	यमुनानगर टीपीएस/हरियाणा	विदेशी	1000.00 (4×250) (कोयला)	3500.00	एतनबर्ग ग्रुप ऑफ कं. इज़रायल
	जोड़: हरियाणा		1500.00	4500.00	
18.	धान्वी एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	22.50 (हाइडल)	40.00	पंजाब पावर जेनरेशन मशीन्स लि.
19.	ठहल-3 एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	70.00 (3×23.4) (हाइडल)	176.77	बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि. दिल्ली
20.	बास्पा एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	300.00 (हाइडल)	547.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
21.	हिब्रा एचईपी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	231.00 (हाइडल)	708.50	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यूएसए

1	2	3	4	5	6
22.	धामवाड़ी एचईपी/हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (हाइडल)	245.00	हार्जा इंजीनियरिंग कं. यूएसए
23.	कारछम-वांग्टू/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	900.00 (हाइडल)	3150.00	जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
24.	नीयोगल एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	12.00 (हाइडल)	42.00	ओम पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली
25.	एल्तायन-दुहांगन एचईपी/ हिमाचल प्रदेश	भारतीय	192.00 (हाइडल)	672.00	राजस्थान रिपनिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
26.	मलाना एचईपी/हिमाचल प्रदेश	भारतीय	86.00 (हाइडल)	301.00	राजस्थान स्पिनिन्नंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
	जोड़ : हिमाचल प्रदेश		1883.50	5882.27	
27.	मंगलौर टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	1000.00 कोयला	508.00	कांजेंट्रिक्सस इन्क.यूएसए
28.	मंगलौर टीपीएस/कर्नाटक	भारतीय विदेशी	300.00 (कोयला)	900.00	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि./ नेशनल पावर (यू.के.)

1	2	3	4	5	6
29.	अलमाट्टी डैम इचईपी/कर्नाटक	विदेशी/भारतीय संयुक्त उद्यम	600.00 (हाइडल)	1800.00	एशिया पावर कं. लि. (टापको) यूएसए, कर्नाटक पावर कारपोरेशन
30.	होस्पेट टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1×500) (कोयला)	1350.00	हॉक इन्टरकॉर्टिनेंटल लि. यूएसए
31.	रायचुर चरण-5 टीपीएस/कर्नाटक	विदेशी/भारतीय	500.00 (2×2500) (कोयला)	1000.70	पब्लिक पावर इन्ट. इन्क. (नार्थ-इस्ट एनर्जी) यूएसए कर्नाटक पावर कारपोरेशन
	जोड़ : कर्नाटक		2900.00	10138.78	
32.	थ्रीक्कारीपुर टीपीपी/केरल	विदेशी	420.00 (2×210) (कोयला)	1480.00	एम. ए. एल. मजरूई जन. ट्रेडिंग इस्ट. यूएई सस्मचर पावर कं. यूएसए
33.	कंयुगल एचईपी/केरल	भारतीय	20.00 (हाइडल)	35.05	इण्डसिल इलेक्ट्रोस्मैल्ट्स लि.

1	2	3	4	5	6
34.	बूथाथानैक्ट्ट एचईपी/केरल	भारतीय	16.00 (हाइडल)	25.00	सिल्काल मैटलर्जिक (पी) लि.
35.	उल्लुकंल एचईपी/केरल	भारतीय	6.00 (हाइडल)	13.55	ट्रावान्कोल इलैक्ट् कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ लि.
36.	करीक्कायाम एचईपी/केरल	भारतीय	12.00 (हाइडल)	30.00	ट्रावांन्कोर इलैक्ट्रोलैमिकल इण्डस्ट्रीज लि.
37.	बारापोल एचईपी/केरल	भारतीय	9.00 (हाइडल)	12.21	आईडियल प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसज (पी) लि.
38.	चाथांकोट्टुनाडा-2 केरल	भारतीय	7.00 (हाइडल)	4.94	आईडियल प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसज (पी) लि.
39.	अनाक्कायाम एचईपी/केरल	भारतीय	8.00 (हाइडल)	29.10	आईडियल प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसिज़ (पी) लि.
40.	चैम्बूक्काडावु-2 केरल	भारतीय	9.00 (हाइडल)	12.85	आईडियल प्रोजैक्ट्स एण्ड सर्विसिज़ (पी) लि.

1	2	3	4	5	6
41.	पालचुरम एचईपी/केरल	भारतीय	3.50 (हाइडल)	4.72	आईडियल प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसिज़ (पी) लि.
42.	विलांगाद एच ई पी / केरल	भारतीय	7.00 (हाइडल)	10.59	आईडियल प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसिज़ (पी) लि.
43.	वैस्टर्न कल्लार एचईपी/केरल	भारतीय	5.00 (हाइडल)	6.95	आईडियल प्रोजैक्ट्स एण्ड सर्विसिज़ (पी) लि.
	जोड़ : केरल		522.50	1664.96	
44.	पेंच टीपीएस/मध्य प्रदेश	भारतीय	420.00 (2×210) (कोयला)	1272.23	सैन्च्यूरी पावर*
45.	माहेश्वर एचईपी/मध्य प्रदेश	भारतीय	400.00 (10×40) (हाईडल)	1073.00	एस. कुमार्स
46.	कोरबा वैस्ट विस्तार यूनिट-5 व 6 टीपीएस/मध्य प्रदेश	भारतीय	420.00 (2×210) (कोयला)	977.57	मुकुन्द लि.

1	2	3	4	5	6
47.	भिलाई कैप्टिव टीपीएस/ मध्य प्रदेश	भारतीय/ संयुक्त उद्यम	500.0 (कोयला)	1200.00	स्टील आथार्टी ऑफ इण्डिया लि.
48.	तावा एचईपी/मध्य प्रदेश	भारतीय	12.00	20.00 (हाइडल)	एचईजी लिमिटेड
	जोड़ : मध्य प्रदेश		1752.00	4542.80	एनटीपीसी पहले सम्बद्ध थी। अब वे परियोजना से असम्बद्ध हैं। सैंच्यूरी पावर परियोजना के पीछे हट गई है।
49.	दभोल सीसीजीटी (एस एन जी)/ महाराष्ट्र	विदेशी	2015.00 (एल एन जी)	9051.27	एन्रोन पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन एण्ड जनरल
50.	खापरखेड़ा टीपीएस यूनिट 5 एवं 6/ महाराष्ट्र	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1632.00	अरान्को लाइन शिप्पिंग कं. (माल्टा/सिंगापुर) आर आर एसोसिएट्स
51.	बार्ज/शिप माउंटेड/महाराष्ट्र	भारतीय	110.00 (1×110) (एलएसएचएस)	395.00	मेगा पावर प्रा. लि. (कोन्फिडैंस शिप्पिंग) कं. लि. (महाराष्ट्र)

1	2	3	4	5	6
52.	भिवपुरी पीएसएस/महाराष्ट्र	भारतीय	90.00 (1×90) (हाइडल)	89.87	टाटा इलैक्ट्रिक कं.
53.	खापरखेड़ा टीपीएस यूनिट 3 एवं 4/ महाराष्ट्र		500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	बोलियां मूल्यांकनाधीन
54.	नागोथाणे जी बी पी पी/ महाराष्ट्र		410.00 (गैस)	1435.00	बोलियां मूल्यांकनाधीन
55.	उम्रेद टीपीएस/महाराष्ट्र	विदेशी/ भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (कोयला)	3000.00	इस्पात अल्लायस लि./मित्सुई (जापान)
	जोड़ : महाराष्ट्र		4625.00	17353.14	
56.	तलचेर टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1500.00	स्पट्रमटैक्नोलोजीज,यूएसए

1	2	3	4	5	6
57.	कामलांगा (धान्कनाल टीपीएस) उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1500.00	इन्टरनेशनल इक्विटी पार्टनर्स एल पी यू एस ए.
58.	इब घाटी टीपीएस/ उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2×210) (कोयला)	2025.60	ए ई एस कारपोरेशन, यू एस ए
59.	इब घाटी टी पी एस/उड़ीसा	विदेशी	3000.00 (कोयला)	10500.00	आइज़नबर्ग ग्रुप आफ कं. इज़रायल
60.	डुबुरी टी पी एस / उड़ीसा	विदेशी/भारतीय	500.00 (2×250) (कोयला)	1548.00	कलिंगा पावर कारपोरेशन / नार्थ वेस्ट एनर्जी सर्विसिज़ इन्क. यूएसए/उड़ीसा सरकार
61.	लापांगा टी पी एस / उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	पायोनीयर एनर्जी इन्क. यूएसए/ह्यूक इंजीनियरिंग सर्विसिज

1	2	3	4	5	6
62.	नराज टी पी एस / उड़ीसा	भारतीय	1000.00 (4×250) (कोयला)	3500.00	इस्पात अल्लायस लि. कलकत्ता
	जोड़ उड़ीसा		6420.00	22323.60	
63.	बरसिंगसर टी पी एस/ राजस्थान	विदेशी	240.00 (2×120) (लिग्नाइट)	585.73	कोलमैन एण्ड एसोसिएट्स (आस्ट्रेलियन कन्सोर्टियम)
64.	चित्तौड़गढ़ टी पी एस / राजस्थान	भारतीय	500.00 (1×500) (कोयला)	1036.20	सेंच्युरी टक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
	जोड़ : राजस्थान		740.00	1621.93	
65.	कुड्डालूर टी पी एस तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2×500) (कोयला)	2000.00	इन्टरनेशनल कांट्राक्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन, यूएसए

1	2	3	4	5	6
66.	फिल्लई पैरूमलनैल्लूर सीसीजीटी/ तमिलनाडू	विदेशी	300.00 (2×100) + (1×100) (गैस)	429.49	पी. विजयकुमार रेड्डी, माकोवस्की एसोसिएट्स, यू एस ए
67.	जीरो यूनिट (एन एल सी) / तमिलनाडु	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210.00 (1×210) (लिग्नाइट)	750.00	एस टी पावर सिस्टम्स इन्क. यू एस ए / सी एम एस जेनरेशन, यूएसए
68.	श्रीमुष्णम लिग्नाइट टी पी एस/ तमिलनाडु	भारतीय	250.00 (1×250) (लिग्नाइट)	800.00	ठिकापको (जी एम स्वामी एसोसिएट्स)
69.	जायमकोण्डम लिग्नाइट टी पी एस / तमिलनाडु	भारतीय/ विदेशी	1500.00 (3×500) (लिग्नाइट)	4500.00	जायमकोण्डम लिग्नाइट पावर कारपोरेशन लि. (टिडपो) ममनैल्ली भारत लि. एण्ड सिमैंस, जर्मनी
	जोड़ : तमिलनाडू		3260.00	8479.49	

1	2	3	4	5	6
70.	विष्णुप्रयोग एचईपी/ उत्तर प्रदेश	भारतीय	360.00 (3×120) (हाइडल)	612.00	जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
71.	रोसा टी पी एस / उत्तर प्रदेश	विदेशी / भारतीय	750.00 (3×250) (कोयला)	2625.00	इण्डो-गल्फ फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स/पावर जेनरेशन यू. के.
	जोड़ : उत्तर प्रदेश		1110.00	3237.88	
72.	सागरदीघी टी पी एस/ पं. बंगाल	विदेशी/ भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2×500) (कोयला)	2000.00	डेवलपमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. सी एम एस, यूएस ए जेनरेशन एण्ड डब्ल्यूबीएसईबी
73.	डान्कुनी जीबीपीपी/ पं. बंगाल	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20.00 (गैस)	48.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजिज यू एस ए
74.	गौरीपुर टीपीएस/ पं. बंगाल	भारतीय	135.00 (कोयला)	500.00	बिरला टैक्नीकल सर्विसिज़

1	2	3	4	5	6
75.	बाल्लागढ़ टी पी एस / पं. बंगाल	भारतीय	500.00 (2×250) (कोयला)	1671.48	सीईएससी लि. कलकत्ता
	जोड़ : बंगाल		1655.00	4211.48	
	जोड़ : उत्तरी क्षेत्र		6033.50	17242.08	
	जोड़ : पं. क्षेत्र		7281.70	24949.08	
	जोड़ : द. क्षेत्र		9625.50	30108.58	
	जोड़ : पूर्वी क्षेत्र		8575.00	28172.08	
	जोड़ : उत्तरी पूर्वी पूर्वी क्षेत्र		1145.50	3697.25	
	जोड़ : अखिल भारत		32661.20	104151.07	
	दो नवीकरण एवं आधुनिकीकरण प्रस्ताव :				
1.	तलचेर टीपीएस/उड़ीसा	विदेशी	460.00 (4×60 + 2×210		कम्युनिटी एनर्जी अल्टरनेटिव (सी ई ए) इन्क. यूएसए.
	तीन वितरण प्रस्ताव				
1.	**कटक इलेक्ट्रिकल सर्किल/ उड़ीसा**	**भारतीय**			**इस्पात इल्लॉयल लि. कलकत्ता**
2.	**भुवनेश्वर इलेक्ट्रिकल सर्किल/ उड़ीसा**	**भारतीय**			**आरपीजी इन्टरप्राईजेज, कलकत्ता**

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम नेय्याथिंकारा बाईपास

2160. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :

श्री वी. एस. विजयराघवन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने त्रिवेन्द्रम-नेय्याथिंकारा संयुक्त बाईपास प्रथम चरण और अलापूजा बाईपास द्वितीय चरण के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए दो प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने हेतू क्या कार्यवाही की है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम-नेय्याथिंकारा संयुक्त बाईपास (चरण I) की 20.50 कि.मी. लम्बाई में से शेष 4.65 कि.मी. लम्बाई में निर्माण कार्य संबंधी प्रस्ताव संस्वीकृति-पूर्व अवस्था में है। अलापुझा बाईपास (चरण-II) संबंधी प्रस्ताव अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

अंतर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कें

2161. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री छेदी पासवान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण करने के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है, और

(ग) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष में कार्य चल रहा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मानदंड इस प्रकार है :

(I) आरपार आवागमन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्तर-राज्यीय सड़कें/पुल.

(II) उन नए क्षेत्रों को खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल, वहां निकट भविष्य में रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती हों,

(III) वे सड़कें/पुल जो तीव्र आर्थिक विकास में काफी योगदान दे सकें, अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों और उन स्थानों में जहां दोहन के लिए काफी खनिज सम्पदा हो।

(ख) पिछले तीन वर्षों में, प्रश्नगत योजना के अंतर्गत, उन्नाव जिले में गंगा नदी पर पुल के निर्माण से संबंधित एक निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

(ग) चालू वर्ष में इस योजना के तहत दो निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, अर्थात :

(i) बलिया - छपरा सड़क पर मंजीघाट के निकट घाघरा नदी पर पुल का निर्माण।

(ii) अम्बाला - सहारनपुर सड़क पर यमुना नदी पर पुल का निर्माण।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ संबंध

2162. श्री के. प्रधानी :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेशी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गये; और

(ग) पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) सरकार पाकिस्तान के साथ अपने सभी मतभेदों को शान्तिपूर्वक और शिमला समझौते के अन्तर्गत द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए संकल्पबद्ध है। 19 अक्तूबर, 1993 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रेषित एक संदेश में प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध मामलों सहित पारस्परिक हित-चिन्ता के सभी मामलों पर व्यापक और सृजनात्मक द्विपक्षीय बातचीत का प्रस्ताव दिया था।

भारत-पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक इस्लामाबाद में 1 से 3 जनवरी 1994 को हुई थी। इस बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों पर समग्र रूप से विचार किया गया था जिसमें जम्मू और कश्मीर से सम्बद्ध मतभेद भी शामिल थे। हमने आगे की बातचीत के लिए कार्यक्रम तय करने पर भी अपनी तत्परता व्यक्त की लेकिन पाकिस्तान आगे की बातचीत के लिए कोई निश्चित समय तय करने के लिए तत्पर नहीं था।

इस्लामाबाद में विदेश सचिव सतर की बातचीत के अनुसरण में सरकार ने 24 जनवरी, 1994 को पाकिस्तान को छह अ-दस्तावेज भेजे जिनमें सियाचिन, सरक्रीक, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन और शान्ति बनाये रखने से सम्बद्ध समझौते, तुलबल नौवहन परियोजना, पारस्परिक विश्वास विकसित करने के अतिरिक्त उपाय तथा भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के बारे में विशिष्ट और रचनात्मक सुझाव दिए गए थे।

21 मार्च, 1994 को सरकार ने पाकिस्तान से पुनः यह अनुरोध किया कि वह उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए गम्भीरता से भारतीय प्रस्तावों पर विचार करें क्योंकि ये प्रस्ताव व्यापक और सार्थक बातचीत का आधार हो सकते हैं और साथ ही यह सुझाव भी दिया कि विदेशी सचिव स्तर की वार्ता का 8वां दौर नई दिल्ली या इस्लामाबाद में पुनः शुरू किया जा सकता है। इस पर पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा है।

विदेश राज्य मंत्री श्री आर. एल भाटिया और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच 31 जुलाई, 1994 को ढाका में सम्पन्न एक बैठक में हमने बातचीत की अपनी पेशकश को दोहराया था और इस बात के लिए अपनी तत्परता भी व्यक्त की थी कि हम बातचीत के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री तथा विदेशी सचिव दोनों का उनकी सुविधा के अनुरूप स्वागत करने को तैयार हैं। हमने द्विपक्षीय मासलों पर लाभदायक विचार विनिमय भी किया जैसे एक-दूसरे की हिरासत में बंद मछेरों का शीघ्रता-पूर्वक आदान-प्रदान, राजनयिकों/कौंसली कार्मिकों के प्रति व्यवहार संबंधी आचार संहिता पर अमल, आदि।

सरकार ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बराबर अपनी तत्परता व्यक्त की है। तथापि, पकिस्तान आगे की बातचीत के कार्यक्रम को जम्मू और कश्मीर की वास्तविक स्थिति से जोड़ने की कोशिश कर रहा है जिसमें जम्मू तथा कश्मीर में आंतकवादियों के विरुद्ध तैनात सुरक्षाबलों का स्तर और जनमत संग्रह के तौर-तरीकों पर बातचीत के विषय भी शामिल हैं, जिन्हें भारत सरकार ने बराबर अस्वीकार्य माना है।

पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार जिसमें जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति के विषय में एक संकल्प पेश करने के उसके प्रयासों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने की उसकी कोशिशें शामिल हैं? तथा उसके कटु और उत्तेजनात्मक बयानों और कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों का वातावरण दूषित होता है और जो अच्छे पड़ोसियों के से संबंधों के अनुकूल नहीं है।

तेल शोधक कारखानों के लिए निदेश

2163. **श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न तेल शोधक कारखानों को धुंआ तथा अन्य गैसों का उत्सर्जन कम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए विशेष निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न तेल शोधक कारखानों में उठाए गये अथवा उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) तेल शोधक कारखानों के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक क्या निर्धारित है और प्रत्येक कारखाने द्वारा इनका कितना अनुपालन किया गया है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान तेल शोधक कारखाना क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए कितना पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय को दिनांक 19.5.93 की अधिसूचना के अनुसार सभी रिफाइनरियों को गैस निस्सरण और एम आई एन ए एस संबंधी शर्तों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह दी गई है। रिफाइनरियों ने सलफर संयंत्र की स्थापना, चिमनी की स्थापना और परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी यंत्रों की स्थापना, दहन पद्धति के बेहतर नियंत्रण और चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि आदि जैसे आवश्यक उपाय शुरु कर दिये हैं। जहां तक तरल निस्सारियों के लिए मिलास स्तर का संबंध है अधिकांश रिफाइनरियां अपेक्षित स्तर पूरा करने जा रही हैं। इन उपायों की लागत भिन्न-भिन्न रिफाइनरियों में भिन्न भिन्न होती हैं और ये उपाय सतत प्रक्रिया के रूप में हैं तथा इसीलिए कुल लागत का सही आकलन कठिन है।

कानपुर उत्तर प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन

2164. श्री केशरी लाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के कितने लोगों को रसोई गैस कनेक्शन जारी करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार कानपुर के ग्रामीण क्षेत्र में नई एल पी जी गैस एजेन्सी खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो कहां-कहां; और

(घ) इनके कब से कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) नये एल पी जी कनेक्शनों का प्रदाय देहात/शहर आधार पर नहीं किया जाता है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल में पेट्रोल पम्प

2165. श्री सुरजभानु सोलंकी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान भोपाल में कितने पेट्रोल पम्पों की आक्स्मिक जांच की गई;

(ख) राज्य के पेट्रोल पम्पों में पायी गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993-94 के दौरान भोपाल में 58 पेट्रोल पम्पों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

(ख) इन पेट्रोल पम्पों में कोई अनियमितताएं नहीं पाई गईं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य प्रसंस्करण संयंत्र

2166. श्री के. मुरलीधरन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को लक्षयद्वीप समूह में टूना मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें मिनिकाय स्थित उनकी कैनिंग फैक्टरी में टूना व अन्य मछलियों के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की मांग की गई थी। उक्त परियोजना के लिए फरवरी, 1993 के दौरान लक्षद्वीप विकास निगम लि0 को 26.25 लाख रुपये की धनराशि सहायता अनुदान के रूप में वितरित की गई।

सांसदों के कोटा से टेलीफोन कनेक्शन

2167. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जुलाई, 1994 के दौरान सी जी एम, पश्चिम बंगाल दूरसंचार सर्विस से दिल्ली स्थित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यालय को प्राप्त हुए सांसदों के कोटे से कितने टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी दी गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं; और

(ग) शेष टेलीफोन कनेक्शन कब तक प्रदान कर दिए जाएंगे?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जनवरी से जुलाई, 1994 के दौरान पश्चिम बंगाल सर्किल से महानगर टेलीफोन निगम लि0 नई दिल्ली के कार्यालय में 180 मंजूरी पत्र प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :

पश्चिम	38
मध्य	14
उत्तर	16
दक्षिण	80
पूर्व	32

(ख) अब तक 63 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

(ग) तकनीकी दृष्टि से अव्यवहार्य मामलों को 31 मार्च, 1995 तक निपटा दिए जाने की संभावना है। क्षेत्रों के तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो जाने पर, ये टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर रूप से प्रदान कर दिए जाएंगे। केवल पंजीकरण विवरणों के अभाव के कारण विचाराधीन मामलों को पंजीकरण संबंधी विवरण प्रस्तुत करने पर निपटा दिया जाएगा।

असम को केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता

2168. श्री प्रबीन डेका : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में केन्द्रीय सड़क निधि में वित्तपोषित चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अनुमानित लागत, अब तक दी गई धनराशि तथा अब तक खर्च की गई धनराशि का परियोजना वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने आबंटित की गई समस्त धनराशि दे दी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित असम में चल रहे निर्माण कार्यों का ब्यौरा तथा उनकी अनुमानित लागत और अनुमोदित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अनुमोदित स्कीमों की कुल लागत, पहले जारी की गई निधियों, अखिल भारतीय आधार पर

पारस्परिक प्राथमिकता, राज्य सरकार द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं और उपलब्ध बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए पूरे राज्य के लिए निधियों का आबंटन प्रतिवर्ष किया जाता है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चल रहे कार्यों के लिए असम को तीन वर्ष के दौरान जारी निधियां इस प्रकार हैं:

	(लाख रू.)
1991-92	25.00
1992-93	60.00
1993-94	40.00

विवरण

(लाख रू.)

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमोदन की तारीख	अनुमानित लागत	के.स.नि. के अंतर्गत अनुमोदित राशि
1	2	3	4	5
1.	रा.रा.37 पर पुल सं0 9/1 से रा.रा.के साथ जुड़ने के स्थान (142-146 कि.मी.) तक (गुवाहाटी के पश्चिम में) रा.रा. 37 के शहरी सम्पर्क भाग में वाहन चलाने की सड़क गुणता में सुधार	20.1.92	38.12	38.12
2.	नार्थ गुवाहाटी अमीनगांव हाजो नलबाड़ी सड़क को 15वें से 34 वें कि.मी. तक चौड़ा करना	20.1.92	70.00	70.00

1	2	3	4	5
3.	तेजपुर सड़क प्रभाग के अंतर्गत रंगापाड़ा से बोरजुली तक।	4.5.93	15.00	15.00
4.	तेजपुर सड़क प्रभाग के अंतर्गत खानामुख से कचुबील तक।	4.5.93	15.00	15.00
5.	लीलावाड़ी सियाजुली सड़क।	4.5.93	10.00	10.00
6.	अनीपुर ओलीबिया चेरा सड़क।	4.5.93	10.00	10.00

रसोई गैस और मिट्टी के तेल का आयात

2169. श्री राम निहोर राय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर-सरकारी क्षेत्र की किन-किन कंपनियों के कितनी-कितनी मात्रा में रसोई गैस और मिट्टी के तेल का आयात करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) क्या गैर सरकारी कंपनियां सरकारी क्षेत्र के आयल कंपनियों की तुलना में रसोई गैस और मिट्टी तेल कम कीमत पर आयात कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) समान्तर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी एजेंसियों को एल पी जी और मिट्टी के तेल का आयात करने तथा बाजार निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए अनुमति दी गई है। इसके लिए उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। तथापि उन्हें यथा लागू सुरक्षा प्रदूषण नियंत्रण आदि से संबंधित संगत अधिनियमों और नियमों के अधीन आवश्यक अनुमोदा प्राप्त करने होंगे।

(ख) और (ग) जिस कीमत पर इन उत्पादों का निजी एजेंसियों द्वारा आयात किया जाता है, उनका विवरण सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की नीलम परियोजना

2170. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की नीलम परियोजना हाल ही में चालू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कुल कितनी लागत आई;

(ग) इसे पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसमें लगी सामग्री की लागत और श्रमिक लागत का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) परियोजना की संभाल क्षमता निम्नानुसार है।

तेल	120000 बी ओ पी डी
गैस	2.6 एम एम एस सी एम डी
जल	229000 बी डब्ल्यू पी डी

परियोजना से तेल का 4.5 एम एम टी पी ए और गैस का 1.8 एम एम एस सी एम डी अधिकतम उत्पादन होगा।

सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना की अनुमानित लागत 3541.85 करोड़ रुपए है।

(ग) परियोजना एकमुश्त कीमत पर टर्न-की आधार पर निष्पादित की गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन

2171. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्यरत हैं;

(ख) राज्य में गत तीन वर्ष के दौरान कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए; और

(ग) 1994-95 के दौरान कितने नए रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) मध्य प्रदेश में 1.4.94 तक 242 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें काम कर रही थीं।

(ख) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा जारी किए गए एल पी जी कनेकशनों का ब्यौरा निम्नवत है :

1991-92	-	46009
1992-93	-	33514
1993-94	-	49823

(ग) एल पी जी कनेक्शन राज्य आधार पर जारी नहीं किए जाते। यह उत्पाद की उपलब्धता, वर्ष की ग्राहक नामांकन योजना, राज्य में डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लेक और प्रतीक्षा-सूची के आधार पर जारी किए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चार लेनों वाला बनाना

2172. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बल्लभगढ़ से आगरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को चार लेनों वाला बनाने के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है,

(ख) अब तक इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है, और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) (क) से (क) : यह कार्य तीन खंडों में है। ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं.	खंड का नाम	गत 2 वर्षों की प्रगति	खर्च की गई राशि (करोड़ रू.)	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	बल्लभगढ़ से हरियाणा उ.प्र. सीमा खंड	जून, 1994 तक 23 प्रतिशत प्रगति हुई	जून 1994 तक 24.70 करोड़ रू.	जून 1996
2.	हरियाणा-उ.प्र. सीमा से मथुरा खंड	जून, 1994 तक 11.76 प्रतिशत प्रगति हुई	जून, 1994 तक 13.14 करोड़ रू.	जून, 1996

1	2	3	4	5
3.	मथुरा-आगरा खंड	यह कार्य अभी निविदापूर्व की स्थिति में है। अतः इसके पूरा होने की संभावित तारीख इस स्तर पर बता पाना संभव नहीं है।		

[अनुवाद]

डाक सेवा संबंधी नीति

2173. श्री लाल बाबू राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवाओं के संबंध में सरकार ने कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डाक विभाग देश में पर्याप्त डाक सेवाएं सुलभ कराने की नीति का निरंतर अनुसरण करता आ रहा है। काउंटर सेवाएं डाक नेटवर्क का नियमित विस्तार करके सुलभ कराई जाती हैं मेल प्रोसेसिंग तथा वितरण में सुधार, उपयुक्त परिवहन प्रणाली को अपनाकर और बेहतर प्रबंध के जरिए कार्यविधि को युक्तिसंगत बनाकर किया जाता है। देश में तेजी से बढ़ रही विकास की गति ने एक आधुनिक प्रणाली की अपेक्षा के साथ-साथ ग्राहक की नाना प्रकार की आवश्यकताओं को जन्म दिया है। लोगों की इन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए डाक विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ डाक सेवा के आधुनिकीकरण की एक नीति लागू कर रहा है।

(i) नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके, यांत्रिक उपकरण अपनाकर और कार्यविधि को युक्ति-संगत बनाकर कार्यकुशल, त्वरित तथा उत्तरदायित्वपूर्ण ग्राहक-सेवा प्रदान करना;

(ii) ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नई मूल्यवर्धित सेवाएं आरंभ करना;

(iii) कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि तथा कार्य एवं सेवाशर्तों का अध्ययन कर कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाकर तथा काम का स्वच्छ तथा आत्मीय माहौल बनाकर ग्राहकों को और अधिक सुविधा प्रदान करना।

(ख) देश में 500 से अधिक विभिन्न डाक काउंटरों पर, कम्प्यूटर पर आधारित काउंटर मशीनें लगाई गई हैं। काउंटर सेवाओं पर प्रबंध-नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि सेवा ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति और अधिक दायित्वपूर्ण बन सके। पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से डाकघरों का पूरी तरह से आधुनिकीकरण करने के कार्यक्रम, उत्कृष्टता-पाकेट्स बनाने के लिए, चयनात्मक आधार पर शुरू किये जा रहे हैं। ये पाकेट्स आधुनिकीकरण के लिए मॉडलों का काम करेंगे।

बंबई में अप्रैल, 1993 में प्रथम आटोमैटिक मेल प्रोसेसिंग सेन्टर स्थापित करने के साथ ही मेल प्रोसेसिंग के क्षेत्र में नई प्रोद्योगिकियों की शुरूआत की गई है। महत्वपूर्ण डाक संग्रहण केन्द्रों में ऐसी और मेल प्रोसेसिंग प्रणालियां स्थापित करने की योजना बनाई गई है। उपग्रह चैनल के माध्यम से मनीआर्डर के त्वरित पारेषण के लिए एक प्रायोगिक योजना भी कार्यान्वयनाधीन है। बचत बैंक और डाक जीवन बीमा कार्यों में कस्टमर इंटरफेस के आधुनिकीकरण पर बदलते हुए इन सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण प्रारंभ किया गया है।

कारपोरेट सेक्टर के लिए त्वरित मनी ट्रांसफर की सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से कारपोरेट मनीआर्डर सेवा की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है।

मेट्रो तथा राजधानी चैनल की शुरूआत से राष्ट्रीय राजधानी तथा महानगरों व राज्यों की राजधानियों के बीच पिनकोड अंकित डाक की विशाल मात्रा पर विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसी डाक को अब निर्धारित तथा व्यवस्थित चैनलों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है और 24 से 48 घंटे के भीतर गंतव्य स्थानों पर वितरित कर दिया जाता है। एक मुश्त भेजी गई बिजनेस डाक को अलग से निपटाने के लिए एक बिजनेस चैनल भी शुरू किया गया है।

देश में महत्वपूर्ण डाकघरों में पोस्टशॉप व टेलीकॉम शॉप स्थापित करने की एक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। ये शॉप डाक विभाग व दूर संचार विभाग के बीच पारस्परिक सहयोग द्वारा ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगी।

दक्षिणी राज्यों में रसोई गैस

2174. श्री के. प्रधानी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में रसोई गैस की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में रसोई गैस की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) दक्षिणी राज्यों के अंतर्गत एल पी जी (रसोई गैस) के वर्तमान ग्राहकों की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जाती है। संभावित अस्थायी बकायों को छुट्टी के दिनों में काम करके काम के घंटों को बढ़ाकर बाटलिंग संयंत्रों के प्रचालन तथा समीपवर्ती क्षेत्रों के बाटलिंग संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्थ करके पूरा किया जाता है।

केरल में नये टेलीफोन एक्सचेंज

2175. श्री टी. जे. अंजलोज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में नये इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेजों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी और उनकी क्षमता कितनी होगी;

(ग) इनके कब से चालू होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) इनके मार्च, 1995 तक चालू हो जाने की आशा है।

विवरण

केरल में 1994-95 के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नये टेलीफोन एक्सचेंज।

एल्लिप्पे

(1)	अर्थिकल	-	256 पी सी - डॉट रैक्स
(2)	पथिरापल्ली	-	256 पी सी - डॉट रैक्स
(3)	एल्लिप्पे यूनिट III	-	2000 लाइनें आरएलयू

केन्नानूर

(1)	वनियाप्पारा	-	256 पी सी-डॉट रैक्स
(2)	तेल्लीचेरी यूनिट II	-	3000 लाइनें आरएलयू

कालीकट

(1)	आरईसी कालीकट	-	256 पी सी डॉट रैक्स
(2)	कालीकट यूनिट-II	-	10000 लाइनें (नई प्रौद्योगिकी)
(3)	कालीकट यूनिट-III	-	5000 लाइनें ई-10 बी मेन

एर्नाकुलम

(1)	मंजाप्रा	-	256 पी सी-डॉट रैक्स
(2)	मुरूक्कुमपडम्	-	256 पी सी - डॉट रैक्स

(3)	एर्नाकुलम यूनिट IV -	2000 लाइनें (नई प्रौद्योगिकी)
(4)	एर्नाकुलम-विलिंगटन द्वीप समूह यूनिट-II	3000 लाइनें सी - डॉट मैक्स-1
(5)	कोठामंगलम यूनिट - II	2000 लाइनें सी-डॉट मैक्स-1
(6)	पेरूम्बवूर यूनिट-II	3000 लाइनें सी-डॉट मैक्स - 1
पालघाट		
(1)	पालघाट यूनिट - II	5000 लाइनें आरएलयू
पथनामथिट्टा		
(1)	वलीकोड़ - कोट्टायम	- 256 पीसी-डॉट रैक्स
क्विलॉन		
(1)	क्विलॉन-वेल्लायिट्टमबालोम	- 2000 लाइनें आरएलयू
त्रिवेन्द्रम		
(1)	त्रिवेन्द्रम - कैथामुक्कू	- 4000 लाइनें (नई प्रौद्योगिकी)
(2)	त्रिवेन्द्रम - कैथानम्	- 2000 लाइनें (नई प्रौद्योगिकी)
(3)	त्रिवेन्द्रम-मैडिकल कालेज यूनिट-II	- ई-10बी (एस) 4000 लाइनें
	जोड़ :	- 20 एक्सचेंज

सेल्यूलर टेलीफोनों का संचालन

4176. **श्री अमल दत्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक अथवा एक से अधिक संचालकों द्वारा महानगरों में सेल्यूलर टेलीफोन संचालित कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) प्रति व्यक्ति एक्सचेंज उपकरण पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा ग्राहों को किराये के रूप में और कॉल के रूप में कितना प्रभार देना पड़ेगा;

(घ) जिन स्थानों पर ऐसे टेलीफोनों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, वहां प्रत्येक स्थान पर सेल्यूलर टेलीफोन के लिए ग्राहकों की संख्या क्या है; और

(ड.) सरकार ने सेल्यूलर टेलीफोन आपरेटरों में क्षेत्र बांटने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। प्रत्येक महानगरीय शहर में दो प्रचालकों को लाइसेंस आधार पर सेल्यूलस मोबाइल टेलीफोन सेवाएं फ्रेंचाइज करने का निर्णय लिया गया है।

(ख) लाइसेंस, गैस विशिष्ट आधार (नॉन इक्सक्लूसिव बेसिस) पर दिए जाएंगे तथा यह सेवा, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा के भीतर प्रदान की जाएगी।

(ग) सरकार, लाईसेंस धारक द्वारा खरीदे गए संस्थापित, प्रचालित तथा अनुरक्षित एक्चेंज उपस्कर कोई व्यय नहीं करेगी। किराए एवं काल प्रभारों की अधिकतम सीमा के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) उपभोक्ताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। यह कार्य लाईसेंस धारकों द्वारा किया जाएगा।

(ड.) प्रत्येक महानगरीय शहर के दो प्रचालकों को शहर के सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र में गैर विशिष्ट आधार पर सेवा का प्रचालन करने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना

2177. श्री फूल चंद वर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितने पंचायत मुख्यालयों को अभी तक टेलीफोन सुविधा से जोड़ा गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि व्यय की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधा के साथ पंचायत मुख्यालयों के साथ जोड़े गए ग्रामों की कुल संख्या 18,424 है।

(ख) पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान इस प्रयोजन से व्यय की गई राशि लगभग 173 करोड़ रुपए है।

रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्र

2178. श्री काशी राम राणा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार रसोई गैस बॉटलिंग एकक कहां-कहां स्थापित है और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्येक एकक द्वारा वास्तव में कितना उत्पादन किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

क्र. सं.	राज्य	भराई संयंत्र	कम्पनी	विद्यमान भराई क्षमता	वास्तविक उत्पादन 1991-92 (मि. टन में)	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाडा	आईओसी	22	15,920	21,370	37,520
		चेरलापल्ली	एचपीसी	78	54685	60598	76630
		विजयवाड़ा	एचपीसी	44	15481	24947	28032
		विशाख (कोंडापली)	एचपीसी	44	44158.	48166	54856
		टेडापल्ली	एचपीसी		1213*	-	-
						*अप्रैल, 1992 में संयंत्र बन्द	
2.	असम	बोगाईगांव	आईओसी	22	28720	34070	36080
		गुवाहाटी	आईओसी	5	4350	3480	5840
		आयल दुलियाजान	आईओसी	25	25000	23000	20000
		सिलचर	आईओसी	10	360	7580	8740
3.	बिहार	जमशेदपुर	आईओसी	25	32420	32190	34350
		बरौनी	आईओसी	15	11940	7000	12790
4.	गोआ	गोवा	एचपीसी	22	13342	13575	14662
5.	गुजरात	राजकोट	आईओसी	44	54650	46980	51000
		हजीरा	आईओसी	44	76450	72100	76340

1	2	3	4	5	6	7	8
		सूरत	एचपीसी	12	21737	20058	21498
		गांधी नगर	एचपीसी	26	18034	23029	27768
		कोयाली	आईओसी	102	60870	61140	57960
		अहमदाबाद	बीपीसी	34	मार्च, 1994 में संयंत्र आरम्भ हुआ।		
6.	हरियाणा	करनाल	आईओसी	44	55070	54630	54530
		हिसार	बीपीसी	10	11600	12700	13700
		प्याला	बीपीसी	132	54200	66200	84300
		जिन्द	एचपीसी	22	15787	16082	20134
		बहादुरगढ़	एचपीसी	22	-	-	13914
7.	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	आईओसी	10	9960	11600	13990
8.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू (बारी ब्राह्मना)	एचपीसी	20	10232	12731	14901
		श्रीनगर (पुलवामा)	एचपीसी	7	2339	1920	1531
9.	कर्नाटक	बंगलौर	आईओसी	34	75390	75060	74350
		बंगलौर	एचपीसी	34	36052	38709	41030
		मैसूर	एचपीसी	22	17784	16153	19140
		हबली	एचपीसी	22	15925	20061	23379
		मैंगलौर	बीपीसी	22	18800	25600	26700
10.	केरल	कोचीन	आईओसी	25	-	-	-
		त्रिवेन्द्रम	बीपीसी	22	23700	26700	26200
		कालीकट	आईओसी	18	-	22240	27170
		पालघाट	एचपीसी	10	-	2364	10075
		सीआरएच	आईओसी	25	22000	15000	3000*

*सीआरएल ने जून, 93 से बॉटलिंग बन्द कर दिया है।

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	मध्य प्रदेश	भोपाल	आईओसी	44	41650	52010	59560
		भिटोही	बीपीसी	44	29000	30700	33900
		हंगलिया	एचपीसी	34	25816	30865	33217
		रायपुर	एचपीसी	44	11540	17348	20145
12.	महाराष्ट्र	बम्बई	बीपीसी	122	16100	127400	119100
		उरन	बीपीसी	132	38400	76700	93000
		जलगांव	बीपीसी	22	32800	36000	43700
		शोलापुर	बीपीसी	22	32700	36400	43700
		बम्बई	एचपीसी	65	54352	58176	56044
		औरंगाबाद	एचपीसी	22	18847	19078	24319
		चन्दरपुर	एचपीसी	22	12332	14568	15935
		खपरी	एचपीसी	34	29810	32475	35457
		हीराज (हाजरनदी)	एचपीसी	22	14747	16052	17445
		नागुल	एचपीसी	25	39646	40825	4414
		चाखन/पूणे	एचपीसी	44	-	10279	26865
					20377	14360	-
		पूणे	आईओसी	22	-	-	3310
	* संयंत्र को स्थानान्तरित कर चाखन में लगाया और फरवरी, 1993 से बन्द कर दिया गया।						
13.	उड़ीसा	बालासोर	आईओसी	25	32100	31970	29730
		खुरदा	बीपीसी	10	7900	8800	9600
		खुरदारोड (जट्नी)	एचपीसी	44	21936	24196	25380
14.	पंजाब	जालंधर	आईओसी	68	60990	67230	72880
		लैअरू	बीपीसी	88	31400	38100	46700
		होशियारपुर	एचपीसी	13	10246	12145	12506

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	राजस्थान	सवाईमाधोपुर	आईओसी	44	39060	45750	51710
		अजमेर	आईओसी	10	10030	10220	11120
		जयपुर	बीपीसी	10	22000	23800	27200
		जोधपुर	एचपीसी	18	18306	21037	19350
16.	तमिलनाडु	कोयम्बतूर	बीपीसी	34	40200	49000	51900
		तूतीकोरिन	बीपीसी	10	12700	14800	21200
		एमआरएल	आईओसी	75	78000	76000	77000
		सलेम	आईओसी	34	77040	79630	78900
17.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	आईओमी	64	70710	76450	80030
		मथुरा	आई.ओ सी	88	96410	100330	109380
		इलाहाबाद	आईओसी	34	31150	38870	45160
		हल्द्वानी	आईओसी	22	10450	10180	11070
		हरिद्वार	आईओसी	22	9890	10860	15070
		बरेली	बीपीसी	10	11700	13600	13700
		लखनऊ	बीपीसी	10	11600	12800	13700
		कासना	एचपीसी	13	13248	13446	14035
		उन्नाव	एचपीसी	13	14393	13870	14749
		गोरखपुर	एचपीसी	13	1063	5911	7417
		वाराणसी	आईओसी	25	14670	28850	32790
18.	पश्चिम बंगाल	कल्याणी	आईओसी	44	45400	43600	50000
		दुर्गापुर	आईओसी	64	46130	59980	52730
		हल्दिया	आईओसी	22	240	16430	18780
		पहाड़पुर	एचपीसी	26	21474	23795	25365
संघ राज्य क्षेत्र							
19.	दिल्ली	शकूरबस्ती	एचपीसी	**	15632	17677	6959
		टिकरीकलां	आईओसी	132	147410	158020	163200
** संयंत्र को स्थानान्तरित कर बहादुरगढ़ में लगाया गया और सितम्बर, 1993 में बन्द कर दिया गया।							
20.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	आईओसी	10	-	-	1790

[हिन्दी]

इस्पात उत्पादन

2179. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात विकास कोष लेवी की वसूली बंद कर देने से इस्पात क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले के मूल्य में वृद्धि की वजह से इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां तो उत्पादन लागत में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इस्पात के उत्पादन को लाभप्रद बनाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) इस्पात विकास निधि लेवी को समाप्त किए जाने से उन सरकारी क्षेत्र के और अन्य एकीकृत इस्पात संयंत्रों की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है जिनसे इस्पात विकास निधि लेवी ली जाती थी। तथापि इस लाभ का निवल प्रभाव विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। जैसे कि की गई बिक्री की मात्रा, आदान लागत में वह वृद्धि जो उपभोक्ता पर नहीं डाली जा सकती, आदि।

(ग) और (घ) यह सच है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि होने से एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इस्पात की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। अनुमान है कि कोयले के मूल्य में वृद्धि होने से "सेल" के संबंध में विक्रय इस्पात की उत्पादन लागत में 90 रु. प्रति टन तक की वृद्धि होगी।

इस्पात की उत्पादन लागत में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे कि संस्थापित क्षमता के उपयोग में वृद्धि, उत्पादकता में सुधार करना, प्रभावी अनुरक्षण, समय पर आधुनिकीकरण एवं सन्तुलित निवेश के माध्यम से उपकरणों की उपलब्धता में सुधार करना, उत्पाद मिश्र में सुधार करना, मूल्यवर्धित उत्पादों को बनाना तथा उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करना तथा लागत नियन्त्रण एवं लागत में कमी करने आदि से संबंधित अन्य उपायों को कार्यान्वित करना।

[अनुवाद]

स्थानीय एक्सचेंज

2180. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को स्थानीय एक्सचेजों की आपूर्ति के लिए बोली लगाने हेतु प्रोत्साहित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, अन्य कंपनियों की भांति स्थानीय एक्सचेंज की खुली निविदा बोलियों में भाग ले सकती हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2181. **श्री लाल बाबू राय :**

श्री छेदी पासवान :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संभावनाओं का आकलन कराने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में ऐसे औद्योगिक एकक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) मंत्रालय ने अपनी योजना स्कीमों के तहत स्वयं ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, लेकिन मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के और विकास के लिए उसके विभिन्न पहलुहों का अध्ययन करने हेतु राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं और संगठनों को सहायता उपलब्ध कराता है।

दिसम्बर, 1993 में बिहार औद्योगिक तथा तकनीकी परामर्शदात्री संगठन लि. पटना को बिहार में प्रसंस्करण उद्योग के लिए फल और सब्जियों के उत्पादन, विपणन के योग्य अतिरिक्त फल और सब्जियों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन के वास्ते तीन लाख रू. दिए गए थे।

रिपोर्ट के आधार पर उद्योगों की वृद्धि अथवा सहायता पर विचार गुण-अवगुन के आधार पर रिपोर्ट उपलब्ध होने पर किया जा सकता है।

औरंगाबाद में गबन

2182. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिले और मराठवाड़ा डिवीजन में दूर संचार के कार्यालयों में हुए गबन के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) एक कर्मचारी ने कैश काउन्टर पर काम करते समय सरकारी खजाने में नगद धन राशि का हिस्सा जमा न करके 4,75,000 रू. धोखा-धड़ी की।

(ग) मामला दिनांक 10.11.1993 क्रांन्ति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दिया गया है। एक राजपत्रित एवं 3 अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई है।

दूरसंचार उपकरणों के निर्यात पर रोक

2183. श्री महेश कनोड़िया:

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में दूरसंचार उप-करणों के निर्माताओं से इन उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिये उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्रों से टेलीफोन उपकरण

2184. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र से टेलीफोन उपकरण खरीदता है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान मुम्बई और दिल्ली के लिये महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा खरीदे गए उपकरणों का क्या ब्यौरा हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सामान्य टेलीफोन उपकरण का मूल्य कम करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या इस मामले में कोई उत्पादक संघ काम कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे टेलीफोनों के लिये क्या मूल्य अदा करना होगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) एम टी एन एल, निविदाओं के आधार पर टेलीफोन उपकरण खरीदता है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्र की कंपनियां भाग लेती हैं।

(ख) 1993-94 के दौरान एम टी एन एल द्वारा खरीदे गये उपकरणों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

दिल्ली	:	1,80,000 अदद
बंबई	:	2,19,750 अदद

(ग) और (घ) प्राप्त किए गए टेलीफोन उपकरणों की कीमत निविदाओं में प्रस्तुत न्यूनतम कीमत पर आधारित है। हाल के वर्षों में, स्वदेशीकरण तथा प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतों में गिरावट का रूझान रहा है।

(ड.) 1994-95 वर्ष के दौरान खरीद हेतु निविदा में प्राप्त कीमतों से किसी व्यावसायिक संगठन का पता नहीं चलता है।

(च) लागू नहीं।

नकली गैस सिलेंडर

2185. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े पैमाने पर नकली गैस सिलिंडर वितरित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान बाटलिंग संयंत्र में ऐसे कितने गैस सिलिंडरों का पता चला है; और

(ग) सरकार ने इस भ्रष्टचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) देश के कुछ एक भागों से कुछ नकली एल पी जी (रसोई गैस) सिलिंडरों का पता लगाया गया है।

(ख) 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान बाटलिंग संयंत्रों में पता चले ऐसे सिलिंडरों की संख्या क्रमशः 5495 तथा 3778 है।

(ग) जाली सिलिंडर अवांछनीय तत्वों द्वारा सिलिंडर निर्माताओं से प्राप्त किए जाने के उपरांत विपणन प्रणाली के अंतर्गत प्रविष्ट करा दिए जाते हैं। जब अनुमोदित तथा लाइसेंस प्राप्त सिलिंडर निर्माता जाली सिलिंडरों का निर्माण एवं उनकी आपूर्ति करते पाए जाते हैं तो उस स्थिति में तेल उद्योग द्वारा उनसे सिलिंडरों को अगली प्राप्ति बंद कर दी जाती है तथा सांविधिक अनुमोदन वापस कर लिए जाते हैं। ऐसे निर्माताओं तथा उन लोगों के विरुद्ध जो नकली सिलिंडरों के परिचालन में संलिप्त पाये जाते हैं, पुलिस कार्यवाही की जाती है। संभावित परिसरों में छापे मारे जाते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है तथा नकली सिलिंडर जप्त कर लिए जाते हैं।

बाम्बे हाई में गैस का जलाया जाना

2186. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाम्बे हाई की जोरो गैस प्रज्वलन परियोजना में वित्त पोषण करने वाली विदेशी एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो जाने पर गैस की कितनी मात्रा उपलब्ध होने की संभावना है;

(ग) क्या इस गैस की संभावित उपलब्धता में कोई कमी आने का अनुमान है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ जापान की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। ओ एन जी सी ने भी विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं

के लिए उधार का समझौता किया है।

(ख) 1996-97 में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से गैस की परिकल्पित उपलब्धता संकुचल और ओ एन जी सी व गेल द्वारा आन्तिरिक उपयोग के पश्चात् 39.85 एम एम एस सी एम डी है।

(ग) और (घ) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से परिकल्पित उपलब्धता नई परियोजनाओं के शेडयूल में परिवर्तन और उच्च जी ओ आर कूपों के बन्द किए जाने सहित रेकिटफिकेटरी उपायों के कारण संशोधित कर दी गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

2187. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम पदार्थों की प्रस्तावित आयात की मात्रा और उनका मूल्य (विदेशी मुद्रा में) आदि क्या होगा; और

(ग) देश में पेट्रोलियम उत्पादों का अनुमानित घरेलू उत्पादन कितना है और देश में इनकी कीतनी मांग है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1994-95 के लिए 3030 मिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित मूल्य पर 14.773 एम एम टी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) 1994-95 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का स्वदेशी उत्पादन और मांग क्रमशः 51.75 एम एम टी और 64.10 एम एम टी होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन

2188. डा. अमृतलाल कालिदास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम बिना टेलीफोन कनेक्शन वाले व्यक्तियों को हजारों रुपए के टेलीफोन बिल भेजता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत दो वर्षों के दौरान ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्रवार कितने बिल भेजे गए;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1988 में पंजीकृत व्यक्तियों के घरों में टेलीफोन उपकरण तो लगा दिए गए हैं परन्तु कनेक्शन नहीं दिए गए हैं जबकि 1991-92 में पंजीकृत उपभोक्ताओं के उपकरण चालू कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

2189. श्री अरबिन्द त्रिवेदी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी टेलीफोन एक्सचेंज सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) राज्य में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु कितनी मांगे लंबित हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गये है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां। गुजरात राज्य में ग्रामीण एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, वर्षात के दौरान कहीं-कहीं कुछ ट्रंक लाइनों के खराब (ब्रेकडाऊन) हो जाने के कारण कभी-कभी कुछ एक ग्रामीण एक्सचेंजों की संपर्कता प्रभावित हो जाती है। ऐसी खराबियों को ठीक करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा पुराने प्रौद्योगिकी स्वीचों को सुव्यवस्थित ढंग से बदला जा रहा है। निधियों और उपस्करों की उपलब्धता पर निर्भर करती हुई, सिरोपरि लंबी दूरी पारेषण लाइनों को उच्च ग्रेड पारेषण मध्यम द्वारा उत्तरोत्तर रूप से बदला जा रहा है।

(ग) विभागीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नये ग्रामीण एक्सचेजों को खोलने की आवश्यकता को आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जा रही है और उपस्कर तथा भवनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नये एक्सचेंज समय-समय पर खोले जा रहे हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात दूरसंचार सर्किल में

50 नये ग्रामीण एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(घ) 30.6.94 की स्थिति के अनुसार गुजरात सर्किल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 90,532 (नम्बे हजार पांच सौ बत्तीस) टेलीफोन कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मथुरा-बरेली राजमार्ग पर पुल

2190. श्री राजवीर सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछाला गंगा नदी के ऊपर मथुरा-बरेली राजमार्ग पर एक अतिरिक्त पुल बनाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) भारत सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए ही जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। प्रस्तावित प्रश्नगत पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी योजना के अन्तर्गत ऐसे किसी पुल के निर्माण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना

2191. श्री एन. जे. राठवा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान गुजरात में विशेष रूप से बडौदरा, भरोच और पंचमहल जिलों में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के रूप में परिवर्तित करने का विचार है;

(ख) इनमें से कितने एक्सचेंज वास्तविक रूप से परिवर्तित किए गए हैं; और

(ग) शेष एक्सचेंजों को कब तक परिवर्तित किया जायेगा?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, इन वर्षों में, गुजरात एवं बड़ोदरा, भड़ोच तथा पंचमहल जिलों में, वास्तविक तौर पर इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदले गये एक्सचेंजों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सभी कम क्षमता वाले इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को मार्च, 1997 तक इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किये जाने की संभावना है एवं बड़ी क्षमता वाले अन्य इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों को उनकी निर्धारित उपयोग की मियाद समाप्त हो जाने पर बदल दिया जाएगा।

1991-92 तथा 1992-93 के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किये गये मैनुअल तथा इलेक्ट्रो-मैकेनिक एक्सचेजों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	यूनिट का नाम	91-92 में बदले गये एक्सचेंज	92-93 में बदले गये एक्सचेंज
1.	गुजरात	177	312
2.	बड़ोदरा जिला	7	24
3.	पंचमहल जिला	6	16
4.	भड़ोच जिला	6	11

आयल इंडिया लि. द्वारा निवेश

2192. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयल इंडिया लि. द्वारा ''पोर्टफोलियों मैनेजमेंट स्कीम'' के तहत बैंकों में धनराशि छः महीने से अधिक अवधि के लिए थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी द्वारा ''पोर्टफोलियों मैनेजमेंट स्कीम'' के तहत निवेशित धनराशि अक्तूबर, 1993 तक नहीं लौटाई गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) ओ आई एल के अनुसार इन वर्षों के दौरान किए गए निवेश निश्चित ब्याज दर पर थे और उन्हें निक्षेप माना गया था।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में डाक जीवन बीमा

2193. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक जीवन बीमा की सदस्य संख्या बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी प्रचार विधि का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष	पॉलिसियों की संख्या
1991-92	869
1992-93	1012
1993-94	1097

पॉलिसियों की जिलावार औसत संख्या वर्ष 1991-92 में 62, वर्ष 1991-92 में 72 तथा वर्ष 1993-94 में 78 रही।

(ग) डाक जीवन बीमा से संबंधित प्रचार फील्डर्स पोस्टमास्टरों, विकास अधिकारियों तथा फील्ड अधिकारियों द्वारा वितरित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण डाकघरों में होर्डिंग्स भी प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा यथोचित प्रचार भी किया जाता है।

मैंगनीज अयस्क

2194. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में मैंगनीज अयस्क का कितना-कितना उत्पादन, खपत और निर्यात हुआ है;

(ख) क्या मैंगनीज अयस्क के उत्पादन एवं निर्यात में सतत कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने मैंगनीज अयस्क का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन, खपत और निर्यात निम्नलिखित है:

(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन	प्रेषण (आन्तरिक खपत हेतु)	निर्यात
1991-92	16.40	14.54	2.60
1992-93	18.70	15.58	2.23
1993-94	17.81	14.68	2.49

(अनन्तिम)

(ख) और (ग) जैसा कि उपरोक्त विवरण से देखा जा सकता है कि मैंगनीज अयस्क के उत्पादन और निर्यात में सतत् रुप से कोई कमी नहीं हुई है।

(घ) इस समय मैंगजीन अयस्क का उत्पादन मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि गवेषण कार्य, निम्न ग्रेड अयस्क आदि का उपयोग करके मैंगनीज के नए निक्षेपों का पता लगाने के प्रयास किए गए हैं।

वर्ष 1993-94 से मैंगजीन अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने एक वर्ष की पिछली परिपाटी के स्थान पर तीन वर्ष के लिए मैंगजीन अयस्क के निर्यात की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। नई निर्यात-आयात नीति (एग्जिन) के तहत 1.4.94 से मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड को (अपनी खानों से उत्पादित) मैंगनीज अयस्क के निर्यात की मंजूरी दी गई है। हालांकि एम एम टी सी मैंगनीज अयस्क के निर्यात की मुख्य माध्यम एजेंसी बनी रहेगी।

आन्ध्र प्रदेश को आई एफ सी द्वारा ऋण

2195. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई एफ सी) ने आन्ध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने के लिए जे.वी.के. उद्योगों में निवेश की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो आई एफ सी द्वारा कुल कितना ऋण प्रदान किया गया है;

(ग) विद्युत संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी समझौता कब तक हो जाएगा; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की उत्पादन क्षमता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) मै.जी.वी.के. इण्डस्ट्रीज जो आन्ध्र प्रदेश में जेगरूपाडु गैस आधारित विद्युत परियोजना की स्थापना कर रही है, ने

सूचना दी है कि आई.एफ.सी. ने 110 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा ऋण को स्वीकृति प्रदान कर दी है तथा वह परियोजना की इक्विटी में 8.3 मिलियन अमरीकी डालर की राशि तक की भागीदारी के लिए भी सहमत हो गया है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और जी.वी. के. के मध्य रूपान्तरित विद्युत क्रय समझौते पर 4.7.94 को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

(घ) परियोजना संयंत्र की उत्पादन क्षमता 235 मे.वा. है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

2169. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या कुछ स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब किया जा रहा है; और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आठवीं पंच वर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 49 प्रस्ताव जुलाई, 1994 तक प्राप्त हो चुके हैं। उक्त अवधि में 118.89 करोड़ रु. के 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है।

(घ) और (ड.) भूमि अधिग्रहण में धीमी प्रगति, जनोपयोगी सेवाओं के स्थानान्तरण और ठेके से उत्पन्न समस्याओं, इत्यादि के कारण कुछ परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है।

[अनुवाद]

गुजरात में ड्रिलिंग संबंधी योजनाएं

2197. डा. के.डी. जेस्वाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि. ने गुजरात में कुछ नए क्षेत्रों की ड्रिलिंग के लिए कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग को ठोस कार्यक्रम क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) हाल में दो संभावना वाले क्षेत्र यथा कैम्बे बेसिन में "गंभीरा" तथा सौराष्ट्र में" लोधिका को वेधन हेतु हाथ में लिया गया है तथा वर्तमान में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. द्वारा उनमें वेधन किया जा रहा है। कैम्बे बेसिन के अंतर्गत अन्य दो क्षेत्रों यथा "देगाम" तथा "भांडू" को भी आयल एण्ड नेचुरल गैस का. लि. द्वारा वेधन हेतु हाथ में लिए जाने के लिए उनकी पहचान की गई है।

इसके अलावा गुजरात राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में वेधन हेतु नई संभावनाओं का पता लगाने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी हैं।

केरल में तटीय जल परिवहन प्रणाली

2198. प्रो. के.वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में अत्यधिक आबादी वाले शहरी केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कों पर भीड़-भाड़ कम करने हेतु त्वरित यात्री तटीय जल परिवहन प्रणाली आरंभ करना कितना व्यावहारिक है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु प्रोत्साहन

2199. श्री धर्मण्णा मोन्डब्वा सादुल : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उत्पादन में औसत वृद्धि कितनी रही है;

(ख) क्या इस उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों को योजना आवंटन के अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण

उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं. इसलिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में होने वाली वर्षवार और राज्य-वार औसत वृद्धि की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

(ख) मंत्रालय योजना स्कीम आबंटन के अतिरिक्त कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम में शाखा डाकघर

2200. श्री प्रबीन डेका : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान असम में खोले जाने वाले डाकघरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में अब तक खोले गये ऐसे डाकघरों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) असम में, वर्ष 1993-94 के दौरान, 25 डाकघर खोलने के लक्ष्य की तुलना में 26 शाखा डाकघर खोले गए।

जिन स्थानों पर ये डाकघर खोले गए हैं उनकी जानकारी एकत्र की जा रही है और उन स्थानों की सूची सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

2201. श्री अन्ना जोशी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव के लिए राज्य को वर्ष वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई थी तथा कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई थी;

(ख) राज्य सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की है; और

(ग) राज्य को 1994-95 के लिए शीर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव के लिए राज्य को आवंटित और जारी की गई राशि निम्न प्रकार है :-

वर्ष	निर्माण	रख-रखाव और मरम्मत (जारी की गई राशि) (लाख रू.)
1	2	3
1991-92	3358.00	1620.90
1992-93	3280.00	1506.67
1993-94	3080.00	1815.54

(ख) राज्य द्वारा यथा सूचित खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	निर्माण	रख-रखाव और मरम्मत (लाख रू.)
1	2	3
1991-92	3386.23	1929.47
1992-93	3510.75	1051.02
1993-94	5217.52	2125.56

(ग) राज्य को 1994-95 के लिए आबंटित शीर्ष-वार राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	निर्माण (आबंटित राशि)	रख-रखाव और मरम्मत (लाख रू.) (जारी की गई राशि)
1994-95	2600.00	833.40 (6/94 तक)

[हिन्दी]

तेल चयन बोर्ड

2202. **श्री केशरी लाल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के लिए तेल चयन बोर्ड के सदस्यों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने इस बोर्ड को पेट्रोल पम्पों के डीलरशिप की सिफारिश करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ग) क्या इस बोर्ड की सिफारिशों को मानना अनिवार्य है;

(घ) 30 जून, 1994 तक उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्पों की डीलरशिप के लिए बोर्ड द्वारा कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं और जिले वार-ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनमें से कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकृत की गईं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) तेल विपणनकर्ताओं कम्पनियों के विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवार साक्षात्कारों के आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए तेल चयन बोर्डों को सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तेल चयन बोर्डों की सिफारिशें सरकार के विचारार्थ नहीं भेजी जाती हैं। आशय पत्र जारी करने के लिए ये सिफारिशें उनके द्वारा संबंधित तेल कम्पनियों को भेजी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश के तेल चयन बोर्ड का गठन निम्नानुसार किया गया है :

(1)	न्यायमूर्ति श्री एस.ए. आबिदी (सेवानिवृत्त)	-	अध्यक्ष
(2)	रिक्त		सदस्य
(3)	श्री जे.एन. तिवारी	-	सदस्य

तेल चयन बोर्ड (उत्तर प्रदेश) की सिफारिशों के आधार पर तेल कम्पनियों ने खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए 102 आशय पत्र जारी किये हैं।

गुजरात में पेट्रोल/ डीजल बिक्री केन्द्र/रसोई गैस एजेंसियां

2203. श्री काशीराम राणा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में नए पेट्रोल, डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसियां खोलने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो ये इस समय किस चरण में हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धातुकर्मीय कोक

2204. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिंक संयंत्रों के लिए धातूकर्मीय कोक देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी इसका आयात किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा आयातित धातुकार्मिक कोक के मामले की जांच करने हेतु एक जांच समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी सहायता

2205. श्री नीतीश कुमार :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान विद्युत क्षेत्र में विदेशी सहायता की कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया;

(ख) सहायता की पूरी राशि का उपयोग नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सहायता से देश में विद्युत उत्पादन की कितनी क्षमता प्राप्त होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) विदेशी सहायता सामान्यत: परियोजना की ऊर्जा के आधार पर मुहैया की जाती है। वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में 3250.32 करोड़ रुपये विदेशी सहायता की राशि उपयोग की गई थी। शेष 31060.09 करोड़ रुपये परियोजना क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुसार अनुवर्ती वर्षों में प्राप्त की जायेगी।

(ख) विदेशी सहायता के धीमी गति से समुपयोजन होने के पीछे अन्य बातों के साथ-साथ ये कारण हैं, विशेषकर राज्य क्षेत्र के परियोजना प्राधिकारियों के पास दूसरे पक्ष की निधियों की कमी,

क्रियान्वयन एजेंसियों की संगठनात्मक कमजोरी, प्रापण में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण पर्यावरण एवं विभिन्न स्वीकृतियां आदि में आने वाली अन्य कठिनाइयां/बाधाएं।

(ग) विदेशी सहायता प्राप्त विभिन्न चरणों में 31 बड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 14663.5 मे.वा. उत्पादन क्षमता प्राप्त होने की प्रत्याशा है।

नए टेलीफोन

2206. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकेटेस्वरलु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान राज्य-वार नए टेलीफोनों की स्थापना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) राज्य-वार कितने टेलीफोन वस्तुतः अब तक स्थापित किए गए हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	1994-95 के लिए डीईएल का लक्ष्य	1994-95 की 30 जून, 94 तक की उपलब्धियां	डीईएल के संशोधित लक्ष्य (नीचे दी गई) टिप्पणी देखें
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	82,000	26,972	140000
2.	असम	10,000	3,631	10000
3.	बिहार	35,000	6,777	35000
4.	गुजरात (दीव दादर दमन और नगर हवेली)	80,500	13,846	150000
5.	हरियाणा	22,000	9,546	60000
6.	हिमाचल प्रदेश	12,000	5,311	12000

1	2	3	4	5
7.	जम्मू तथा कश्मीर	4,000	110	4000
8.	कर्नाटक	79,000	16879	154000
9.	केरल (लक्ष्य द्वीप संघ क्षेत्र)	79,000	12408	90,000
10.	मध्य प्रदेश	57,000	8,547	128000
11.	उत्तर-पूर्व (अरूणाचल प्रदश) मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैण्ड, त्रिपुरा	8,000	759	80000
12.	महाराष्ट्र (गोवा सहित) एमटीएनएल बंबई को छोड़कर	1,07,000	8697	187000
13.	उड़ीसा	8,000	4,049	8000
14.	पंजाब (चंडीगढ़ संघ शासित राज्य सहित)	70,500	7,837	168000
15.	राजस्थान	67,000	7,838	151000
16.	तमिलनाडु (पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र सहित)	1,52,000	10,947	290000
17.	उत्तर प्रदेश	82,000	19,211	146000
18.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम राज्य सहित)	71,000	10,380	129000
19.	दिल्ली (एमटीएनएल)	2,60,000	13,020	1055000
20.	बंबई (एमटीएनएल)	14,000	21,752	
	जोड़ :	14,26,000	2,08,517	2925000

टिप्पणी : अतिरिक्त निधियां तथा पट्टे के आधार पर उपस्कर उपलब्ध होने पर लक्ष्यों को उपर्युक्त कॉलम (5) दिए अनुसार पुनः संशोधित किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास

2207. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में क्षेत्रवार विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र में विकास काफी कम रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) : अनुमान है कि आठवीं योजना अवधि के दौरान फल और सब्जी उत्पादों, स्नैक्स खाद्य, उपभोक्ता उत्पादों, फरमेंटड़ खाद्यों, दूध उत्पादों और प्रसंस्कृत मछली उत्पादों की औसत वार्षिक वृद्धि दर अधिक होगी जबकि अनाज उत्पादों, कोको उत्पादों, सोया आधारित उत्पादों, बेकरी उत्पादों, मांस और पाल्ट्री उत्पादों शीतल पेयों और जल आदि की वृद्धि दर मध्यम होगी। आशा है कि अन्य खाद्य उत्पादों की वृद्धि सकारात्मक होगी।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान मात्स्यिकी उत्पादन की वृद्धि दर निम्नलिखित है :

वर्ष	वार्षिक प्रतिशत वृद्धि
1991-92	6.39
1992-93	5.27
1993-94	4.43

(ग) अभी तक दोहन नहीं किए गए संसाधनों के दोहन के लिए सरकार गहन समुद्री मात्सियकी को प्रोत्साहित तथा गहन समुद्री मात्स्यिकी बड़ का विविधीकरण कर रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

2208. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय जिलेवार कितने टेलीफोन प्रयोक्ता हैं;

(ख) जिलेवार कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) 1991-92 और 1992-93 के दौरान कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किये गये थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं; और

(घ) शेष व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में 1.4.1997 तक संपूर्ण देश में व्यावहारिक रूप से मांग होने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना शामिल है।

विवरण

गुजरात में 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन उपभोक्ताओं की जिले-वार संख्या और प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	उपभोक्ताओं की सं.	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	1,99,437	52,301
2.	अमरेली	6,939	2,268
3.	बनासकंठा (पालनपुर)	16,419	4,741
4.	भावनगर	21,849	12,226
5.	भड़ौंच	20,449	4,571
6.	डांग	322	18
7.	गांधीनगर	10,040	1,362
8.	जामनगर	20,011	3,512
9.	जूनागढ़	25,284	5,610
10.	खेड़ा (नडियाड)	37,547	5,068
11.	कच्छ (भुज)	21,215	6,040
12.	मेहसाना	34,230	12,045
13.	पंचमहल (गोधरा)	12,296	3,527
14.	राजकोट	52,221	12,504

1	2	3	4
15.	साबरकांठा (हिम्मतनगर)	17,675	2,433
16.	सूरत	78,008	42,687
17.	सुरेन्द्रनगर	13,277	1,608
18.	बड़ोदरा	57,102	26,549
19.	बलसाड	24,485	10,984

ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया को कार्य सौंपना

2209. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया को हजीरा ताप्ती नदी के बेसिन की ''ड्रेजिंग टर्निंग'' का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी कंपनियों के साथ अनुबंध करने के फलस्वरूप घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो कितना घाटा हुआ है और इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) भारतीय निकर्षण निगम ने केवल नौचालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तापी नदी के एक सीमित क्षेत्र में ही निकर्षण कार्य किया था।

(ग) जी हां।

(घ) सी एस डी ''अक्वारियस'' जिसके लिए डच फर्म से तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिल रहा था, के कम कार्य निष्पादन के कारण 6 करोड़ रु. का घाटा हुआ है।

भारतीय मिशन

2210. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या **विदेश** मंत्री 25 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन देशों में मिशनों की स्थापना नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल.भाटिया) : उन देशों में, जहां इस समय कोई

भारतीय राजनयिक मिशन नहीं है, नया मिशन खोलने के बारे में निर्णय वित्तीय बाध्यताओं को ध्यान में रखकर और मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाता है। इन तथ्यों की निरन्तर और नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जब ये अनुकूल पाये जाते हैं तब नया मिशन खोलने का निर्णय लिया जाता हैं।

कच्चे तेल की शोधन क्षमता

2211. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सदी के अन्त तक देश में कच्चे तेल की शोधन क्षमता का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई तेल शोधन परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन सी हैं तथा उसकी शोधन क्षमता और उत्पादन लागत कितनी है;

(ड.) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाना था; और

(च) कौन-कौन सी परियोजनाऐं अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 से पेटोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग लगभग 102 एम एम टी पी ए होने का अनुमान है। देश में वर्तमान शोधन क्षमता 53.4 एमएमटी.पी.ए है। वर्तमान रिफाइनरियों के प्रस्तावित विस्तार पर विचार करते हुए और विभिन्न पार्टियों को अब तक जारी आशय पत्रों के आधार पर 2001-2002 तक पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए शोधन क्षमता के लगभग 121 एम एम टी पी ए तक बढ़ने की आशा है।

(ग) और (च) निर्माणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल शोधन परियोजनाओं की क्षमता लागत और पूर्णता के अनुमानित समय से संबंधित ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (एम एम टी पी ए में)	अनुमोदित लागत (करोड़ रूपए)	पूर्णता का अनुमानित समय
1	2	3	4	5
1.	डिग्बोई रिफाइनरी आधुनिकीकरण	0.15	346.34	2.2.96
2.	पानीपत रिफाइनरी	6.0	3868	6.4.97
3.	मंगलौर रिफाइनरीज एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	3.00	1160	10.4.95
4.	बी आर पी एल विस्तार	1.00	222.90	31.12.94
5.	सी आर एल विस्तार कोचीन	3.00	481.24	16.3.95
6.	नुमालीगढ़ रिफाइजरीज नुमालीगढ़	3.00	1830	15.7.97

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग

2212. श्री प्रबीन डेका : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष असम सरकार को राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, मरम्मत और रख-रखाव हेतु कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी राशि जारी की गई, और

(ख) 1994-95 के दौरान राज्य को इन उद्देश्यों के लिए शीर्षवार कितनी राशि आवंटित की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, उनकी मरम्मत और रख-रखाव के लिए पिछले तीन वर्षों में असम राज्य को आबंटित और जारी की गई राशि नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	निर्माण कार्य	रख-रखाव और मरम्मत
1991 92	1225.00	1018.09
1992 93	1275.00	1039.62
1993 94	1400.00	1355.22

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए राज्य को आबंटित/जारी की गई शीर्ष वार राशि के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :

वर्ष	निर्माण कार्य	रख-रखाव और मरम्मत (लाख रू.)
1994-95	1400.00	714.34 (6/94 तक)

केरल में दूरसंचार नेटवर्क

2213. प्रो. के.वी. थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी.पी.एल समूह ने केरल में समेकित दूरसंचार नेटवर्क शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स बी पी एल सिस्टम एण्ड प्रोजेक्ट, बंगलौर ने केरल में बुनियादी टेलीफोन सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने नेटवर्क प्रणाली के लिए तीन विकल्पों का प्रस्ताव रखा है :

(i) केवल 15 शहरों/कस्बों में समान्तर नेटवर्क ,

(ii) एक या दो जिलों में पूर्ण रूप से काम शुरू करना, और

(iii) त्रिचूर जिले में 12 एक्सचेंजों में (जहां 2-के या उससे अधिक की कमी हो) समानान्तर नेटवर्क।

(ग) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 94 के संबंध में निर्धारित किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इसी आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में टेलीफोन बिल

2214. श्री अन्ना जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उपभोक्ता संरक्षण मंच के समक्ष टेलीफोन बिलों से संबंधित कितने विवादित मामले लम्बित हैं;

(ख) सरकार को इससे कितनी हानि हुई है; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाए जाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिणी राज्यों में गैस की खोज

2215. श्री एम वी सिदनाल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दक्षिणी राज्यों के किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज शुरु की गई; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों (1991-92 से 1993-94) के दौरान दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश में 48 स्थानों और तामिलनाडु में 47 स्थानों में हाइड्रोकार्बनों के लिए अन्वेषण वेधन किया गया है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों में भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किए गए हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने के बाद उक्त अवधि के दौरान, 139 कूपों का वेधन किया गया है। इनमें से 40 कूपों में हाइड्रोकार्बन मिले हैं। 1.4.1994 तक 109.84 एम एम टी तेल और गैस के समतुल्य तेल के भूगर्भीय भंडारों का पता लागया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

2216. श्री तेज सिंह राव भोंसले : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिन राजमार्गों को राज्य सरकार ने वर्ष 1985 और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का अनुरोध किया था उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किए गए राजमार्ग कितने हैं और ऐसे राजमार्ग कौन-कौन से हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख)

महाराष्ट्र सरकार ने कुल 4,792 कि.मी. लम्बी सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए ग्यारह प्रस्ताव पेश किए हैं। फरवरी, 1989 में निजामाबाद-जगदलपुर सड़क को रा.रा. 16 के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल किया गया था और, संयोगवश, उसका लगभग 30 कि.मी. लम्बा हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम के तहत निधियों का बहुत कम आबंटन होने के कारण तथा अन्य प्राथमिकताओं को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में और वृद्धि कर पाना संभव नहीं हुआ है।

दिल्ली में सड़कों की हालत

2217. श्री प्रेमचन्द राम : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि के अभाव में दिल्ली में सड़कों की हालत बदतर हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या लिंक सड़कों की आवश्यक मरम्मत के लिए दिल्ली सरकार को पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इसके लिए धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। दिल्ली से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के अनुसार यातायात चलने योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है।

पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में रसोई गैस सुविधा

2218. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के दुर्गाचाक, पंसकुरा और एगरा के लोगों को रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : आर्थिक क्षमता और उत्पादन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये, 20,000 और इससे अधिक की आबादी वाले स्थानों पर, रसोई गैस एजेंसी स्थापित करने के लिये चरण बद्ध रूप में विचार किया जाता है। वर्तमान रसोई गैस विपणन योजना 1992-94 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के दुर्गाचाक, पंसकुरा और एगरा में रसोई गैस एजेंसी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

वाहनों से प्रदूषण

2219. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को एक महीने के लिए जब्त करने के उपबन्धों को लागू करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने के विचार हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का परिवहन विभाग वाहनों द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नियमित रूप से प्रदूषण नियंत्रण प्रवर्तन दल तैनात करता रहा है और निर्धारित प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने के लिए अभी तक 926 वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

[अनुवाद]

त्रिपुरा में खनिजों की उपलब्धता

2220. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में खनिज उपलब्धता का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या उनके वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ खनन हेतु आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सफाई संबंधी सामग्री (सेनिटरी वेयर्स) के निर्माण आदि के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली चिकनी मिट्टी के आर्थिक रूप से व्यवहार्य भंडारों की मोहनपुर-बापुतिया-कुमारघाट, चम्पापुरा, बलदाखाल, जगिन्द्रा नगर तथा कुमारघाट क्षेत्रों में पुष्टि की गई है। बिसरामगंज तथा पुराने अगरतला नगर (टाउन) क्षेत्रों में सफेद सीसा सैंड (व्हाइट ग्लास सैंड) के विस्तृत भंडारों के होने का पता चला है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय लड़कियों का अपहरण

2221. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारतीय सीमावर्ती गांवों से पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कितने भारतीय लड़कियों का अपहरण हुआ;

(ख) पाकिस्तान में रह रहे अपहृत हिन्दू लड़कियों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1994 के "दैनिक जागरण" में "मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट : पाकिस्तान में हिन्दू लड़कियों के अपहरण की घटनाएं बढ़ी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित बातों की सत्यता क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार का बराबर यह मत रहा है कि यह पाकिस्तान की सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सम्मिलित हैं, के अधिकारों की रक्षा करें।

बेनेजुएला से निवेश

2222. श्री राम कापसे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के खनन क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए बेनेजुएला सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कॉपर सेमिस का आयात

2223. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरिष्कृत तांबे, सेमिस तथा तैयार माल के लिए अलग-अलग आयात शुल्क संबंधी

कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने में असाधारण विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) निर्णय लेने में विलम्ब का कापर सेमिस और संबद्ध एककों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) क्या कॉपर सेमिस तथा तैयार उत्पादों के आयात से श्रमिकों की छंटनी होगी; और

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाने का है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) फिलहाल सरकार ने तांबे पर आयात शुल्क संरचना में कोई भी परिवर्तन न करने का निर्णय लिया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) घरेलू डाउनस्ट्रीम उत्पादों की समस्याओं को मूल्य समर्थन द्वारा सुलझाये जाने की आशा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2224. श्री येल्लैया नंदी : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की श्रेणी में शामिल किए गए उद्योगों के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार और राज्यवार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उद्योगों की वृद्धि दर क्या रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) मोटे तौर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में मिलिंग सहित अनाज तथा दाल प्रसंस्करण, तेल मिलिंग, खाद्य तेल वनस्पति जैसे वसा, अनाज तथा दाल आधारित उत्पाद, फल सब्जी और गिरी प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण, बेकरी-उत्पाद, पास्ता उत्पाद, खाद्य-स्टार्च, साब्रिटोल, सोया आधारित उत्पाद, दूध उत्पाद, शिशु आहार, वीनिंग फूड, माल्टेड फूड, मांस, पॉल्ट्री और अंडा प्रसंस्करण, मछली प्रसंस्करण, खमीर उठाए गए खाद्य, पेय अल्कोहल, वीयर, वाइन, कार्बनकृत और गैर कार्बनकृत पेय ओर जल तथा अन्य पेय, कोको उत्पाद, कन्फैक्शनरी, मिठाइयां, स्नैक्स फूड्स, फास्ट फूड्स, तैयार खाने योग्य खाद्य, चीनी, गुड़, खाँडसारी तथा अन्य चीनी, शहद प्रसंस्करण, खाद्य गुआरगय जैसे कतिपय योगज आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त उद्योगों में से कुछ उद्योग मंत्रालय के श्रेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते।

(ख) राज्यवार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र

2225. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितना बोक्साइट उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार के पास उत्तर तटवर्ती आंध्र प्रदेश में एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक परियोजना संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी जाएगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार 1.4.1990 को भारत में बॉक्साइट के प्राप्ति योग्य भण्डारों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(इकाई हजार टन)

राज्य	बॉक्साइट भण्डार
आंध्र प्रदेश	592,001
बिहार	61,104
गोवा	28,089
गुजरात	107,744
जम्मू और कश्मीर	1,783
कर्नाटक	27,416
केरल	7,923
मध्य प्रदेश	140,791
महाराष्ट्र	87,250
मेघालय	896
उड़ीसा	1,442,276
राजस्थान	318
तमिलनाडु	18,327
उत्तर प्रदेश	9,420

(ख), (ग) और (घ) सरकार को आंध्र प्रदेश में 100 प्रतिशत नियातोन्मुख एल्यूमिना परियोजना की स्थापना हेतु निम्नलिखित तीन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं :

(1) मैसर्स हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन (एचडीसी);

(2) मैसर्स बिरला टेकनीकल सर्विसेज (बी.टी.एस.); और

(3) मैसर्स कूंडला एल्यूमिनियम कंपनी लि.

मैसर्स एच.डी.सी. ने अपना आवेदन पत्र वापिस ले लिया है। शेष दो आवेदन पत्र आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में एल्यूमिना संयंत्रों की स्थापना के लिए हैं और सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

खनन क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश

2226. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दोहन के लिए दिये जाने योग्य प्रमुख और साधारण खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को अब तक विदेशी पूंजी निवेश के कितने आश्वासन मिले हैं;

(ग) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने रायल्टी दरों में कटौती की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारत में पंजीकृत कोई भी कम्पनी गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के पूर्वेक्षण/लाइसेंस/खनन पट्टे प्राप्त करने की पात्र है।

(ख) सरकार ने विदेशी निवेशकों से कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत खनिजों की दरों में आवधिक संशोधन किया जाता है।

सोने का उत्पादन और खपत

2227. श्री पंकज चौधरी :

श्री दत्ता मेघे :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वर्ण खानों के स्थल और अन्य ब्यौरे क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन खानों को वर्ष वार कितना लाभ/हानि हुई;

(ग) क्या देश में सोने की खपत विश्व में सबसे अधिक है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में सोने की वर्ष-वार कितनी खपत हुई;

(ड.) क्या सरकार देश में सोने की वर्तमान मांग को पूरा करने में असमर्थ है; और

(च) यदि हां, तो सोने का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लि. (बीजीएमएल) तथा हट्टी गोल्ड माइन्स लि. (एचजीएमएल) की स्वर्ण खानों की स्थिति निम्नवत् है :

स्वामी/खान	स्थिति जनपद	राज्य
1	2	3
बी.जी.एम.एल		
1. येप्पामाना	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश
2. चिगारगुंटा फेज-1	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
3. चिगारगुंटा फेज-2	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
4. ओल्ड बिसनाथन	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
5. मैसू चैम्पियन अमलगमेटेड	कोलार	कर्नाटक
6. नन्दीदुर्ग	कोलार	कर्नाटक
एच.जी.एम.एम		
1. हट्टी	रायचूर	कर्नाटक
2. मंगलूर	गुलबर्गा	कर्नाटक

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड और हट्टी माइन्स लिमिटेड द्वारा विगत तीन वर्षों में अर्जित लाभ/उठाई गई हानि का विवरण निम्नवत् है:

(करोड़ रू. में)

(लाभ) (-) हानि (-)

वर्ष	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	हट्टी गोल्ड माइन्स लिमिटेड
1991-92	- 42.28	+ 21.55
1992-93	- 34.30	+ 1.50
1993-94*	- 35.44	+ 5.32

*अनन्तिम

(ग) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

हीरे का खनन

2228. **श्री दत्ता मेघे :**

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री आर. धनुष्कोड़ी आदित्यन :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हीरे की खानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन खानों को वर्ष-वार कितना लाभ/घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने देश में हीरे की उपलब्धता का पुनः आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है;

(ङ.) क्या सरकार को देश में विशेषतौर पर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में खनन कार्य शुरू करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय हीरा खनन कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हमारे देश में हीरों की खानों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:

खान का नाम	स्थान	राज्य
जनपद	राज्य	
मइगांव	पन्ना	मध्य प्रदेश
शैलो	पन्ना	मध्य प्रदेश

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन खानों की लाभ/हानि की स्थिति का वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	लाभ/हानि
1991-92	(+) रु. 79.51 लाख लाभ
1992-93	(-) रु. 82.67 लाख हानि
1993-94	(-) 98.06 लाख हानि

(ग) और (घ) हाल में किए गए सर्वेक्षण से मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के बेहराडीह, पयालीखंड और जांगड़ा क्षेत्र में हीरा युक्त किम्बरलाइन पाइपों के तीन नए स्थान ज्ञात हुए हैं। इससे पहले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जनपद में वाजराकारूर, वेंकटम्पाला और चिगीचेरला क्षेत्रों में हीरा युक्त किम्बरलाइट पाइपों के मिलने की सूचना दी थी।

(ङ) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत किए जायें और उनका निर्णय भी संबंधित राज्य सरकारें ही लेंगी।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली पासपोर्ट

2229. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली से काफी विलंब के बाद पासपोर्ट जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन माह के दौरान कितने आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पासपोर्ट जारी नहीं किए गये हैं और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करने में लिया जाने वाला समय कार्यालय दर-कार्यालय अलग होता है और यह कई बातों पर निर्भर करता है। जिनमें कर्मचारियों की संख्या, कार्यभार, कार्यालय की आधारिक संरचना और निर्धारित प्रक्रिया पूरा होना शामिल है। जिन मामलों में दस्तावेज पूरे होते हैं उन सभी में पासपोर्ट लगभग 4 सप्ताह के भीतर जारी हो जाता है।

(ग) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली द्वारा 1 मई से 31 जुलाई, 1994 के बीच 30,137 पासपोर्ट जारी किए गए थे जबकि 2,170 आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेज/सत्यापन उदाहरणार्थ प्रवास का प्रमाण, सही और पूरा पता, पिता/पति का नाम, जन्म की तारीख, पुलिस सत्यापन आदि प्राप्त न होने के कारण लम्बित पड़े हैं।

कार्य दल

2230. **श्री एस. एम. लालजान बाशा :**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री रमेश चेन्नित्तला :

श्री येल्लैया नंदी :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी शिष्टमंडल की हाल ही में देश की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने इस्पात क्षेत्र में संयुक्त कार्य दल गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में चीनी सहयोग मांगा गया है;

(घ) क्या देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए चीन से निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चीनी शिष्टमंडल की यात्रा के दौरान इस्पात क्षेत्र में पूंजीगत निवेश संबंधी जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, उनका ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) श्री वू टीटूवान, उपमंत्री, धातुकर्मीय उद्योग मंत्रालय, चीनी गणराज्य के नेतृत्व में 8 सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने जुलाई, 1994 में भारत का दौरा किया तथा इस्पात क्षेत्र से संबंधित कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ विचार विमर्श किया। शिष्टमंडल की यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। तथापि, दोनों पक्ष कार्यदल गठित करने के संबंध में सहमत थे। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :

(i) इस्पात क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के संबंध में कार्यदल।

(ii) लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के संबंध में कार्यदल।

(iii) इस्पात उत्पादों के आयात और निर्यात के संबंध में कार्यदल।

(ग) इस्पात क्षेत्र में भारत-चीन सहयोग के संबंध में, सामान्य रुप से निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं:

(1) दोनों देशों में संयुक्त उद्यम।

(2) तीसरे देश की परियोजनाओं में संयुक्त भागीदारी।

(3) चीन में सफलतापूर्वक चालू की गई लघु धमन भट्टी और चूर्णित कोयला अंत:क्षेपण प्रौद्योगिकीयों का भारत में उपयोग करना।

(4) प्रत्यक्ष अपचयित लोहा (डी.आर.आई.) उत्पादित करने के लिए भारत से चीन को प्रौद्योगिकी का अन्तरण।

(5) भारत से चीन को लौह अयस्क का निर्यात तथा लौह अयस्क खनन कार्य में चीन द्वारा संयुक्त क्षेत्र में योगदान ;

(6) चीन से भारत द्वारा कोककर कोयले का आयात;

(7) भारत से चीन को इस्पात का निर्यात।

(घ) से (ङ) मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (मेकन) अपने लाइसेंसकर्ता चीन के मैसर्स सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इन्कारपोरेट, बीजिंग (सी.ई.आर.आई) से जानकारी (नो हाउ) के आधार पर चूर्णित कोयला अन्तः क्षेपण प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहा है जबकि भारत की एक फर्म मैसर्स सिम्पलैक्स ने लघु धमन भट्टी प्रौद्योगिकी के संबंध में मैसर्स चाईना मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एंड एक्म्पोर्ट कारपोरेशन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किया है।

(च) भारत और चीन के बीच परस्पर लोहा और इस्पात क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

भारत और चीन के बीच संयुक्त उद्यमों तथा प्रौद्योगिकीय सहयोगों की सूची

क्र.सं.	कम्पनी का नाम तथा स्थान	विदेशी सहयोगी का नाम	विनिर्माण की मद तथा क्षमता	विदेशी साम्या शेयर का प्रतिशत तथा राशि
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स मिड-ईस्ट इंटिग्रेटिड स्टील्स लिमिटेड, कलिंगा नगर, इंडस्ट्रियल यूनिट, उड़ीसा	मैसर्स चीन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन्कारपोरेशन चीन ।	कच्चा लोहा क्षमता 0.5 एम. टी.पी.ए.	4.55% (538 लाख रु.) एन.आर.आई.होल्डिंग 15.62 प्रतिशत (1846.36 लाख रु)
2.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि. नई दिल्ली	(i) मैसर्स चीन मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार0 चीन ।	लघु धमन भट्टी आदि की स्थापना करने के लिए इंजी./ड्राइंगों की सप्लाई	24 प्रतिशत 320.00 लाख रूपए की कुल प्रदत्त पूंजी का कुल 49 प्रतिशत
		(ii) मैसर्स बीजिंग सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च इन्कारपोरेशन, चीन ।	-वही-	25 प्रतिशत
3.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंजी. एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि., नई दिल्ली	मैसर्स बाओस्टील इंजी. एंड कन्सट्रक्शन कारपोरेशन चीन ।	धातुकर्मीय उद्योगों के क्षेत्र में तकनीकी/परियोजना परामर्शी सेवाएं	64.0 लाख रुपये की प्रदत्त पूंजी का 49 प्रतिशत

1	2	3	4	5
4.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंजी. एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि. नई दिल्ली	मैसर्स चीन नैशनल टेक्नोकल इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट कार. चीन।	कच्चे लोहे का निर्माण करने के लिए विभिन्न आकारों की लघु धमन भट्टी परियोजनाओं को टर्नकी सप्लाई।	20.47 लाख अमरीकन डालर
5.	मैसर्स सिम्पलैक्स इंजी. एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स लि. नई दिल्ली	-वही- -वही-	इस्पात का निर्माण करने के लिए विभिन्न आकार के लघु एल.डी. कन्वर्टरों की टर्नकी सप्लाई।	11.2 लाख अमीरकन डालर
6.	मैसर्स नागपुर अलॉय कास्टिंग्स लिमिटेड, नागपुर।	मैसर्स चीन स्नोनगेंग इन्टरनेशनल ट्रेड एण्ड इंजी. चीन।	अमिश्र कच्चा लोहा	6.46 लाख अमरीकन डालर

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

2231. **श्री खेलनराम जांगडे :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन संबंधी राष्ट्रीय समिति ने 1994 में मध्य प्रदेश की सात सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने नवम्बर, 1985 में इस बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचना दी थी; और

(ग) यदि हां, तो इन सड़कों को कब तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने मई, 1980 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में 9 सड़कों की संस्तुति की थी। दो सड़कों को विगत में पहले ही नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया जा चुका है। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बहुत ही कम निधियों के आबंटन के कारण और नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा कर पाना इस समय मुश्किल है।

[अनुवाद]

केरल और पश्चिम बंगाल में स्वर्ण भंडार

2232. **श्री चित्त बसु :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और पश्चिम बंगाल में सोने के बड़े भण्डार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन क्षेत्रों से सोने की वाणिज्यिक दोहन की आर्थिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) अभी तक केरल और पश्चिम बंगाल में किन्हीं महत्वपूर्ण स्वर्ण निक्षेपों का पता नहीं लगा है। तथापि, केरल के पालाक्काड

जनपद में क्वार्टज शिराओं और एम्पिबोलाइट शिस्टशैलों में स्थानिक रूप से उत्सावर्धक स्वर्ण अंश मिलने की जानकारी मिली है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

2233. श्री हरचन्द सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब में इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु संयुक्त उद्यम लगाने के लिए आदिवासी भारतीयों/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) एन.आर.आई/एम.एन.सी., से पंजाब में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अभ्रक की खानों का बंद होना

2234. डा. परशुराम गंगवार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार अभ्रक की कितनी खानें बंद की गयी हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में जिन अभ्रक खानों को पिछले तीन वर्षों के दौरान बन्द किया गया है, उनकी राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
आंध्र प्रदेश	9	20	18
बिहार	40	35	38
राजस्थान	6	2	6
कुल	55	57	62

[अनुवाद]

इस्पात की छड़ों का निर्यात

2235. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनकों भिलाई, इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात छड़ों का निर्यात किया जाता है;

(ख) 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी छड़ों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ग) 1994-95 के दौरान भिलाई संयंत्र द्वारा निर्यात की जाने वाली इस्पात छड़ों के अनुमानित आंकड़े क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) इस समय भिलाई इस्पात संयंत्र स्टील-रेल का निर्यात नहीं कर रहा है।

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा स्टील-रेल का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा स्टील रेल के निर्यात की कोई योजना नहीं है।

गुजरात केन्द्रीय सड़क निधि सहायता

2236. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से 1993-94 के दौरान सहायता प्राप्त करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के संबंध में क्या कार्यवाही की गई अथवा प्रस्तावित है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए सड़कों और पुलों से संबंधित 700.00 लाख रू. की लागत की पांच स्कीमें पेश की थीं। चूंकि गुजरात सरकार ने अपने हिस्से का उपयोग कर लिया है और पुराने संकल्प के अनुसार, कोई मुक्त शेष उपलब्ध नहीं है, इस स्तर पर इन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

लौह अयस्क खनन

2237. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे दर्जे के क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन एककों हेतु वित्तीय सहायता मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर उत्पादन एकक स्थापित किये जाने का विचार है और ये एकक कब से उत्पादन शुरू कर देंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार ने निजी क्षेत्र में लौह अयस्क उत्खनन के लिए कोई वित्तीय सहायता की मंजूरी नहीं दी है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में जिंक कैल्साइन

2238. श्री तेज नारायण सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के विशाखापट्टनम एकक में प्रचुर मात्रा में जिंक कैल्साइन होने के बावजूद इसे एक निजी प्रतिष्ठान से बिना प्रतियोगिता वाली दरों पर खरीदा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

2239. श्री तेज नारायण सिंह : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया को दो जहाज बेचने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति देने में विलंब किये जाने के कारण कारपोरेशन को घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्डाल्को

2240. श्री ललित उरांव : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग बीस वर्ष पहले हिन्डालको ने बिहार के लोहरदगा गुपला और पलामू जिलों में बाक्साइट आधारित उद्योग लगाने के लिए बिहार सरकार से कोई समझौता किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या हिन्डाल्को ने इस समझौते को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(ग) क्या इस समझौते को कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तरी ग्रिड में विद्युत व्यवस्था का ठप होना

2241. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी ग्रिड में फ्रीक्वेंसी की स्थिति खराब होने के क्या कारण थे, जिसके फलस्वरूप जून, 1994 के दौरान राजधानी के कई भागों में विद्युत व्यवस्था ठप हो गई थी; और

(ख) सरकार ने राजधानी के निवासियों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) कोयले और तेल की कमी के कारण सिंगरोली और रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्रों में 17 जून से 22 जून, 94 तक विद्युत उत्पादन में आकस्मिक कमी आई थी। परिणामस्वरूप उत्तरी ग्रिड में फ्रीक्वेंसी की स्थिति खराब हो गई, जिससे जून, 94 में विद्युत की आपूर्ति प्रभावित हुई। फ्रीक्वेंसी की स्थिति निम्नलिखित कारणों से भी खराब हुई :

(1) कृषि सम्बन्धी भारी मांग

(2) उच्च तापमान के कारण मौसम के विपरीत भार

(3) गैल द्वारा गैस आपूर्ति पर लगाये पंप प्रतिबन्धों के कारण गैस स्टेशनों में विद्युत उत्पादन कम होना, और

(4) डेसू समेत संघटकों द्वारा अतिरिक्त निकासी।

(ख) दिल्ली के निवासियों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करने हेतु उठाए गये कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) विस्तृत रख-रखाव और पारेषण एवं वितरण प्रणाली में विस्तार करना/उसे सशक्त बनाना।

(2) शंट-कैपेसिटरी की स्थापना करना।

(3) किसी कृतक बल द्वारा दिल्ली से विद्युत आपूर्ति की स्थिति की आवधिक मानिटरिंग करना।

(4) बिजली की चोरी और बिजली के उपयोग से सम्बन्धित नियमों के उल्लघंन पर नजर रखना।

(5) पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना।

(6) इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र, राजघाट विद्युत केन्द्र और गैस टर्बाइन विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन को इष्टतम करना।

दिल्ली में विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुधारने के लिए सुझाये गये दीर्घकालीन उपायों में निम्नलिखत शामिल हैं:

- विद्यमान गैस टर्बाइन केन्द्रों में वेस्ट हीट रिकवरी यूनिटों के रूप में 102 मे. वा. अतिरिक्त क्षमता अभिवृद्धि की स्थापना करना;

- बवाना में 400/450 मे.वा. संयुक्त साईकिल विद्युत संयंत्र की स्थापना करना; और

- उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से विद्युत के वितरण को सुगम बनाने के लिए दिल्ली के चारों ओर 400 कि.वा. पारेषण रिंग की स्थापना करना।

अतिरिक्त लेन के लिए मानदण्ड

2242. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग में अतिरिक्त लेनों के निर्माण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके एक लेन से दो लेन का बनाए जाने के लिए मूल मानदंड यह है कि जब यातायात की प्रतिदिन मात्रा, 1,000 पी सी यू (यात्री-कार यूनिट) से अधिक हो और जब प्रतिदिन यातायात की मात्रा 15,000 पी सी यू से अधिक हो जाए तब इन्हें दो लेन से चार लेन का बनाया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को चौड़ा करना

2243. श्री छीतू भाई गामीत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के गुजरात-महाराष्ट्र सीमावर्ती खंड में लेन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जो सड़क दो लेनों की रहेगी उसकी स्थिति क्या होगी; और

(घ) इन दो लेनों वाले खंड में सी वी डी और पी सी यू के अनुसार चलने वाले यातायात का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य रा.रा.-8 के बड़ोदरा--गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड के बारे में जानना चाहते हैं।

बड़ोदरा-गुजरात/महाराष्ट्र सीमा खंड की कुल 277 कि.मी. की लम्बाई में से 66 कि.मी. में पहले ही चार लेन बनाई जा चुकी हैं और 65 कि.मी. में चार लेन बनाए जाने संबंधी कार्य चल रहा है। अन्य 21.50 कि.मी. लम्बाई को मंजूरी हेतु वार्षिक योजना 1994-95 में शामिल कर लिया गया है। खंड के शेष भाग में दो लेन हैं।

(घ) सी वी डी और पी सी यू / दिन की सृष्टि से दो लेन वाले खंड में यातायात क्रमशः 11700 और 43200 है।

इस्पात की कमी

2244. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "प्लानर्स इन ए फिक्स ओवर स्टील सोर्टेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस्पात की घरेलु मांग को पूरा करने के लिए तत्काल और दीर्घकालीन बनाई गयी अथवा अन्तिम रूप दी गई नीतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश में इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु

सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित हैं :

(i) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और उनका विस्तार।

(ii) इस्पात उद्योग को नियंत्रण मुक्त करना तथा इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षाओं से भी छूट देना ताकि निजी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जा सकें।

(iii) इस्पात उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए पूंजीगत माल और अशंदानों के आयात पर सीमा शुल्क में कमी करना।

(घ) इस समय मैसर्स मिड-ईस्ट इन्टेग्रेटिड स्टील लिमिटेड से प्राप्त एक प्रस्ताव जो दैतारी, उड़ीसा में 4.10 लाख टन वार्षिक इस्पात के लम्बे उत्पादों के विनिर्माण के लिए मैसर्स चाईना मेटलर्जिकल इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा 25 करोड़ रूपए के विदेशी निवेश से उनके द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए जा रहे इस्पात संयंत्र के संबंध में है, विचाराधीन है। यह परियोजना उनकी कार्यान्वयनाधीन कच्चा लोहा अग्र-एकीकरण की 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई स्कीम के तहत है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हीरे और मैंगनीज के खनन पट्टे

2245. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मध्य प्रदेश में हीरे और मैंगनीज के खनन पट्टे दिए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन खानों को पट्टे पर देने से पहले केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमति ले ली थी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे दिये जाते हैं। कम्पनियों के मामले में अधिनियम में परिकल्पना की गई है कि कोई खनन पट्टा/पूर्वेक्षण लाईसेंस किसी कम्पनी को तभी दिया जा सकता है जब उसके अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों तथा कम से कम साठ प्रतिशत अंश पूंजी उन व्यक्तियों द्वारा धारित होनी चाहिए जो भारत के नागरिक हों या ऐसी कम्पनियों द्वारा धारित हो जैसा कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत परिभाषित है। दिनांक 25.1.94 को इस अधिनियम में संशोधन किया गया और अब इसके अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा-1 के अंतर्गत ही किसी कम्पनी को पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा दिया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

2246. श्री सूरजभानु सोलंकी :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है;

(ख) राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और भारी यातायात के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के किन-किन भागों को अधिक क्षति पहुंचती है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 2946 कि.मी.

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का ऐसा कोई विशेष भाग नहीं है जिसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण अधिक क्षति पहुंचने की संभावना हो। तथापि बाढ़ इत्यादि से क्षतिग्रस्त खंडों के रख-रखाव हेतु उपलब्ध निधियों के तहत-मरम्मत की जाती हैं।

केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2247. श्री थाइन जॉन अंजलोज : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ग) क्या इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के लिए भी प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगाई) : (क) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें 11397.71 लाख रु. का कुल निवेश किया जाएगा। इसके अलावा फरमेंटड खाद्य क्षेत्र में यूनिटें स्थापित करने संबंधी दो प्रस्तावों को नामाजूर किया गया है। फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र तथा मांस और पाल्ट्री उत्पाद क्षेत्र संबंधी सात प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की जा

चुकी है। इसके अलावा, मंत्रालय को विभिन्न योजना स्कीमों के तहत केरल से प्राप्त प्रस्तावों को 186 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

इन प्रस्तावों में उल्लिखित विदेशी निवेश 774.20 लाख रुपये हैं।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग

2248. श्री थाइल जॉन अन्जलोज : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए कितनी-धनराशि की मांग की और केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास राज्य में राजमार्गों और उपमार्गों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ड.) क्या इस लम्बित योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 940 कि.मी.

(ख) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध निधियों के अनुसार उन्हें यातायात चलने योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) केरल में गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से संबंधित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि	संघ सरकार द्वारा आवंटित राशि
1991-92	2340.00	1120.00
1992-93	1891.00	1400.00
1993-94	3972.00	3000.00

(घ) से (च) संवैधानिक रूप से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिये जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के

लिये संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें उत्तरदायी हैं।

खनन और खनिज के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

2249. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी, हिन्दुस्तान जिंक और विदेशी खनन तथा खनिज कम्पनियों के बीच संयुक्त उद्यम प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में किन्हीं समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विदेशी कम्पनियां इस देश में संयुक्त उद्यमों संबंधी अन्तिम समझौतों पर हस्ताक्षर करने में उदासीन हैं; और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि. ने विदेशी कम्पनियों के साथ किसी संयुक्त उद्यम परियोजना में कोई समझौता नहीं किया है। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड और आस्ट्रेलिया की न्यूगिनि खनन कम्पनी ने भारत में ज्ञात स्वर्ण संभावनाओं के मूल्यांकन और विकास के लिए दिनांक 18.7.94 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

(घ) देश में संयुक्त उद्यम लगाने के बारे में अन्तिम समझौतों पर हस्ताक्षर करने में विदेशी कम्पनियों द्वारा प्रकट की गई हिचक की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ.) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी

2250. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण क्षेत्र में "सटेट आफ दी आर्ट" प्रोद्योगिकी का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया ताकि प्राथमिकता सूची के अंतर्गत आने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कतिपय पैरामीटरों के अंतर्गत विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिए स्वतः अनुमति मिल सके। इसके अलावा विशिष्ट खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम कर दिया गया है।

इन उद्योगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा उपकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते इस मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जो कम लागत की प्रौद्योगिकी विकसित करने, इन उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा प्री-कूलिंग और कोल्ड चेन सिस्टम, समुद्री तथा प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पादों की अलग--अलग शीघ्र फ्रीजिंग आदि के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मशीनरी और प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान और विकास के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, मैसूर में एक खाद्य इंजीनियरिंग केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

[हिन्दी]

चावल मिल

2251. श्री एन. जे. राठवा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1994-95 के दौरान गुजरात में चावल मिलों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़कों के किनारे सुविधाएं

2252. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या जल-भूतल परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर विश्राम और सर्विस सेन्टर स्थापित करने की नीति

का परित्याग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस नीति के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(घ) राज्य में ऐसे कितने स्थल चुने गए हैं; और

(ङ.) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में इस मंत्रालय की एक स्कीम सरकारी सेक्टर तथा निजी सेक्टर में चालू है। निजी सेक्टर की स्कीम में पैट्रोल रिटेल आउटलेट को इन सुविधाओं के एक भाग के रूप में रखा गया था। यद्यपि, इसे वापिस ले लिया गया है।

(घ) और (ङ.) पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से चालू सरकारी सेक्टर की स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में पालमनार को चुना गया है। आधारभूत सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय ने भवन के भाग को मंजूरी दे दी है और निर्माण कार्य चालू है।

निजी क्षेत्र की स्कीम के तहत (पैट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई) रा.रा.-9 के आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा खंड में 82 कि.मी. पर यात्री परक मार्गस्थ सुविधाएं स्थापित किए जाने के लिए एक अग्रमी को आशय पत्र दे दिया गया है।

[हिन्दी]

आदिवासी जिलों में इस्पात संयंत्र

2253. श्री एन. जे. राठवा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के आदिवासी जिलों में एक इस्पात संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) गुजरात के आदिवासी जिलों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गैस जलाने में कमी करना

2254. श्री अन्ना जोशी : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गैस जलाने में कमी करने और अपतटीय गैस के प्रभावी उपयोग हेतु कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने ऊसर में एक नए गैस टर्मिनल के माध्यम से पश्चिमी अपतट से महाराष्ट्र को अतिरिक्त गैस के विपथन और महाराष्ट्र में यूनिटों को गैस के और अधिक आबंटन का प्रस्ताव किया है।

(ग) गैस दहन को कम करने और अपतटीय गैस के कारगर उपयोग के लिए परियोजनाएं सरकार द्वारा पहले ही अनुमोदित कर दी गई हैं और इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

तेल रिसाव के लिए मुआवजा

2255. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच जनवरी, 1993 में वृहतर निकोबार द्वीप तट के समीप डेनमार्क के एक तेल टैंकर द्वारा 40.000 टन तेल का रिसाव किये जाने के लिए मांगी जाने वाली मुआवजे की राशि का निर्णय लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो तेल, रिसाव का दावा दर्ज कराने में इसकी आनाकानी के क्या कारण हैं;

(ग) इस तेल रिसाव के कारण कितनी अनुमानित परिस्थितिकीय क्षति हुई है; और

(घ) यह मामला इस समय किस चरण में है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल के रिसाव से 6.75 करोड़ रु. की अनुमानित परिस्थतिकीय क्षति हुई है।

(घ) लाभबंदी, प्रशासनिक और समन्वयन हेतु खर्चों और परिस्थितिकीय क्षय की प्रतिपूर्ति के लिए बचाव एवं क्षतिपूर्ति क्लब में दावा किया गया है।

[अनुवाद]

12.00. मध्याह्न

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : अब मुझे उस प्रश्न को पूछने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : किस से?

श्री ई.अहमद : महोदय, मैं केवल आपके माध्यम से प्रश्न पूछ सकता हूं। मुझे इस विषय को उठाने की अनुमति दी जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस सभा के समक्ष पहले से ही यह निवेदन किया है कि विपक्षी दलों की सोमवार से इस सभा में भाग लेने की संभावना है। अब भी वे दिखाई नहीं दे रहे। हम यह जानना चाहते हैं कि की गयी कार्यवाही रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर सकती है क्योंकि समूचा राष्ट्र इस संसद की ओर देख रहा है। विपक्ष ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया हे। वे एक इंच भी इधर-उधर होने वाले नहीं हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने कोई बातचीत की है। हम यह जानना चाहेंगे कि इसका क्या परिणाम निकला है। इसमें इस तरह से विलम्ब नहीं किया जा सकता। संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ही अहम होती है। यह संसद इस तरह से नहीं चल सकती। हमें यह जानना चाहिए कि वास्तविक समस्या क्या है। आपके पास जो बहुमत है, उससे सरकार यह सोचती है कि वे हरचीज को पद दलित कर सकती है। यह सही नहीं है। लेकिन हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय पहले से ही अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम इसके बारे में सरकार से जानना चाहते हैं। सरकार इस सभा के प्रति दोषी है। यह जानना हमारा अधिकार है कि इस हास्यास्पद विफलता में सरकार की क्या भूमिका है। विपक्ष की भूमिका को कम महत्व नहीं दिया जा सकता और उन्होंने जो रूख अपनाया है, उस बारे में मेरे अपने विचार है। लेकिन सरकार को इस सभा को बताना चाहिए कि विपक्ष की क्या भूमिका है। सरकार को यह बात बतानी चाहिए। आप कब तक चुप्पी साधे रहेंगे और केवल दूरदर्शन पर ही अपनी बात करते रहेंगे? सरकार को इस सभा के समक्ष बोलना चाहिए। इस सभा को इसके बारे में जानने का अधिकार है।....(व्यवधान)

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : आप केन्द्रीय कक्ष में क्यों नहीं जाते? वे वहां बैठे हुए हैं।

श्री ई.अहमद : इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। यह भारत की संसद है। ये संसद के निर्वाचित सदस्य हैं और उन्हें अपनी भूमिका निभानी है। संसदीय लोकतंत्र में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है और सरकार को इस सभा में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : इन्हें यह अनुरोध करके मनाना चाहिए कि वे सभा में वापिस आयें...(व्यवधान)

श्री ई.अहमद : लेकिन अब यह मामला सरकार के पास है। इसीलिए मैं सरकार को प्रभावित कर सकता हूं न कि विपक्ष को। इसीलिए मैं इस मामले को उठा रहा हूं। दुर्भाग्यवश, अब मैं कुछ भी नहीं कर सका।....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया है। और इस पर उद्विग्न होने की बजाये इसका उचित ढंग से उत्तर दिया जाना चाहिए।

मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, जिस समय माननीय नेताओं ने सभा हमें यह घोषणा की थी कि वे शेष सत्र की कार्यवाही का बहिष्कार करेंगे तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल जी ने विपक्ष के नेताओं से अनुरोध किया था कि उन्हें कृपया अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिये और सभा की कार्यवाही में शामिल होना चाहिये क्योंकि सरकार का यह विचार है कि उनका सभा में शामिल होना बहुत ही आवश्यक है।

उसके बाद आपकी अध्यक्षता में कई बैठकें हुई हैं। और बैठकें भी होंगी। अब ऐसी स्थिति है।

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : यदि मुझे सरकार के रूख का समर्थन करने की अनुमति दी जाती है, तो हम स्पष्ट तौर पर यह स्वीकार करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लेकिन मैं यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम केवल बहुमत के आधार पर सभा के अधिकारों को बिल्कुल नहीं कुचलना चाहते। यह बात अनेकों बार कहीं जा चुकी है। तीसरे, जहां तक सरकार का संबंध है, यह मामले पर बहुत ही गंभीरता से विचार करती है। माननीय सदस्य यह महसूस करते हुए प्रतीत होते हैं कि इससे अलग रहते हुए हम स्थिति से संतुष्ट हैं। हमें इसके बारे में चिंता है और इस पर हम अध्ययन कर रहे हैं जहां तक इस मामले का संबंध है, आपसे अधिक और कोई नहीं जानता। सरकार के रूप में हम एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं जा सकते। हम उन्हें यही कह रहे हैं कि कृपया इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करें हम यह बात आप पर छोड़ने को तैयार हैं। यह बात भी यहां कही गई है। आखिरकार आप भी समझते हे कि हम घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, हम उसे पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (बम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय इंदिराजी ने जो मिल्स घाटे में चल रही थीं उनका राष्ट्रीयकरण किया था, उनको चलाने के लिए न कि बंद करने के लिए किया था। लेकिन हमारी सरकार मिल वालों को रा-मेटिरियल, कपास, वर्किंग केपिटल नहीं देती। साढ़े चार हजार करोड़ रुपये का जिसने घोटाला किया है उससे पैसे वसूल नहीं कर सकती और जो मजदूर मिल चलाना चाहते हैं उनको पैसा नहीं देती है। वेंकेट स्वामीजी बैठे हुए हैं इन्होंने सदन में बताया था कि सरकार मिल

बंद नहीं करने जा रही है। यह मामला मैंने बार-बार इस सदन में उठाया है। उन्होंने हमें नोटिस दिया, उस नोटिस में मधुसूदन मिल, सीताराम मिल, कोहिनूर मिल नं.2 और 3, ईस्टर्न मिल, जाम मिल को बेचने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया है। मैं उसका विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि यह निर्णय वापस लें। जो कोहिनूर मिल है उसमें 1654 मजदूर हैं। उनको वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है। इन्होंने 28 फरवरी, 1994 को और इससे पहले कमिटमेंट भी किया था कि उनको काम पर लेंगे। लेकिन उनकी पहचान कराने के नाम पर नहीं ले रहे है। मिलों का घाटे में चलने का कारण एन.टी.सी. में व्याप्त भ्रष्टाचार है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। फिनले नाम की एक मिल है। उसमें अगस्त, 1992 *..... में नाम का अधिकारी लाया गया।

[अनुवाद]

उसने दस महीने में घाटा दस करोड़ रुपये कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अगर कम्पीटेंट अधिकारी होगा तो मिल चल सकती है। अभी भी मुम्बई शहर में मिलें बंद हैं और मजदूर बेरोजगार हैं। सरकार ने जो मिल बेचने का प्रस्ताव रखा है, इसको वह वापस ले। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं कि मैं अपनी जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कल से अनशन पर जा रहा हूं जब तक सरकार बंद मिल्स नहीं करती तब तक मैं अनशन पर रहूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री शरद दिघे : (मुम्बई-उत्तर-मध्य) : मैं श्री मोहन रावले द्वारा व्यक्त किये गये उद्गारों का समर्थन करता हूं। मुम्बई में एन.टी.सी. तथा अन्य मिलों का प्रश्न गंभीरतम बनता जा रहा है। खासकर इन मिलों की अतिरिक्त भूमि को बेचने के मामले को यदि उचित तरीके से नहीं लिया जाता तो इससे और अधिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। मिलों के आधुनिकीकरण और आमेलन के नाम पर बहुत सी मिलें बंदी के कगार पर हैं।

कपड़ा मिलों में काम करने वाली और भी बहुत से कर्मचारी और कामगार बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद अतिरिक्त भूमि को बेचना जोकि बहुत ही कीमती है और जिससे करोड़ों रूपया प्राप्त होगा,

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

के मामले को सावधानी से लिया जाना चाहिए। यदि आधुनिकीकरण के लिये अतिरिक्त भूमि को बेचा जाना अनिवार्य है, तब यह कार्य सरकारी तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए और भूमि को केवल सरकारी उपक्रमों को ही बेचा जाना चाहिए। भूमि को बेचने से जो धनराशि प्राप्त होगी, उसका केवल उन मिलों के आधुनिकीकरण के लिये और कर्मचारियों की बकाया रकम का भुगतान करने के लिये प्रयोग किया जाना चाहिए जोकि विधि के अंतर्गत देय बनती है। सरकार को यह देखने के लिये पूरा ध्यान देना चाहिये कि और मिलें बंद न हों और जो मिलें बंद की गयी हैं मुम्बई में बेरोजगारी को दूर करने के लिये उन्हें यथाशीघ्र चालू किया जाना चाहिए।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाचार सूचनाओं से चिंताजन समाचार मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी आई एस आई उत्तर में तथा पूर्वोत्तर राज्यों में जाली भारतीय नोट चला रही है। यह एक गंभीर चिंता की बात है। आई एस आई का सुनियोजित प्रयास यह है कि भारत का आर्थिक विकास न होने पाये। पाकिस्तान द्वारा आई एस आई का पहले से ही भारत में आंतकवाद को बढ़ावा देने में उपयोग किया जा रहा है। पाकिस्तान महत्वपूर्ण शहरों में बम्ब विस्फोट की घटनायें करा रहा है। इस प्रकार पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी हमारे देश की एकता और अखण्डता के लिये एक स्थायी खतरा पैदा कर रही है। अब हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिये जाली नोट चलाये जा रहे है।

12.12 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के जाली नोट केवल उत्तर और पूर्वोत्तर राज्यों में ही चलाये गये हैं अथवा यह कार्य दक्षिणी भारत में भी किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिणी भारत में इस संबंध में किसी को गिरफ्तार किया गया है, महोदय केवल जाली नोटों का बरामद कर लेना और कुछ लोगों को गिरफ्तार करना ही काफी नहीं है। इस तरह के खतरे से निपटने के लिये कतिपय और ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी भारतीय सरकार इस मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा रही है अथवा इस संबंध में किसी अन्य ठोस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

डा0 कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझें वक्तव्य देने के लिए बुलाया है।

मैं इस माननीय सभा का ध्यान उस गंभीर स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं जोकि इस समय उड़ीसा राज्य के कोरापुर जिला में पैदा हुई हैं कोरापुर जिले में सैकड़ो लोग भुखमरी का शिकार हो गये हैं। इस आशय के समाचार आज के समाचार पत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" तथा अन्य समाचार पत्रों में

छपे हैं। ऐसे भूमिहीन मजूदर जो आम का गूदा, इमली के बीज का पाऊडर तथा ऐसे पत्तों का आहार के सहारे, जो कड़वे न हों, जीते रहे हैं, वे इसका शिकार हुए हैं। महोदय, उनके पास अपनी आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं था। वहां पर रोजगार नहीं मिलता। उनकी कोई क्रय शक्ति नहीं है। स्थानीय प्रशासन उनकी सहायता करने के प्रति पूर्णतया लापरवाह है। सैंतीस लोगों के नाम प्रैस को बताये गये हैं।

लक्ष्मीपुर खंड में कुटिंगा पंचायत के अंतर्गत पांच गांवों में सैतीस लोगों की मृत्यु हुई है। व्लाकुंटिगा गांव में पन्द्रह लोगों की मृत्यु हुई है। बारह लोग लच्छमणी गांव में और चार डुंगरीपदर गांव में मरे हैं। तीन लांगा सोरिशपदर और तीन कन्निापढ़ी गांव में मरे हैं। ये सभी गांव राज्य राजमार्ग के किनारे स्थित है। अंदरूनी इलाकों में स्थिति इससे भी अधिक गंभीर है।

लक्षणों के अनुसार ये लोग आमाशय की बीमारी के कारण मृत्यु का शिकार नही हुए है।

उपाध्यक्ष महोदय : डा. कार्तिकेश्वर पात्र, उड़ीसा के चार या पांच अन्य लोग भी यहां पर विद्यमान हैं वे भी इसमें भाग लेना चाहते है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : स्वर्गीय प्रधयान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा प्रायोजित 'एडेप्ट' योजना को उडीसा में उचित तरीके से लागू नहीं किया जा सका। इसी कारण से कालाहांडी, कोरापुट, सांमलपुर के कुछ एक भागों, बोलंगीर तथा फलबनी जिलों में स्थिति बहुत ही नाजुक है। राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रित करने में असफल रही है। स्थिति काफी तनावपूर्ण हैं अभिद्रोह की स्थिति से निपटने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि लोगों के बचाव की कार्यवाही जाये।

श्री शरत् पटनायक (बोलंगीर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कोरापुट, बोलंगीर कालाहांडी और फूलबनी का दौरा किया था, तो उस समय उनके द्वारा प्रयोजित 'एटेप्ट' योजना उड़ीसा के इन पिछड़े जिलों में चल रही थी। लेकिन मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने में खेद हो रहा है। जिस समय 1989 में जनता दल की सरकार सत्ता में आयी थी, तो उन्होंने स्वत: राज्य सरकार को ऐसी हिदायतें दी कि इन क्षेत्रों में इस योजना को समाप्त कर दिया जाये। उस समय से इन जिलों के लोग बुरी तरह से कष्ट झेल रहे हैं। उड़ीसा राज्य में जनता दल की सरकार इन पिछड़े जिलों के निवासियों की समस्याओं को हल करने में पूर्णतया विफल रही है। इन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अत: आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करता हूं कि केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये। कोरापुर जिले में सैकड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो गये हैं। केन्द्र सरकार को उड़ीसा की राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अन्यथा इस राज्य में लोग सुख चैन से नहीं रह सकते।

श्री के. प्रधानी (नवरंगपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ

लगते क्षेत्र में घटित हुई है यानि कि अविभाजित कोरापुर जिले में। यह घटना इसी वर्ष घटित हुई है। यह हर वर्ष नियमित रूप से होती रहती है। हजारों जनजातीय लोग मक्खियों की तरह मर जाते हैं। राज्य सरकार इस तरह से लोगों की मृत्यु को रोकने के लिये कोई उपचारात्मक कदम नहीं उठाती। समाचार पत्र में बताये गये तथ्य यह कहते हैं कि उनके लिये खाने को कुछ नहीं है, करने के लिये कोई काम नहीं है। वे लोग आम का गूदा इमली का पाऊडर आदि खा लेते हैं। जोकि मानव उपभोग के लिए उचित नहीं है। इसी कारण वे मर रहे हैं।

ऐसा अनुसूचित क्षेत्र में हुआ है। भारत सरकार के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देश देने हेतु अधिकार मिले है। उनके खिलाफ कार्यवाही भी कर सकती हैं। संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत सरकार को ये अधिकार मिले हैं कि यदि किसी जनजातीय क्षेत्र में इस तरह की वारदातें होती हैं, तो वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकाती है।

यह एक अनुसूचित क्षेत्र है इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उस क्षेत्र में खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए तत्काल कदम उठाये और लोगों को कार्य दे।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्षय महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अभी हिमाचल प्रदेश के दौरे से वापस आया हूं। पिछले दिनों वहां भारी बारिश हुई है जिससे पूरे प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। लगभग सभी नदियों में उफान आ गया है और वे लबालब बह रही हैं। लोगों की जमीन भारी मात्रा में खराब हो गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जहां हमारे सेब पैदा करने वाले लोगों का नुकसान हुआ है वहीं हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है, भारत सरकार को इस तरफ अविलम्ब ध्यान देना चाहिए क्योंकि सारे पहाड़ी इलाकों में आज जिस तरह का वातावरण पैदा हो गया है वैसा कभी पैदा नहीं हुआ। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मेरी मांग पर विचार करते हुए भारत सरकार तुरन्त हिमाचल प्रदेश को राहत देने के लिए पग उठाये, हिमाचल प्रदेश को राहत देने के लिए पत्र उठाये, हिमाचल प्रदेश को ज्यादा से ज्यादा मदद दे, 300 करोड़ रुपये की जल्द मदद हिमाचल प्रदेश को दी जावे। हमारे मंत्री जी इस समय सदन में बैठे हुये हैं जो हिमाचल प्रदेश के इंजार्ज हैं, मेरी इनसे भी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रभावित इलाकों में सर्वेक्षण करके, प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट पेश करें। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिचेंद्रम) : महोदय, हमारे देश के हजारों लोग खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं। लगभग प्रत्येक खाड़ी देश में सबसे अधिक लोग केरल राज्य के हैं। यह लोग वहां सभी क्षेत्रों में कार्य कर

रहे हैं। लेकिन, यह बहुत दुःख की बात है कि हमारे दूतावास उनके कल्याण अथवा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। वहां की मुख्य समस्या यह है कि वहां दुर्घटना वश अनेक मौते हो रही हैं, संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु होती है, बीमारी के कारण मृत्यु होती है इत्यादि। और अब तो रिश्तेदारों को मृतकों के शव मिलने में भी दो-तीन महीने लग जाते हैं। अपने उन शोक-संतप्त परिवारों के दुःख को समझ सकते हैं जबकि उनके अपने प्रियजन विदेशों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनको उनके शव प्राप्त करने के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है। हम विदेश मंत्रालय को इस संबंध में लिखते रहे हैं और वे दूतावास के साथ इस मामले को उठाते हैं। महोदय, इसके बावजूद, ढाई महीने बाद पिछले सप्ताह मुझे फिर एक शव के लिए लिखना पड़ा। आज एक टेलीफोन कॉल द्वारा मुझे पता चला कि पूरा परिवार बहुत दुःखी है। विदेश मंत्रालय से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाये।

यमन में संकट की स्थिति के कारण सैंकड़ों परिवार केरल में वापस आ गए हैं। उन्हें अपना काम तथा सारा साजो-सामान छोड़कर आना पड़ा। वे अपना पैसा भी बैंक से नहीं निकलवा सके जबकि वहां बैंक में उनकी जमा पूंजी शेष थी। एक ही झटके में उन्हें वह देश छोड़कर केरल वापस आना पड़ा। अब, आप्रवासन कार्यालय से उनके पासपोर्ट पर यह मोहर लगाई गई है कि यदि वे वापिस जाना चाहते हैं तो उन्हे आने-जाने दोनों का किराया देना पड़ेगा। उनका सब कुछ यमन में है। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि यमन के मसले को पृथक रूप से उठाया जाए और उन्हें वापस जाने के लिए और अपना कार्य भार संभालने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि कम से कम अपना शेष बैंक से ले सकें।

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, जो कुछ भी श्री चार्ल्स ने कहा है, वह वास्तव में केरल के लोगों की मुख्य समस्या है क्योंकि लाखों मलयाली, तथा केरल के लोग खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे हैं। यह नियोक्ता के लिए अनिवार्य होगा कि वे दुर्घटनावश हुई मौतों की स्थिति में मृतकों के शव वापस भिजवाएं। लेकिन, उस देश में विद्यमान नियमों के अनुसार यह लगभग असंभव हो गया है, यहां तक कि वे तीन चार महीनों में भी मृतक के शव को स्थानान्तरित नहीं कर सकते। उनके प्रियजनों को उनके जन्म स्थान में उनका इन्तजार करना पड़ता है। आज, वास्तव में मैंने विदेश मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री से चर्चा की थी। वे भी यहां उपस्थित हैं। भारत सरकार को यह मामला खाड़ी के देशों की सरकारों के साथ उठाना होगा। यदि, इस संबंध में शीघ्रता से कदम न उठाए गए तो मृतकों के प्रियजनों को उनके शवों के इन्तजार में महीनों इंतजार करना पड़ेगा। यह बहुत कठिन हो गया है। दुर्घटनावश हुई मौतें होना वहां एक आम बात है। क्या आप इन मौतों का कारण बता सकते हैं? कई बार सही तरीके से और कानूनी रूप से प्रतिपूर्ति भी नहीं की जाती है। यहां यह हो रहा है। इसलिए यह हमेशा संदेहास्पद स्थिति विद्यमान रहती है। कृपया भारत सरकार खाड़ी के देशों की विभिन्न सरकारों के साथ यह मामला उठाये ताकि उस देश में प्रभावित लोगों का दुःख कम किया जा सके।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, मैं उड़ीसा का संसद सदस्य ही नहीं हूं लेकिन मुझे कई बार उन क्षेत्रों का अत्यधिक दौरा करने का मौका मिला है जिनका थोड़ी देर पहले उल्लेख किया गया है जिसमें अनेक मौतें होने का उल्लेख किया गया है और यदि हम मुख्य राजपथ से परे गांवों को भी शामिल करें। शायद सैंकड़ों मौतें या इससे भी अधिक मौते हुई होंगी। मुझे इन क्षेत्रों में अधिक भ्रमण करने का अवसर मिलने का मुख्य कारण यह था कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक विशेष कार्यक्रम बनाया था जिसमें उड़ीसा के इन क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। इस कार्यक्रम को 'ए डी ई पी टी' कहा गया था। जो गरीबी उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय विकास का परिवर्णी शब्द है। निश्चय ही, गरीबी उन्मूलन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अल्पावधि में पूरा किया जा सके। इसके लिए लम्बे समय तक कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यक्रम को पहले कालाहान्डी और कोरापुट में आरम्भ किया जाए। श्री राजीव गांधी द्वारा तितलागढ़ में यह घोषणा की गई थी कि इसे बलांगीर जिले में भी आरम्भ किया जाएगा और तत्पश्चात् सरकार उड़ीसा के ऐसे ही अन्य प्रभावित क्षेत्रों जैसे फूलबनी तथा मयूरभंज, में भी ये कार्यक्रम आरम्भ करेगी।

अब, यह देखने की बजाय कि हम इस कार्यक्रम को किस तरह से जारी रखें तथा बढ़ाएं हमें भारत के एक मात्र क्षेत्र, जहां 1990 के दशक में भी भुखमरी से मौते हो रही हैं, को इस स्थिति से बचाया जा सके। उड़ीसा में तथा केन्द्र में राजीव गांधी की सरकार के बाद आने वाली सरकार ने इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है और इसके स्थान पर कोई अन्य कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया है। महोदय, पिछले तीन वर्षों में न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने इस 'एडेप्ट' (ए डी ई पी टी) कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने अथवा इसके स्थान पर कोई विकल्प प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इन परिस्थितियों में यह अनिवार्य है कि जिस तरह की मौतें हुई है, वे अभी भी हो रही हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आधुनिक भारत के लिए यह सबसे अधिक शर्मनाक बात है कि भुखमरी से लोगों की मौत हो। वर्ष 1966 में श्रीमती गांधी ने इस सभा में गर्व के साथ यह घोषण की थी कि 1966 के अकाल में किसी भारतीय की मौत नहीं हुई है और अब किसी भारतीय को भुखमरी के कारण मरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन, आज तीस वर्ष बाद हमने उस स्थिति का सामना किया जिसमें हमारे उड़ीसा के सैकड़ों नागरिकों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है और जब तक कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, वहां स्थिति के अधिक खराब होने की संभावना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रोशन लाल जी।

कुमारी सुशीला तिरिया (मयूरभंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला उड़ीसा से संबंधित है। मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं जहां यह गंभीर स्थिति विद्यमान है। कृपया मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए। आदिवासी लोग बहुत निराश हैं, उन्हें तत्काल राहत प्रदान की जानी

चाहिए।...(व्यवधान)

श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मुझे एक बात कहने की अनुमति दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रोशन लाल जी का नाम लिया है और वह खड़े हो चुके हैं। मैं निश्चय ही आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रोशन लाल (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली, खुर्जा और गाजियाबाद शटल ट्रेन नं. 353 और 354 डाउन और अप दोनों गाड़ियां जो 1987 से चल रही हैं दिनांक 30.7.94 से बन्द कर दी गई हैं जिससे उस इलाके के हजारों पैसेंजर जो अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए खुर्जा, गाजियाबाद और दिल्ली आते-जाते हैं। उनका आना-जाना बन्द हो गया है। वहां पांच-पांच किलोमीटर दूर-दूर तक आने-जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई सड़क भी नहीं है। उस क्षेत्र के लोगों के आने जाने का इसी पैसेंजर ट्रेन से एकमात्र साधन था, किन्तु रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन को बंद करके उनका वह साधन भी छिन लिया हैं।

मेरा मेल मंत्रालय से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि 1987 से चल रही पैसेंजर ट्रेन नं. 353 और 354 अप और डाउन गाड़ियों को खानपुर पर रोकने के लिए तुरन्त आदेश दें। इस गाड़ी का यहां न रूकने से क्षेत्र में बहुत तनाव है। इसलिए इस रेलगाड़ी को अविलम्ब खानपुर पर रोकने के आदेश प्रदान करें।....(व्यवधान) . . .

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, माननीय विदेश मंत्री श्री भाटिया इस सभा में उपस्थित हैं। कृपया आप उन्हें यमन के संबंध में, मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करें।....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रोशन लाल खड़े हो चुके हैं। कृपया हस्तक्षेप मत करिए। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि माननीय सदस्य समय का भी ध्यान रखें । मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपना भाषण संक्षेप में दें।

कुमारी सुशीला तिरिया : मैं, डा. कार्तिकेश्वर पात्र द्वारा उठाए गए मुद्दों से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं। जबकि हम 21वीं शताब्दी में कदम रखने जा रहे हैं, उड़ीसा राज्य में भुखमरी से लोगों के मरने की बात बहुत शर्मनाक है। राज्य सरकार लोगों को भुखमरी से बचाने में असफल रही है। उनके कार्यकाल में कालाहान्डी और हयां तक मेरे जिले मयूरभंज में भी भूखमरी से लागों के मरने की घटनाएं घटी थीं। वहां कोई कानून और व्यवस्था नहीं है और सरकार भुखमरी से मरने वाले लोगों को बचाने में असफल रही है। इसलिए मैं, आपके द्वारा केंद्र से अपील करूंगी कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करे ताकि राज्य

में पूरे पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र के लोग कम से कम शांति से रह सकें उनकी मूल आवश्यकताएं पूरी की जा सकें और वे अपनी जीविका कमा सकें।

[हिन्दी]

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कार्तिकेश्वर पात्र, श्री अनादि चरण दास और श्री मणि शंकर अय्यर जी की बात से सहमत हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सुन्दरगढ़ है जोकि एक शिड्यूल डिस्ट्रिक्ट है। मयूरभंज, और कोरापुट भी शिड्यूल डिस्ट्रिक्टस हैं और यहां शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं। जितना भी वैस्टर्न उड़ीसा है जिसमें सम्बलपुर भी शामिल है, वहां के लोग भी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इनको खाने-पीने की बहुत मुश्किल होती है। यहां के लोग फल मूल खाकर रहते है। इस कारण वहां स्टारवेशन डैथ्स होती है। यहां के लोगों को कॉलरा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। इनके लिए इन्दिरा जी और राजीव जी बहुत चिन्तित रहते थे। अब नरसिंहराव जी बहुत चिंतित रहते है। इन्होंने सहायता के तौर पर पैसा भी बहुत दिया लेकिन वहां की सरकार ने उस पैसे का ठीक से उपयोग नहीं किया। इसके कारण आदिवासी और हरिजन लोग बहुत सफर कर रहे हैं। सैंट्रल गवर्नमैंट इसकी ठीक तरह से व्यवस्था कराये।

श्री मोइन एस. डेलकर (दादर और नगर हवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने दादर और नगर हवेली शूगर प्रोजैक्ट के बारे में स्टे ऑर्डर निकाला है क्योंकि इसकी इनवैस्टिगेशन हो रही है। भारत सरकार की गाइडलाइन्स भी है कि जब तक एन.सी.डी.सी का क्लीयरेंस न हो, तब तक किसी भी मशीनरी का आर्डर नहीं दिया जा सकता है और कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, लेकिन दादरा और नगर हवेली का एडमिनिस्ट्रेशन और शूगर मिल के कुछ लोगों ने मिल कर 25 करोड़ रुपये की मशीनें खरीदने का टेण्डर निकाला है। आज दिल्ली में उनकी मीटिंग हो रही है। वह आज किसी एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी फिक्स करने जा रहे है। एक तरफ स्टे आर्डर है और इनक्वायरी चल रही है तो दूसरी तरफ वहां के ऑफिसर और दूसरे कुछ लोग 25 करोड़ रुपये का स्कैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। दादरा और नगर हवेली आदिवासी क्षेत्र है। वहां के लोगों में इसके कारण यह मैसेज गया है कि वहां गलत काम हो रहा है। इसके कारण लोगों में असंतोष और नाराजगी है। मैं भारत सरकार के ध्यान में यह चीज लाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि वह इस गलत काम को तुरन्त बंद कराये, इस बात की इनवैस्टिगेशन कराये कि इन गलत कामों के पीछे कौन है?....(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, यह आपके सहयोग पर निर्भर हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक मिनट या डेढ़ मिनट के लिए बोले तो सभी को बोलने का अवसर मिल सकता है।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : महोदय, एक दो दिन पहले हम सामान्य रूप से देश में,

विशेष रूप से हमारे राज्य उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। हम केन्द्र पर अधिक अनुदानों, राहत कार्यों तथा अन्य लाभों के लिए दबाव डालते रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि राज्य में केन्द्र द्वारा दिए गए धन के बावजूद, वहां इसमें चोरी और इसके वितरण में गड़बड़ हो रही है। राज्य सरकार इसे राजनीतिक कसौटी पर रखती है और इसमें भेदभाव होता है। इसलिए, महोदय, राहत कार्य उपयुक्त रूप से नहीं किए जा रहे हैं और राहत उपयुक्त स्थान और उपयुक्त लोगों तक नहीं पहुंच रही है। यह मेरा प्रथम अनुरोध है और दूसरा....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मृत्युंजय नायक जी, पहले ही एक मिनट बीत चुका है और क्या आपको इस वाद-विवाद में अपने अन्य मित्रों को भाग नहीं लेने देना चाहिए?

श्री मृत्युंजय नायक : महोदय, एक मिनट भी नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह समाप्त हो चुका है। एक भाग पर्याप्त है। सरकार को इस पर निर्णय लेने दीजिए।

श्रीमृत्युंजय नायक : मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि एक केन्द्रीय दल स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए राज्य के विभिन्न भागों का दौरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी मांग से श्री चाक्को सहमत हैं।

श्री सुवास चन्द्र नायक (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, कालाहांडी सर्वाधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कृपया मुझे कम से कम तीन मिनट बोलने दें क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूं उसे केवल एक मिनट में पूरा नहीं कर पाऊंगा।

मैं तो एक मिनट में खत्म नहीं कर सकता, मुझे तो तीन मिनट चाहिए।

कलाहांडी में दो महीने से ज्यादा दिन हो गये, वहां पर आज तक डे एण्ड नाइट 24 घन्टे बारिश हो रही है, इससे वहां पर जो गरीब जनता रहती है, उनके कम से कम 10,000 घर टूट गये हैं और गांव के रास्ते बिल्कुल टूट गये है। 85 किसान लोगों ने पहले जो धान की फसल बोइ थी, वह पानी में चली गई है। वहां पर ज्यादा सनकास्टिंग हो गया है और अभी तक 85 फार्मर्स ने धान की कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं की। मेरे ख्याल में इस साल इतना भ्यावह मारूड़ी होगी कि पिछले सन् 1947 से कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज तक मेरे किसान भाइयों ने बिजाई नहीं की है। इसलिए मैं सैण्ट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी से अगर कालाहाण्डी में मदद नहीं करेंगे तो उसको संभालने के लिए गवर्नमेंट बाद में फंसी रहेगी...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। हमें यह विषय 12.30 म.प. समाप्त कर

लेना था।

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहाण्डी) : इसलिए मैं आपसे विनती कर देना चहाता हूं कि कालाहाण्डी को जब तक आगे नहीं लायेंगे, तब तक हिन्दुस्तान कभी आगे नहीं जायेगा। कालाहाण्डी में लोग रोज मरते हैं, हम लोग कालाहाण्डी-कालाहाण्डी चिल्लाते हैं मगर कालाहाण्डी में कोई काम नहीं होता है इसलिए मैं आपके माध्यम से सैंट्रल गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि कालाहाण्डी के लोगों की मदद करें।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही(देवगढ़) : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा से सदस्यों ने अनेक बार गरीबी, भूख के कारण मौते तथा आंत्रशोध जैसे रोगों के कारण हुई मौत जैसे मुद्दे उठाए हैं। बाढ़ के बाद इस बीमारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। उड़ीसा के पिछड़े बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंत्रशोध सहित विभिन्न बीमारियों के कारण सैंकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह जानकारी उड़ीसा राज्य विधान सभा के अंदर दी गई थी । इस प्रकार हमारे कथन की सत्यता इससे साबित हो जाती है। लेकिन, उड़ीसा सरकार स्थिति की गंभीरता को समझने और इस स्थिति का सामना करने में विफल रही है। हम इस मुद्दे को सभा के अंदर केवल एक बात कहने के उद्देश्य मात्र से नहीं उठा रहे। हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि तत्काल चिकित्सकों और मंत्रालयों के अधिकारियों का एक विशेषज्ञ दल उड़ीसा भेजे और स्थिति का जायजा ले ताकि राहत कार्य हेतु आवश्यक व्यवस्था की जा सके। मैं श्रीमणी शंकर अय्यर के इस सुझाव से सहमत हूं कि स्थिति की मांग के अनुसार ए.डी.ई.पी.टी. कार्यक्रम में परिवर्तन करके इसे सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया जाए।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं असम के बारपेटा जिले में स्थापित राहत शिविर में व्याप्त अत्यधिक दयनीय स्थिति की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। लगभग 10 राहत शिविर हैं जिनमें 50,000 लोग रह रहे हैं। आज सुबह ही मुझे असम में अपनी पार्टी के सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि वास्तव में इन शिविरों में भोजन, कपड़े अथवा दवाएं कुछ भी नहीं है। वहां पर जिला प्रशासन निष्क्रिय हो चुका है। कुल 90,000 लोग थे जो बोडो हिंसा के कारण भाग गए। इनमें से केवल 16,000 लोग वापस घर आ सके और 25,000 और लोग अभी भी अपने रिश्तेदारों के पास रह रहे है। दस शिविरों में रह रहे 50,000 लोगों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।

हाल ही में हैजा और अन्य छूत की बीमारियां इन शिविरों में फैल गई हैं यह बहुत खतरनाक और गंभीर बात है। अभी तक राज्य सरकार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया है। अगर भारत सरकार से दबाव पड़े केवल तब ही वे इस संबंध में कदम उठाएंगे। भारत सरकार की हिदायतों के कारण ही मुख्यमंत्री

महोदय मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को 1 लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने के लिए सहमत हुए थे।

इस प्रकार बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण स्थिति है। यह मानवीय समस्या भी है। महोदय मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक उपाय करें।

[अनुवाद]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की कोसी नदी की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर पं. जवाहर लाल नेहरू के जमाने में बीरपुर बैरेज की स्थापना की गई थी। तकनीकी विशेषज्ञों ने उसकी लाईफ 25 वर्षों के लिए डिक्लेयर की थी। लेकिन आज उसको 35-36 वर्ष हो रहे हैं इसलिए वह बैरेज कभी भी ध्वस्त हो सकता है। मैंने बार-बार आपके माध्यम से सरकार से मांग की है कि भारत सरकार वहां पर तकनीकी विशेषज्ञों को भेजे या कोई कमेटी भेजकर वहां की अद्यतन स्थिति की जांच करे और कोसी बांध का निर्माण करे। अगर वह बैरेज टूट जाता है और बांध का निर्माण नहीं होता है तो करोड़ों लोगों का कोई पता नहीं रहेगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसे गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे चूंकि बिहार सरकार बैरेज को बचाने की स्थिति में नही है और वहां वेतन कर्मचारियों को भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार का इस बैरेज में योगदान है इसलिए शीघ्र उसकी व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : माननीय सदस्य श्री चार्ल्स और श्री चाक्को ने यमन मे लाए गए नागरिकों का मुद्दा उठाया था। यह मामला सरकार के पास है और हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। अगर वे कोई विशेष बात कहना चाहें तो कह सकते हैं मैं उस पर कार्यवाही करूंगा। श्री ऑस्कर फर्नान्डीज ने भी दो दिन पूर्व यह मुद्दा उठाया था और उस दिन शाम तक उसका समाधान हो गया था। अगर माननीय सदस्य कोई अन्य मुद्दे मेरे ध्यान में लाते हैं तो मैं उस पर गौर करूंगा।

12.42 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

मुम्बई गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं का शुद्धि-पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : श्री जगदीश टाईटल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

मुम्बई गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं के

शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.6221/94)

रेडियो, टेलीविजन और वीडियो कैसट रिकार्डर सैट्स (अनुज्ञापन आवश्यकता से छूट संशोधन)

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन और वीडियो कैसट रिकार्डर सैट्स (अनुज्ञापन आवश्यकता से छूट) संशोधन नियम, 1994 जो 16 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 188 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6222/94)

मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन इत्यादि

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.6223/94)

(2) कुन्द्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6224/94)

(3) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया।देखिए संख्या एल.टी. 6225/94)

(4) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 6226/94)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगवुवा नायडु) : मैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल.टी. 6227/94)

12.43½ म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 4 अगस्त, 1994 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक, 1994 से किसी संशोधन के बगैर सहमत है।

12.44 म.प.

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

तीसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : मैं पासपोर्ट सुविधाओं के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

12.45 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के तहसील मुख्यालय में एस.टी.डी.सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री खेलसाय सिंह (सरगुजा) : जिला सरगुजा, मध्य प्रदेश का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहां पर 11 तहसील मुख्यालय हैं। संचार मंत्रालय के अनुसार वर्ष 1992-93 में ही सभी तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध करा देनी थी। लेकिन आज तक किसी तहसील मुख्यालय में एस.टी.डी. सुविधा नहीं मिल पाई है। सरगुजा जिले की सम्पूर्ण टेलीफोन व्यवस्था जर्जर स्थिति में है जिससे क्षेत्र की जनता में काफी असंतोष व्याप्त हो रहा है।

अतः माननीय संचार मंत्री महोदय से निवेदन है कि जनहित में सरगुजा जिले के तहसील मुख्यालयों में एस.टी.डी. की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करायें।

(दो) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में एक उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर की शीघ्र स्थापना करने और महाराष्ट्र के जनजातीय जिले में कम शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

श्री शांताराम पोतदुखे (चन्द्रपुर) : महाराष्ट्र में चन्द्रपुर जिला मुख्यालय है जिसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। यह औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र है जहां एशिया का सबसे बड़ा सुपर ताप विद्युत केन्द्र एल.एण्ड टी. सीमेंट, मणिकगढ़ सीमेंट, ए.सी.सी. सीमेंट जैसे सीमेंट उद्योग, पेपर मिल, इस्पात संयंत्र जैसे विशाल औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं और चन्द्रपुर के आस-पास 150 से अधिक कोयला खाने हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सितम्बर 1993 में दूरदर्शन की 1993-94 की दूरदर्शन वार्षिक योजना के अंतर्गत चन्द्रपुर में एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने की स्वीकृति दी थी और तत्काल कार्य शुरू करने की हिदायतें दी थी लेकिन लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी दूरदर्शन के इस केन्द्र के उन्नयन का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र के जनजातीय बहुल और पिछड़े गढ़चिरोली जिले की जनता पिछले पांच वर्षों से जिले के अहेरी अल्लापल्ली में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर अथवा अत्यंत अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर की मांग करती रही हैं। यह अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के इस आदिवासी पिछड़े और नक्सलवाद से प्रभावित दक्षिणी भाग में रहने वाले जनजातीय लोगों की विकासात्मक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में एक उच्च शक्ति का टी.वी. ट्रांसमीटर और महाराष्ट्र में जनजातीय गढ़चिरोली जिले में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की शीघ्र स्थापना करे।

(तीन) राजस्थान के गंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में कंटीले तार लगाने की योजना के अंतर्गत आने वाली भूमि के मालिक किसानों को मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : गंगानगर जिले की तहसील श्री गंगानगर, करनपुर, राय सिंह नगर व अनूपगढ़ क्षेत्र से लगती पाक सीमा के साथ-साथ लगी कंटीले तारों की बाड़ वहां के काश्तकारों की भूमि में से बनाई है। यह कृषि योग्य भूमि सीमा लाइन से 500 फुट दूर कृषकों की भूमि में है।

काश्तकारों को उस भूमि पर काश्त करने के लिए बहुत दूर से होकर जाना पड़ता है। इस तरह इन दुविधाओं की वजह से, कंटीले तारों के पीछे की जमीन पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता।

ऐसी स्थिति में काश्तकारों की वाजिब क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए थी। किन्तु सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हजारों किसानों ने जो अपनी कीमती कृषि भूमि देश की रक्षा व्यवस्था में योगदान करने हेतु छोड़ दी है उसका उनको शीघ्र मुआवजा दिया जाये।

(चार) हावड़ा रेलवे स्टेशन पर न्यू बिल्डिंग कांप्लेक्स को स्थायी रूप से दक्षिण पूर्व रेलवे को सौंपने की आवश्यकता

डा. कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : हावड़ा देश में सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। लेकिन अन्य रेलवे स्टेशनों की तुलना में अभी तक इसका अधिक विकास नहीं हो सका। दक्षिण-पूर्व रेलवे यहां नए परिसर भवन में कार्य करा रहा है जो पूर्व रेलवे के अधीन है। यहां दोहरा प्रशासन होने के कारण कर्मचारी और यात्रियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को पीने का पानी शौचालयों से लेना पड़ रहा है। और उन्हें टिकट काउंटर पर [illegible] घंटों के बैठना पड़ता है। यद्यपि उसके पास प्रतिदिन 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये प्रतिदिन आते हैं लेकिन वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बिजली चले जाने पर जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं है। यह सब पूर्व-रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे के दोहरे प्रशासन के कारण है।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह हावड़ा रेलवे स्टेशन पर नए परिसर भवन को स्थायी रूप से दक्षिण-पूर्व रेलवे को सौंप दें।

12.50. म.प.

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नियंत्रक महालेखा-परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, वर्ष 1987 में इस अधिनियम में हुए पिछले संशोधन से नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की पेंशन बढ़कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन के बराबर हो गई थी। यद्यपि यह लाभ दो भूतपूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षकों के लिए लागू नहीं है जो इस संशोधन के दिसम्बर, 1987 में लागू होने से पहले निवृत्त हो गए थे। उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामलों में सेवा निवृत्त की कोई भी तारीख होने के बावजूद वही पेंशन लागू होती है। अनुरूप दो पूर्व नियंत्रक-महालेखा परीक्षकों को यह लाभ देने के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अंतर्गत, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति जिसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद संभालने से पहले की गई पूर्व सेवा के संबंध में (अपंगता अथवा घाव (वून्ड) पेंशन के अतिरिक्त) मिलती हो तो उसके वेतन से उपदान के समतुल्य पेंशन की कटौती की जाती थी। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि 27 मार्च, 1990 को अथवा इसके बाद नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन से उपदान के समतुल्य पेंशन की कटौती की आवश्यकता न पड़े। इस संबंध में जो आदेश हैं यह उन आदेशों के अनुरूप होगा जो मुख्य निर्वाचन आयोग सहित अन्य पुनः रोजगार प्राप्त पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं पर लागू होते हैं।

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के पद के सांवैधानिक महत्व को देखते हुए तथा इसकी प्रतिष्ठा को बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के प्रावधानों को सदन के सभी पक्षों से समर्थन मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि नियंत्रक महा लेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशाधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं।

यह विधेयक नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए लाया गया है। जिस परिप्रेक्ष्य में यह संशोधन लाया गया है, उसका उल्लेख माननीय मंत्री ने कर दिया है। इस विधेयक को लाने के पीछे जो उद्देश्य तथा लक्ष्य हैं, उसके संबंध में कोई विवाद नहीं है क्योंकि नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक एक महत्वपूर्ण सांविधिक पदाधिकारी हैं। हमारे लोकतंत्र का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के बराबर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो लाभ मिलते हैं वे नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक को नहीं मिलते हैं तो ऐसे में उन्हें इसके बराबर लाने के लिए उपचारात्मक कदम उठाये जाने चाहिए। यह विधेयक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है।

उन पदाधिकारियों के संबंध में जो कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात् प्रतिष्ठित पदों पर आसीन हैं, मेरा विचार है कि उनको मिलने वाले कुल वेतन परिलब्धियों की सीमा होनी चाहिए। मुझे स्थिति का ज्ञान नहीं हैं परन्तु इसमें समानता होनी चाहिए। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि उच्च पदों के मामले में भी हमें एक पद से दूसरे पद की तुलना करते हुए किसी वर्ग के लोगों को लाभ नहीं देना चाहिए तथा यह नहीं कहना चाहिए कि क्योंकि उस वर्ग को यह लाभ मिल रहा है, इसलिए अन्य वर्गों को भी यह लाभ लेना चाहिए। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक गरीब देश है तथा यहां 40 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रहती हैं इन सभी आर्थिक लाभों इत्यादि में वृद्धि करते हुए तथा समानता लाते हुए हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी कार्यालय चाहे कितना भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, उस पद पर आसीन व्यक्ति को मिलने वाली राशि की सीमा होनी चाहिए। उससे अधिक किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। उपदान इत्यादि का समायोजन करना होगा क्योंकि यह प्रश्न विस्तार से पड़ा हुआ है। यह ऐसा पहलू है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ नियंत्र- महालेखा परीक्षक की भूमिका, उसके कर्त्तव्यों, कृत्यों इत्यादि का 1971 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जहां तक नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के विधान पालिका से संबंधों का प्रश्न है, इस अधिनियम में दिए प्रावधानों के अतिरिक्त भी इस संबंध में अनेक परम्परायें हैं। वह प्रत्यक्षतः किसी समिति का सदस्य नहीं होता परन्तु वह संसदीय समितियों से जुड़ा रहता है। विशेषतौर पर लोक-लेखा समिति में कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक तथा इसके वरिष्ठ अधिकारी लोक-लेखा समिति तथा कुछ हद तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की प्रभावशाली तथा सार्थक ढंग से सहायता करते हैं।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, कि लोकतंत्र विभिन्न पदों पर ईमानदारी तथा निष्ठा लाये बिना सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। यह चिन्ता का विषय है कि उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों में वृद्धि हो रही है। इसलिए भी ऐसे आरोपों की जांच के लिए लोकपाल, लोकआयुक्त जैसी संस्थाओं को स्थापित करने की मांग की जा रही है। अगर भ्रष्टाचार रूपी राक्षस की गतिविधियां इसी तरह बढ़ती रहीं तथा हमने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा काबू पाने और इसे बढ़ने से रोकने के लिए कदम न उठाये तो अन्ततः इससे विनाश की शुरूआत होगी तथा इससे उस लोकतांत्रिक प्रणाली पर भी कुप्रभाव पड़ेगा जिस पर हमें गर्व है। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए इस सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे अच्छा लोकतंत्र बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

जिस तरह से हम चुनाव करवाते हैं, भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं तथा जोर जबरदस्ती जैसे कार्य करते हैं, उससे हम अपने लोकतंत्र को सर्वोत्तम लोकतंत्र नहीं कह सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्री बल्लभ पाणिग्रही, आप मध्यान्ह भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

1.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

गणपूर्ति के अभाव में 2.30 म.प. तक के लिए सभा स्थगन के बारे में घोषणा

2.00 म.प. पर गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई।

2.03 म.प. पर गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई परन्तु गणपूर्ति नहीं हुई। 2.06 म.प. पर पुनः गणपूर्ति हेतु घंटी बजाई गई परन्तु गणपर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात्, महासचिव महोदय ने निम्न घोषणा की।

महासचिवः सदन में गणपूर्ति नहीं है। सभा समवेत नहीं हो सकती। गणपूर्ति होने तक हम सभा की कार्यवाही आरम्भ नहीं कर सकतें उपाध्यक्ष महोदय ने यह निर्देश दिया है कि सभा 2.30 म.प. पर समवेत होगी।

2.35 म.प.

मध्यान्ह भोजन पश्चात् लोक सभा 2.35 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, आप गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य के बाद अपनी बात कह सकते हैं।

श्री पी.एम. सईद

2.35½

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में बच्चों का अपहरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : दिल्ली में बच्चों के अपहरण के बारे में इस सदन द्वारा व्यक्त की गई गहरी चिन्ता से मैं भी चिंतित हूं। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के दौरान 31.7.1994 तक राजधानी में अपहरण फिरौती के लिए अपरहण की 22 घटनाएं सूचित की गई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के इसी अवधि के दौरान 20 घटनाएं हुई थीं। इनमें से 5 मामले रद्द कर दिए गए थे। वर्ष 1994 के वास्तविक 17 मामलों में से 14 मामले पहले ही सुलझा लिये गये हैं। वे सभी मामले जिनमें कुख्यात अपराधी लिप्त थे, सुलझाएं जा चुके हैं। बिना हल हुए मामलों में से, विनय नगर थाने वाले एक मामले में पीड़ित व्यक्ति घर लौट आया है तथा उसके गायब होने के पीछे व्यापारिक दुश्मनी होने का शक है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि केवल दो मामले- एक थाना सरस्वती विहार क्षेत्र में वैभव जैन नाम एके बच्चे के अपरहण का मामला तथा दूसरा थाना पंजाबी बाग क्षेत्र से राशि नामक एक लड़की के अपहरण से संबंधित मामला, अभी तक हल नहीं किये जा सके हैं। थाना पंजाबी बाग के मामले में लड़की का शव बरामद हुआ है तथा अपहरण करने का उद्देश्य हत्या करना प्रतीत होता है। इन दोनों मामलों को हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 1992 में अपहरण और विपहरण शीर्ष के अंतर्गत 941 मामले सूचित किए गए थे तथा वर्ष 1993 के दौरान 808 मामले सूचित किये गये थे। वर्ष 1994 के पहले 6 महीनों के दौरान, वर्ष 1993 की इसी अवधि के 421 मामलों की तुलना में 516 मामले हुए।

आमतौर पर, उन सभी मामलों को जिनमें फिरौती के लिए एक अस्पष्ट पत्र अथवा टेलीफोन द्वारा सूचना भी यदि प्राप्त हुई हो तो फिरौती के लिए अपहरण की श्रेणी के अधीन रखा जाता है। अपहरण/विपहरण के कुल मामलों में से केवल लगभग तीन प्रतिशत ममाले ही फिरौती के लिए अपहरण से संबंधित होते हैं। इस श्रेणी के कई मामले वास्तविक रूप में फिरौती के लिए किए गए अपहरण वाले मामले नहीं होते। प्रत्येक वर्ष, मूल रूप से सूचित हुए अपहरण तथा विपहरण वाले मामलों में से 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत मामले, घर से भागने वाले बच्चों के मामले अथवा 18 वर्ष से ऊपर की उन लड़कियों के मामलों के रूप में रद्द हो जाते हैं जो अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई होती हैं। 1992 और 1993 में प्रत्येक वर्ष में 32 मामलों को दिल्ली में फिरौती के लिए किया गया अपहरण श्रेणी के अंतर्गत रखा गया।

इन मामलों की गंभीरता और संवेदनशीलता का अहसास करते हुए, दिल्ली पुलिस ने इन मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेष कक्ष की स्थापना करने की पहल की। इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए अपराध शाखा में प्रारंभ में एक विशेष कक्ष खोला गया था। अभी हाल ही में विशेष रूप से चुने गए विशेष जांच अधिकारियों के एक दल की पहचान की गई और उन्हें प्रत्येक जिले में इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। गहन प्रशिक्षण, विधिवत कार्य शैली और उचित प्रेरणा के कारण, इन दलों द्वारा फिरौती के लिए किए गए अपहरण के मामलों को हल करने में सफलता मिली है।

फिरौती के लिए अपहरण करने वाले अपराधियों के संबंध में अपराध शाखा में सूचना संकलित की गई है। इस प्रकार से संकलित की गई सूचना को दिल्ली के सभी थानों तथा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ौसी जिलों को भी भेज दिया गया है ताकि ऐसे अपराधियों पर नजर रखी जा सके। विशेष शाखा ने आतंकवादियों के ऐसे गिरोहों के संबंध में सूचना संकलित की है जो फिरौती के लिए अपहरण करने की घटनाओं में लिप्त होने का इतिहास रखते हों। इस सूचना के आधार पर फील्ड अधिकारियों द्वारा रखी गई प्रभावकारी निगरानी से इस अपराध को नियंत्रित करने में काफी मदद मिल रही है।

स्कूलों के प्राध्यापकों और अध्यापकों से बच्चों की सुरक्षा के बारे में एहतियात बरतने, विशेष रूप से बच्चों के बस में बैठने और उतरने के निर्धारित स्थानों पर उनका संरक्षण करने के बारे में एहतियात बरतने का अनुरोध किया गया है। प्राध्यापकों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि स्कूल बंद होने पर अध्यापक इस बात का पर्यवेक्षण करें कि बच्चे अभिभावकों अथवा प्राधिकृत जिम्मेदार व्यक्तियों के हवाले ही किए जाएं। स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए ''सेफ्टी टिप्स'' तैयार किए गए हैं, इनका समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया गया है तथा सभी स्कूलों में इनको प्रचालित किया गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों के संबंधी में कुछ सुरक्षा उपाय बरतने के बारे में में उनके माता-पिता से भी अनुरोध किया गया है।

मैंने दिल्ली के उप राज्यपाल के साथ स्थिति की समीक्षा की है। दिल्ली के सभी थानों के पुलिस कार्मिकों को अत्यधिक सर्तकता बरतने तथा अपहरण और विपहरण करने की किसी भी रिपोर्ट पर सावधानीपूर्ण कार्रवाई करने और एक बार सूचित हुए मामलों पर अत्यधिक होशियारी और चुस्ती से उसे हल करने के अनुदेश दिए गए हैं। फिरौती के लिए किये गये अपहरण करने के प्रत्येक मामले को निपुण जांचकर्ताओं के समर्तित दलों को सौंपने के लिए सभी 9 जिलों में विशेष कक्ष स्थापित किये गये हैं। अभी पिछले वर्ष भारतीय दण्ड संहिता में संसद द्वारा संशोधन करके धारा 364-क के अधीन फिरौती के लिए अपहरण करने पर मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास देने की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार के घृणित अपराध में लिप्त अधिकारियों को न्यायोचित तरीके से बड़ी से बड़ी सजा देने को

सुनिश्चित करने के लिए, जब भी आवश्यक होगा, संबंधित कानूनों में और परिवर्तन करने से भी सरकार नहीं हिचकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, जब माननीय मंत्री वक्तव्य देते हैं तब किसी को स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं होती।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपहरण का मामला इतना गंभीर है और इस मामले में दिल्ली सरकार की इतनी बड़ी विफलता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। न केवल दिल्ली बल्कि अलग-बगल के इलाके भी अपहरण के मामलों से आतंकित हैं। लोग परेशान हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाये। मंत्री महोदय दिल्ली सरकार पर पर्दा डाल रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कार्यवाही की है और दिल्ली सरकार ने इस बाबत क्या कार्यवाही की है? इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि 364 क के अंदर कितने लोगों को सजा हुई और दिल्ली सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, मैं जो बोल रहा हूं कृपया सुनें।

[अनुवाद]

जब भी माननीय मंत्री वक्तव्य दे रहे हों तब स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है। इस सभा में यही परंपरा और प्रथा है। यही प्रक्रिया है। आपको और मुझे इसका सम्मान करना है।

अब मैं श्री पाणिग्रही से अनुरोध करता हूं कि वह बहस शुरू करें।

[अनुवाद]

2.44 म.प.

नियंत्रक महा लेखापरीक्षक

(कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक-जारी

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्याह्न भोजन पूर्व हमारे देश, हमारी व्यवस्था तथा किसी लोकतंत्र में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नाम की संस्था की महत्ता तथा उपयोगिता के बारे में बोल रहा था। यह हमारे लोकतंत्र का अति महत्वपूर्ण अंग है। सरकारी लेखाओं तथा भारत की संचित निधि से किये जाने वाले खर्चों की लेखा परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

महोदय, यह विधेयक उपयुक्त प्रतीत होता है और इसका उद्देश्य कुछ असमानताओं को समाप्त करना और कुछ अन्य उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिल रहे फायदों के समान उन्हें वे फायदे उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करना है। इसका उद्देश्य नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन तथा अन्य भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या उसी के समान किसी पदाधिकारी, जिन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् कुछ नियुक्तियां दी जाती हैं, के समान करना है। यह बिल्कुल अहानिकर प्रतीत होता है और इसीलिए इनमें समानता होनी चाहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महोदय, इस बारे में मेरे कुछ अपने निजी विचार हैं पहले की व्यवस्था जारी रखने में क्या नुकसान था? सेवानिवृत्त कुछ अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् कुछ नियुक्तियां दी जा रही हैं अथवा उन्हें पुनर्नियोजित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में, उन्हें वही वेतन तथा उपदान मिल रहा है, जो उन्हें अपनी पूर्व सेवाओं की वजह से मिल रहे थे। यहां-वहां कुछ समायोजन किया गया है। इसमें कुछ भ्रांति है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कुल मिलाकर सेवानिवृत्ति के बाद भी जब उन्हें कोई नियुक्ति दी जाये तो उन्हें जो भी वेतन तथा अन्य भत्ते मिलें वे उससे अधिक नहीं होने चाहिए जो उन्हें सेवा के दौरान मिल रहे थे। अगर सेवाकाल के पश्चात् उन्हें कोई नियुक्ति मिलती है, तो इसका आधार योग्यता होना चाहिए। लेकिन उन्हें भी भारत सरकार का आभारी होना चाहिए कि उन्हें सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी उक्त कार्यभार सौंपा गया हैं। इस प्रकार मेरा यह दृढ़ मत है कि ऐसे किसी भी अधिकारी को उससे अधिक नहीं मिलना चाहिए जो उसे सेवानिवृत्ति के समय मिल रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उससे कहीं अधिक प्राप्त कर रहे हैं।

पहले मैं निर्धनता की रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे बहुसंख्यक 40 प्रतिशत लोगों की अजीबोगरीब स्थिति के बारे में बता रहा था और अगर कुछ अधिकारी, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति, कुछ पदाधिकारी और उच्च अधिकारी अपने वेतन तथा अन्य भत्तों की परस्पर तुलना करके होड़ लगाते हैं और समानता के नाम पर और अधिक प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं, तो इस स्थिति समुचित जांच की पड़ताल होनी चाहिए। मेरे विचार में इसे स्थायी समिति को नहीं भेजा गया था। अगर इसे विस्तृत और गहन जांच पड़ताल के लिए भेजा गया होता तो ऐसा हो जाता।

जो भी हो, मैं पदाधिकारियों, उच्च प्रतिष्ठित अधिकारियों के इन दो वर्गों के बीच समानता का समर्थन करता हूं जिन्हें स्वयं यह सोचना चाहिए क्योंकि वे उन सब बातों से ऊपर हैं इस सभा में जिन पर में चर्चा की जा सकती है यह भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन फायदे प्राप्त करने की एक अंधी-दौड़ लगी हुई है। लेकिन आखिरकार हमारी अर्थव्यवस्था कब तक इस बोझ को वहन करेगी?

इस विधेयक का समर्थन करने के साथ साथ मेरा सरकार से अनुरोध है कि आने वाले दिनों में इस सैद्धांतिक प्रश्न पर भी कुछ विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक इसकी भूमिका कार्य तथा सेवा संबंधी शर्तों का सम्बन्ध है, इसके बारे में हमारे पास बहुत पहले 1971 में बना हुआ अधिनियम है। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों का संसदीय समितियों के साथ सम्बद्ध होने के बारे में कुछ बातें स्पष्ट तौर पर बताई गई हैं और कुछ बातें प्रथा के रूप में भी विकसित हो गई हैं और इस प्रकार विधान मण्डल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में जो भूमिका वे अदा कर रहे हैं, वह एक स्वागत योग्य कदम है। प्रतिभूति घोटाले के प्रकाश में आने के पश्चात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नाम की संस्था की भूमिका का विस्तार करने के बारे में विद्वान लोगों, विशेषज्ञों, सांसदों और यहां तक कि कुछ समितियों द्वारा बहुत से सुझाव दिए जा रहे हैं। यह एक सुनिश्चित सुझाव है कि बैंकों के लेखाओं, वित्तीय संस्थाओं के लेखाओं की लेखा-परीक्षा का काम नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र में लाया जाना चाहिये। जब भी किसी लेखा-परीक्षा में शक जाहिर किया जाता है, लेखाओं में किसी प्रकार की हेरा फेरी प्रकाश में आती है तो सभी ओर से एक विवेकपूर्ण मांग की जाती है कि इन संस्थाओं के लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक द्वारा की जानी चाहिए। निःसन्देह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका तथा उसके कार्य बहुत अधिक हैं। वह विभिन्न सरकारी विभागों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करता है। यह संस्था हर वर्ष लगभग 20 प्रतिवेदन संसद को तथा 80 प्रतिवेदन विभिन्न राज्य विधानपालिकाओं को क्रमशः भारत के राष्ट्रपति और संबंधित राज्यों के राज्यपालों के माध्यम से पेश करती है। प्रश्न यह है कि संसद-लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की विस्तृत गहन जांच-पड़ताल नहीं कर सकती। अतः, लोक लेखा समिति जैसी समितियां बनाई गई हैं। नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक विषयों के चयन, पृष्ठभूमि पत्र, जानकारी, ज्ञापन इत्यादि तैयार करने, सदस्यों का संक्षिप्त जानकारी देने तथा साक्ष्यों की जांच-पड़ताल करने आदि सभी बातों में समिति की सहायता करता है।

महोदय, आप जानते हैं कि हमें यह प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से विरासत में मिली है। वहां, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संसद का ही एक अंग है। वह संसद का एक अधिकारी होता है। अमरीका में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन हमारे यहां एक अलग व्यवस्था है। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक समितियों के साथ संबद्ध है। हम देखते हैं कि संसद में लोक-लेखा-समिति की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली जाती हैं। निःसन्देह, इसके कुछ अपवाद हैं। हम सरकार को हरेक बात पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकते है। जहां कहीं भी उनका मतभेद होता है, उन्हें सभा के समक्ष स्पष्टीकरण देना होता है। कि वे सिफारिशें स्वीकार क्यों नहीं कर सकते। लेकिन, कुल मिलाकर, सिफारिशें स्वीकार की जानी चाहिए। उन्हें स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन राज्यों की एक अलग कहानी है। राज्यों में, कई बार लेखा-परीक्षा पूरी होने, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब हो जाता है। राज्यपालों के माध्यम से उन्हें विधानसभाओं के समक्ष प्रस्तुत करने या पेश करने की तो बात ही और है। विभिन्न कारणों से राज्य लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों को

तैयार करने और उनके प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के कई मामले हुए हैं। राज्य स्तर पर समितियों के पास भी समय की कमी होती है। और इसी वजह से प्रतिवेदनों की जांच-पड़ताल नहीं हो पाती और परिणामतः, अनेक गंभीर किस्म की वित्तीय अनियमितताएं अनदेखी रह जाती हैं। इस स्थिति में सुधार किये जाने की आवश्यकता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कार्यकारिणी को समिति की सिफारिशों का इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी समिति के सम्मुख उपस्थित होती है और उसे मालूम होता है कि उसमें क्या-क्या खामियां हैं। अतः, समय नष्ट किये बगैर तथा प्रतिवेदन के आने का इंतजार किये बगैर उस कमी को दूर करने के लिए उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए।

हालांकि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सीमित है, फिर भी यह एक अति महत्वपूर्ण संस्था अर्थात् नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पर चर्चा करने का एक अवसर प्रदान करता है।

नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक संस्था को और मजबूत करने और कुछ सीमा तक सुव्यवस्थित करने के सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में कुछ क्षेत्र लाये जा सकते हैं। निःसन्देह, इसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाने का भी प्रावधान है। जब भी माननीय राष्ट्रपति, माननीय राज्यपाल और अथवा यहां तक कि संसद द्वारा भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को कोई विषय भेजा जाता है तो यह संस्था अपना कर्त्तव्य निभाती है। सार्वजनिक वित्त के संबंध में, विश्व के सबसे बड़े घोटालों के रूप में हमारे बैंक सेवा प्रतिभूति घोटाला हुआ। अतः, मैं यह भी सुझाव दूंगा कि सरकार को इस पर सावधानी एवं गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कि बैंकों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के अधीन लाया जाये या नहीं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक पर इस चर्चा में भाग लेने का समय प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं एक बार पुनः सरकार के सम्मुख इस प्रकार की संस्था अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की अपनी इच्छा अभिव्यक्त करता हूं।

श्री पी.जी. नारायणन (गोविचेट्टिपालयम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्यकारी अधिकारी है। यद्यपि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जनतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है लेकिन फिर भी उनकी स्थिति ब्रिटेन ओर अमरीका के नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक से भिन्न है। विधायकों की तुलना में भारत के लेखा और महा-लेखापरीक्षक की भूमिका तथा संबंध अन्य जनतंत्रात्मक देशों के महा-लेखा-परीक्षकों से भिन्न है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान लोक महत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया में व्यापक स्थान दिया गया है। नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक अपनी जिम्मेवारी को संसद में लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करके पूरी करते हैं, बाद में जिसकी जांच लोक-लेखा समिति द्वारा की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियां 1971 के अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित की गई हैं।

अब उनके कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तों में आगे संशोधन करने संबंधी एक विधेयक इस माननीय सभा के सामने प्रस्तुत है। जिसमें 16 दिसम्बर, 1987 से पहले भारत के नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक के रूप में सेवानिवृत होने वाले व्यक्तियों को बढ़े हुए पेशन संबंधी लाभ दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इससे पहले यह अधिनियम 1987 में संशोधित किया गया था ताकि 16 दिसम्बर, 1987 को या उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में सेवानिवृत होने वाले व्यक्ति को यह बढ़े हुए पेंशन के लाभ प्रदान किए जा सकें।

3.00 म.प.

अब इस प्रस्ताव पर पूर्णतः सहमत होते हुए मैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कठिनाईयों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

महोदय सरकार ने संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए अनेक स्थायी समितियों का गठन कर एक मुख्य कदम उठाया है। आजकल राजनीतिक महत्ता के मामलों पर संसद का काफी समय खर्च हो जाता है तथा इसके साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने के लिए भी बहुत सीमित समय मिलता है।

स्थायी समितियों के गठन से संसदीय कार्यप्रणाली में अधिक कार्य हो सकेंगे जैसे कि समितियां सरकार के व्यय की पूर्ण जांच करेंगी और उनसे प्रश्न करेंगी जो कि संसद अपने सामान्य समय में नहीं कर पाती हैं। लेकिन, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय के अभाव के कारण समितियां अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगी। यह इस संदर्भ में है कि निष्पादन रिपोर्टों तथा विश्लेषण रिपोर्टों को तैयार करते हुए नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की भूमिका पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसे आवश्यक जिम्मेवारी समझ कर समितियां अपना कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ अधिक अच्छी तरह निभा सकती हैं।

3.02 म.प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

महोदय, जबकि इससे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय की स्थिति निर्धारण में परिवर्तन की आवश्यकता होगी सरकार के लिए अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे विद्यमान संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत इस संस्थान के कर्तव्यों की व्यापकता को स्वीकार करें। लेकिन, इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों तथा विधायकों को सरकारी नीतियों पर नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक के, मूल्यांकन को स्वीकार करना चाहिए और यह सोचकर कार्य नहीं करना चाहिए कि उस प्रक्रिया में उनकी संवैधानिक जिम्मेवारियां खींची जा रही हैं। जब नियंत्रक और महा - लेखा परीक्षक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आरम्भ कर दें तो सरकारी तंत्र और विधायकों को इसे संविधान के अंतर्गत नियंत्रक और महा लेखा

परीक्षक के बढ़ाए गए वैध कर्तव्य ही समझना चाहिए।

सर्वप्रथम, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक द्वारा केन्द्रीय बजट तथा सामान्य रूप में वित्तीय नीति के कार्यकरण की सूक्ष्म जांच करनी चाहिए। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से भी साप्ताहिक रिपोर्ट मंगवानी चाहिए कि केन्द्र को दिए गए धन में कितनी वृद्धि हुई है और विभिन्न मंत्रालयों, राजस्व वसूली और मासिक आधार पर विभिन्न मदों के अन्तर्गत कितना धन वितरित किया गया है।

अन्त में, मैं वित्तीय साधनों की जवाबदेही और नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की भूमिका के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब प्रतिभूति घोटाला हुआ था तब बैंकों के तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की लेखा-परीक्षा की मांग की गई थी लेकिन सरकार का निर्णय नहीं बदला। जब संयुक्त ससंदीय समिति का गठन किया गया था तब अनेक लोगों ने इस जटिल जांच के साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जुड़ने की उम्मीद की थी। दूसरा, चूंकि वित्तीय संस्थानों के संबंध में सरकार ने नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षा की लेखा-परीक्षा के क्षेत्र को व्यापक बनाने की बात को नहीं माना, इसिलए अधिकतर वित्तीय संस्थान उनकी लेखा-परीक्षा सीमा से परे हैं। इन गंभीर सीमाओं के साथ नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक के लिए यह कठिन हो गया है कि वे इस क्षेत्र में अपना अधिक योगदान दें सकें। जो कुछ भी भूतकाल में हुआ सरकार तथा संयुक्त संसदीय समिति उसमें संशोधन कर सकती थी यदि इस संस्थान के निपुण वरिष्ठ अधिकारियों को इस घोटाले की तह में पहुंचने के लिए इस्तेमाल करती। इस अवसर को छोड़ दिया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के सक्रिय संगठन ने यह सुनिश्चित किया होता कि इसकी और विस्तृत जांच की जाएगी। सरकार ने यह ठीक नहीं किया कि उसने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इस कार्य से पूर्णतः अलग रखा। भूतकाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि उपयुक्त विधान द्वारा नियंत्रक महा लेखा परीक्षक, को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के लेखा की जांच करने की शक्तियां सौंपी गई होती तो प्रतिभूति घोटाला प्रारम्भ में ही नष्ट हो गया होता।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थ करता हूं।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक 1994 का समर्थन करता हूं जिसे वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है। यह विधेयक बहुत छोटा और साधारण है और इसका सीमित उद्देश्य है तथा बहुत कम वित्तीय कठिनाईयां हैं। इस विधेयक में खंडों का संशोधन किया गया है। वास्तव में, इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 3 में दिया गया खंड (ग) को समाप्त और मुख्य अधिनियम की धारा 6 में खंड (घ) को जोड़ा गया है।

खंड (ग) को समाप्त करने का एक मात्र प्रभाव यह होगा कि इससे नियंत्रक और महा लेखा

परीक्षक की सेवा शर्तें पुनः नियोजित केन्द्र सरकार के सेवा से निवृत्त हो चुके लोगों के बराबर हो जाएगी, जहां तक कि उनके वेतन से उपदान के बराबर कटौती का संबंध है। इसलिए खंड (ग) को समाप्त करने से उनके वेतन से जो सेवानिवृत्ति उपदान की कैटोती की जा रही थी उसे बन्द कर दिया जाएगा और उन्हें उस बड़ी राशि का लाभ प्राप्त होगा। वित्तीय ज्ञापन से यह प्रतीत होता है कि वर्तमान पदधारी के लिए 797 रू. प्रति माह जोड़े जाएंगे। निश्चय ही हम इसे 27.3.1990 से प्रभावी करेंगे। इसलिए जहां तक कि बकाया राशि का संबंध है। लगभग 38,000 से 40,000 रू. तक की राशि वर्तमान पदधारी को दी जाएगी।

मुख्य अधिनियम की धारा 6 में खंड 6 (घ) को जोड़ने से बहुत सीमित प्रभाव पड़ेगा। इससे केवल दो व्यक्तियों अथवा उनके उत्तराधिकारियों को लाभ पहुंचेगा जैसा कि वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है;

यह अनुमान लगाया गया है कि 15,257 रू. की एक मुश्त राशि में बीमार नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के पेंशन संबंधी लाभ तथा भारत के सेवा-निवृत्त अन्य नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की अतिरिक्त अदायगी शामिल हैं जो कि 31.3.1994 तक 32,468 रू. की राशि बनती है और उसके बाद 317 रू. प्रति माह की राशि मंहगाई भत्ते के रू. में दी जानी शामिल है।

इसलिए, मेरे अनुसार इसका प्रभाव एक वर्तमान पदधारी और दो भूतपूर्व पदधारियों पर पड़ता है। कुल मिलाकर, इस विधेयक से तीन लोग प्रभावित होंगे। मुझे आश्चर्य है कि सरकार ने इन तीन व्यक्तियों के लाभ के लिए इतनी जल्द कदम क्यों उठाए।

[अनुवाद]

बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी सेवा शर्तो और सरकारी कर्मचारियों की अनेक श्रेणियों के वेतनमानों में अनेक असमानताएं है। कर्मचारी वर्ग की तरफ ध्यान देने के बजाय हम पूरे भारत में केवल तीन लोगों के संबंध में मौजूदा असमानताओं को ठीक करने के लिए विधान लाए हैं,

मुझे यही उम्मीद है कि जहां तक पूरे देश में फैले कर्मचारी वर्ग के अनेक सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता का संबंध है, सरकार उनके संबंध में भी वही उत्साह दिखाएगी और उन पर ध्यान देगी क्योंकि अनेकों बार यह देखा गया है कि ऐसी अनेकों असमानताएं है और सरकार के पास उन पर गौर करने का समय नहीं है और ये असमानताएं वर्षों से जैसी की तैसी बनी हुई हैं, अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन सभी असमानताओं पर गौर किया जाए जो कि कार्मिक मंत्रालय के पास लम्बित पड़ी हुई हैं, और अविलम्ब वैसी ही आवश्यक कार्यवाही करें।

पहले जिन दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए उन्होंने संयोगवश नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यक्षेत्र और कर्तव्यों का उल्लेख किया। मैं श्री नारायण के विचारों का समर्थन करता हूं जिन्होंने अभी-अभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र और कर्तव्यों के बारे में अपने

विचार व्यक्त किए कि इन वित्तीय संस्थानों में से बहुत से संस्थान जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते हैं उन्हें उचित नियम बनाकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अधीन लाया जाये, जैसा कि मुझे संविधान से पता चला है कि यह एक संवैधानिक पद है जिसे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत सृजित किया गया है और उस अनुच्छेद के खण्ड 5 में कहा गया है कि इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार, और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां नहीं होंगी, जो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की गई हैं। अतः प्रशासनिक शक्तियां इत्यादि भी नियमों द्वारा निर्धारित की जानी हैं। मुझे मालूम नहीं है कि क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के क्षेत्र को इन नियमों के तहत लाया जा सकता है। यदि कोई संवैधानिक संशोधन आवश्यक है तो सरकार उनकी जांच कर सकती है। यह भी किया जाना चाहिए और इस संस्थान का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए जहां तक हमारे वित्तीय संस्थानों और अन्य विभागों का संबंध है, हमारा यह अनुभव रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टें बहुमूल्य होती हैं। कई बार उनमें विभिन्न सरकारी विभागों की खामियों को उजागर किया गया होता है और कभी कभार लोक लेखा समिति में हमें भी आश्चर्य होता है जब ऐसी शामियों को समिति के ध्यान में लाया जाता है और तदनन्तर संसद के ध्यान में लाया जाता है। अतः जहां तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार का संबंध है इसकी गंभीरतापूर्वक जांच की जानी चाहिए और इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या संसद के प्रति कार्यपालकों के वृद्धि करने के लिए क्या इस संस्थान का और उपयोग किया जा सकता है। इस पर भी यथाशीघ्र विचार किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का इसके मूल रूप में समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवाशर्तें) : संशोधन विधेयक, 1994 का समर्थन करता हूं।

हमारे संविधान के अध्याय 5, अनुच्छेद 148 (1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह कार्यालय भारत के राष्ट्रपति के अधीन है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी तरह से उन्हीं आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीश के हटाया जाता है। महोदय, जब उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान परिलब्धियों और वेतन का पात्र हैं जिसका उल्लेख इस विधेयक में किया गया है।

महोदय, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को शक्ति सम्पन्न करना बहुत आवश्यक है क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक दोहरी भूमिका निभाता है। वह एक न्यायाधीश का कार्य करता है और विस्तृत लेखाओं पर गौर करके तथा सरकारी खातों में अनियमिताओं का पता लगा कर एक पुलिस वाले की

भूमिका भी निभा रहा है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों के कारण विगत में अनेक घोटाले प्रकाश में आए हैं। हाल ही भारतीय खेल प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा की गई थी और यह पाया गया था कि जो बहुत से निवेश किए गए हैं उनका कोई उपयोग नहीं था और खिलाड़ियों के लिए जो उपकरण खरीदा गया था वह भी अभी बेकार पड़ा हुआ है।

मध्य प्रदेश में, जहां का मैं रहने वाला हूं जब मेरे मित्र सरकार चला रहे थे उस समय वहां एक्स-रे मशीनों की खरीद में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक्स-रे मशीनें खरीदने पर करोड़ों रूपए व्यय किये गए थे। केवल पांच प्रतिशत मशीनें स्थापित की गई थी और शेष पचानवें प्रतिशत मशीनें उपयोग में नहीं लाई जा रही थी और बहुत खराब हाल में थी, इसलिए मैं पुनः इस बात पर जोर देता हूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को अधिकार सम्पन्न बनाया जाए।

भूतपूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री सोमाया ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में लाया जाए। मैं श्री सोमाया के विचारों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मैं पूरी तरह से यह महसूस करता हूं कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को तत्काल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में बैंक घोटाला न होने पाए।

वर्ष 1992 में सरकारी क्षेत्र के 294 उपक्रमों की अंश पूंजी में निवेश 45,000 करोड़ रूपए के आसपास था और दिया गया लाभांश केवल 733 करोड़ रूपए था। यह लाभांश दो प्रतिशत से भी कम था। हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की यह स्थिति है। 1992-93 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के 26 उपक्रमों ने 9,432 करोड़ रूपए बैंकों में निवेश किया। अतिरिक्त निधियों का विदेशी बैंकों या अन्य सहयोग निधियों में निवेश किया गया। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने केवल अतिरिक्त निधियों का ही निवेश नहीं किया बल्कि उसने उस धन का भी निवेश कर दिया जो उसने ऋण के रूप में लिया था, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यह बातें अक्षम्य हैं। मैं समझाता हूं कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को और अधिकार दिए जाने चाहिए।

महोदय, हमें हाल ही में 6,000 करोड़ रूपए के प्रतिभूति घोटाले का पता लगा है, अभी घोटाले की पूरी राशि का पता नहीं लग पाया है। एक तरफ तो हम सरकारी धन की इस तरह की गंभीर हेराफेरी होने दें रहे हैं और दूसरी और उड़ीसा में लोग भूख से मर रहे हैं। अब वे भूखे लोग सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। वे लोग हमें, सरकार में, बैंठे लोगों को देख रहे हैं। यदि इन चीजों को नहीं रोका गया, यदि इस प्रकार की हेराफेरियों को नहीं रोका गया तो क्रांति हो जाएगी।

अतः भविष्य में किसी भी तरह के घोटाले को रोका जाना बहुत आवश्यक है।

मैं अपने उन मित्रों की सिफारिश से सहमत हूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद की स्थाई समिति में शामिल किया जाए। चूंकि हमारे सभी विपक्षी मित्रों ने संसद की स्थाई समितियों से

त्याग-पत्र दे दिया है, मैं समझता हूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद की स्थाई समितियों में शामिल करने का यही उचित समय है। महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं पुनः एक बार इस बात पर जोर देता हूं कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को मजबूत किया जाए और उसको और अधिकार दिए जाएं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सभापति महोदय, जिन सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूं तथा सभापति महोदय में आपके माध्यम से सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हम सभा के समक्ष एक विशेष प्रयोजन से ही आये हैं।

सर्वप्रथम तो इस विधेयक में नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने का उपबंध है। इस विधेयक में वर्ष 1987 में और संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन बढ़ाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर की गई थी। तथापि, यह लाभ उन भूतपूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों को देय नहीं था, जो 1987 में इस संशोधन के लागू होने से पूर्व सेवानिवृत हो गये थे। इसी वजह से, इस विधेयक के माध्यम से भूतपूर्व नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षकों को भी यह लाभ देने का प्रस्ताव है। ऐसा इसिलए करना पड़ेगा क्योंकि जहां कहीं भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन के संबंध में संशोधन हुए हैं, यह संशोधन उन पर उनकी सेवानिवृति की तिथि चाहे जो भी हो लागू होते हैं। हम इस सभा के समक्ष यह प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुए हैं।

दूसरे, यह प्रस्ताव इस अधिनियम की धारा 3 में संशोधन से संबंधित हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशें के बराबर है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यभार संभालने से तुरंत पहले सरकार के अधीन अपनी पूर्व सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो उपदान के बराबर की राशि उसके वेतन में से कम कर दी जायेगी। यह मुद्दा माननीय सदस्य श्री पाणिग्रही जी ने उठाया था। उपदान के बराबर पेंशन न काटने का यह प्रावधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के उद्देश्य से किया गया है, जिनके लिए ऐसा प्रावधान वर्ष 1986 से ही किया गया है। श्री पाणिग्रही जी ने पुनः नियोजित किये गये व्यक्तियों के बारे में भी उल्लेख किया है। उस स्थिति में भी समायोजित की जाने वाली पेंशन की राशि अभी भी वेतन में से काटी जायेगी।

इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय-विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों तथा सेवा निवृत्त न्यायाधीशों के मामले में उपदान के बराबर पेंशन नहीं काटी जाती। अब इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों पर भी लागू किया जा रहा है।

अतः हमने इस सभा के समक्ष नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां, एवं सेवा की शर्तें) . अधिनियम 1971 में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उपदान के बराबर पेंशन राशि नियंत्रक एवं महालेखा - परीक्षक के वेतन में से 27 मार्च, 1990 अथवा उसके बाद काटने की जरूरत न पड़े।

माननीय सदस्य, श्री दिघे जी ने निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के बारे में गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। मैं भी माननीय सदस्य की इस चिन्ता से सहमत हूं। सरकार ने पहले ही पांचवें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, जो निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों तथा वेतन ढांचे की जांच पड़ताल करेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से समूची सभा से यह अपील करता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड-1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.28 म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1994-95

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1990-91

तथा

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1991-92

सभापति महोदय : अब सदन में मद संख्या 10 से 12 पर एक साथ चर्चा की जायेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

(एक) "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये :

मांग संख्या 1, 4, 10, 11, 45, 47, 74 79, 80, 83, 84, 87';

(दो) "कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1991 के समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :

मांग संख्या 7 11, 13, 16, 22, 93 और 94 ".

(तीन) "कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गयी निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संबंधित अनुदानों से अतिरिक्त राशि की कमी को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये :

मांग संख्या 15, 17, 28, 84, 97".

लोक सभा

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1994-95 की अनुदानों की पूरक मांगे (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांग की राशि	
1	2	3	
	राजस्व	रूपए	पूंजी रूपए
1.	कृषि	250,00,00,000	...
4.	पशु पालन और डेरी विभाग	39,00,000	...
10.	कोयला मंत्रालय		1,00,000
11.	वाणिज्य विभाग	1,00,000	...
45.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1,00,000	...
47.	शिक्षा विभाग	2,00,000	...
74.	इस्पात मंत्रालय	10,00,00,000	...
79.	शहरी विकास और आवास		2,00,000
80.	लोक निर्माण कार्य	...	1,00,000
83.	कल्याण मंत्रालय	...	22,00,00,000
84.	परमाणु ऊर्जा	..	1,00,000
87.	महासागर विकास विभाग	5,40,00,000	...
	जोड़ :	304,44,00,000	22,05,00,000

लोक सभा

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1990-91 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई मांग की राशि
1	2	3
		रूपए
I.	**राजस्व से पूरा किया गया व्यय**	
13.	रक्षा पेशनें	11,51,872
16.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	1,44,05,869
93.	लक्षद्वीप	3,55,524
94.	चंडीगढ़	1,16,10,312
II.	**पूंजी से पूरा किया गया व्यय**	
7.	वाणिज्य विभाग	521,08,80,697
11.	दूरसंचार सेवाएं	103,17,60,756
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	68,488
93.	लक्षद्वीप	1,25,597

लोक सभा

संसद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई मांग की राशि
1	2	3
I.	**राजस्व से पूरा किया गया व्यय**	

1	2	3
17.	रक्षा पेशनें	29,29,916
28.	पेशनें	32,50,53,771
97.	चंडीगढ़	5,01,43,133
II.	**पूंजी से पूरा किया गया व्यय**	
15.	दूर संचार सेवाएं	65,03,82,479
84.	न्यूकलीय विद्युत स्कीम	1,03,71,330

सभापति महोदय : श्री अनादि चरण दास, कृपया चर्चा शुरू कीजिये।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : सभापति महोदय, मैं, वर्ष 1994-95 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुये कुछ बातें इस सदन में रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि हर साल यहां पर जनरल बजट आता है और हर एक आइटम में बढ़ोतरी होती है जो गांव से एम.पी. चुनकर आया है, उसको मालूम होता है कि हर वर्ष एलोकेशन तो बढ़ता है लेकिन खर्चा भी बढ़ रहा है। हर साल ज्यादा आदमी नौकरी पर लिये जाते हैं। देश में कई कारखाने खुले हैं और इसका नतीजा यह रहा है कि हमारे देश में जो चीज़ कभी बनती नहीं थी, वह भी बनने लगी है। आपको मालूम है कि गांव में जो गरीब लोग हैं, उनकी संख्या और बढ़ती चली जा रही है और वह गरीब से गरीब होता जा रहा है। हमारी मांगों में कई विभाग है जिनमें वैलफेयर मिनिस्ट्री और रूरल डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट भी हैं।

आपने जो मांगे रखी हैं इसमें रिवैन्यू ऐक्सपेन्डीचर के साथ कुछ कैपिटल ऐक्सपेन्डीचर भी हैं। कैपिटल ऐक्सपेन्डीचर का कोई फायदा गरीब को नही होता। आपने रूरल गोडाउन के लिए जो प्रावधान रखा है, हालांकि यह सरकार की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी कोई देखभाल नहीं करता है। मेरा सुझाव है कि जो रूरल गोडाउन आप बनाते हैं, अब तब हिन्दुस्तान में 4835 रूरल गोडाउन हैं और सबसे ज्यादा गुजरात में हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है और हमारे उड़ीसा में तो 137 ही हैं। सरकार इनको बना तो देती हैं लेकिन बाद में उसकी टीन की छत और ईंट पत्थर तक लोग ले जाते हैं। इस वजह से वह काम में नहीं आते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जिस तरह से बैंक वाले कहते हैं कि आप घर बना दो और हम उसे किराये पर ले लेंगे, इस तरह से गोदाम बनाने चाहिए। अगर कम से कम ट्राइबल एरिया

में कृषि मंत्रालय की तरफ से बनने वाले गोदामों के लिए कहा जाए कि तुम अपने नाम पर बनाओ और हम किराए पर रहेंगे, तो उनकी ठीक से देखभाल हो सकेगी। हम ट्राइबल एरिया में देखते हैं कि जितने इस प्रकार के गोदाम बने हैं, जब सरकार की तरफ से पैसे का उपयोग नहीं होता है तो लोग उन गोदामों की टीन उठाकर ले जाते हैं और बाद में उसकी ईंट तक लोग उठाकर ले जाते हैं। इससे किसको फायदा होगा ? इससे नॉन ट्राइबल्स को फायदा होता है। मैं आज हिन्दुस्तान के सभी संसद सदस्यों से कहूंगा कि आप अपने ब्लॉक में जाकर पूछिए कि कोई व्यक्ति जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है, उसे गरीबी की रेखा को पार करना चाहिये इसके लिए सरकार ने कुछ कट ऑफ पॉइण्ट रखा है ? जहां पर कट ऑफ लाइन होती है वहां आपको असिस्ट करना है और वहां मार्जनल और स्मॉल फार्मर्स, लैण्डलैस लेबरर्स के लिए आपने जो किया कि 50 प्रतिशतत सब्सिडी रख दी, पहले थोड़ा सा ग्रेडशन था। लेकिन अगर इससे फायदा नहीं होता है तो उसके लिए नये ढंग से कुछ करना चाहिए क्योंकि आप नयी व्यवस्था इस देश में लाए हैं। इंदिरा गांधी के समय में एक अच्छा नारा था कि हम समाजवाद की तरफ बढ रहे हैं। अभी हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उसका ज्यादा लाभ गांव वालों को नहीं पहुंचता है। हम देखते हैं कि अगर दस हजार रूपया लैण्डलैंस लेबर को या आदिवासी हरिजन, औरतों या अपंगों को आपने लोन दिया है और इसके लिए 50 प्रतिशत सबसिडी है तो इसमें से तीन हजार से चार हजार रुपये की चोरी होती है। अभी सरकार ने कहा है कि 12 हजार रूपया तक दे सकते हैं। इसके सबसे पहले लाभ पाने वाले सरपंच और उसके सेकेटरी हैं। उसके बाद ग्राम सेवक, खंड विकास अधिकारी और वहां के दूसरे लोग होते हैं।

आखिर में बैंक आते हैं और मुझे पता है कि बैंक वाले आदिवासी और हरिजनों को इतनी बुरी तरह गाली देते हैं कि तुम्हारे बाप का पैसा है क्या, जब तक इतना पैसा नहीं दोगे, तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है कि लोन की एप्लीकेशन देने से पैसा सैक्शन होने तक जितने बीच में लोग इंवैल्व रहते है, सबका कुछ न कुछ हिस्सा उसमें फिक्स रहता है और इस तरह लगभग 4 हजार रूपया उनको चला जाता है।

मैं यहां एक सजैस्शन देना चाहता हूं कि जैसे खासकर जब हमने आई आर डी कार्यक्रम शुरू किया था तो उसके तहत हर ब्लॉक में 3 हजार रुपये पहले देते थे फिर हर साल 600 रुपये देकर एसिस्ट करना शुरू किया थ, आागे चलकर, जैसा आजकल चल रहा है सैंकेंड डोज दी जाती है या फिर कोई नई फैमिली यदि रास्ते में आ जाती है तो उसे कुछ दिया जाता है। आप ऐसी ही कुछ व्यवस्था कर सकते हैं कि मान लीजिये आपको चार हजार रुपये देने हैं या साढे तीन हजार रुपये देने हैं तो उतनी राशि के आप कोई बॉड निकाल कर दे सकते हैं जिन बॉडों की राशि आगामी 15 सालों में बढ़कर एक लाख रुपये हो

जाये, हर तीन साल बाद राशि डबल हो जाने की व्यवस्था हो, जिसका मतलब है कि साढ़े तीन हजार रुपये तीन साल बाद दुगने हो जायेंगे और इस तरह 15 सालों में वह राशि बढ़कर एक लाख रुपये हो जाये। आपको यह पैसा इंवैस्ट जरूर करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे लोगों के जरिये आप कुछ मदद करना चाहेंगे तो बीच वाले उस पैसे को खा जायेंगे। उदाहरण के लिये गवर्नमेंट के फाइनेन्शयल इंस्टीट्यूशन्स हैं, यू.टी.आई या सात-आठ दूसरे संस्थान हैं, उनके पास रकम को रखा जा सकता है, जैसे इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है जिनके जरिये इस देश के आदिवासी हरिजनों की सहायता की योजना थी, ऐसे ही कोई नये बौंड निकाले जा सकते हैं। साढ़े तीन हजार रुपये मूल्य के सबको बौंड दिये जा सकते हैं और कहीं उस पैसे को डिपोजिट किया जा सकता है जो हर साल बढ़ते बढ़ते एक अच्छी राशि बन जाये। इससे उन लोगों के मन में कांफीडैंस क्रियेट होगा क्योंकि नौर्मली उन्होंने पावर्टी लाइन को क्रौस करना है।

जहां तक मैनिपुलेशन का सवाल है, आज यदि किसी के लड़के के पास जमीन नहीं है तो वह तहसीलदार को एप्रोच करता है कि भाई कुछ कर दो। तहसीलदार उससे एप्लीकेशन लेकर नीचे रिवैन्यू इंस्पैक्टर को कहता है कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट करो। वह इंक्वायरी करके लिख देते हैं कि फलां गांव में इस व्यक्ति के पास कोई जमीन नहीं है। मेरा मतलब है कि मैनिपुलेशन करके किसी को लैंडलैस डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे जमीन मिल जाती है। यदि उसके पास कोई दूसरा बिजनैस है और 5-10 हजार रुपये उसे इस तरह मिल गये तो वह बढ़ता चला जाता है। मैं यहां मैनिपुलेशन की बात नहीं करता, लेकिन यह एक रियेलिटी है। मैं जिस गांव से आता हूं वह 50 फैमिलीज का एक छोटा सा गांव है और मैं अपने गांव में यही स्टडी करता रहता हूं और स्टडी करने में मुझे आसानी भी रहती है। मैं उनकी हर परेशानी और दूसरी चीजों से वाकिफ हूं और यही कारण है कि हर 5 साल बाद में चुनाव में जीतकर आ जाता हूं। यदि ऐसा न करूं तो कभी जीतकर नहीं आ सकता क्योंकि आजकल जो कुछ व्यवस्था चल रही है, उसमें बहुत से लोग बैनिफीशियरी हैं। इसके स्थान पर कोई नया कंसैप्ट आना चाहिये। इंदिरा जी ने कंसैप्ट बदलने की कोशिक की थी और कुछ हद तक वे सफल भी रहीं। आप कह सकते हैं कि इस व्यवस्था को तोड़ने वाले हम कौन है, लेकिन सवाल हमारे सामने यह है कि गरीब लोगों को कैसे वास्तव में फायदा पहुंचाया जाये। इसलिए नया कंसैप्ट आना चाहिये।

आप ट्राइबल सब प्लान में देखिये, सबके लिये ट्राइबल एरिया में इतनी सुविधायें दी जा रही हैं लेकिन फिर भी कोई ट्राइबल आगे नहीं बढ़ पाया है। मेरे जितने मित्र इधर थे, मैंने सबसे पूछा कि क्या तुम्हारे यहां ट्राइबल्स के बीच में कोई कांट्रेक्टर है, किसी ने कहा कि नहीं है, किसी ने कहा कि 'बी' और 'सी' क्लास करके कोई है, फिर मैने पूछा कि कोई गाड़ी, ट्रक, बस या सिनेमा हाल है लेकिन कहीं कुछ नहीं है। जब तक ये लोग मेनस्ट्रीम में नहीं आयेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे।

अब जहां तक प्रश्न है, हां जितनी बिल्डिंग आदि बनती हैं, निर्माण कार्य होते हैं, यहां का पैसा सर्कुलेट होकर यही रह जाता है, बाहर नहीं जाता है जबकि हमारे यहां स्थिति दूसरी है। वहां जितना पैसा निर्माण कार्यों पर खर्च होता है, उसमें से, उड़ीसा में मैं जानता हूं, लगभग 70 परसेंट पैसा बाहर चला जाता है और लगभग 30 परसेंट पैसा वहीं रहता है। जब वहां का पैसा किसी दूसरी जगह चला जाये और वहीं सर्कुलेट नहीं हो पाता है।

हर ट्राइबल और हर गांव की हालत ऐसी है कि वहां धन का कोई सर्कुलेशन नहीं है। वहां एक हाट में से आदमी वापस आ रहा था, मैंने उससे पूछा कि कैसा है, तो वह बोला कि हाट में पैसा सस्ता है, माल मंहगा है क्योंकि वह काफी सारा समान डलिया में लेकर गया था और गमछे मे जरा सा सामान लेकर आया। इस प्रकार से गरीब लोग भी समझते हैं। हम गरीबों को कितने दिन तक गुमराह करेंगे?

सभापति महोदय, आज सब लोग क्यों नौकरी में जाना चाहते हैं? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो नौकरी करता है उसका जीवनस्तर ऊपर उठ जाता है। चाहे कोई चपरासी की ही नौकरी क्यों न करता हो, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी गरीबी की रेखा से ऊपर उठा जाएगी।

महोदय, यहां पर वैसे तो हम हरेक बात पर बहस करते हैं, लेकिन कभी इन गरीब लोगों के ऊपर बहस, नहीं करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि यहां पर आई आ डी आदि के अन्तर्गत आने वाले लोगों की स्थिति पर नियम 193 में बहस करें, लेकिन हर बार बात को यह कह कर टाल दिया जाता है कि यह बात तो प्रश्न के माध्यम से आ चुकी है और कभी किसी और माध्यम से आने की बात कह देते हैं। जिस बात में राजनीतिक फायदा होगा, उसको यहां पर हर बार उठा दिया जाएगा। जैसे अभी चीनी का मामला चल रहा है। उस मामले को बार-बार किसी न किसी माध्यम से उठाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन गरीबों का मामला यहां पर नहीं उठाया जाता है।

सभापति महोदय, मैं यहां कहना चाहता हूं कि ये पढ़े-लिखे लोग जो नौकरी करते हैं, ये आपको वोट नहीं देते हैं। ये गरीब लोग ही आपको वोट देते हैं। यही आपका वोट बैंक है, लेकिन आप परवाह नहीं करते हैं। वोट लेकर यहां आ जाते हैं और उसके बाद उन गरीबों को भूल जाते हैं। उनके लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। इसी बात से मुझे दुख होता है।

महोदय, वैसे तो मेरे पास पूरे देश की खबर है, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के बारे में ही बताना चाहता हूं। वहां पर 70 स्कूल और कालेज है, और ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां मैट्रिक से कम पढ़े-लिखे लोग हों बल्कि कई जगह तो बी.ए. और एम.ए. वालों की भरमार है, परन्तु वे लोग वहां कुछ नहीं करते हैं। जो लैंडलैस लोग है, वे भी ग्रेजुएट हो कर बैठे हैं। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। इस विकट परिस्थिति से आप कैसे निपटेंगे। धन का जो बंटवारा हुआ है, वह ठीक नहीं हुआ है। यदि धन का बंटवारा ठीक ढंग से हुआ होता, तो ऐसा कभी नहीं होता।

सभापति महोदय, मैंने एक बार लिखकर हिसाब लगाया था मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकारी नौकरी करता है, उसे 38 लिखित फायदे हैं और 47 अलिखित फायदे हैं। सब फायदे उसी को दे देते है और देश के अन्य गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। इसीलिए सब लोग व्हाइट कालर जॉब चाहते हैं। इतने समय की आजादी के बाद भी आज देश की ऐसी स्थिति हैं। सबको सब सुविधाएं देने की बात कहते हैं, लेकिन सब सुविधाएं कर्मचारियों को दे देते हैं। जो आदमी खेत में काम करता है, जो देश का सच्चे मायने में मां-बाप है, उसको आज कुछ भी नहीं मिला है।

सभापति महोदय, मैं यहां कहना चाहता हूं कि एक आदमी दफ्तर में बैठकर दिन भर कलम चलाया करें, लेकिन उससे कोई उत्पादन होने वाला नहीं है। अन्न तो किसान ही खेत में पैदा करता है। उसके द्वारा खेत में हल चलाने से ही अन्न पैदा होगा, बाबू के कलम चलाने से नहीं, परन्तु बाबू को पेंशन दे दी जाएगी और किसान बेचारा ऐसे ही रहा जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनको भी पेंशन देनी चाहिए। वैसे तो देश में तरह-तरह की पेंशन दी जाती है, लेकिन किसान को आज तक किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी गई है। आज छोटा भाई किसान है, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। बड़ा भाई छोटे भाई को कुछ समझता ही नहीं।

लेकिन आज उनके बाल बच्चे तैयार हो गये हैं। आज कुछ लोगों को सब सुविधाएं मिलती हैं लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। यह कैसे बर्दाश्त हो सकता है? मेरे एरिया में कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि दास साहब आप कुछ करिये। हमने इस सदन में सुझाव दिया था कि साईंस और टैक्नोलोजी को छोड़कर बाकी सभी नौकरियों में उनके लिए भी एक प्रावधान रखें और उनकी 25 साल की नौकरी का हिसाब करके उनको पेंशन दी जाये।

[अनुवाद]

कृपया उनके बच्चों को भी रोजगार दीजिये। इसके अतिरिक्त, मैं यह सुझाव देता हूं कि एक परिवार एक रोजगार के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिये। इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को यह लाभ मिलना चाहिए। प्रत्येक विकास खंड में ऐसे लोगों की संख्या दर्शाने वाली सूची पहले ही ये विद्यमान है। सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कोड नम्बर भी दिये हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या पांच अथवा छह लाख है। फिलहाल सरकार ने दूसरी किश्त अर्थात, 8500 रुपये तक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। कृपया यह लाभ सर्वप्रथम भूमिहीन श्रमिकों, छोटे एवं सीमान्त किसानों को प्रदान कीजिये।

[हिन्दी]

उनके जो बाल बच्चे होंगे, उनको आप पहले दे दे। आज जो एससीएसटी का झगड़ा चल रहा है,

वह कम होता जायेगा। अभी तो ये लोग तैयार हो गये हैं मैं तो नहीं चाहता कि एक परिवार में जो गाय बकरी रखता है और पौल्ट्रीटरी फार्म खोलता है, उसे कोई परेशानी हो। उन लोगों के पास थोड़ी-थोड़ी जमीनें हैं, इसलिये उनको उस हिसाब से कार्य करना पड़ता है।

अभी जो कैपीटल एक्सपेंडीचर हैं- जैसे बिल्डिंग बनाते हैं, उसका बेनिफिट गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए। यदि हम लोग यह तय नहीं करते तो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। हाउस में जब यह ग्रांट आ गई है तो यह पास होगी ही, उसका हम लोग विरोध नहीं करते लेकिन आगे के लिए सोचना चाहिए कि क्या कॉन्सेपट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है? ट्राईबल एरिया में अभी जो चल रहा है, उस सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए। जो लोग उसके बेनीफिशयरीज है, अगर उनको बेनिफीट नहीं मिलेगा तो वे लोग आगे नहीं बढ़ पायेंगे। उनकी जमीन आज भी दूसरे लोग आकर ले लेते है।, जैसे उड़ीसा में केरल के लोग आकर गरीब लोगों की हजारों एकड़ जमीन ले लेते हैं और उस पर काजू की खेती वगैरह करते हैं। सरकार भी इस सब में उनकी मदद कर रही है। सरकार को यह देखना चाहिए।

आपने जिन लोगों की जमीन ले ली है, उन्हें उसके बदले में कुछ तो मिलना चाहिए क्योंकि उन लोगों के पास तो सिर्फ जमीन ही है। दूसरी जगह में जाकर जमीन खरीदने के लिए आप लोगों को ऐलाऊ क्यों करते हैं। यह ठीक है कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रह सकता है लेकिन यदि कोई गरीब लोगों की जमीन लेना तो उससे उनको परेशानी होगी।

सभापति महोदय, आप कभी ट्राईबल एरिया में जाकर देखिए क्या हालत है। जहां पर रेलवे लाइन बिछानी होती है तो उन लोगों की जमीन ले ली जाती है। वे लोग कहां से खाएंगे? क्या सरकार ने उनके रीहैबिलिटेशन के बारे में कभी सोचा है? जो गरीब लोग हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। यदि वे लोग किसी प्राईवेट कम्पनी में काम करते हैं तो उनको जब मर्जी नौकरी से निकाल दिया जाता है। प्राईवेट कम्पनी वालों को किसी का डर नहीं होता है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम हिन्दुस्तानी हैं, हमारे यहां जो है वह दुनिया में कहीं पर नहीं है। हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं सोचते।

ऐक्सैस डिमांडस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बजट नहीं होता तो ऐक्सैस खर्च क्यों किया जाता है। एक बार जब सदन में बजट पास कर दिया तो फिर ऐक्सैस ग्रांट का क्या मतलब है। उसके लिए क्या कोई दूसरा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता? हम बार-बार सदन में ऐक्सैस ग्रांट लाते हैं लेकिन उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं होती है। यदि डिटेल हो तो शायद बहुत सी फालतू चीजों को मंजूर न करें। इसमें सुधार होना चाहिए। आप प्राईवेट एकाउंट भी देखिए, सरकारी एकाउंट भी देखिए, दोनों में फर्म क्यों होता है।

पैसे का प्रावधान बराबर होना चाहिये। इतनी धनराशि रखनी चाहिये जितनी कि आसानी से व्यय हो सके। जितनी धनराशि मंजूर होती है, उससे ज्यादा का खर्चा हो जाता है। खर्चा अधिक होने पर पैसा मंजूर कराने के लिये सदन से मंजूरी लेनी पड़ रही है। इसमें काफी समय व्यय हो जाता है। अगर मैं सारे सिस्टम की डिटेल्स में जाऊंगा तो समय बहुत अधिक लग जायेगा।

आप बहुत से रिफॉर्म्स लेकर आते हैं लेकिन इसके लिये कोई रिफॉर्म्स लेकर क्यों नहीं आते हैं। आप ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे ऐक्सस ग्रान्ट्स लेकर न आना पड़े। इसके लिये कोई खास तरीका निकालना चाहिये।

इतना ही कहते हुये मैं इसको सपोर्ट करता हूं। आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) तथा 1994-95 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

1994-95 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कुल 15 मांगे हैं जो कि कुल राशि 343 करोड़ रुपये की है। इनमें से 86.94 करोड़ रुपये का ही समायोजन बजट आदि के रूप में किया जा सकता है। अतः 1994-95 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के लिये निवल नकद 256.06 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था करनी होगी।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगे वर्ष 1990-91 तथा 1992-93 से संबंधित है। 1991 का अर्थ है कि खर्च तीन वर्ष पहले किया गया है और 1992 का अर्थ है कि खर्च दो वर्ष पहले किया गया है। 1990-91 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें 627.73 करोड़ रुपये की है। इस वर्ष भी हमने अनुदानों की अनुपूरक मांगे की थी। कई बार प्रथम अनुपूरक मांगे की जाती हैं। इसके बाद द्वितीय अनुपूरक मांगे की जाती हैं और इन मांगों के बाद अतिरिक्त अनुदानों की मांगे की जाती हैं। 1990-91 के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगे 627.73 करोड़ रुपये की है। निःसंदेह अगले वर्ष यानि आगामी वर्ष यानि 1991-92 ये मांगें 104.27 करोड़ रुपये की राशि की है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत एक बहुत बड़ा और विशाल देश हैं जहां पर विविध प्रकार के क्षेत्र हैं। इसीलिये लोग इसे एक उपमहाद्वीप तथा एक लघु विश्व भी कहते है।

4.00 म.म.

स्वाभावतः कई प्रकार के ऐसे खर्च होते हैं जिनके बारे में वार्षिक सामान्य बजट को तैयार करने

और उसे प्रस्तुत करने के समय सही पता नहीं चलता और जब खर्च के कतिपय मदों का पहले पता नहीं चलता और वर्ष के दौरान वे खर्च किये जाते हैं तो उनके लिये अनुपूरक मांगों के रूप में प्रावधान करने पड़ते हैं। अतः अनुपूरक मांगो का प्रावधान करना पड़ता है। लेकिन यदि गहन संवीक्षा की जाती है यदि उचित आकलन किया जाता है, उचित सावधानी बरती जाती है तो अनुपूरक मांगों और अतिरिक्त मांगों के अन्तर्गत प्रदान की गई राशि में निश्चित तौर पर कमी आयेगी यद्यपि इसे पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान सरकार डा. मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्री के सहयोग से हमारे वित्तीय प्रणाली में अनेकों सुधार कर रही हैं। लेकिन इन्हें भी कुछ समय लगाना चाहिये, उन्हें भी व्यापक संवीक्षा करनी चाहिये ताकि इसे सुचारू किया जा सके। 1991-92 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का लोक सेवा समिति द्वारा जांच की गई है और लेखों की जांच के बाद लोक लेखा समिति ने यह पाया है कि इस खर्च के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है और समिति ने इस खर्च को संसद द्वारा विनियमित कराने की सिफारिश की है।

जहां तक अनुपूरक मांगों का प्रश्न है, आमतौर पर खर्च की मदें कौन सी हैं। इन मदों में से एक मद है ''कृषि'' और मुझे यह देखा है कि ''कृषि'' मद के अन्तर्गत खर्च की 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण मद आती हैं। एक मद आन्ध्रप्रदेश में गुन्ताकल तथा अनन्तपुर में दो रूग्ण सहकारी कताई मिलों के पुनरोद्धार के लिये ''वित्तीय सहायता'' प्रदान करना है। महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। पुनः 'उर्वरक' मद के अन्तर्गत फास्फेट जैसे गैर नियन्त्रित उर्वरकों की उपलब्धता के लिये कतिपय रियायतें देने कतिपय राज्य सहायता देने का प्रावधान है। इसके बाद आंतकवाद से पीड़ित बच्चों की सहायता करने तथा उनके पुनर्वास की योजना तैयार करने के लिये राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट को सहायता देने का प्रावधान है। इस प्रकार कुछ एक बहुत अच्छे प्रावधान हैं चूंकि इसके उद्देश्य सराहनीय हैं, हमें खर्च की इन मदों को अपनी स्वीकृति देने में कोई आपूर्ति नहीं होनी चाहिये।

सही अर्थो में अनुपूरक मांगों पर चर्चा खर्च की इन मदों तक ही सीमित होनी चाहिये जिनका यहां प्रस्ताव किया गया है। मुझे यह देख कर निराशा होती है कि हम उर्वरक के मामले में अभी भी तदर्थ नीति का अनुकरण कर रहे हैं। महामहिम भारत के राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया है, उसमें उन्होंने-जिसका अभिप्राय है सरकार ने स्वयं-उर्वरकों के असन्तुलित उपयोग के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है।

तीन से चार दशक तक लगातार प्रयास करने के बाद हमारे देश में 4:2:1 नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश के अनुपात में उर्वरक का एक प्रकार का सन्तुलन बना था। अब यह अनुदान 15:2:1 है क्योंकि हमने नाइट्रोजन के मामले में कुछ रियायतें दी हैं और इसके परिणामस्वरूप तुलनात्मक दृष्टि से यह सस्ता हो गया है और पोटाश तथ फास्फेट की कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे किसान सस्ते उर्वरक का प्रयोग

करने लगे और उन्होंने अन्य दोनों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया हालांकि खेतों में उर्वरकों के सन्तुलन की अत्याधिक आवश्यकता थी। पैट्रोलियम तथा रसायनों संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इस बात को उठाया है। रियायतें, राज सहायता आदि के बारे में इस समिति ने ये सिफारिशें की कि सरकार को इनके बारे में फसल की ऋतु की शुरूआत से पूर्व उचित समय पर निर्णय लेना चाहिये।

महोदय, मैं राज्य सहायता देने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन बाद में सरकार ने राजसहायता देने की नीति का विस्तार करने का निर्णय लिया और अब वे इसके अनुमोदन के लिये इस सभा के समक्ष आ रहे हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पहले अंदाजा न लग सकता हो। हम कृषि के बारे में दूर गामी दृष्टिकोण और व्यवस्थागत प्रक्रिया को नहीं अपना रहे हैं जिसकी हम कदाचित अवहेलना नहीं कर सकते? विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था में, बजट मानसून का जुआ है। अंग्रेजी शासन के समय में ऐसा होता था। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के 46 वर्षों के बाद भी हमारी एक तिमाही कृषि भूमि पर सिंचाई की व्यवस्थ हो पायी है। जोकि 33 प्रतिशत है। इस आंकड़े पर भी लोगों में विवाद है।

महोदय, आप जानते हैं कि इस वर्ष मानसून कितना अनिश्चित रहा है। देश के कुछ भाग में अत्याधिक वर्षा हुई है। जिसके कारण बाढ़ आयी है और लोगों की दुर्दशा हो गयी है और देश के कुछ अन्य भागों में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ा है। दूसरी ओर हमारे यहां जनसंख्या के विस्फोट का संकट है जो कि दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। हमें अपनी जनसंख्या वृद्धि का खाद्यानों की मांग के साथ तालमेल बिठाना है। अतः हमें यह देखना है कि उत्पादकता बढ़ पाये क्योंकि कृषि योग्य भूमि तो उतनी की उतनी है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। हम अपनी कृषि का आधुनिकीकरण कर सकते हैं। जिसका अर्थ है। उर्वरकों का और अधिक प्रयोग।

4.08 म.प.

(श्री पी.सी. चाक्को पीठासीन हुए)

महोदय, उर्वरकों के बड़े पैमान पर आयात पर हम सदैव निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपने देश में इनके उत्पादन से आत्म निर्भर बनाना पड़ेगा तथा हमें इस दिशा में कार्य करना है। परन्तु मुझे इस बात का खेद है कि हमारे आधे उर्वरक संयंत्र इस समय रूग्ण हैं तथा वे औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन हैं। मुझे विशेष रूप से इस बात की प्रसन्नता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की दो रूग्ण ईकाईयों को पुनः चालू करने के लिए अनुपूरक मांगों में धनराशि प्रदान की गई है। इसी प्रकार जहां भी ऐसी ईकाईयों को पुनः सक्षम बनाने की आशा हो, विशेषतया उर्वरक संयंत्रों के संदर्भ में जो कि लम्बे अर्से से औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन है, को पुनः चालू करने में देरी की जानी चाहिए.। सरकार,

कामगार, संचालन ऐजेन्सी तथा सरकार द्वारा नियुक्त ऐजेन्सियां एक साथ बैठ कर नीति निर्धारित कर सकती हैं। औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन रूग्ण ईकाईयां उन रोगियों की तरह हैं जो कि गंभीर स्थिति में उन रोगियों की तरह हैं जो कि गंभीर स्थिति में अस्पताल में पड़े हैं। हम उन्हें कितनी देर तक इस स्थिति में रख सकते हैं? जो ईकाईयां औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन हैं, उनको तब तक चालू रखने के लिए धन उपलब्ध कराना नैतिक बचन बद्धता है। जब तक उनका मामला औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन है। जब रोगी ऑक्सीजन पर हो, वह अभी जिंदा हो, तो क्या आप उसे अस्पताल में मृत घोषित करके उसे उर्वरकों, भोजन इत्यादि देना बंद कर सकते हैं। आज तलचर उर्वरक संयंत्र, रामागुंडम उर्वरक संयंत्र तथा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, की क्या स्थिति है। इस लिए जब हम इस संयंत्र को पुनः चालू करने की व्यवहारिकता पर विचार कर रहे हैं, स्वभाविक तौर पर जब तक औद्योगिक एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा उन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया जाता हमें उन्हें चालू रखने के लिए धन उपलब्ध करवाना पड़ेगा विशेषतया जबकि हमें उर्वरकों की आवश्यकता है। उर्वरकों की मांग बहुत अधिक है। इसलिए यह तर्क दिया जा रहा है कि हमें विदेश से उर्वरकों को लाने की अनुमति दे देनी चाहिए। अमेरिका भारत में अपने उर्वरकों को खा-पाना चाहता है, परन्तु इस संबंध में हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। इस स्थिति को देखते हुए जबकि उनके पास अतिरिक्त उर्वरकों के भण्डार हैं तथा हमारे अपने उर्वरक संयंत्र नहीं हैं और हम पूरी तरह विदेशी उर्वरकों पर निर्भर हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा? वे हमसे अपनी शर्तें मनवायेंगे। तो हमारा जीवन खतरे में होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां काम करती रहें परन्तु ऐसा कहने से मेरा तात्पर्य यह नहीं कि उन ईकाईयों को चालू रखा जाये जो कि पहले से ही रूग्ण हैं तथा जिन्हें चालू रखने के कोई आसार नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ ईकाईयां ऐसी हैं जो कि कुछ प्रोत्साहन, परिवर्तन तथा पाबंदियां लगा कर तथा कार्य करने की एक नई पद्धति ला कर अच्छी प्रकार कार्य कर सकती है। आज की आवश्यकता के अनुरूप हमें विशेषतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक नई कार्य पद्धति का सृजन करना है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र होने चाहिये ताकि निजी क्षेत्र पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र की पूर्ण अनुपस्थिति में मुझे ऐसी आशंका है कि एक ऐसा संयंम आयेगा जब निजी क्षेत्र सरकार से अपनी शर्तें मंनवाते हुए कार्य करेगा। इसलिए, मेरा ऐसा सुझाव है कि जहां भी सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाईयां को चालू रखने की संभावना है, उन्हें कार्यशील रखने के लिए हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इस सम्बन्ध में पिछली रात तथा आज प्रातः तलचर में अपने क्षेत्र से मुझे तलचर उर्वरक संयंत्र के बंद होने के बारे में एक तात्कालिक संदेश प्राप्त हुआ है। पुराने बिलों को चुकाये बिना उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने इस ईकाई को बिजली की आपूर्ति करने से इन्कार कर दिया है। महानदी कोलफील्ड

लिमिटेड के सी.एम.डी. से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की है। तथा उन्हें इस उर्वरक संयंत्र को कोयले की आपूर्ति के बारे में दृष्टिकोण अपनाने को करा है। उन्होंने पूरी अदायगी अथवा "पैसा दो और माल लो" की प्रणाली पर जोर दिया है। पैसा दो माल लो की प्रणाली के अनुसार कोयला उठाने से पहले आपको सारी रकम करनी पड़ती है। वे कुछ रियायतें भी दे रहे हैं।

इसलिए भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय को कार्यशील पूंजी जारी करनी चाहिए। आम बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया था अब वे कार्यशील पूंजी जारी क्यों नहीं कर रहें हैं ताकि इस संयंत्र को चलाया जा सके तथा उर्वरकों की हमारी आवश्यकता देश में ही पूरी किया जा सके? यह एक अनुरोध और सुझाव है।

ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि इसके लिए प्रावधान है। हम अपने देश में सार्वजनिक क्षेत्र की रूग्ण ईकाईयां के बारे में चर्चा कर रहे है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां की रूग्णता के दो कारण माने जाते हैं। एक है अतिरिक्त श्रमिक। कर्मचारियों की तैनाती की पद्धति के अनुसार लगभग एक तिहाई कर्मचारी फालतू है।

मान लीजिए कि यदि कामगारों की आवश्यकता 100 है, तो रजिस्टर में यह संख्या 130 है। दूसरे उनकी प्रौद्योगिकी पुरानी है। वास्तव में इसका कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, ऐसा प्रबंधन की अकुशलता के कारण हुआ है। सरकारी क्षेत्र के एककों की विफलता का यह भी एक कारण है। सरकारी क्षेत्र के एककों में आवश्यक कर्मचारियों से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं। हम उन व्यक्तियों को हटाना चाहते है। इसीलिए हमने निष्क्रमण नीति अथवा स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरंभ की है। अनेक व्यक्तियों, श्रमिक नेताओं स्थानीय विधायकों तथा संसद सदस्यों ने लोगों को इस स्थिति के बारे में बताया है और वे इस व्यवस्था से सहमत है। स्वाभाविक है कि उनके सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कुछ बजट प्रावधान करने होंगे। जहां कहीं भी इसकी गुंजाइश होगी, इसका और पता लगाना होगा। आप देखेंगे कि आवश्यकता से अधिक लोग यथासंभव शीघ्र सेवानिवृत्त हो गए हैं। एक कहावत है, "अधिक जोगी मढ उजाड़"। जब लोग अधिक तो स्वाभाविक हैं कि विवाद पैदा होंगे और ऐसे में वे अपेक्षित न्यूनतम श्रम भी नहीं प्रदान करते हैं।

नई कार्यपद्धति शुरू करने के लिए मैं समझाता हूं कि पहल की जानी चाहिए। इंटक संगठन, जो कांग्रेस-आई से संबंधित हैं, 24 सितम्बर को एक सेमिनार आयोजित कर रही है जिसमें सरकारी क्षेत्र के प्रबंधक भाग लेंगे। लोगों को, प्रबन्धकों को तथा मजदूर नेताओं को यह समझाना होगा कि नई कार्य पद्धति किस प्रकार विकसित की जा सकती है। इसे प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से विकसित किया जा सकेगा। आज "सरकार का माल, दरिया में डाल" की भावना है, इसका अर्थ है कि सरकारी

संस्थाओं में आप बिना काम किए वेतन ले सकते है। यदि हम श्रमिक आंदोलन में शामिल हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप नेता हैं और बिना कोई काम किए आपको वेतन मिलना चाहिए। यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। नई कार्य पद्धति को लागू करने के लिए सभी ओर से प्रयास किए जाने चाहिए।

कृषि के बारे में, मैं नहीं जानता कि नया माननीय मंत्री महोदय इस मुद्दे को स्पष्ट कर सकते हैं। इस वर्ष देश के अनेक भागों में गंभीर स्थिति बनी हुई है जिसके कारण भीषण बाढ़ आ सकती है। महोदय, आपके राज्य में भी बाढ़ आई हुई है। मेरे राज्य में भी बाढ़ आई हुई है। इसी प्रकार गुजरात तथा महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ भागों में भी बाढ़ आई हुई है। राहत कार्यों के लिए कृषि मंत्रालय शीर्ष संस्था है। इस असाधारण स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, कुछ धन राशि देने के अतिरिक्त, उन्होंने आपदा निधि की भी व्यवस्था की है, लेकिन आठवें वित्त आयोग ने आपदा निधि देने के लिए जो नियम निर्धारित किए हैं, वे अब पुराने हो चुके हैं। आपदा निधि देने और उसका विनियमन करने के लिए आठवें वित्त आयोग के वे नियम आज की परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं हैं। लोक सभा में प्रस्तुत दस्तावेजों में मुझे ऐसे प्रावधानों के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिला हैं। मेरे विचार से स्थिति से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय और धन चाहता है। उन्हें अनुपूरक अनुदानों की मांगों के रूप में इसकी मांग करनी चाहिए थी। पिछले दिनों हम कृषि मंत्री की असहायता की बात सुन रहे थे। वे भावुक होकर कह रहे थे कि लोग उन पर विभिन्न राज्यों में खाली हाथ जाने का आरोप क्यों लगाते हैं।

संबंधित मंत्री को खाली हाथ क्यों जाना चाहिए? वित्त मंत्री महोदय उनके पास धन होना चाहिए जितना वह चाहते हैं उतना ताकि जनता की परेशानियां ठीक तरह से दूर की जा सकें।

महोदय, उड़ीसा जैसे राज्य में प्रति वर्ष 150-160 से.मी. औसत वर्षा होती है जब मैंने जिले के कलक्टर से बात की थी तो मुझे बताया गया कि 115-120 से.मी. वर्षा पहले ही चुकी है। यह वर्षा शुरू में ही अगस्त के पहले सप्ताह तक हो चुकी थी। अक्तूबर तथा दीपावली के दिनों में भी वर्षा होनी चाहिए ताकि निचले क्षेत्रों में चावल और अन्य वस्तुओं की अच्छी फसल हो सके। लेकिन किसानों के मन में यह भय बना रहता है कि यदि सितम्बर माह के आसपास वर्षा न हुई, तो क्या होगा। इसीलिए, कृषि और वित्त मंत्रालयों को तैयार रहने के लिए कहता हूं। भगवान करें ऐसी स्थिति न आए। यदि ऐसी स्थिति आ ही जाए, तो भी आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। केवल 45 दिन के समय में ही तीन-चौथाई औसत वर्षा हो चुकी है। स्वाभवतः यदि आपदा आती है, तो सरकार को हैरानी नहीं होनी चाहिए।

महोदय, यह केवल एक अनुपूरक मांग है। हमारे पास वित्त मंत्री और विशेषकर प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हाराव जी की प्रशंसा करने के लिए अनेक अच्छे शब्द हैं आप जानते ही है कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रशासन की बागडोर और श्री मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य

भार सम्भाला, उस समय वर्ष 1990-91 में हमारी अर्थ व्यवस्था की स्थिति क्या थी। अब स्थिति में सुधार हो रहा है और हम लगातार पेश किए गए पिछले तीन बजटों के लाभों का असर भी देख रहे हैं। श्री मनमोहन सिंह की यह विशिष्टता रही है कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में लगातार वर्षानुवर्ष चार बजटों को पेश किया है। पिछले तीन बजटों के लाभ अब समेकित होकर सामने आ रहे हैं। भयावह मुद्रास्फिति दर जो 17 प्रतिशत थी, उसे गत वर्ष घटाकर 7 प्रतिशत अथवा इसके आस-पास तक ले जाया गया है। लेकिन पुनः चीनी के मूल्यों, तेल के मूल्यों और अन्य नियंत्रित वस्तुओं के मूल्यों में संशोधन जैसे अनेक तथ्यों के कारण मुद्रास्फिति की दर में थोड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन आज, यह पुन 10.4 प्रतिशत तक घट गई हैं मूल्यों पर सख्त निगरानी करके तथा आर्थिक उपाय आदि के द्वारा इसमें और भी कमी लाये जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में कुछ प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं विदेशी मुद्रा भंडार जैसी अन्य बातों के विषय में बात नहीं करना चाहता। जैसा कि आप जानते हैं कि यह केवल अनुपूरक मांग है।

जहां तक खादों, किसानों तथा अन्य बातों का संबंध है, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। यह उचित है अथवा नहीं है, इस प्रश्न पर, मैं यह नहीं कहता कि यह बिल्कुल उचित है। यह केवल एक राजनैतिक नारा है। वे केवल चुनाव संबंधी लाभ उठाना चाहते हैं, वे अपने चुनाव संबंधी भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं। जनता दल उस समय 10000 रूपए तक के सभी ऋणों को माफ करने के अपने प्रस्ताव के साथ देश के सामने आया था। महोदय, आप जानते ही हैं कि वे अपना वायदा किस सीमा तक पूरा कर सके। वे यह काम नहीं कर सके। लेकिन इसके अत्यधिक गंभीर और प्रतिकूल परिणाम हुए हैं और यह आज तक महसूस किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे अनेक मामले जानता हूं जहां लोग दोषी नहीं थे। वे पुनः भुगतान करने के लिए नजदीक की सहकारी समिति में धन राशि लेकर गए थे। संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें बताया गया कि वे इतनी शीघ्रता में क्यों हैं क्योंकि सरकार ने 10000 रूपए तक की ऋण राशि को माफ करने अथवा छूट देने की घोषणा की है। उन्होंने उनसे पूछा कि वे ऋणों का भुगतान करने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं और इसीलिये उन्होंने भुगतान नहीं किया। वे भुगतान करने के इच्छुक थे लेकिन धनराशि स्वीकार नहीं की गई और उन्हें अपने घर भेज दिया गया था। अब उनसे चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जाता है। आप जानते ही हैं कि सहकारी समितियों में चक्रवृद्धि ब्याज वसूल किया जाता है।

मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह वास्तविकता की जांच करें और किसानों को, उनकी गलती न होने पर, भी परेशान किए जाने से बचाए। मैं यह नहीं कहता कि मूलधन को माफ किया जाए। मूलधन राशि का आसान किस्तों में भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। सरकार को इस सुझाव पर सहानुभूति से विचार करना चाहिए।

मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करना चाहता हूं कि और इसके साथ-साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा की गई टिप्पणी और दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार करें।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें 15 मांगे हैं जिनमें सबसे पहली कृषि की है जिसमें उन्होंने धन का प्रावधान करने की मांग की है और यह अक्सर होता है कि जब कोई बजट बनता है, तो उससे अधिक मात्रा में पैसा खर्च हो जाता है। जैसा कि आज आप देखते हैं कि इस देश के अंदर कई जगह बहुत भारी फ्लड आए जिनमें कई जगह पुल बह गए और उपजाऊ भूमि बह गई। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में सरकार यह तय नहीं कर पाती है कि अगले साल हम कितने रूपए का प्रावधान करें। जो पैसा अनुमान से ज्यादा खर्च हो जाता है, उसी की स्वीकृति लेने के लिए सरकार सदन के पास आती है। यहां से पास हो जाने के बाद यह पैसा उस कार्य पर खर्च कर दिया जाता है। इसलिए वित्त मंत्री जी ने जो यहां 15 मांगें रखी हैं, ये वाजिब हैं और मैं इनका समर्थन करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इस धन को खर्च करने की स्वीकृति दी जानी चाहिए तथा यह धन खर्च किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, यहां पर बहुत सी बातें आई हैं। सारे देश में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण बहुत नुकसान हुआ है। चाहे वह कर्नाटक है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे उत्तर प्रदेश है और चाहे हिमाचल प्रदेश है। सभी जगह भारी नुकसान हुआ है। जहां लोग ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए तैयार थे वहां किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। मैं हिमाचल प्रदेश के बागवानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां पर उनका बहुत नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने एवं भारी वर्षा आने के कारण लगभग 70 मौत हुई हैं जिनमें अनेक दूरिस्ट हैं। उनकी गाड़ियां दरिया में बह गई। उनकी लाश तक नहीं मिली है। इस प्रकार से बहुत भारी नुकसान उनका हो गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए तो शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने बाढ़ग्रस्त प्रदेशों के लिए मंत्रियों को नुकसान का जायजा लेने और हर प्रकार से उन प्रदेशों की मदद करने का जिम्मा सौंपा है। मेरा इस बारे में निवेदन है कि वहां के जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार उन क्षेत्रों को तत्काल मदद दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि हम यहां पर सप्लीमेंट्री डिमांडस का समर्थन करने के लिए आए हैं, तो सदन में यह बात निश्चित की जानी चाहिए। हमारे हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर कोटगढ़, जुब्बल, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा आदि में सेब की फसल खराब हो गई है और कई तहसीलों में गरीब लोगों की झौंपड़ियां बह गई। निचले क्षेत्र में जमीन समतल होती हैं लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जमीन सीढ़ियों की तरह होती हैं उनकी जमीनें खत्म हो गई हैं। दुधारू तथा अन्य पशुओं के घर बह गए या गिर गए। इसके अतिरिक्त जिन गरीबों के छोटे--छोटे मिट्टी के मकान थे वह

भी अधिक वर्षा के कारण तबाह हो गए । जिन पनचक्कियों से लोग गेहूं आदि पिसवाते थे, वह पनचक्कियां भी भारी वर्षा के कारण तबाह हो गई बिजली के बड़े-बड़े डेमों का भी नुकसान हुआ है।

कई साथियों ने कहा है कि फाईनेंस कमीशन ने राज्यों का फस्ट कैटेगरी का दर्जा घटाकर उनका खर्चा कम कर दिया। परन्तु अब नए कमीशन से इसको सुधार कराया जाए ताकि स्पेशल कैटेगरी राज्य इससे लाभान्वित हों। मैं कहना चाहता हूं कि हम इण्डस्ट्री के घाटे पूरे करते हैं लेकिन यह नहीं समझते कि हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सरकार का करोड़ों रूपया इनकम टैक्स का बकाया है। नीचे से लेकर ऊपर तक बेईमानी चलती है जिससे गरीब आदमी पिसता है। सरकारी कर्मचारी टैक्स देते हैं क्योंकि उनकी सैलरी का पता चल जाता है। लेकिन जो लोग देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कारखाने रूग्ण हो जाते हैं तो सरकार से पैसा मांगा जाता है लेकिन यदि किसान की खेती खराब हो जाए तो उसके लिए उसे कुछ भी नहीं मिलता। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने किसानों के बारे में कहा था कि उनके दस हजार तक के कर्जे माफ कर दिए गए लेकिन क्या उन्होने किसी किसान का कर्जा माफ किया? ऐसे व्यक्तियों का कर्जा माफ होता है जिन्हें किसी का कर्जा नहीं देना होता। जो लोग इस देश में बाहर से आकर पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे हमें लाभ हो सकता है। आज कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर लोगों के पास कोई काम नहीं है, वे खाली बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं। हमको इसकी जॉच करनी पड़ेगी और देखना होगा कि हम राष्ट्र के पैसे को किस तरह से बचा सकते हैं।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि इसमें खास बात नहीं है। सप्लीमैंट्री ग्रांटस उचित हैं। लोग आज बाढ़ से मर रहे हैं, बारिश होने से बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है।

आज हमारे सामने वाली सभी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। वह भी वही बात कहना चाहते थे जो आज मैं आपके सामने कह रहा हूं। जब मेरे क्षेत्र में गोली चलने से 3 लड़के मर गये थे तो मैंने राजीव जी से कहा था कि मैं संसद भवन के गेट के आगे हड़ताल पर बैठना चाहता हूं। इस पर उन्होने मुझे कहा कि आपको संसद में बात करने के लिये भेजा गया है, आप गेट के बाहर क्यों बैठेंगे, आप स्पीकर साहब से बात करो। अगर विरोधी पक्ष के हमारे साथी गेट के बाहर बैठकर हड़ताल करते हैं और हाऊस की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं तो वह ठीक बात नहीं है और राष्ट्र को आगे ले जाने वाली बात नहीं है। वह सरकार को बदनाम करने के लिये बहाना ढूंढते हैं। उन्होने हमारे प्रधानमंत्री जी पर इल्जाम लगाया कि वह एक करोड़ रूपया खा गये लेकिन वह इसको साबित नहीं कर सके। राजीव जी के समय बोफोर्स का मामला लेकर आ गये। जब यह मामला ठंड़ा पड़ गया तो यह एक नया मामला लेकर आ गये। विरोधी पक्ष के हमारे भाई यहीं पर बैठ कर बहस क्यों नहीं करते हैं। प्रेस को दिखाने के लिये यह बायकाट किया जा रहा है।

आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चों का अपहरण किया जा रहा है, उसके लिये वे हाऊस में आवाज नहीं उठाते हैं। इनकी भी कुछ जिम्मेवारी है। यहां जो नेता चुन कर आते हैं, वे लाखों-करोड़ों लोगों के नुमाइंदे बन कर यहां आते हैं। उनको देश की आर्थिक स्थिति पर यहां बैठ कर विचार करना चाहिये। गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय न हो, इसका ध्यान रखना चाहिये। अगर कहीं सड़क, पुल आदि सैक्शन करवानी हो तो यह कह दिया जाता है कि यहां सैंट परसैंट अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार को इसकी ठीक से जॉच करनी चाहिये।

प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिये एक करोड़ रूपया संसद सदस्य को दिया। अब इस लोक सभा के डेढ़ साल शेष रह गये हैं। सब को क्षेत्र के विकास कार्यों में जुट जाना चाहिये। गेट के बाहर हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो वाजिब बातें प्रधानमंत्री जी ने कहीं हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिये।

इन सप्लीमैंटरी डिमांडस में खर्चा जो ज्यादा हो गया है, उसके लिये और पैसे की मांग की गई है। यह खर्चा वाजिब है। यह मुल्क का सबसे बड़ा सवाल है। जितने भी देश के लोग बर्बाद हो गये हैं, उनको बसाना आवश्यक है। इसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाना चाहिये।

जो राज्य सरकारें मजबूत नहीं हैं, वहां अगर कोई मीटिंग रखी जाती है तो मंत्रीगण, व नेता अधिकारी हवाई जहाज से जाते हैं।

सारा प्रशासन सरकारी गाड़ियों से वहां दौड़ जाता है, हम समझते हैं कि जितनी मदद उससे 200 परिवारों की हो सकती है, इन लोगों पर खर्च हो जाता है।

एक विमान उड़ता है तो कितना तेल खा जाता है और वहां डिप्टी कमिशनर और सारे छोटे अधिकारी पहुंच जाते हैं, उसमें किसी भी एम.पी. से सलाह ही नहीं होती, उनके कान में फूंक मारी, हवाई जहाज उड़ा और दिल्ली पहुंच गये तो इससे लोगों को फायदा नहीं हो सकता। आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी मंत्री जाय तो उसको जिम्मेदार बनाना पड़ेगा। वह स्टेट के दौरे पर जाय तो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ही नहीं, एम.पी. और एम.एल.ए. को तथा ग्राम पंचायत के प्रधानों को भी शामिल करें। वहां के मिनिस्टरों से वह पूछें, लेकिन उन्हे तो पता ही नही लगता। वे विमान में बैठकर आंखों से सर्वे करते हैं, जो उचित नहीं है। इससे सही निरीक्षण नहीं हो सकता है। आज सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं और उस बर्बादी का कारण एक ही है कि हमारी स्कीमें समय पर पूरी नहीं होती।

पंजाब के हमारे साथी यहां बैठे हैं, पंजाब हमारा पड़ोसी प्रदेश है। हरियाणा में भी एक नहर बन रही है, वह कई सालों से बन रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। उस पर गवर्नमेंट का

करोड़ों रूपया खर्च हो गया है। पंजाब के विकास के लिए भाखड़ा डैम बना, पोंग डैम बना। उससे राजस्थान तक बिजली और पानी की सुविधा हुई लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग उससे बर्बाद हुए। वह राजस्थान गये तो वहां के लोगों ने डण्डे मारकर उनको निकाल दिया। चूंकि पहाड़ी लोग सीधे-सादे थे इसलिए उनको कहा कि अपने घर को जाओ। बहुत से लोग वहां वापस चले गये तो वहां भी उनको देखने वाला कोई नहीं था।

इसी तरह से हमारे देश के जो अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र हैं, वहां ट्राइब्स के लोगों को, शैड्यल्ड कास्ट्स के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब लोगों को सताया जाता है। वोट गरीब आदमी का भी एक है और अमीर चाहे करोड़पति हो, उसका वोट भी एक है। यह तो वोट देने की बात है, इसमें पहले धांधली चली हुई थी लेकिन अब ठीक ढंग से इन्तजाम किया जा रहा है, चूंकि सरकार अच्छा इन्तजाम कर रही है। यह सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। हमने हिमाचल प्रदेश में माननीय श्री नरसिंह राव जी तथा श्री वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व अभी इलैक्शन लड़ा तो हमें 53 सीटें वहां हासिल हुई। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को भी बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के लोगों ने भी इस दफा पंचायती राज के चुनाव में 45 में से 43 जिलों में जीत हासिल की। लेकिन आज वहां के लोग क्या करें, मध्य प्रदेश में भी बहुत बाढ़ से तबाही हुई है। वहां पर लोगों को बारिश ने इतना तबाह कर दिया कि वह खडे नहीं हो सकते। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको ऐसा नहीं करें कि यहां पर भाषण द दिया और खानापूर्ति कर दी। मैं चाहता हूं कि व्यावहारिक होना चाहिए। आप व्यावहारिक काम करेंगे और इन दोषी लोगों को पकड़ेंगे, जिन्होंने आयकर की चोरी की है। इन लोगों को पकड़ेंगे और इस बात को बताएंगे, कि कितने लोगों के चालान आपने इस साल में किये और कितना धन आपने उनसे प्राप्त किया। अगर ऐसे ही देखना हो कि यह हो गया, यह कर दिया, वह कर दिया तो हमारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। इसके लिए हम को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, चाहे वह मैम्बर पार्लियामेंट हो, चाहे मंत्री हो।

हमें इस बात की खुशी है कि मूर्ति जी बहुत अच्छे और समझदार मंत्री यहां बने हैं। यह फाइनेंस को अच्छी तरह से देख रहे हैं और उनकी अच्छी कारगुजारी है। सरकार मनमोहन सिंह जी का तो कहना ही क्या, उन्होंने तो कमाल कर दिया है। विपक्षी जब बात करते हैं तो वह उनसे माफी भी मांग लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो आप बहस के लिए यहां आ जाइये और बता दीजिए, लेकिन उनके लिए यह बहस का कोई प्लेटफार्म थोड़े ही है, इनका प्लेटफार्म बाहर है। मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े-बड़े नेता, जो हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, यहां बहस नहीं करना चाहते और हमारे नेता को बेईमान करने की कोशिश करते हैं। मैं इसकी पुरजोर तरदीद करता हूं और कहता हूं कि ऐसे आदमियों को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि वह क्या और किस तरह के आदमियों की आलोचना कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यह जो मांगे हैं, उचित हैं। आखिर में मैं इनकी पुरजोर ताईद करता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे अतिरिक्त मांगों पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। आज हम लोगों के सामने सन् 1990-91, 1991-92 और 1994-95 की अतिरिक्त मांगों का ब्यौरा सदन की स्वीकृति के लिए रखा गया है। मान्यवर, इन अतिरिक्त मांगों का पहले तो मैं समर्थन करता हूं पर साथ ही साथ मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रायः हर साल मांगें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की जाती हैं और बड़े अच्छे ढंग से 4 महीने पहले से ही बजट तैयार किया जाता है, हमारे अत्यंत विद्वान मंत्रीगण तथा अधिकारीगण बजट तैयार करते हैं और इसके बाद यह फिर कैसे घट जाता है, कैसे इसमें कमी आ जाती है। इतना ही नहीं यदि इनमें कमी आती भी है तो 2-4 महीने के अंदर ही इनकी पूर्ति क्यों नहीं कर ली जाती है, सदन में स्वीकृति क्यों नहीं ले ली जाती? हमारी समझ में यह नहीं आता कि सन् 1990-91, 1991-92, यानी 2-3 साल पुरानी इन मांगों को पेश करके कैसे स्वीकृति ली जाती है। मान्यवर, या तो हमारी बजट प्रणाली में कोई गड़बड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं कि मंहगाई बढ़ती है, चीजों के मूल्य घटते-बढ़ते हैं और उनका अनुमान लगाकर ही सारी व्यवस्था की जाती है, लेकिन हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है और हमें उस गड़बड़ी को ठीक करना होगा, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। मांगे तो स्वीकृत हो ही जाएंगी, लेकिन मैं अपने विद्वान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें लोकसभा या राज्यसभा की क्या प्रतिष्ठा रह जाती है, जब अफसर इस तरह से बजट को घटाते-बढ़ाते हैं। मान्यवर, इन मांगों को स्वीकार करना है, मुल्क को चलाना है, इसीलिए इन सब बातों को करना ही होगा, लोकसभा स्वीकृति दे देगी, लेकिन इन बातों की तह में जाने की आवश्यकता है। गत वर्ष हम लोग विपक्ष में थे, तब भी हमने इस बात को रखा था और मंत्री जी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया था, आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज जब हम सत्ता पक्ष में बैठे हैं, तब भी हम पुनः इस बात को दोहराते हैं और निवेदन करते हैं कि इस बात की चर्चा उत्तर में होनी चाहिए।

मान्यवर, हमारे सामने 1990-91, 1991-92 की अनुदानों की मांगें हैं और 4 विनियोगों में से 7 अनुदानों के अंतर्गत 627.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ है। इसी प्रकार दूर संचार पर 103.18 करोड़ का खर्चा हुआ है। यह बहुत अच्छी बात है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इधर 2-3 वर्षों में दूर संचार के मामले में विशेषतौर पर हमारे मुल्क में काफी प्रगति हुई है। अनेक आधुनिक तकनीकें विकसित हुई हैं और कुछ क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। लेकिन जहां क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, वहीं इसकी कुछ हालत खराब भी हुई है। इसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए, 10 परसेंट टेलीफोन बिगड़े हुए मिलेंगे। ये टेलीफोन सिर्फ शो-पीस बन कर रह गए हैं, बराबर शिकायतें करने पर भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती है और 1-2 महीने तक फोन खराब रहते

हैं। इतना ही नहीं, एक और बात, जिस पर इस सदन में कई बार चर्चा भी हो चुकी है और वह है बढ़े हुए बिलों के बारे में। मेरा ही 1,10000 रुपये का बिल आ गया और बताया गया कि इतनी अतिरिक्त कालों का इस्तेमाल किया गया है। मैंने डीटेल मंगवाएं तो पता चला कि किसी ज्योतिषी को कम से कम 20 बार एसटीडी काल किया गया है, जिसका कि बीसियों हजार का बिल है। मेरा परिवार काशी का अवश्य है, ब्राहम्णवादी व्यवस्था में पला है, लेकिन मेरा ज्योतिष शास्त्र में कोई विश्वास नहीं है और मैं पूजा पाठ में भी विशेष रूचि नहीं लेता, मेरे टेलीफोन में लॉक भी लगा हुआ है।

हमारा यह कैसा ज्योतिष का बिल बना, उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। दो साल हो गए, लेकिन जांच नहीं हुई। सुना गया कि तकनीक का विकास हुआ है। यह कहा गया कि आप कोड बना लीजिए तो दूसरा कोई टेलीफोन नहीं करेगा चूंकि कोड आपको मालूम होगा। हमने यह कर लिया लेकिन हमारा बिल बढ़ता ही जा रहा है। माननीय संचार मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे लिखने का मतलब क्या है? हम बार-बार कहते हैं कि इसको जांच कराओं लेकिन अगले महीने का बिल बढ़कर आ जाता है चूंकि जांच नहीं होती है। आप जो खर्च कर हैं तो ठीक है खर्च कीजिए लेकिन जो बेईमानी हो रही है तो उस पर नियंत्रण कीजिए। हमारे क्षेत्र में गौराबाद शाहपुर, केराकल-दुल्लहपुर और जखरिया है। माननीय रेल मंत्री जी वहां दो साल पहले गए थे। इनको दया आई चूंकि इन्होंने एक स्टेशन को देखा। वहां पर लोगों ने एक हाल्ट की व्यवस्था की मांग की तो इन्होंने तुरन्त व्यवस्था कर दी। वहां के देहात और कस्बों में टेलीफोन ठीक होने चाहिए। मंत्री जी यहां जवाब देते हैं कि टेलीफोन ठीक हो रहे हैं और हम वहां इलैक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। आपने पिछले तीन सालों में देश में विकास का काम किया लेकिन इन गांवों के अंचलों में विकास नहीं किया केवल आश्वासन दिया। इस पर ध्यान देना चाहिए कि अफसरशाही कैसे नियंत्रण की जा सकेगी। गांवों में एम आर टेलीफोन होते है। जिनको मैं ठीक से नही जानता हूँ। एम आर टेलीफोन लगने के बाद आप इसकी जांच कीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में 302 के मर्डर के मुदमें कायम हो गए। एक गांव में दो तीन एम आर टेलीफोन लगाए गए। एक बोर्ड ने कहा कि हमारे यहां लगेंगे और दूसरे बोर्ड ने कहा कि हमारे यहां लगेंगे। अगर अधिकारी हरिजन, पिछड़े वर्ग या मुस्लिम हुआ और ध्यान इधर-उधर हो गया तो लाठी या गोली चल गई। वहां के बैकवर्ड क्लास के घर में टेलीफोन लग गया तो अपर क्लास के लोगों ने कहा कि यहां से हटा दो तो वह वहां से हट गया। हमें इस बारे में सोचना होगा कि यह कैसे चलेगा? इन सब बातो पर मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। 1990-91 की पर्यावरण संबंधी मांगों के लिए कहा गया कि तीन करोड़ आठ लाख छह हजार सात सौ छह रूपया अतिरिक्त व्यय होगा। हमारे पर्यावरण मंत्री जी बड़ी जी-जान से लगे हुए हैं, युवा हैं और उत्साही हैं तथा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक रिजल्ट आपको बता रहा हूं। वाराणसी में गंगा प्रदूषण का काम चल रहा है। उसको राजीव जी ने वहां जाने के बाद चलाया। उनकी कल्पना थी कि कम

से कम भारत की नदियां स्वच्छ और साफ हों। काशी ऐसा स्थान है जहां पर पूरे देश के लोग आकर स्नान करते हैं। इसलिए गंगा का पानी वहां साफ होना चाहिए। उस पर अरबों रुपये की प्लानिंग बन गई। अभी दो तीन दिन पहले मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम गंगा प्रदूषण के कार्य में पूर्णतः सफल हैं। मैं, कल गंगा के किनारे खड़ा था। मैंने देखा कि तीन-चार लाशें बही जा रही हैं और कुत्ते उन लाशों को नोच रहे हैं, हरिश्चन्द्र घाट पर बदहजमी फैल गई और वहाँ अव्यवस्था है। इसी तरह मणिकर्णिका घाट पर भी अव्यवस्था है। आप कहां गंगा प्रदूषण कर रहे हैं जबकि आप कहते हैं कि हम कर रहे हैं। प्रदूषण के नाम पर इस सदन में चर्चा हुई थी और सवाल हमने उठाया था कि हमारे यहां गांवों में नील गायों की परेशानी हो गई। मंत्री जी ने कहाकि यह व्यक्तिगत बात है।

जब तक उसको गाय की संज्ञा दी जायेगी तब तक उसके साथ धर्म जुड़ा रहेगा। लोग उसको नीलगाय न कहकर घडरोज कहते हैं और आप कहते हैं कि उनपर नियंत्रण कर रहे हैं लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज हजारों एकड़ जमीन उन नीलगायों द्वारा चौपट की जा रही है। इधर करोड़ों रूपयों की फसल बर्बाद हो रही है और किसान तबाह हो रहा है और आप के मंत्रालय ने उसमें अतिरिक्त अनुदान की मांगों में करोड़ रूपया रखा है। सरकार कहती है कि उन नीलगायों को पकड़ने के लिये इन्तजाम किया है लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां 25-50 एकड़ जमीन को नीलगायों ने तबाह न किया हो। इसलिये अतिरिक्त अनुदान की मांगों में राशि रखना ही पर्याप्त नहीं है, उसको देखना भी पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-13 रक्षा मंत्रालय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा इसमें 16669 करोड़, 78 लाख और 51 हजार 872 रुपये का खर्च दिखाया गया है। उसमें बढ़ोत्तरी तो कर दी गयी है लेकिन मैं रक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाराणसी में अरबों रूपयों की रक्षा मंत्रालय की जमीन को हड़प लिया गया है. उस पर कोई रोक क्यों नहीं लगायी गयी है? कहा गया कि यह जमीन 99 वर्ष के लिये लीज पर दी गयी है परन्तु पूंजीपतियों का उस पर कब्जा बरकरार है। वहां पर छोटे-छोटे मजदूर, दस्तकार काम करते थे जिनको हटाया जा रहा है। वहां पर एक सदर बाजार है जहां पर 3-4 मुसलमान और हरिजन लोग अपनी दुकान लगाया करते थे और मोटर कार्य किया करते थे और अब उनको हटाया जा रहा है और वहां पर एक होटल का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। इस बारे में जब स्थिति मालूम की तो बताया गया कि यह रक्षा मंत्रालय की जमीन 99 साल के लिये लीज़ पर दी गयी है और उसको खत्म हुए चार साल हो गये हैं। तो मेरा कहना है कि गरीब लोग काम करते थे, इसलिये इसको देखा जाये।

सभापति महोदय, वाराणसी में मिलिट्री ऐरिया की एक सड़क है जो काफी महत्व की है। यह दो

भागों में विभक्त थी, इसको एक कर दिया गया है। महाभारत में लिखा है कि पंचकोशी यात्रा के लिये कृष्ण और द्रौपदी ने इसका इस्तेमाल किया लेकिन पता नहीं क्यों अचानक सरकार को क्या सूझा कि यह सड़क बंद कर दी गयी है? जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने इसको बंद नहीं किया और आज सरकार के अधिकारी कहते हैं कि मिलिट्री सामग्री ले जाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिये इसको बंद कर दिया गया। आज वाराणसी में 20 लाख लोग कांग्रेस को गाली दे रहे हैं कि यह कौन सी सरकार है जो इस पुरानी महत्व की सड़क को बंद कर रही है? इससे हमारी सरकार बदनाम होती है। इसको भी देखना होगा।

1991-92 की अनुदानों में 93 अनुदान और 4 विनियोग की 7 अनुदान के अंतर्गत 104 करोड़, 27 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय दिखाया गया है। इसमें सड़कों पर एक करोड़ रुपये से अधिक व्यय में कमी दिखायी गयी है।

5.00 म.प.

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार विकास के कामों में काफी दिलचस्पी ले रही है जैसा कि पहले भी सदस्यों ने कहा है। हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय तेजी के साथ इस दिशा में काम कर रहा है। हमारे कुशल मंत्रिगण इस दिशा में काम रहे हैं जो जवाहर रोजगार योजना चल रही है इसमें अरबों रुपया भेजा जा रहा है और राज्य सरकारों के माध्यम से भेजा जा रहा है। आज उन राज्य सरकारों की स्थिति कहीं कहीं बहुत ही खराब हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। श्री उत्तमभाई पटेल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बैठे हुए हैं। एक नाले का मामला था और वह बनारस गए थे। इन्होंने इसका जिक्र किया और अधिकारियों को बुलाया और उनसे पूछा और आदेश दिया कि यह नाला तत्काल बन जाना चाहिए लेकिन एक जगह पर वह नाला नहीं बना और वैसे ही गंदगी वहां फैली हुई है। उस नाले पर 27 लाख रूपया खर्च किया गया है, लेकिन वह नाला पूरा नहीं हुआ और जहां बना, उसके बाद दो-तीन किलोमीटर उन स्थानों पर जान-बूझकर छोड़ दिया गया जहां अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोगों की बस्तियां थीं। आज वहां के लोग नाक पर रूमाल रखकर निकलते हैं जब आप इस प्रकार काम करेंगे तो किस प्रकार से सही काम होगा? इसमें जो गड़बड़ियां चल रही हैं, उन पर आपको ध्यान देना होगा। राज्य सरकार इसकी उत्तरदायी है। केन्द्र को उनके लिए विशेष नियम बनाने होंगे और उनसे विशेष व्यवस्था के तहत पूछताछ करनी होगी नहीं तो आप अनुदान देते जाएंगे और करोड़ों अरबों रूपया देश का बरबाद होता रहेगा और आप इसको सदन में स्वीकृत कराते रहेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय देश में कई स्थानों

पर बाढ़ आ रही है जो नदियां कभी बाढ़ की चपेट में नहीं आती थीं, पिछले तीन-चार दिन से वह भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। बनारस, गाजीपुर और बलिया में गंगा का पानी बढ़ने लगा है। पटना की ओर भी पानी भर गया है। मैं बड़े आश्चर्य के साथ आपका और सदन का ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती है। हम लोग बाढ़ पर भी यहां चर्चा कर रहे थे। 44-45 वर्ष हमारे मुल्क को आजाद हुए हो गए और निरंतर बाढ़ आ रही है। हमने आजाद भारत में पहली प्लानिंग बाढ़ नियंत्रण योजना की बनाई थी और इसके अनुसार हमने बाढ़ पर नियंत्रण करने की मजबूत स्थिति बनाई थी। अरबों रुपये इस पर खर्च किये जाते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। हम जानते हैं और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि 8 दिन बाद अखबार में निकलेगा कि बनारस, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर के अंदर जो करीब एक दर्जन नदियां हैं --गोमती, नाद, गंगा, सई, मघई? बेसू आदि में बाढ़ आ गई और कम से कम 200 गांव तबाह हो गए। औरतों को, आदमियों को पाखाना जाने के लिए भी स्थान नहीं है। जानवरों के लिए चारा नहीं है। प्रशासन की ओर से इतने हजार डिब्बे माचिस और इतने लीटर मिट्टी का तेल दिया गया है ये सब जानकारी मिलेगी। इसके पांच-सात दिन बाद अखबार में निकलेगा कि भंयकर धांधली हो गई। ये सब सामान कायदे से वितरित नहीं किया गया, कुछ चहेते लोगों को ही दिया गया। जब हम जानते हैं कि हर साल बाढ़ आनी है और फलां फलां जगहों पर बाढ़ आनी है, फलां फलां सामान वितरित करना है, सेना बुलानी है, नियंत्रण करना है, चौकियां स्थापित करनी है, तो क्यों नहीं हम उसको स्थायी कर देते? क्यों नहीं हम वहां पर ऐसी व्यवस्था करते ? हम अनुदान की पूरक मांगों में एक ही बार दस-पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दें जहां पर हम जानते हैं कि इतना कुछ होने वाला नहीं है, वहां हम स्थायी रूप से इस समस्या का हल क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं उसको एक बार में ठीक कर लेते ताकि अगले साल बाढ़ न आए? जैसा कि मैं कह रहा हूं कि 15 दिन के अंदर आपके सामने यही होगा और हम लोग यही खड़े होकर कहेंगे कि हमारा संसदीय क्षेत्र सैदपुर डूब रहा है। लेकिन जब हम हर साल कहते आ रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं एक ही बार में उसको ठीक कर देती जिससे स्थायी रूप से समस्या का निदान हो जाए? इस पर हमें ध्यान देना होगा।

मैं इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि उर्वरकों के बारे में भी यहां काफी कहा गया है। हमारे एग्रीकल्चर मंत्रालय ने इन मांगों में उर्वरकों के लिये भी कुछ अतिरिक्त धन मांगा है। उर्वरकों के बारे में काफी अच्छे ढंग से हमारे साथियों ने जिक्र किया है, मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता लेकिन आपके माध्यम से एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे

5.05 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

उत्तर प्रदेश में उर्वरकों के वितरण की हालत बहुत खराब है हम जानते हैं कि पहले गाजीपुर में एक

एजेंसी थी, जौनपुर में एक एजेंसी थी, वाराणसी में एक एजेंसी थी, बलिया में एक एजेंसी थी, लेकिन वे सारी की सारी एजेंसियां पता नहीं कहां गायब हो गयी। इन एजेंसियों को वहां जितनी रिक्वायरमेंट थी, उसके मुताबिक उर्वरक उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस विषय को गंभीरता पूर्वक देखें और जो लोग उर्वरकों को डील करते हैं, जो विभाग डील करता है, उससे यह पूछें कि पूर्वांचल के इन तीन-चार जिलों में, खासकर जौनपुर और गाजीपुर में पिछले तीन वर्षों में कितने उर्वरक दिये गये। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि इन जिलों में उर्वरकों की स्थिति बहुत खराब है। पचासों रैक आते हैं लेकिन उस क्षेत्र के किसानों को उर्वरक के नाम पर कुछ नहीं मिलता और सारे रैक पास के जिलों या पास के स्थानों में जाकर बिकते हैं। हमारे यहां ''राधाकृष्ण विमल कुमार'' नामक एक फर्म है जिसे हर वर्ष 20-25-30 या 40 रैक्स उर्वरक दिये जाते हैं जबकि उस क्षेत्र में जो दूसरी छोटे उर्वरक बेचने वाली एजेंसियां हैं वे लोग एक-एक रैक उर्वरक के लिये तड़पते हैं लेकिन उन्हें कोई उर्वरक नहीं दिया जाता। मैं समझ नहीं पाया कि छोटी एजेंसी वालों को उर्वरक क्यों नहीं दिये जाते। यदि उन छोटी एजेंसी वालों को उर्वरक नहीं दिये जायेंगे तो हमारे गांव के किसानों के पास उर्वरक कैसे पहुंचेंगे। एक ही फर्म को सारे उर्वरक देने से वे सारे उर्वरक पास के राज्य या पास के स्थानों में जाकर बिकते हैं और इस तरह करोड़ों रुपये का कदाचार वहां हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि जरा इस प्रकरण की जांच करायें कि वहां क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है।

मान्यवर, इन मांगों में एक मांग डेरी और पशुपालन के संबंध में भी है। मैं यहां अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सैदपुर की बात करना चाहता हूं। वैसे यह बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें कुछ रुपये घटे हैं जिसके लिये आप यहां मांग लाये हैं। हम चाहते हैं कि मांगी गयी राशि आपको मिलनी चाहिए लेकिन मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से सैदपुर, सादात, देवकली ब्लॉक की ओर ले जाना चाहता हूं जो दुग्ध उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अधिकतर अनुसूचित जाति, जनजाति, बैकवर्ड क्लास और माईनोरिटी के लोग रहते हैं और वे ही इस धंधे में लगे हैं। यहां से वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि बड़े शहरों को भारी मात्रा में दुग्ध और खोआ सप्लाई होता है। वर्ष 1992 में जिस समय इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, हमने इसी सदन में उनसे निवेदन किया था कि कम से कम इस क्षेत्र में गुजरात के पैटर्न पर कोई अमूल जैसे कारखाने का विस्तार किया जाये जिससे कि यहां के पिछड़े लोगों की, अनुसूचित जाति, जनजाति और बैकवर्ड लोगों की रूचि दुग्ध उत्पादन की ओर बढ़े, उन्हें अच्छी नस्ल की गायें और भैंसे दी जायें। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं इस प्रस्ताव पर विचार करूंगी, आपका प्रस्ताव बहुत उत्तम है और हम ऐसे छोटे छोटे स्थानों में डेरी उद्योग का बढ़ावा देंगे लेकिन आज तक वह स्कीम ज्यों की त्यों पड़ी हैं अब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे बीच में नहीं हैं और आप लोग सत्ता में हैं मैं चाहता हूं कि जो सपना श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा था, उसे आप

साकार करने की दिशा में ठोस पग उठाईये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इंदिरा जी के सपने को साकार करें और उस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दें।

मान्यवर, मांग संख्या 47 शिक्षा विभाग से संबंधित है। 2420 करोड़ 80 लाख रुपये की डिमांड का कुल बजट है। इसमें 150 करोड़ रूपया राजीव गांधी फाउंडेशन को ग्रामों में पुस्तकालय के लिए आबंटित किया है। यह एक अच्छी योजना है, लेकिन पैसा कम है। जहां लूट ज्यादा है वहां पैसा ज्यादा है और जहां लूट नहीं है वहां पैसा कम है। मैं इस मांग का हृदय से समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि हमारे राजस्व मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं वे इस मांग पर और ज्यादा धनराशि आबंटित करें। आज गांवों में और ज्यादा पुस्तकालय तथा वाचनालय खोलने की जरूरत है और इन सबको खोलना चाहिए तथा गांव के विकास में रूचि लेनी चाहिए।

मान्यवर, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत धनराशि का यहां पर जिक्र हो रहा था। इसके अंतर्गत एक करोड़ रुपये के विकास के कार्य करवाने के अधिकार प्रत्येक सांसद को दिए गए हैं। इसकी गाइड लाइन में जहां तक तक हमें जानकारी मिली है पहले नंबर पर स्कूल भवन के निर्माण के लिए अनुशंसा की गई है। किसी भी किस्म का यदि मान्यता प्राप्त स्कूल है, तो उसके भवन निर्माण के लिए इस निधि में से सांसद चाहे तो दो-चार लाख रुपये दे सकता है। हिन्दुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां दयनीय स्थिति है, वृक्षों के नीचे छोटे छोटे बच्चे, केवल अंडरवीयर पहने गांव में पढ़ रहे है। उनके बैटने के टाटपट्टी नहीं, उनको लिखने के लिए पट्टी नहीं, स्लेट नहीं है, उनके बदन पर कपड़ा नहीं है। चूंकि शिक्षा का प्रचार-प्रसार तेजी से हुआ है इसलिए ऐसे बच्चों के माता-पिता ने सोचा कि चलो हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारा बच्चा पढ़ लेगा। इस आशा में वे अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ऐसे कुल स्कूलों को मैंने इस निधि में से 50 हजार रुपये स्वीकृत किए और यह शर्त रखी कि 50 हजार ये और 25 हजार रुपये स्कूल अपनी तरफ से इकट्ठे करे और 75 हजार रुपये का निर्माण कार्य कराए। इस कार्य के लिए गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी तैयार है, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ परियोजना अधिकारी ऐसे हैं जो इन परियोजनाओं को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यू.पी. सरकार के माध्यम से ऐसे कुछ परियोजना अधिकारियों पर नियंत्रण लगाएं। दो जिलों के परियोजना अधिकारियों ने कहा कि ठीक है, इसके अंतर्गत खर्च किया जा सकता है, लेकिन एक परियोजना अधिकारी ने कहा कि नहीं, यह खर्च नहीं किया जा सकता। वह परियोजना अधिकारी तो कलैक्टर के आदेश को भी नहीं मान रहा है। मैंने उसे यहां से गाइड लाइन ले जाकर उनको दिखाई, लेकिन वे नहीं माने। इन सब चीजों को देखें।

महोदय, आपकी यह योजना बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री जी ने एक-एक करोड़ रूपया हर पार्टी के

सांसद को दिया है। कोई किसी एक पार्टी के सांसद को नहीं दिया है बल्कि 544 सांसदों को दिया है। यह बहुत अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री सच्चे मायने में देश का विकास चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी इन सच्ची और अच्छी योजनाओं को निष्फल करने पर तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा, तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे और जहां गड़बड़ होगी उसको सुधारेंगे। उनके मन में देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए कितनी बड़ी भावना है, लेकिन हो क्या रहा है। इस जिम्मेदारी से आप और हम बरी नहीं हो सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि इसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल के भवन निर्माण के साथ-साथ छात्रवृत्ति की भी योजना आती है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर बहस हुई थी। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज से 20-25 साल पहले आठवीं क्लास के लड़के को 12 रुपये छात्रवृत्ति मिलती थी। बाद में संशोधन किया गया और उसे 18 रुपये कर दिया गया। इसके बाद आज महंगाई 10 गुना बढ़ गई, लेकिन उस छात्रवृत्ति में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

आज हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बी.ए., स्नात्तकोत्तर की शिक्षा की छात्रवृत्ति ज्यों की त्यों है। आज से 10 साल पहले जो छात्रवृत्ति थी, आज भी वही चली आ रही है। होस्टल में बैकवर्ड क्लास के बच्चे को जितना मिलता था, उतना ही आज भी मिल रहा है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ जबकि मंहगाई बढ़ती जा रही है। स्कॉलरशिप से एक बच्चे का एक महीने का खर्चा भी पूरा नहीं होता है। एडमीशन जून-जुलाई में होता है लेकिन स्कॉलरशिप जनवरी में मिलती है। गरीब मां-बाप सोचते हैं कि सरकार जो सहायता दे रही है, कम से कम वह तो समय से मिल जाए। हम सोचते हैं कि हमने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई हैं लेकिन उसका स्वरूप क्या है? उसे काॅपी, किताब की जरूरत आज है और पैसा आठ महीने बाद मिलता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। इसपर भी ध्यान देना होगा।

विधवा और वृद्धा पैन्शन उन लोगों को मिल रही है जो विधवा और वृद्धा नहीं हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के कम से कम सौ ऐसे लोग बता सकता हूं जो विधवा नहीं हैं लेकिन उनको विधवा की पैंशन मिल रही है। हम प्रदेश सरकारों को अरबों रुपये देते हैं। कि वे अच्छा काम करेंगे। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या कभी मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आपने यह भी कहा है कि हमारे लोग सभा में इस किस्म के भ्रष्टाचार की बातें उठती हैं, आप इसका जवाब दीजिए।

आज विपक्ष नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बात हो वह हाउस में होनी चाहिए। जे.पी. सी. की रिपोर्ट आ गई, कौन सा बम फट पड़ा। प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कहा गया कि प्रधानमंत्री ने एक करोड़ रुपये घूस ले लिए। वह रूपया ब्रीफकैस में भरकर आया। बाद में पता चला कि ब्रीफकेस में उतना रूपया आ ही नहीं सकता। कौन से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम

भ्रष्टाचार का समर्थन करते है। हम भी भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता हैं। लेकिन आप तो सदन से गायब होकर सड़कों पर जाकर भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। आज अनुदानों की मांगें पेश होनी थीं, इसके माध्यम से आप अपनी बात कह सकते थे। मैं भी तो कह रहा हूं, कमियों की आलोचना कर रहा हूं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

मैं उस ओर न जाकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुदान की मांगें बढ़ाकर पेश की जाती है। आप पहले ही उनपर नियंत्रण रखें, 10-20 करोड़ रुपये पहले ही ज्यादा रख लीजिए। बजट इस बात का नाम है कि हम आय और व्यय में सन्तुलन बनाने का काम करें। यह असन्तुलन करने का बजट कहां से आ गया? आप कहेंगे कि मंहगाई हो गई, यदि मंहगाई हो गई तो यह बजट भी तो उसी साल का है। लोक सभा है, कानून है, हमको स्वीकृति देनी होगी।

हम इसको स्वीकृत करेंगे और ये पास भी हो जायेंगी। इनसब चीजों की ओर हम को ध्यान देना है। जो नीचे से ऊपर तक गड़बड़ियां हुई हैं, उनको आप देखें और ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : आज यहां केन्द्रीय बजट की पूरक मांगों को स्वीकार करने का प्रस्ताव है। इसमें कोई शक नहीं है कि कृषि विभाग के 250 करोड़ रुपये बढ़ाने पड़े क्योंकि उसे फर्टिलाइजर्स के दाम ज्यादा देने पड़ गये। जो खर्चा बढ़ गया, उसकी आवश्यकतानुसार यह मांग की गई। अब इसका ठीक ढंग से उपयोग होना चाहिये।

देश के कई हिस्सों में बाढ़ के आने से बहुत नुकसान हुआ। कृषि मंत्रालय को इससे निपटने के लिये 500-600 करोड़ की मांग करनी चाहिए थी। बाढ़ से जिन लोगों का नुकसान हुआ, उनको सहायता के तौर पर बहुत अधिक धनराशि देने की आवश्यकता है। बाद की समस्या से निपटने के लिये कई सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। बाढ़ के आने से सड़कें, नहरे बहुत खराब हो गई हैं और धान व खरीफ की फसल बरबाद हो गई। इसके अतिरिक्त गत सप्ताह तक 650 लोग मारे गये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि मंत्रालय को इसके लिये अभी से मांग कर लेनी चाहिये। सरकार जब बजट पास करे या पूरक मांगे रखे तो इसका पहले से ही ध्यान रखें।

आज देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे देश की आज़ादी 90 करोड़ की है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पढ़े-लिखे सैंकड़ों, लाखो युवक ही नहीं, करोड़ों की संख्या में युवक बेरोजगार न हों। इनके लिये आपको सोचना चाहिये। आप उनको नौकरी तो नही दे सकते लेकिन हॉर्टिकल्चर, (फल उत्पादन) फूल उत्पादन और एफारस्टेशन (जंगल वृक्ष) को बढ़ावा देने के लिये अधिक से अधिक विश्वविद्यालय खोल सकते है। भारत सरकार की नीति फलों का निर्यात

बढ़ाने की है। इससे फलों का भी निर्यात बढ़ेगा। अभी करोड़पति और अरबपति घरानों के बच्चे ही इसका फायदा उठा पाते है। गांवों के गरीब किसानों के बच्चे जो कि अपने खेतों में सब्जियां पैदा करते है, उनको इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। प्रत्येक राज्य में इसके लिये और प्रत्येक जिले में इस विषय का कालेज होना चाहिए, विश्वविद्यालय होने चाहिये। अगर वहां के पढ़े-लिखे युवक जंगल, फल, फूल या सब्जी लगाना चाहेंगे तो उनको वहां इसकी अच्छी ट्रेनिंग मिल जायेगी।

हमारे शिक्षा विभाग को थोड़ी सी रकम दी गई हैं उसको अधिक राशि मिलनी चाहिये। मुझे कोई एतराज नहीं है। आज गांवों में पढ़ाई नहीं के बराबर है। किसी भी प्रदेश में चले जायें, गांवों में स्कूल की बिल्डिंगें बहुत खराब हैं। वे टूटी हुई है। उन्हें या वह पूरा बनाना पड़ेगा या आधा बनाना पड़ेगा। इसी तरह से शिक्षकों की कमी है, खास तौर से विज्ञान के शिक्षक और गणित के शिक्षक स्कूलों में हैं ही नहीं। आप समझेंगे कि हमारे देश का बहुत अच्छा विकास हो रहा है और कहेंगे कि केवल औद्योगिक विकास से ही हमारे देश का विकास हो जायेगा तो नामुमकिन है, असम्भव है, जब तक कि कृषि का विकास नहीं होगा। जितना जोर हमारे औद्योगिक विकास के लिए दिया जा रहा है, उसका 50 कम से कम आधा तो हमारे कृषि विकास के लिए जोर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है इतना ही नहीं, दूरदर्शन को आप भी देखते होंगे। दूरदर्शन में सब कुछ है, इण्डस्ट्री का है, स्टॉक मार्केट का है, उद्योगों का है, वह सब एक तिहाई समय ले लेता है लेकिन कृषि की कहीं चर्चा नहीं। जहां दूरदर्शन के देखने वाले 70 प्रतिशत व्यूअर कृषि के लोग हैं, उनके लिए कहीं चर्चा नहीं तो दूरदर्शन में लोगों की दिलचस्पी कहां से आयेगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने कई तरह से, खास तौर से और गांव के विद्यार्थियों को, गांव के लड़कों को, गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए जितना पैसा खर्च करना चाहिए था, वह नहीं दिया जा रहा है, उस तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, वह नहीं दिया जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि यह विषय राज्य सरकार का है लेकिन केन्द्रीय सरकार उन पर नियंत्रण रखे और कहे कि उनको पढ़ाना आवश्यक है। एक तरफ तो आज स्कूल में जो जाने लायक बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल नहीं, शिक्षक नहीं, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं और दूसरी तरफ एडल्ट एजुकेशन (वयस्क शिक्षा) में जो 20,30, और 40 साल के हो गये हैं, बुजुर्ग हो गये हैं, उन्हें पढ़ायें और उन पर खर्च करें यह ठीक है कि इसके लिए पैसा कहीं यूनेस्को वगैरह विदेश से आता है, उस पैसे को वहां से आने दीजिए, लेकिन हमको चाहिए कि उससे हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। मास्टर एडल्ट वयस्क को पढ़ाने के लिए रखें और बच्चों को पढ़ायें, इसमें वहां कुछ तो कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पैसे का सही उपयोग हो। हमारे देश में जितने युवक हैं, आज गांव के लड़कों को पढ़ने के लिए वहां व्यवस्था नहीं है, वहां मास्टर नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, तब उनसे कहेंगे कि आप तो कम्पीटीशन (प्रतियोगिता) में नहीं आये, इम्ताहन में बैठे तो नम्बर नहीं मिले। शहर के बच्चों की पढ़ाई की तो सबसे अच्छी व्यवस्था है। उसका कारण भी है, मैं खास तौर से शहर वालों को इस तरह से दोषी नहीं

ठहरा रहा हूं लेकिन आज गांव में कोई शिक्षक नहीं जाना चाहता। शहर के पढ़े लिखे लड़के ही शिक्षक बन जाते हैं, क्योंकि वह पढ़ाई-लिखाई में ज्यादा नम्बर पा जाते हैं और शिक्षक हो जाते हैं। फिर जब गांव में उनकी नियुक्ति होती है तो वहां से 3-4 महीने बाद कहते हैं कि हमको शहर में भेज दीजिए। उनका दवाब होता है तो वह शहर में आ जाते हैं। आज एक-एक जिले में शिक्षा विभाग में या जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ आफिस है, वहां कई सौ शिक्षक बिना पढ़ाये तनख्वाह ले रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की तरफ हमें जितना ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया है।

यह खुशी की बात है कि इस्पात मंत्रालय को इसमें काफी रकम दी गई है, क्योंकि इसका विकास करने की आवश्यकता है। इस्पात मंत्रालय ने हमारे देश से इस्पात को बाहर भेजने में भी काफी प्रगति की है। इस्पात मंत्रालय इस बात के लिए बधाई का पात्र है। खास तौर से हमारे भिलाई स्टील प्लान्ट के लोगों ने इस बार जितना अच्छा प्रयत्न किया है और हमारे देश से बाहर लोहे का उत्पादन भेजा है, उसकी उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई है, उसके लिए भिलाई स्टील प्लांट के अफसर और कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि भिलाई स्टील प्लांट के साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा रिफ्रैक्ट्री प्लांट है, जो महंगी ईंटें बनाता है। वह सबसे बड़ा रिफ्रैक्ट्री प्लांट भिलाई में हे लेकिन उसका नियंत्रण किसी दूसरी जगह से होता है। इसमें हो क्या रहा है कि यहां के कर्मचारियों के और अफसरों के पब्लिक रिलेशन बहुत बिगड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर जो स्थानीय अधिकारी हैं या जो स्थानीय कर्मचारी हैं, उनकी उपेक्षा होती है। चूंकि दूसरी जगह बैठे हुए लोग वहां से भर्ती करके लोगों को भेज देते हैं। रेल्वे मिनिस्टर कुछ समय पहले तो यहां थे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो भिलाई रिफ्रैक्ट्री प्लांट है, उसमें जो अनियमितताएं हैं, उनको दूर करें। हमारे लोहे के कारखाने वाले क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट से तो रिफ्रैक्ट्री लेते हैं, वह प्राइवेट से ईंटें ले रहे हैं, जो घटिया है लेकिन बढ़िया नहीं ले रहे हैं, घटिया ले रहे हैं। उसका कारण क्या है, वह मैं नहीं बताऊंगा, वह आप समझ सकते हैं। घटिया क्यों लेते हैं, इनको पब्लिक सेक्टर से अच्छा माल लेना चाहिए। मेरा उद्योग मंत्रालय से अनुरोध है कि बीआरपी से अच्छी ईंटों को बनवाएं और उनसे खरीद करें, तभी भिलाई रिफ्लेक्ट्री प्लांट का विकास हो सकता है।

मैं सड़कों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जिन राज्यों में बीजेपी का शासन रहा, उन राज्यों में सड़कों की हालत बहुत खराब है। पिछले कई सालों से नई सड़कों की बात तो दूर, पुरानी सड़कों की मरम्मत का काम भी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में भी सड़कों की हालत बहुत खराब है मध्य प्रदेश में दिल्ली के मुकाबले या उस स्टेंडर्ड के आसपास की एक भी सड़क नहीं है। नेशनल हाई वे नं. 6 जो दुर्ग, रायपुर, कलकत्ता और बंबई को जोड़ता है, इसकी हालत भी बहुत खराब है और बाढ़ के कारण कई

पुल टूटे हुए हैं। इसलिए मेरा रोड ट्रांसपोर्ट विभाग से अनुरोध है कि अन्य सड़कों के साथ-साथ इस नेशनल हाई वे का भी शीघ्र सुधार किया जाए।

पशुपालन और डेरी विकास के बारे में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता शास्त्री जी ने कहा, इस ओर अधिक से अधिक धन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में और पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता है। मेरा अनुरोध है कि जब कभी बजट या पूरक बजट बनाया जाए, तब ऐसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिनसे बेरोजगारी दूर होती है, क्योंकि आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए आईआरडीपी जैसी योजनाएं बनाई गई हैं, पर इसमें दिए जाने वाले पैसे का बहुत दुरूपयोग होता है। आज अगर इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले किसी व्यक्ति को 5000 रुपये सबसिडी दी जाती है तो उसमें से 4000 रूपया दूसरे लोग नोच-खसोट कर खा जाते हैं, वे कहते हैं कि तुमको तो मुफ्त मिल रहा है तो इसमें से हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि ऐसी योजनाओं के तहत दी जाने वाली सबसिडी को तुरंत बंद करके ऋण पर लगने वाले ब्याज को माफ कर देना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार दूर हो सके और लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी कई योजनाओं में धन उपलब्ध कराया है, लेकिन इस सिलसिले में मेरा अनुरोध है कि हर 3 महीने में इन योजनाओं के अंतर्गत हो रहे कामों की सरकारी एजेंसियों के जरिए मानेटरिंग होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कहीं दिए जा रहे धन का दुरूपयोग तो नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि देश के रेवेन्यू(आय) का 3 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि गांवों के स्कूलों की हालत बहुत खराब है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ समय के बाद हम अपनी आय में से शिक्षा पर 6 प्रतिशत भी खर्च करेंगे।

यह बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि कई चुनावों से अमेरिका में यह मांग हो रही है कि जो एजुकेशन (शिक्षा) है उसको फैडरल गवर्नमेंट (केन्द्रीय सरकार) ले ले। कई चुनावों से वहां पर चर्चा है। हमारे यहां शिक्षा पूर्णतः राज्य सरकारों के हाथ में है। हमारे यहां पांच लाख 76 हजार गांव हैं तो वहां के स्कूलों को कंट्रोल करने के लिए केन्द्र के पास कोई साधन नहीं है इसलिए शिक्षा उनके हाथ में रहेगी। हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था में ग्रामीण बच्चों के लिए ठीक से पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां होम अफेयर्स मंत्रालय के विभाग पूरे देश में फैले हुए हैं। कोई विभाग जिले में खुलता है या कारखाना खुलता है तो वे बहुत अधिक जमीन पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है। हर साल कई लाख एकड़ जमीन उद्योग या सरकारी मकान आदि के नाम पर दे देते हैं परंतु हमारी खेती की भूमि हर साल कम हो रही है। मैं मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले से आता हूं। वहां पर दो-तीन हजार एकड़ जमीन केन्द्र

का कई पुलिस विभाग लेकर बैठ गया है, इसकी क्या आवश्यकता थी? हमारे यहां खेती की जमीन दिनोंदिन कम हो रही है। खासकर शहरों में सरकार एक मंजिल मकान बनाने पर प्रतिबंध लगा दे। कम से कम चार मंजिल के मकान बनाए। जमीन के दुरूपयोग रोकने पर अधिक से अधिक ध्यान दे क्योंकि एक ओर भूमि का दुरूपयोग बढ़ रहा है और दूसरी और आबादी बढ़ रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. के.वी. थॉमस बोलेंगे।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, क्या आप केवल सत्ता पक्ष के सदस्यों को ही बुला रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष है ही कहां?

श्री ई. अहमद : मैं विपक्ष का ही सदस्य हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप विपक्ष में हैं? तो फिर प्रो. थॉमस आप कृपया इंतजार कीजिए और इन्हें बोलने का अवसर दीजिए। अहमद जी आपने अपना अधिकार मांगा है। इसे नकारा नहीं जाना चाहिए।

श्री ई. अहमद : महोदय अगर यह सम्मान विपक्ष के लिए है, तो फिर मैं यह अवसर प्राप्त करना चाहूंगा।

महोदय, मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा 343 करोड़ रुपये की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

इन मांगों का समर्थन करने के साथ-साथ, मैं कुछ मंत्रालयों और विशेष रूप से वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। अब बैंकों में भर्ती का काम बैंकिंग सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इसके गठन के पश्चात् इस कार्य में हर प्रकार से, विशेष रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के उम्मीदवारों के चयन में ईमानदारी बरती जाती है। मुझे पता चला है कि अब यह कार्य अलग-अलग बैंकों को सौंपने का प्रस्ताव है। जहां तक सरकार की नीतियों का संबंध है, अगर इसमें परिवर्तन किया जाता है तो इसके भंयकर परिणाम होंगे। अब बैंकिंग आयोग सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहा है और इसीलिए समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित है। दूसरी ओर, अगर बैंक कर्मचारियों की भर्ती का काम बैंकों को अलग-अलग सौंप दिया जायेगा, तो समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों पर इसके अपने प्रतिकूल परिणाम होंगे।

दूसरा प्रश्न, जो मैं मंत्री महोदय से करना चाहता हूं, वह राज्यों को दिये जाने वाले अनुदानों में क्षेत्रीय संतुलन के बारे में हैं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हैं और वे अन्य राज्यों से अलग भी हो

सकते हैं लेकिन केरल जैसे राज्य भी हैं, जिन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह सभी जानते हैं कि केरल एक ऐसा राज्य है जो नकदी फसलों और जनशक्ति, दोनों ही तरीकों में काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। जब हमारा देश विदेशी मुद्रा संबंधी मुश्किलों से गुजर रहा था, तो ये केरल के ही लोग थे, जो खाड़ी देशों में काम कर रहे थे, और राजकोष की सहायता करने के लिए आगे आये थे। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहां तक कि आज भी हम अन्य देशों में बसे भारतीय समुदाय से विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं उसमें केरल का बहुत अधिक अंश है। अतः, ऐसे राज्य को उसके विकास के लिए धनराशि देते समय समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश, भारत सरकार ने जो मानदंड अपनाया है, वह केरल की, विशेष रूप से रेलवे के मामले में, जरूरतों को पूरा नहीं करता।

माननीय रेल मंत्री कुछ देर पहले यहां मौजूद थे। केरल में भी मालाबार जैसे क्षेत्र हैं, जिनकी बहुत अधिक उपेक्षा की जाती है। मालाबार भूतपूर्व मद्रास प्रदेश का एक आवश्यक अंग था, जिसका दक्षिण रेलवे, जिसे पहले दक्षिण भारतीय रेल के नाम से जाना जाता था, के गठन में काफी अधिक योगदान रहा है। लेकिन केरल के उसी क्षेत्र-मालाबार क्षेत्र- की दक्षिण रेलवे द्वारा पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, उस क्षेत्र में हमारे लिए पर्याप्त संख्या में गाड़ियां नहीं हैं। यहां तक कि अगर गाड़ियां हैं भी तो भी उनके सभी डिब्बे अभी प्रयोग में नहीं लाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त मंगलौर और शोरानूर के बीच रेल लाइन को दोहरा करने की हमारी लम्बे समय से की जा रही मांग को भी रेलवे द्वारा पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है। अब भी उस क्षेत्र का केवल एक भाग ही दोहरीकरण के लिए लिया गया है। निःसन्देह, यह स्वागत योग्य कदम है कि रेलवे ने हमारी मांग को स्वीकार कर लिया हैं अभी भी केरल के लोगों की नई लाइनों के साथ-साथ नई गाड़ियों संबंधी अनेक मांगे हैं, लेकिन उन मांगों पर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका एक उदाहरण यह है कि रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस चलानी शुरू की है और हम सभी, सरकार तथा रेलवे द्वारा उठाये गये इस कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन मालाबार के लोगों को इस राजधानी एक्सप्रेस से कोई फायदा नहीं होगा।

यह गाड़ी मद्रास से आती है और कोयम्बटूर से होती हुई पालघाट से गुजरती है और पालघाट रेलवे स्टेशन पर बिना रूके इरनाकुलम जाती है यदि इस गाड़ी को पालघाट स्टेशन पर भी रोकने की व्यवस्था नहीं की जाती तो मालाबार क्षेत्र और दक्षिण केनारा के लोगों को कोई लाभ नहीं होगा।

इसी तरह नई दिल्ली से एक राजधानी एक्सप्रेस चलती है जोकि केरल के आधे भाग, मालाबार क्षेत्र और कर्नाटक के एक भाग को पूर्णतः छोड़ देती है। हमने रेल मंत्री जी से बार-बार अनुरोध किया है कि पालघाट स्टेशन पर इस गाड़ी को दो मिनट के लिए रोका जाए लेकिन हमारे इस अनुरोध को रेल मंत्री जी द्वारा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार से रेलवे द्वारा मालाबार क्षेत्र पर ध्यान नहीं

दिया जा रहा है। पालघाट एक महत्वपूर्ण जक्शंन है। यह गाड़ी वहां अवश्य रूकनी चाहिए। यदि यह वास्तविक राजधानी है तो इसे पालघाट जैसी जगह पर अवश्य रूकना चाहिए। निश्चय ही, मालाबार क्षेत्र के लोगों को, जोकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, विशेषकर कि उत्तरी भारत में, इससे लाभ होगा। अन्यथा, त्रिवेंद्रम में रह रहे लोगों के लिए यह गाड़ी त्रिवेंद्रम जाती है और कोचीन क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए यह गाड़ी पूरे क्षेत्र को जिसका केन्द्र बिन्दु पालघाट है, नजर अन्दाज करते हुए इरनाकुलम पर रूकती है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार राजधानी एक्सप्रेस को पालघाट पर दो मिनट रूकवाने के छोटे से अनुरोध के प्रति इतना कड़ा रवैया क्यों अपना रही है।

श्री ओस्कर फर्नान्डीज(उदीपी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसे भी हम स्टेशन नहीं मान सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण जक्शंन है जहां से लोग विभिन्न दिशाओं में जाते हैं। इसलिए मैं श्री अहमद की मांग से पूर्णतः सहमत हूं।

श्री ई.अहमद : तमिलनाडु में कोयम्बटूर की जनता जिनके केरल के लोगों से अच्छे संबंध हैं, को भी राजधानी एक्सप्रेस के पालघाट में करने से लाभ होगा। यदि यह रेलगाड़ी यात्रियों के लाभ के लिए चलाई जाती है तो उसे पालघाट जंक्शन पर जोकि दक्षिण रेलवे का महत्वपूर्ण जंकशन है अवश्य रोका जाना चाहिए।

महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह घोषणा की थी कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम का गठन करने जा रही है। प्रधानमंत्री की घोषणा को एक वर्ष पूरा होने में कुछ दिन शेष रह गए हैं।

महोदय, इस देश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है? कुछ लोग तथा कुछ राजनीतिक दल हैं जो कि जोर-शोर से ऐसा प्रचार कर हे हैं और वक्तव्य दे रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को संतुष्ट किया जा रहा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह संतुष्ट किया जा रहा है? सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और सुरक्षा बलों में अल्पसंख्यक समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व है? क्या उनकी स्थिति दयनीय नहीं है? क्या सरकार इस संबंध में तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करेगी कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता क्या है? मैं किसी को भी यह चुनौती दे सकता हूं कि अल्पसंख्यकों को किसी भी सरकारी क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक उपक्रम मे 5 प्रतिशत से अधिक नौकरियां दी गई है। सार्वजनिक उपक्रमों में यहां तक कि चपरासी की नौकरी भी समाज के इस वर्ग को नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में हाल ही में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए है? इनमें से, अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिमों का अनुपात कितना है? क्या उन्हें न्यायोचित अथवा सही प्रतिनिधित्व दिया गया है?

जी नही महोदय, संविधान में यह प्रावधान है कि जो लोग सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए अथवा सेवाओं में चयन के समय उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए और उन्हें पिछड़ा समुदाय नहीं अपितु पिछड़े वर्ग माना जाना चाहिए। मैं समुदाय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं पिछड़े वर्गों के बारे में भी बोल रहा हूं जिसका उल्लेख श्री शास्त्री और अन्य सदस्यों ने भी किया है।

लेकिन जब मुस्लिम समाज का पिछड़ा हुआ वर्ग यह कहता है कि हमें आरक्षण चाहिए तो क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय को संतुष्ट करना है? मैं इसे नहीं समझ सकता। निश्चय ही अल्पसंख्यक समुदाय में यदि वे सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो क्या संवैधानिक प्रावधानों का लाभ लेने के हकदार नहीं हैं? सरकार ने इस मांग पर पर्याप्त ध्यान अथवा पर्याप्त विचार क्यों नहीं किया है? भारत में केरल ही एक ऐसा राज्य है जिसने इस तथ्य को देखने की बजाय कि यह मुस्लिम समुदाय है अथवा हिन्दू समुदाय है अथवा ईसाई समुदाय है, सभी पिछड़े हुए समुदायों के साथ न्याय किया है।

[अनुवाद]

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में पूरे देश में केरल ही एकमात्र आदर्श राज्य है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित स्थान और अधिकार दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश अन्य राज्यों में जो लोग पिछड़े वर्गों के हिमायती लगते थे उन अल्पसंख्यकों के वास्तविक अंश को भूल गए हैं जो कतिपय क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की यह मांग है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए और प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 1993 को जिस अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना करने की वचनबद्धता की थी उसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को दिए गए वचन को कार्यान्वित किया जाए।

दूसरा मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह टाडा के दुरूपयोग के बारे में है। महोदय, टाडा एक प्रावधान है जिसकी वैधता को उच्चतम न्यायालय ने उचित ठहराया है। मैं अब इस पर विवाद नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वास्तव में यह मामला हद से बाहर चला गया है। हम टाडा के इस प्रावधान को समाप्त क्यों नहीं कर सकते हैं? टाडा का क्या उपयोग है? अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किए 50,000 लोगों में से नामनिर्दिष्ट न्यायालयों द्वारा पांच व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराया गया है। क्या बेकसूर लोगों को जेल में डालना और उन्हें वहीं सड़ने देना लोकतांत्रिक सरकार के लिए ठीक है। वहां ऐसे जितने बेकसूर लोग हैं?

महोदय, मैं यह बात भली भांति समझ सकता हूं कि यदि अपराधी, चाहे वह कोई भी हो, को गिरफ्तार किया जाता है, न्यायालय में पेश किया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन बेकसूर लोगों के साथ क्या किया जाता है? एक गरीब आदमी से लेकर सिने कलाकार तक को टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। कितने लोगों को न्यायालय के सामने पेश किया गया है। इस देश में निवारक निरोध अधिनियम का विरोध किया गया है। इस देश पर पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे महान व्यक्ति ने शासन किया है, यह एक लोकतांत्रिक देश है जिसका पूरे विश्व में सम्मान है। ऐसे देश में सरकार इसे कैसे औचित्यपूर्ण ठहराती है? मैं किसी अपराधी के विरुद्ध कानून के किसी प्रावधान के इस्तेमाल करने के विरुद्ध नहीं हुई हूं। लेकिन जो लोग बेकसूर हैं और जो लोग न्यायालय के समक्ष अपने को बेकसूर सिद्ध नहीं कर सकते हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और परेशान किया गया है। यह टाडा का दुरूपयोग है और टाडा के अंतर्गत भ्रष्टाचार है और बहुत से मामले और ध्यान में लाए गए हैं। जिन्हें मैं पहले ही व्यक्तिगत रूप से माननीय गृह मंत्री जी और महाराष्ट्र के श्री शरद पवार, गुजरात के श्री छब्बील दास मेहता और राजस्थान के श्री भैरों सिंह शोखावत जैसे मुख्यमंत्रियों के ध्यान में ला चुका हूं। उनका क्या हुआ? जिन लोगों को सलाखों के पीछे बंद किया गया है? यदि उचित प्रयास किए जाएं तो उन्हें अधिकारी भी छोड़ सकते हैं। कितने लोग ऐसा कर पाएंगे। क्या यह टाडा के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है? भारतीय समाज जैसा सभ्य समाज इस प्रकार की परेशानी, अभित्रास ओर इस देश के नागरिकों को न्याय की मनाही क्यों कैसे सहन कर सकता है?

अतः मैं कहता हूं कि यह वास्तव में एक विरोधाभास है, विडम्बना है कि जब पंजाब की स्थिति को देखते हुए वहां पर टाडा लागू किया गया था उसी समय अन्य राज्यों में इसका दुरूपयोग हो रहा है। पंजाब में सुरक्षा कारणों और देश की अंखडता के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ा था। लेकिन केवल पंजाब में ही ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने टाडा के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा कर दिया है। लेकिन अन्य सभी राज्य टाडा के प्रावधानों का सहारा ले रहे हैं विशेष रूप से बड़े पदों पर उन लोगों से प्रतिशोध लेने के लिए जो जनविरोधी हैं। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कम से कम उन सभी लोगों के मामलों पर पुनर्विचार करे जिन्हें टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए।

मैं केवल एक या दो बातों का उल्लेख कर रहा हूं। आज सुबह भी मैं असम के बारे में बोला था। असम में जो कुछ हुआ है वह पूरे देश के लिए शर्मनाक घटना है। एक ओर हम लोगों में, लोगों के बहुत बड़े वर्ग में भाई चारे के साथ-साथ एकता और अखंडता का प्रचार कर रहे हैं। मैं किसी समुदाय विशेष

की बात नहीं कर रहा हूं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की एक बार नहीं बल्कि तीन बार बड़े पैमाने पर हत्या की गई है।

[अनुवाद]

उस बारे में पहले चर्चा की जा चुकी है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। जिन लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया है अथवा जिन लोगों को बेघर कर दिया है, वे 10 राहत शिविरों में रह रहे हैं। उन शिविरों में पचास हजार लोग बिना किसी चिकित्सा-सहायता अथवा बिना भोजन वस्त्र के निवास कर रहे हैं। लेकिन जिला-प्रशासन ने यह समाचार जारी किया है कि उनकी अच्छी देखभाल हो रही है। इन बातों के लिए कौन जिम्मेदार है? कुछ लोगों ने ये जघन्य अपराध किये हैं और वे सुरक्षित घूम रहे हैं। अतः, न्याय तथा निष्पक्षता के हित में भारत सरकार को इस बात की गहराई से जांच करने के लिए कि क्या बोडो समझौता करना देश के हित में था तथा देश के उस भाग में हिंसा भड़काने के लिए कौन जिम्मेदार है, जिसके परिणामस्वरूप बेकसूर लोगों की लगातार सामूहित हत्या होती रही है, जिस विश्व में इस देश को शर्म से सिर झुकाना पड़ा है, राज्य सरकार को इस मामले की यथा संभव उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने के आदेश जारी करने के लिए राजी करे।

इन शब्दों के साथ, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं तथा मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने यहां जो मुद्दे उठाये हैं, सरकार उन पर ध्यान देगी।

प्रो. के.वी. थॉमस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

तीन वर्ष पहले, जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय वित्तीय-स्थिति चरमरा रही थी तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। उस विकट स्थिति से, आज जब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा करते हैं, तो हम उस स्थिति के बारे में शांतिपूर्वक एवं संतोषप्रद ढंग से चर्चा कर सकते हैं।

महोदय, गत तीन वर्षों की अवधि कठिनाई एवं नये अनुभवों की अवधि थी। हम अपने आर्थिक ढांचे एवं औद्योगिक नीति को एक नई दिशा में ले गये हैं तथा इन तीन वर्षों में यह प्रदर्शित हुआ है कि हमने अनेक साहसिक निर्णय लिये हैं, जिनके फलस्वरूप अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. थामस, एक मिनट के लिए रूकिये। क्या यह सभा इस बात के लिए राजी है कि हम दस पन्द्रह मिनट और बैठें?

कुछ माननीय सदस्य : महोदय, हम यह चर्चा कल भी जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. थॉमस, क्या आप अपनी बात आज ही समाप्त करना चाहते हैं?

प्रो. के.वी. थामस : महोदय, हम यह चर्चा कल जारी रखेंगे।

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) महोदय, यदि प्रो. थामस अपना भाषण आज ही पूरा करना चाहते हैं, तो हम थोड़ी देर और बैठ सकते हैं। अन्यथा, हम यह चर्चा कल जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम श्री चाक्को द्वारा दी गई सिफारिश को स्वीकार कर लेंगे। सभा कल अर्थात्, 9 अगस्त, 1994 को 11.00 बजे म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

06.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 9 अगस्त, 1994/18 श्रावण, 1916 (शक)

के ग्यारह बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।